हिन्दी भाषा और सम्प्रेषण

प्रश्न पत्र : Ability Enhancement Compulsory Course
(AECC-2) Hindi/Eng/Skt (One out of three)

Credits : 06
HIND-104
पूर्णांक 100 (आई सी.डी.ई.ओ.एल. एवं प्राईवेट परीक्षार्थी)
पूर्णांक 70 (रेगुलर परीक्षार्थी)
आन्तरिक मूल्यांकन : 30
समय : तीन घण्टे

इकाई – 1

1.1 भाषा की परिभाषा, प्रकृति एवं विविध रूप

1.2 हिन्दी भाषा की विशेषताएँ : क्रिया, विभक्ति, सर्वनाम, विश्लेषण एवं अव्यय संबंधी।

1.3 उपसर्ग, प्रत्यय तथा समास। पर्यायवाची शब्द विलोम शब्द अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियाँ।

इकाई – 2

2.1 हिंदी की वर्ण–व्यवस्था : स्वर एवं व्यंजन।

2.2 स्वर के प्रकार – हस्व, दीर्घ तथा संयुक्त।

2.3 व्यंजन के प्रकार – स्पर्श, अन्तस्थ, ऊष्म, अल्पप्राण, महाप्राण, घोष तथा अघोष।

इकाई – 3

3.1 वर्णो का उच्चारण स्थान : कण्ठ्य, तालव्य, मूर्द्धन्य, दन्त्य, ओष्ठ्व तथा दन्तोष्ठ्य।

3.2 बलाघात, संगम, अनुतान तथा संधि।

इकाई – 4

4.1 भाषा संप्रेषण के चरण : श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन तथा लेखन।

4.2 हिन्दी वाक्य रचना, वाक्य और उपवाक्य। वाक्य भेद। वाक्य का रूपान्तर।

4.3 भावार्थ और व्याख्या, आशय लेखन, विविध प्रकार के पत्र लेखन।

प्राश्निक के लिए निर्देश :

1. प्रश्न पत्र दो भागों में विभक्त होगा। पहला भाग अनिवार्य है, जिसमें एक प्रश्न के अंतर्गत 14 वस्तुनिष्ठ बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न समान रूप से चारों इकाइयों में से पूछे जाएंगे।

   14 × 1 = 14 अंक (रेगुलर, आई.सी.डी.ई.ओ.एल. एवं प्राइवेट)

2. दूसरे भाग के अंतर्गत चार प्रश्न शत–प्रतिशत विकल्प के साथ चारों इकाइयों में से पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। प्रत्येक प्रश्न को दो उपविभागों में विभाजित किया जाएगा, जिनमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 7 अंक निर्धारित किए गए हैं।

   7 + 7 = 14 अंक (रेगुलर)

   10¾ + 10¾ + 21½ अंक (आई.सी.डी.ई.ओ.एल. एवं प्राईवेट)

अंक विभाजन :

(रेगुलर 14 + 14 (7+7) + 14(7+7)+ 14(7+7) + 14(7+7) = 70 अंक

<u>आई.सी.डी.ई.ओ.एल. एवं प्राइवेट</u> विद्यार्थियों के लिए दूसरे भाग के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न 21½ अंकों का होगा। 14 + 21½ + 21½ + 21½ + 21½ **= 100 अंक**

इकाई – 1
भाषा का अर्थ एवं परिभाषा

संरचना

1.1 भूमिका

1.2 उद्देश्य

1.3 भाषा

    1.3.1 भाषा का अर्थ

    1.3.2 भाषा की परिभाषा

    स्वयं आकलन प्रश्न

1.4 सारांश

1.5 कठिन शब्दावली

1.6 स्वयं आकलन के उत्तर

1.7 संदर्भित पुस्तकें

1.8 सात्रिक प्रश्न

1.1 भूमिका

पिछली कक्षाओं में हमने भाषा की प्रकृति, परिभाषा सम्बन्धी न्यूनतम जानकारी प्राप्त की। इस पाठ में हम कक्षा में हम इकाई एक के अंतर्गत भाषा, भाषा का अर्थ एवं भाषा की परिभाषा का विस्तारपूर्वक गहन अध्ययन करेंगे।

1.2 उद्देश्य

इकाई एक का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. भाषा क्या है ?
2. भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई ?
3. भाषा का अर्थ क्या है ?
4. भाषा की परिभाषा क्या है ?

1.3 भाषा

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अकेला रहकर अपना विकास नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य में समाज में रहकर अपने विचार दूसरों पर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को ग्रहण करता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि भाषा सामाजिक व्यवहार का प्रमुख माध्यम है। भाषा का उद्‌भव और विकास समाज में हुआ, उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। इस प्रकार भाषा मानवीय व्यवहार का एक रूप है। महर्षि पतंजलि ने इस लिए कहा है :–

व्यक्ता वाचि वर्णा येषां त इमे व्यक्त वाच– अर्थात् जो वाणी से व्यक्त हो, उसे भाषा की संज्ञा दी गई है।

1.3.1 भाषा का अर्थ

भाषा शब्द का प्रयोग कई अर्थो में होता है। सामान्य रूप से भाषा उन सभी माध्यमों का बोध कराती है, जिसमें भावाभिव्यंजना का काम लिया जाता है। इस दृष्टि से पशु–पक्षियों की बोली भी भाषा है, इंगित भी भाषा है, सड़क की लाल–हरी बत्ती भी भाषा है और मनुष्य जो कुछ बोलता है, वह भी भाषा है।

(क) भाषा शब्द का प्रयोग पशुओं या पक्षियों की बोली के लिए भी किया जाता है। जैसे, बन्दरों की भाषा, कुत्तों की भाषा, तोता–मैना की भाषा आदि गोस्वामी तुलसीदास में काक–भुशुण्डि और गरुड़ के प्रसंग में लिखा है :–

समुझै खग-खग ही कै भाषा।

यहाँ खग भाषा अर्थात् पक्षी की भाषा का स्पष्ट उल्लेख है। पशु-पक्षिओं की भाषा का अध्ययन करने वालों का कहना है कि उनकी भाषा में भी भाव और अभिप्राय के अनुसार भेद हो भाषा करता है। प्रसन्नता के समय अपनी भाषा वही नहीं रहती जो कष्ट के समय थी। कुतों या बिल्ली की बोली ध्यान से सुनने पर हम देखते हैं कि अवसर के अनुकूल अर्थात् मनोदशा के अनुसार, उनकी ध्वनि में भी अन्तर हुआ है।

(ख) अपना अभिप्राय व्यक्त करने के लिए आँख, सिर, हाथ आदि का संचालन भी भाषा के अन्तर्गत आता है। इसे आंगिक या इंगित भाषा कहते हैं। आँखों से किसी को चलने का इशारा करना, किसी को बैठने को कहना, किसी को जाने का निर्देश देना, किसी के सामने दीनता दिखवाना, किसी से प्रेम जताना, किसी पर क्रोध प्रकट करना आदि दैनिक व्यवहार है। सहमति और असहमति, स्वीकृति और अस्वीकृति व्यक्त करने के लिए सिर हिलाना बड़ी साधारण बात है। इसी तरह हाथ हिलाकर हम किसी को बुलाते हैं, किसी को दूर हटाने को कहते हैं, किसी को कुछ करने से मना करते हैं, किसी से कुछ माँगते हैं, किसी से आरजू मिन्नत करते हैं, किसी को मारने का इशारा करते हैं। आंगिक या इंगित भाषा का प्रयोग केवल गूँगे ही नहीं करते, वाणी सम्पन्न भी करते हैं। अन्तर यह है कि गूँगों के लिए वह अनिवार्य है और वाणी सम्पन्न मनुष्यों के लिए वाचिक भाषा का पूरक। किसी को डाँटते समय केवल वाणी के प्रयोग से ही संतोष नहीं होता, हम हाथ-पैर और आँख के संचालन से भी क्रोध व्यक्त करते हैं। व्याख्यान देते समय मेज पर हाथ पटक या जमीन पर पैर पटककर हम अपने कथ्य को अधिक सबल रूप में व्यक्त कर सकते हैं। बहुत बार आँगिक भाषा के बिना वाचिक भाषा अपूर्ण और असमर्थ सी प्रतीत होती है। पर इसका अर्थ यह नहीं कि वह भाषिक भाषा का स्थान ग्रहण करने के योग्य है। वाचिक भाषा की पूर्णता इंगित में हो संभव है ही नहीं।

(ग) चिह्न-भाषा (साइन लैंग्वेज) :- अर्थबोध के लिए मनुष्य कई प्रकार के चिह्न भी काम में लाता है। स्काऊट, नाविक या सैनिक झंडे की सहायता से अपना संदेश एक-दूसरे तक भेजते हैं। झंडे की भाषा का इतना विकास हो चुका है कि दो दूरस्थ पहाड़ों पर खड़े सैनिक या दो दूरस्थ जहाजों पर खड़े नो-सैनिक परस्पर भली-भान्ति बातें कर लेते हैं। गार्ड अपनी लाल-हरी झंडियों की सहायता से ड्राइवर को अपनी गाड़ी रोकने और चलने का आदेश दूर से ही दे देता है। सड़क की लाल-हरी बत्तियाँ रूकने और जाने का आदेश निर्देश करती रहती हैं। तार की टूक-ट्रार ध्वनियाँ (मोर्स कोड) चिह्न भाषा के ही अन्तर्गत आती है। यातायात का नियंत्रण करने वाले सिपाही का हाथ उठाना इसी कोटि की भाषा है। कहने की आवश्यकता नहीं कि भावाभिव्यंजन का अर्थबोध के ये सभी साधन गौण और स्थूल रूप में ही भाषा की सीमा में आते हैं।

(घ) भाषा का मुख्य प्रयोग ध्वनि-संकेतों की सहायता से भावों या विचारों की अभिव्यंजना के लिए होना चाहिए। अभिव्यंजना के उपर्युक्त साधनों में अपूर्णता और अस्पष्टता रहती है।ध्वनि-संकेत की भाषा ही एकमात्र ऐसी भाषा है, जो वक्तव्य को पूर्णता और स्पष्टता से संप्रेषित कर सके। भाषा विज्ञान से भाषा के इसी रूप का अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान का संबंध पशुओं की बोली या चिह्न भाषा से नहीं है।

भाषा शब्द संस्कृत के भाष् धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है-व्यक्त वाणी। इस प्रकार से इस धातु के अर्थ में ही भाषा का लक्षण समाहित हो गया है। व्यक्त वाणी का अर्थ है-स्पष्ट और पूर्ण अभिव्यंजना और वह उच्चरित या वाचिक भाषा से ही सम्भव है, जिसमें सूक्ष्म-से-सूक्ष्म अर्थों के बोधक अनंत ध्वनि संकेत है। इसलिए भाषा मनुष्य की वाचिक भाषा के लिए ही संगत है, भाव-बोधक अनंत ध्वनि संकेत है। इसलि भाषा मनुष्य की वाचिक भाषा के लिए ही संगत है, भाव-बोधन के अन्य माध्यमों के लिए नहीं और उनके यदि भाषा का प्रयोग होता है तो गौण अर्थ मे ही।

1.3.2 भाषा की परिभाषा

भाषा शब्द बड़ा ही व्यापक है। भाषा ही परिभाषा करने का अर्थ है।, उसकी सीमाओं को निश्चित करना, उसका सही वर्णन करना तथा उसका अर्थ स्थिर करना है। भाषा के विकास के साथ-साथ भाषा की सीमाएँ भी परिवर्तित होती रहती है। पुरानी भाषाओं का स्थान नई भाषाएँ और अधिक व्यापक परिभाषाएँ लेती रही हैं। अत: भाषा की परिभाषा ऐसी अवश्य

ही, 'जो उसकी' सीमाओं को निश्चित करे, उसका सही स्वरूप व अर्थ का निरूपण की। अत: भाषा की विभिन्न परिभाषाओं का समालोचनात्मक विवेचन करना आवश्यक है। विद्वानों ने भाषा की विभिन्न परिभाषाएँ प्रस्तुत की है। उनको पढ़कर हमारे मन में भाषा के स्वरूप का भाव प्रकट होता है। विभिन्न विद्वानों ने भाषा की परिभाषाएँ इस प्रकार दी है :-

1. डा. भोलानाथ तिवारी के अनुसार भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चारित या दृच्छिक ध्वनि-प्रतीकों की वह व्यवस्था है, जिसके द्वारा एक समाज के व्यक्ति आपस में भावों और विचारों का आदान-प्रदान करते हैं।
2. डा. श्याम सुन्दरदास के अनुसार मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा या मति का आदान-प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि-संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं।
3. डा. मंगलदेव शास्त्री के अनुसार भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार कहते हैं, जिसमें मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों के द्वारा अपने विचारों प्रकट करते है।
4. डा. बाबूराम सक्सेना के अनुसार जिन ध्वनि चिह्नों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार-विनिमय करता है, उसे भाषा कहते हैं। जिस साधन के द्वारा मनुष्य अपने भावों और विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा कहते हैं।
5. कामता प्रसाद के अनुसार भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली-भान्ति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतता समझ सकता है।
6. नलिनी मोहन सान्याल का मत है कि अपने स्वर को विविध प्रकार से संयुक्त तथा विन्यस्त करने से उसके जो-जो आकार होते हैं, उसका संकेतों के सदृश व्यवहार कर अपनी इच्छा को तथा मनोभावों को जिस साध न से हम प्रकाशित करते हैं, उस साधन को भाषा कहते हैं पाश्चात्य भाषाविदों ने भी भाषा को परिभाषा की परिधि ने बाँधने के अनेक प्रयास किये है, जिनमें से कुछ महत्त्वपूर्ण विचार उद्भूत किए जा रहे हैं।

1. प्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक मैक्समूलर का विचार है कि भाषा और कुछ नहीं, केवल मानव की चतुर बुद्धि द्वारा आविष्कृत एक ऐसा उपाय है, जिसकी सहायता से हम अपने विचार सुगमता और तत्परता से प्रकट कर सकते है। इसकी व्याख्या प्रकृति की उपज के रूप में नहीं बल्कि मनुष्य कृत पदार्थ के रूप में करना उचित है।
2. इटली के प्रसिद्ध भाषाविद् कोचे ने अपना मत प्रकार व्यक्त किया है :- Language is articulate, limited, organized sound employed in expression. अर्थात् भाषा उस स्पष्ट, सीमित तथा सुसंगठित ध्वनि को कहते हैं, जो अधिव्यक्ति के लिए नियुक्ति की जाती है।
3. हैस्पर्सन ने भाषा को इस प्रकार परिभाषित किया गया है :-
4. The essence of language is human activity - activity on the part of one individual to make himself understood by anther and activity on the part of that other to understand what was in the mind of the first.

   अर्थात् भाषा का सार, मानवीय कार्यों को समझने में सहायता देना अर्थात् भाषा के माध्यम से एक व्यक्ति दूसरे का समझने का कार्य करती है।
5. एडवर्ड स्पीर के अनुसार भाषा ऐच्छिक रूप से उत्पादित प्रतीकों की एक व्यवस्था है, जो शुद्ध रूप से मानवीय है और जो सहज वृत्ति की विशेषताओं से रहित है और जिसका प्रयोग विचारों संवेगों और इच्छाओं की अभिव्यक्ति के लिए होता है।

भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों के द्वारा कठिन भाषा की परिभाषाओं का सार संकलन करने के उपरांत कहा जा सकता है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का प्रयोग होता है, जो रूढ़ एवं परंपरागत होते हैं। इस ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही विचाराभिव्यक्ति होती है। प्रत्येक वर्ग एवं समाज के ध्वनि संकेतों से भिन्नता होती है। ये ध्वनि संकेत सार्थक होते हैं एवं

इनका वर्गीकरण, विश्लेषण तथा अध्ययन सम्भव है। अतएव भाषा की सर्वमान्य परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है कि भाषा मानव मुख से निःसृत सार्थक ध्वनि संकेतों की उस समष्टि को कहा जा सकता है, जिसके माध्यम से मनुष्य नित्य प्रति अपने मनो भावों की सहन अभिव्यक्ति करते हैं।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. भाषा की लघुतम इकाई क्या है ?

प्र. 2. लिपि चिह्नों का ज्ञान क्या कहलाता है ?

प्र. 3. हिन्दी किस भाषा परिवार की भाषा है ?

1.4 सारांश

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान-प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में-जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप से दूसरों को समझा सके और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। भाषा का स्वत्व, गुण, धर्म और वैशिष्टय ही भाषा का स्वरूप है। मनुष्य अपने भाव/संदेश स्वन रूप में श्रोता/ग्राहक तक पहुँचाता है। भाषा का लिखित रूप स्वन पर आधारित होता है। भाषा के लिखित रूप को अपनाने वाला व्यक्ति उसका उच्चारित रूप अवश्य जानता है।

1.5 कठिन शब्दावली

आंगिक – अंग संबंधी

इंगित – इशारा

निर्देश – हिदायत, आदेश

असहमति – आपति

मिन्नत – याचना

1.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

उ. 1. वर्ण

उ. 2. अक्षर ज्ञान

उ. 3. भारोपीय परिवार

1.7 संदर्भित पुस्तकें

1. कामता प्रसाद गुरु, हिन्दी व्याकरण, पवन पॉकेट बुक्स, दिल्ली।

2. श्याम सुन्दरदास, हिली भाषा विज्ञान, प्रभाकर प्रकाशन, दिल्ली।

1.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. भाषा का अर्थ स्पष्ट करते हुए भाषा के विविध रूपों की विवेचना कीजिए।

प्र. 2. भाषा शब्द को परिभाषित कीजिए तथा भाषा की प्रकृति को स्पष्ट कीजिए।

*****

इकाई – 2
भाषा की प्रकृति

संरचना

2.1 भूमिका

2.2 उद्देश्य

2.3 भाषा की प्रकृति (पद्धति)

स्वयं आकलन प्रश्न

2.4 सारांश

2.5 कठिन शब्दावली

2.6 स्वयं आकलन के उत्तर

2.7 संदर्भित पुस्तकें

2.8 सात्रिक प्रश्न

2.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने भाषा के अर्थ एवं परिभाषा का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम भाषा की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का गहन विवेचन एवं विश्लेषण करेंगे।

2.2 उद्देश्य

इकाई दो का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि–

1. भाषा की प्रकृति क्या है?
2. भाषा की प्रवृत्ति क्या है?
3. भाषा की लघुतम इकाई क्या है?
4. क्या भाषा एक सामाजिक संपत्ति है?

2.3 भाषा की प्रकृति (प्रवृति)

भाषा के सहज गुण–धर्म की भाषा की प्रकृति कहते हैं। इसे ही भाषा की विशेषता या लक्षण कह सकते हैं। भाषा–प्रकृति को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। भाषा की प्रथम प्रकृति वह है, जो सभी भाषाओं के लिए मान्य होती है, इसे भाषा की सर्वमान्य प्रकृति कह सकते हैं। द्वितीय प्रकृति वह है, जो भाषा–विशेष में पाई जाती है। इससे एक भाषा से दूसरी भाषा की भिन्नता स्पष्ट होती है। हम इसे विशिष्ट भाषागत प्रकृति कह सकते हैं।

यही मुख्यत: ऐसी प्रकृति के विषय में विचार किया जा रहा है, जो विश्व की समस्त भाषाओं में पाई जाती है :–

1. **भाषा सामाजिक संपति :–** सामाजिक व्यवहार, भाषा का मुख्य उद्देश्य है। हम भाषा के सहारे अकेले में सोचते या चिंतन करते हैं, किन्तु वह भाषा इस सामान्य यादृच्छिक ध्वनि–प्रतीकों पर आधारित भाषा से भिन्न होती है। भाषा अद्योपांत समाज से संबंधित होती है। भाषा का उद्भव–विकास और अर्जन समाज में होता है और उसका प्रयोग भी समाज में ही होता है। यह तथ्य द्रष्टव्य है कि जो बच्चा जिस समाज में पैदा होता तथा पलता है, वह उसी समाज की भाषा सीखता है।
2. **भाषा पैतृक संपति नहीं :–** कुछ लोगों का कथन है कि पुत्र की पैतृक संपति (घर, धन, बाग आदि) के समान भाषा की भी प्राप्ति होती है। अत: उनके अनुसार भाषा पैतृक संपति है, किन्तु यह सत्य नहीं है। यदि किसी भारतीय बच्चे को एक–दो वर्ष अवस्था (शिशुकाल) में किन्हीं विदेशी भाषा–भाषी लोगों के साथ कर दिया जाए, तो वह उनकी ही भाषा बोलेगा। इसी प्रकार यदि विदेशी भाषा–भाषी परिवार के शिशु का हिंदी भाषी परिवार

में पालन–पोषण करें, तो वह सहज रूप में हिंदी भाषा ही सीखेगा और बोलेगा। यदि भाषा पैतृक संपति होती, तो वह बालक बोलने के योग्य होने पर अपने माता–पिता की ही भाषा बोलेगा, किन्तु ऐसा नहीं होता है।

3. **भाषा व्यक्तिगत संपति नहीं :–** भाषा सामाजिक संपति है। भाषा का निर्माण भी समाज के द्वारा होता है। कोई भी साहित्यकार या भाषा–प्रेमी भाषा में कुछ एक शब्दों को जोड़ या उसमें से कुछ एक शब्दों को घटा नहीं सकता है। भाषा के परिवर्तन को समाज स्वीकृति अनिवार्य है। इससे स्पष्ट होता है कि कोई साहित्यकार या भाषा–प्रेमी भाषा का निर्माता नहीं हो सकता है। भाषा में होने वाला परिवर्तन भी व्यक्तिकृत न होकर समाजकृत होता है।

4. **भाषा अर्जित संपति :–** भाषा परंपरा से प्राप्त संपति है, किन्तु यह पैतृक संपति की भांति नहीं प्राप्त होती है। मनुष्य को भाषा सीखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। प्रयास के अभाव में विदेशी और अपने देश की भाषा ही नहीं मातृभाषा का भी ज्ञान असंभव है। भाषा–भाषार्जन का सतत प्रयास उसमें गंभीरता और परिपक्वता लाता है। निश्चय ही भाषा–ज्ञान प्रयत्नज है और प्रयत्न की दिशा और गति के अनुसार शिथिल अथवा व्यवस्थित होता है। मनुष्य मातृभाषा के समान प्रयोगार्थ प्रयत्न कर अन्य भाषाओं को भी सीखता है। इससे स्पष्ट होता है, भाषा अर्जित संपति है।

5. **भाषा अर्जन, व्यवहार–अनुकरण आधारित :–** शिशु बौद्धिक विकास के साथ अपने आस–पास के लोगों की ध्वनियों के अनुकरण के आधार पर उन्हीं के समाप प्रयोग करने का प्रयत्न करता है।

   प्रारंभ में वह पा, मा, बा आदि ध्वनियों का अनुकरण करता है, फिर सामान्य शब्दों को अपना लेता है। यह अनुकरण तभी संभव होता है जब उसे सीखने योग्य व्यावहारिक वातावरण प्राप्त हो। वैसे व्याकरण, कोश आदि से भी भाषा सीखी जा सकती है, किन्तु व्यावहारिक आधार पर सीखी भाषा इनकी आधार भूमि है। यदि किसी शिशु को निर्जन स्थान पर छोड़ दिया जाए तो वह बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि व्यवहार के अभाव में उसे भाषा का ज्ञान नहीं हो पाएगा। हिंदी–व्यवहार के क्षेत्र में पलने वाला शिशु यदि अनुकरण–आधार पर हिंदी सीखता है, तो पंजाबी–व्यवहार के क्षेत्र का शिशु पंजाबी ही सीखता है।

6. **भाषा सामाजिक स्तर पर आधारित :–** भाषा का सामाजिक स्तर पर भेद हो जाता है। विस्तृत क्षेत्र में प्रयुक्त किसी भी भाषा की आपसी भिन्नता देख सकते हैं। सामान्य रूप में सभी हिंदी भाषा–भाषी हिंदी का ही प्रयोग करते हैं, किन्तु विभिन्न क्षेत्रों की हिंदी में पर्याप्त भिन्नता है। यह भिन्नता उनकी शैक्षिक, आर्थिक व्यावसायिक तथा सामाजिक आदि स्तरों के कारण होती है। भाषा के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी शब्दावली होती है, जिसके कारण भिन्न्ता दिखाई पड़ती है। शिक्षित व्यक्ति जितना सतर्क रहकर भाषा का प्रयोग करता है, सामान्य अथवा अशिक्षित व्यक्ति उतनी सतर्कता से भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता है। यह स्तरीय तथ्य किसी भी भाषा के विभिन्न कालों के भाषा–प्रयोग से भी अनुभव कर सकते हैं। गाँव की भाषा शिथिल व्याकरण सम्मत होती है, तो शहर की भाषा का व्याकरण सम्मत होना स्वाभाविक है।

7. **भाषा सर्वव्यापक :–** यह सर्वमान्य तथ्य है कि विश्व के समस्त कार्यों का संपादल प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाषा के माध्यम से होता है। समस्त ज्ञान भाषा पर आधारित है। व्यक्ति–व्यक्ति का संबंध या व्यक्ति–समाज का संबंध भाषा के अभाव में असंभव है। भतृहरि ने वाक्यपदीय में इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कहा है :–

न सोऽस्ति प्रत्ययो लोके यः शब्दानुगमादृते।
अनुबिद्धमिव ज्ञानं सर्व शब्देन भासते।

–वाक्यपदीय 123 –24

मनुष्य के मनन, चिंतन तथा भावाभिव्यक्ति का मूल माध्यम भाषा है, यह भी भाषा की सर्वव्यापकता का प्रबल प्रमाण है।

8. **भाषा सतत प्रवाहमयी :–** मनुष्य के साथ भाषा सतत गतिशील रहती है। भाषा की उपमा प्रवाहमान जलस्रोत या नदी से दी जा सकती है, जो पर्वत से निकल कर समुद्र तक लगातार बढ़ती रहती है, अपने मार्ग में वह कही। सूखती नहीं है, समाज के साथ भाषा का आरंभ हुआ और आज तक गतिशील है। मानव समाज जब तक रहेगा तब तक भाषा का स्थायित्व पूर्ण निश्चित है, किन्तु उसे समाप्त करने की शक्ति किसी में नहीं होती है। भाषा की परिवर्तनशीलता को व्यक्ति या समाज द्वारा रोका नहीं जा सकता है।

9. **भाषा संप्रेषण मूलत वाचिक :–** भाषा–संप्रेषण सांकेतिक, आंगिक, लिखित और यांत्रिक आदि अनेक रूपों में होता है, किन्तु उनकी कुछ सीमाएँ हैं अर्थात् इन सभी माध्यमों के द्वारा पूर्ण भावाभिव्यक्ति संभव नहीं है। स्पर्श तथा संकेत भाषा तो निश्चित रूप से अपूर्ण हैं, साथ ही लिखित भाषा से भी पूर्ण भवाभिव्यक्ति संभव नहीं है। वाचिक भाषा में आरोह–अवरोह तथा विभिन्न भाव–भंगिमाओं के आधार पर सर्वाधिक सशक्त भवाभिव्यक्ति संभव होती है। इन्हीं विशेषताओं के कारण वाचिक भाषा को सजीव तथा लिखित आदि भाषाओं को निर्जीव भाषा कह सकते हैं। वाचिक भाषा का प्रयोग सर्वाधिक रूप में होता है। अनेक अनपढ़ व्यक्ति लिखित भाषा से अनभिज्ञ होते हैं, किन्तु ऐसी भाषा का सहज, स्वभाविक तथा आकर्षक प्रयोग करते हैं।

10. **भाषा चिरपरिवर्तनशील :–** संसार की सभी वस्तुओं के सामान भाषा भी परिवर्तनशील है। किसी भी देश के एक काल की भाषा परवर्ती काल में पूर्ववत नहीं रह सकती, उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य हो जाता है। यह परिवर्तन अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण होता है। संस्कृत में 'साहस' शब्द का अर्थ अनुचित या अनैतिक कार्य के लिए उत्साह दिखाना था, तो हिंदी में यह शब्द अच्छे कार्य में उत्साह दिखाने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। भाषा अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती हैं। मूल (वाचिक) भाषा का पूर्ण अनुकरण संभव नहीं है। इसके कारण है - अनुकरण की अपूर्णता, शारीरिक, तथा मानसिक भिन्नता एवं भौगोजिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक परिस्थितियों की भिन्नता। इन्हीं आधारों पर भाषा प्रतिपल परिवर्तित होती रहती है।

11. **भाषा का प्रारंभिक रूप उच्चरित :–** भाषा के दो रूप मुख्य हैं - मौखिक तथा लिखित। इनमें भाषा का प्रारंभिक रूप मौखिक है। लिपि का विकास तो भाषा–जन्म के प्रर्याप्त समय बाद हुआ है। लिखित भाषा में ध्वनियों का ही अंकन किया जाता है। इस प्रकार कह सकते हैं कि ध्वन्यात्मक भाषा के अभाव में लिपि की कल्पना भी असंभव है। उच्चरित भाषा के लिए लिपि आवश्यक माध्यम नहीं है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि आज भी ऐसे अनगिनत व्यक्ति मिल जाएँगे, जो उच्चरित भाषा का सुन्दर प्रयोग करते हैं, किन्तु उन्हें लिपि का ज्ञान नहीं होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि भाषा का प्रारंभिक रूप उच्चरित या मौखिक है और उसका परवर्ती–विकसित रूप लिखित है।

12. **भाषा का प्रारंभिक रूप वाक्य :–** सामान्यत: भाव का विचार पूर्णता के द्योतक होते हैं। पूर्ण भाव की अभिव्यकित सार्थक, स्वतंत्र और पूर्ण सार्थक इकाई–वाक्य से ही संभव है। कभी–कभी तो एक शब्द से भी पूर्ण अर्थ का बोध होता है। यथा –'जाओ', 'आओ' आदि। वास्तव में से शब्द न होकर वाक्य के एक विशेष रूप में प्रयुक्त हैं। ऐसे वाक्यों में वाक्याँश छिपा होता है। यहाँ पर वाक्य का उद्देश्य–अंश 'तुम' छिपा है। श्रोता ऐसे वाक्यों को सुनकर प्रसंग–आधार व्याकरणिक ढंग से उसकी पूर्ति कर लेता है। इस प्रकार के वाक्य बन जाते हैं - 'तुम जाओ।' 'तुम आओ।' बच्चा एक ध्वनि या वर्ण के माध्यम से भाव प्रकट करता है। बच्चे की ध्वनि भावात्मक दृष्टि से संबंधित होने के कारण एक सीमा में पूर्ण वाक्य के प्रतीक रूप में होती है, यथा - 'प' से भाव निकलता है - 'मुझे प्यास लगी है या मुझे दूध दे दो या मुझे पानी दे दो। यहाँ 'खग जाने खग ही की भाषा' का सिद्धांत अवश्य लागू होता है। जिसके ह्रदय में ममता और वात्सल्य का भाव होगा या भाव जग सकेगा, वह ही ऐसे वाक्यों की अर्थ–अभिव्यक्ति को ग्रहण कर सकेगा। प्रसंग के ज्ञान के बिना अर्थ–ग्रहण संभव नहीं होता है।

13. **भाषा मानकीकरण पर आधारित :–** भाषा परिवर्तनशील है, यही कारण है कि प्रत्येक भाषा एक युग के पश्चात् दूसरे युग में पहुँचकर पर्याप्त भिन्न हो जाती है। इस प्रकार परिवर्तन के कारण भाषा में विविधता आ जाती है। यदि भाषा–परिवर्तन पर बिलकुल ही नियंत्रण न रखा जा तो तीव्र गति के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप कुछ ही दिनों में भाषा का रूप अबोध हो जाएगा। भाषा–परिवर्तन पूर्ण रूप से रोका तो नहीं जा सकता, किन्तु भाषा में बोधगम्यता बनाए रखने के लिए उसके परिवर्तन–क्रम का स्थिरीकरण अवश्य संभव है। इस प्रकार की स्थिरता से भाषा का मानकीकरण हो जाता है।

14. **भाषा – विकास संयोगावस्था से वियोगावस्था :–** विभिन्न भाषाओं के प्राचीन, मध्ययुगीन तथा वर्तमान रूपों के अध्ययन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि भाषा का प्रारंभिक रूप संयोगावस्था में होता है। इसे संश्लेषावस्था भी कहते है। धीरे–धीरे इसमें परिवर्तन आता है और वियोगावस्था या विश्लेषावस्था आ जाती है। भाषा की संयेागावस्था में वाक्य के विभिन्न अवयव आपस में मिले हुए लिखे–बोले जाते हैं। परवर्ती अवस्था में यह संयोगावस्था धीरे–धीरे शिथिल होती जाती है, यथा–रमेशस्य पुत्रः गृहं गच्छति। रमेश का पुत्र घर जाता है। 'रमेशस्य' तथा 'गच्छति' संयोगावस्था में प्रयुक्त हुए है। जबकि परवर्ती भाषा ह्रिदी में 'रमेश का' और 'जाता है' वियोगावस्था में है।

15. **भाषा का अंतिम रूप नहीं :–** वस्तु बनते–बनते एक अवस्था में पूर्ण हो जाती है, तो उसका अंतिम रूप निश्चित हो जाता है। भाषा के विषय में यह बात सत्य नहीं है। भाषा चिरपरिवर्तनशील है। इसलिए किसी भी भाषा का अंतिम रूप ढूँढना निरर्थक है और उसका अंतिम रूप ढूँढना निरर्थक है और उसका अंतिम रूप प्राप्त कर पाना असंभव है। यहां यह भी ध्यातथ्य है कि यह प्रकृति जीवित भाषा के संदर्भ में ही मिलती है।

16. **भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर :–** विभिन्न भाषाओं के ऐतिहासिक अध्ययन के पश्चात् यह स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि भाषा का प्रवाह कठिनता से सरलता की ओर होता है। मनुष्य स्वभावतः अल्प परिश्रम से अधिक कार्य करना चाहता हो। इसी आधार पर किया गया प्रयत्न भाषा में सरलता का गुण भर देता है। इस प्रकृति का उदाहरण द्रष्टव्य है – डॉक्टर साहब या डाक्टर साहब या डाक्ट साहब या डाक्ट साब या डाक साब या डाक्टसाब।

17. **भाषा नैसर्गिक किया :–** मातृभाषा सहज रूप से अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। अन्य भाषाएँ भी बौद्धिक प्रयत्न से सीखी जाती है। दोनों प्रकार की भाषाओं के सीखने में अन्तर यह है कि मातृभाषा तब सीखी जाती है, जब बुद्धि अविकसित होती है, अर्थात बुद्धि–विकास के साथ मातृ भाषा सीखी जाती है। इससे ही इस संदर्भ में होने वाले परिश्रम का ज्ञान नहीं होता है। जब हम अन्य भाषा सीखते हैं, तो बुद्धि–विकसित होने के कारण श्रम–अनुभव होता है। कोई भी भाषा सीख लेने के बाद उसका प्रयोग बिना किसी कठिनाई के किया जा सकता है। जिस प्रकार शारीरिक चेष्टाएँ स्वाभाविक रूप से होती है, ठीक उसी प्रकार भाषा–ज्ञान के पश्चात् उसका भी प्रयोग सहज–स्वाभाविक रूप में होता है। साइकिल, स्कूटर या कार चलाते हुए या अन्य कार्य करते हुए भाषा का प्रयोग या बातचीत संभव है।

18. **भाषा की निश्चित सीमाएँ :–** प्रत्येक भाषा की अपनी प्रयोग–समय और भौगोलिक सीमाएँ होती हैं, अर्थात् एक निरिचत दूरी तक एक भाषा का प्रयोग होता है। भाषा–प्रयोग के विषय में यह कहावत प्रचलित है – – 'चार कोस पर पानी बदले, आठ कोस पर वानी।'' एक भाषा से अन्य भाषा की भिन्नता कम या अधिक हो सकती है, किन्तु भिन्नता होती है, अवश्य। एक निश्चित सीमा के पश्चात् दूसरी भाषा की भौगालिक सीमा प्रारंभ हो जाती है; यथा – असमी भाषा असम–सीमा तक प्रयुक्त होती है, उसके बाद बंगला की सीमा शुरू हो जाती है। प्रत्येक भाषा की अपनी ऐतिहासिक सीमा होती है। एक निश्चित समय तक भाषा प्रयुक्त होती है, उससे पूर्ववर्ती तथा परवर्ती भाषा उससे भिन्न होती है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश तथा हिंदी के निश्चित प्रयोग–समय से यह तथ्य सुस्पष्ट हो जाता है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. वर्ण कितने प्रकार के होते हैं?

प्र. 2. स्वर और व्यंजन किसके भेद हैं?

प्र. 3. आयोगवाह किसके पश्चात् आते हैं?

2.4 सारांश

भाषा का स्वभाव परिवर्तनशील होता है। भाषा शिक्षण कठिन से सरल की ओर चलता है अर्थात आरंभ में जो भाषा कठिन लगती है, अभ्यास द्वारा वह सरल बन जाती है। भाषा एक निजी संरचना होती है, जिसका खुद का व्याकरण तथा नियम होते हैं। भाषाएँ एक-दूसरे के शिक्षण में सहायक होती है। मनुष्य के स्वभाव की तरह भाषा का भी अपना स्वभाव होता है। उसका यह स्वभाव परिस्थिति और भौगोलिक परिवेश, सामाजिक तथा सांस्कृतिक घटनाक्रम तथा विज्ञान के अनुसार बदलता रहता है। भाषाएँ एक-दूसरे के सानिध्य में फलती-फूलती हैं।

2.5 कठिन शब्दावली

संचालन - निर्देशन

वाचित - वाणी संबंधी

स्वीकृत - मान्यता प्राप्त

पूर्णता - निपुणता

दैनंदिन - निरंतर

2.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

उ. 1. दो

उ. 2. वर्ण के

उ. 3. स्वर के पश्चात्

2.7 संदर्भित पुस्तकें

1. डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद, आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती भवन ।

2. प्रो. रामलखन मीणा, भाषिकी हिंदी व्याकरण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी ।

2.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. भाषा की प्रवृति क्या है, स्पष्ट कीजिए?

प्र. 2. भाषा का अर्थ एवं परिभाषा सहित प्रकृति की विवेचना किजिए।

*****

इकाई – 3
भाषा के विविध रूप

संरचना

3.1 भूमिका

3.2 उद्देश्य

3.3 भाषा के विविध रूप

- मूल भाषा
- विभाषा या उपभाषा
- परिनिष्ठित भाषा
- शिष्टेतर भाषा
- मिश्रित भाषा
- साहित्यिक भाषा
- राज्य भाषा
- राष्ट्र भाषा
- अन्तर्राष्ट्रीय भाषा

स्वयं आकलन प्रश्न

3.4 सारांश

3.5 कठिन शब्दावली

3.6 स्वयं आकलन के उत्तर

3.7 संदर्भित पुस्तकें

3.8 सात्रिक प्रश्न

3.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने भाषा की प्रकृति एवं प्रवृत्ति का गहन अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में हम भाषा के विविध रूपों का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम मूल भाषा, विभाषा या उपभाषा, परिनिष्ठित भाषा, राज्य एवं राष्ट्र भाषा का गहन विवेचन एवं विश्लेषण करेंगे।

3.2 उद्देश्य

इकाई तीन का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि -

1. भाषा के विविध रूप कौन-कौन से हैं ?
2. मूल भाषा किसे कहते हैं ?
3. विभाषा या उपभाषा किसे कहते हैं ?
4. राज्य भाषा क्या है ?
5. राष्ट्र भाषा क्या है ?

3.3 भाषा के विविध रूप

भाषा के स्वरूप पर विचार करने पद यह बात स्पष्ट हो जाती है कि भाषा के अनेक प्रकार होते हैं। मुख्यतः इतिहास, भूगोल (क्षेत्र), प्रयोग, निर्माण, मानकता और मिश्रण के आधारों पर भाषा के बहुत से रूप से होते हैं। उदाहरण के लिए इतिहास के आधार पर अनेक भाषाओं की जन्मदात्री मूल भाषा संस्कृत ग्रीक को प्राचीन भाषा पालि, प्राकृत, अपभ्रंश को मध्यकालीन भाषा तथा हिन्दी, मराठी, गुजराती, बंगला को आधुनिक भाषा के नाम से इंगित किया गया हैं। भूगोल या क्षेत्र के आधार पर सबसे छोटा रूप व्यक्ति बोली का होता है, जो व्यक्ति विशेष द्वारा बोली जाती है। एक क्षेत्र के बहुत से

लोगों की भाषा स्थानीय बोली होती है। यह क्षेत्र को दृष्टि से व्यक्ति बोली से बड़ी होती है। अनेक व्यक्ति–मिलकर एक उपबोली करती है। अनेक उपबोलियाँ मिलकर एक बोली बनाती हैं। एकाधिक बोलियाँ मिलकर एक उपभाषा या बोली वर्ग तथा एकाधिक उपभाषाएँ मिलकर एक भाषा बनाती हैं। प्रयोग के आधार पर बोल–चाल की भाषा, साहित्यिक भाषा, जातीय भाषा, व्यावसायिक भाषा, राज भाषा, राष्ट्र भाषा, गुप्त भाषा, जीवित भाषा, मातृ भाषा आदि विभिन्न रूप होते हैं। निर्मिति के आधार पर परिनिश्चित, उपभाषा आदि भेद होते हैं। इनमें से प्रमुख भाषा रूपों का विश्लेषण प्रस्तुत है।

● मूल भाषा

मूल भाषा –भाषा का वह प्राथमिक स्वरूप है, जो स्वयं किसी से प्रसूत नहीं होता अपितु वह दूसरों को ही प्रसूत करता है। भारोपीय परिवार की अनेक भाषाओं को जन्म देने वाली भारोपीय भाषा इसका उदाहरण है। भाषा की उत्पति अत्यन्त प्राचीन काल में उन स्थानों पर हुई होगी, जहाँ अनेक लोग एक साथ रहते होंगे। ऐसे स्थानों में से किसी एक स्थान की भाष की निमिति की पहली प्रक्रिया मूलभाषा कहलाती है, जिसने कालांतर में ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारणों से अनेक भाषाओं, बोलियों तथा उपबोलियों को जन्म दिया होगा। यही मान्यता भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है। संसार में उतने ही भाषा परिवार माने जाएँगे, जितनी मूल भाषाएँ मानी जाएँगी।

मूल भाषायी स्थान से जैसे–जैसे लोब विभिन्न कारणों से स्थान परिवर्तित करते गए वैसे–वैसे स्थानीय प्रभाव के परिणाम स्वरूप निर्मित होते गए। शताब्दियों के अन्तराल ने उनमें काफी वैभिन्नय उपस्थित कर दिया है। परिणामस्वरूप एक ही मूल से उत्पन्न अनेक भाषाएँ अब एक–दूसरों से पर्याप्त अपरिचित हो गई है। अपभ्रंश से विकसित आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं–बंगला, गुजराती, हिन्दी, मराठी में यह भिन्नता लक्षित की जा सकती है, जो स्थान भेद के परिणामस्वरूप आज एक–दूसरे से अलग हो गयी है।

व्यक्ति बोली

भाषा की परिभाषा पर विचार करते हुए पहले ही यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि एक व्यक्ति किसी एक ध्वनि का उच्चारण हर क्षण एक जैसा नहीं कर पाता। उसका उच्चारण निरंतर बदलता रहता है। उच्चारण को यह विभिन्नता व्यक्ति की बोली को भी प्रभावित करती है। परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति की बोली जैसी उसकी प्रारम्भिक अवस्था में होती है, वैसी यौवनावस्था में नहीं और वृद्धावस्था की बोली उससे भी भिन्न हो जाती है। अब प्रश्न उठता है कि व्यक्ति बोली किसे कहा जाए? क्या उसके समूचे जीवनकल की बोली व्यक्ति बोली कही जा सकती है? चार्ल्स एफ. हाकेट ने इसे परिभाषित करते हुए कहा है – –किसी एक व्यक्ति की किसी एक निर्धारित समय की बोलने की आदत की सम्पूर्णता व्यक्ति बोली कहलाती है। किन्तु इसके कतिपय अपवाद भी है। कोई व्यक्ति यदि जाति में रह रहे अंग्रेजी भाषा–भाषी के यहाँ पैदा होता है, तो वह एक भाषा अपने परिवार से सीखता है, दूसरी अपने खेल के साथियों से। इस प्रकार उसकी एक व्यक्ति बोली के बदले दो व्यक्ति बोली हो जाती है। इसी तरह किसी भारतीय गाँव में पैदा और प्रारम्भिक जीवन बिताया हुआ, एक शिक्षित युवक जो साहित्यिक हिन्दी एवं गाँव की बोली में विचार–विनिमय कर सकता है, वो व्यक्ति बोली बोलता है।

बोली

कुछ विद्वानों ने बोली ओर विभाषा अथवा उपभाषा में कोई भेद नहीं किया, परन्तु ध्यान से देखा जाए तो इनमें प्रचुर अन्तर लक्षित होता है। किसी सीमित क्षेत्र को उपभाषा की बोली कहकर पुकारा जा सकता है, जो वहाँ के निवासियों की स्वाभावत। घरेलू बोल–चाल की भाषा होती है, जिसका प्रचलन मात्र मौखिक रूप से होता है, लेखन और साहित्यिक प्रयोग से उसका कोई सम्बन्ध नहीं होता जिस की रूप रचना और उच्चारण में स्थानीय तथा जातीय भे अवश्य होता है। जैसे खड़ी बोली का एक रूप साहित्यिक भी है और दूसरा विस्तृत ग्रामीण अंचलो में, बोलने मे प्रयोग किया जाता है। यही बात अवधी, ब्रजभाषा एवं भोजपुरी आदि में भी देखी जा सकती है। इस विषय में जो – – वान्द्रियैज ने समाचीन ही कहा है कि निजी उच्चारण एवं पद–रचना के कारण बोली का अपना अस्तित्व होता है। भाषा–विज्ञान कोश में कहा गया है :–

Popular speech mainly; that of the illiterate classes' specially a local dialect of the lower social strata.

अर्थात् किसी स्थान विशेष के निम्नवर्गीय एवं अशिक्षित लोगों को बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा को बोली कहा जाता है। यही कारण है कि शिक्षित होने पर भी, परिनिष्ठित एवं साहित्यिक भाषाओं का ज्ञान होने पर भी उनके लोग अपने परिवार एवं समुदाय के लोगों के साथ क्रमश: अपनी बोली में वार्तालाप किया करते हैं। अतएव बोली एवं विभाषा में अन्तर होता है।

● विभाषा या उपभाषा

जब कोई बोली किसी विशिष्ट, कारणों -- धार्मिक, श्रेष्ठता, विस्तार अथवा उच्च-साहित्यिक रचनाओं के कारण, समय प्रान्त अथवा उपप्रान्त में प्रचलित होती हुई, साहित्यिक आधार ग्रहण कर लेती है, तब उसे विभाषा या उपभाषा कहा जाने लगता है। विभाषा या डाइलेक्ट किसी भाषा के उस विशिष्ट रूप को कहा जाता है, जो किसी प्रान्त विशेष अथवा सीमित भौगोलिक क्षेत्र में बोली जाती है, जो अपने उच्चारण, व्याकरण रूप एवं शब्द प्रयोग की दृष्टि, अन्य परिनिष्ठित एवं साहित्यिक भाषाओं से भिन्न होती है और यह भिन्नता इतनी पर्याप्त होती है कि उसे किसी एक भाषा की अन्य भाषाओं से पृथक माना जा सके। साधारणता, एतिहासिक, राजनैतिक, एवं भौगालिक कारणों से किसी क्षेत्र विशेष को वे बोलियाँ जो साहित्यिक रूप ग्रहण कर लेती हैं और अपने उसी रूप में समाहित होने लगती है, उपभाषा या विभाषा कही जा सकती है। जैसे भारत में प्रचलित ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, बंगला, उड़िया, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम एवं कन्नड़ आदि सभी विभाषा के क्षेत्र में आती है।

● परिनिष्ठत भाषा

जैसा कि परिनिष्ठत भाषा शब्द से ही ज्ञात होता है परिनिष्ठित भाषा किसी भाषा का सबसे परिमार्जित एवं संस्कृत रूप होता है। प्रारम्भ में संस्कृत भाषा भी असंस्कृत रही होगी, जब उससे व्याकरण आदि नियमों की सुव्यवस्था की गई और सभ्य तथा शिक्षित लोगों की भाषा रूप में साहित्यिक क्षेत्र में अभिव्यक्त किया गया तब वह संस्कृत इस विशेषण के द्वारा ही सम्बोधित की जाने लगी। अस्तु जब भी कोई विभाषा अपने सुव्यवस्थित व्याकरण एवं विभिन्न भाषिक योग्यताओं से संयुक्त होकर सभ्य तथा सुशिक्षित वर्ग के दैनिक व्यवहार तथा साहित्य की भाषा का स्थान ग्रहण कर लेती है, तब उसे परिनिष्ठत भाषा कहा जाने लगता है। इसे ही टकसाली भाषा भी कहा जाता है। इस विषय में डॉ. श्यामसुन्दर दास ने लिखा है कि कई विभाषाओं में व्यवहृत होने वाली एक शिष्ट परिगृहीत विभाषा ही राष्ट्रीय भाषा अथवा टकसाली भाषा (language or coin)कहलाती है।

किसी भाषा की उस विभाषा को ही परिनिष्ठित भाषा कहा जाता है, जो उस भाषा की अन्य विभाषाओं पर अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक श्रेष्ठता स्थापित कर लेती है और अन्य विभाषाओं के वक्ता भी उस भाषा को सर्वाधिक उपयुक्त समझने लगते हैं। इस प्रकार देखा जा सकता है कि परिनिष्ठत भाषा भी एक विशाल समुदाय के विचार;विनिमय का साधन बन जाती है, इसका ही सर्वाधिक प्रयोग शिक्षा, साहित्य रचना, इतिहास लेखन, पत्र-व्यवहार आदि के लिए होने लगता है। इसका एक सुनिश्चित व्याकरण होता है, शिक्षित समाज में इसे ही सर्वाधिक सममान दिया जाने लगता है।

आज विश्व की अनेक ऐसी समृद्ध भाषाएँ हैं, जो पहले किसी बोली एवं विभाषा के रूप में ही बोली जाती थी, किन्तु आज उन्होने अपना परिनिष्ठित रूप धारण करते हुए, विश्व की श्रेष्ठ भाषाओं के मध्य आसन ग्रहन कर लिया है। हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रैंच, लैटिन, रूसी, जर्मन, ग्रीक, आदि अनेक भाषाएँ हैं, जिन्हें परिनिष्ठित भाषा कहा जा सकता है। पठन-पाठन, समाचार-पत्र एवं पत्रिका, ज्ञान-विज्ञान आदि के लिए इनका की सर्वाधिक प्रयोग होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किस प्रकार एक बोली, विभाषा बन जाती है और किस प्रकार विभाषा परिनिष्ठत भाषा के सिंहासन पर आरूढ़ हो जाती है।

● शिष्टेतर भाषा

किसी भी सीमित क्षेत्र मे बोली जाने वाली वह स्थानीय बोली जो शिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त बोली से भिन्न होती है - शिष्टेतर भाषा कहलाती है। यह भाषा एक प्रकार से भाषा का वह उपमानक रूप है, जो किसी निश्चित भू-भाग में समस्त जनता द्वारा अधिकांशत: समझ लिया जाता है, चाहे ये लोग उसका प्रयोग करते हो अथवा नहीं। डॉ. बाबूराम सक्सेना

इसे विकृत बोली के नाम से सम्बोधित करते हैं --विशिष्ट जन समुदायों में ही शब्दों को तोड़-मरोड़कर बोलने की प्रथा चल पड़ती है। ऐसे शब्द जन-साधारण के शब्दों के ही विकृत रूप होते हैं। शिष्ट और शिष्टेतर के मध्य रेखा खींचना एक कठिन कार्य है। कभी-कभी अज्ञानतावश हम शिष्ट को शिष्टेतर समझ बैठते हैं और शिष्टेतर का शिष्ट। प्रायः देखने में आया है कि जब किसी मान्य लेखक द्वारा शिष्टेतर प्रयोग साहित्यिक कृति मे डाल दिए जाते हैं, तो वही कालांतर में शिष्ट बन जाते हैं। प्रो. देवेन्द्रनाथ, शर्मा इसको उपभाषा के नाम से स्वीकारते हैं -- भाषा में सामाजिक दृष्टि से ऐसे प्रयोग आ जाते हैं, जो शिष्ट रूचि को अग्राह्य प्रतीत होते हैं, तो उसको उपभाषा कहते हैं। इसके लिए विशेष रूप से शास्त्रीय आदर्शों की उपेक्षा तथा शब्दों के निर्माण के सिद्धान्तों की अपेक्षा कारण बनती है, तो इस प्रकार की शब्दावली जन्म लेती है। आज हिन्दी लेखक नये उपन्यासों तथा कहानियों में इस प्रकार के शिष्टेतर प्रयोगों तथा शब्दावलियों को बराबर स्थान दे रहे हैं।

वृत्ति भाषा

वृत्ति भाषा उसे कहते हैं, जो किसी विशिष्ट समुदाय, समूह या व्यावसाय के लोगों में अबोधगम्य निरर्थक शब्दावली के साथ पनपती है। इस भाषा को 'विशिष्ट भाषा' या 'व्यावसायिक भाषा' के नाम से भी सम्बोधित किया जाता है। बोली का रूप औधोगिक वातावरण में पनपता एवं विकसित होता है। व्यावसायिक वर्ग के अतिरिक्त सामान्य जनता न तो इसे समझ पाती है और न लिख पाती है। तात्पर्य यह है कि इसका क्षेत्र व्यापारी वर्ग तक ही सीमित रहता है। किन्तु यह भी देखने को मिलता है कि सभी व्यापारिक वर्गों की भाषा एक जैसी नहीं होती। उनके अपने कहने और लिखने के तरीके अलग होते हैं। इस प्रकार प्रत्येक उद्योग का दूसरे उद्योग की बोली से भिन्न रूप हो जाता है। जैसे विभिन्न स्तरों को पार करके 'अपभाषा' या 'गँवारु बोली' साहित्यिक या मानक भाषा का रूप ग्रहण कर लेती है। जो जिस व्यावसाय का व्यवसायी होता है, वह उसी शब्दावली का प्रयोग करता है। इस प्रकार विभिन्न व्यापारों तथा वृतियों से सम्बधित 'वृतिभाषा' उपभाषा के निकट होती है। आज प्रत्येक क्षेत्र में तकनीकी शब्दावली की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है क्योंकि जब उद्योगों का विकास दिन-प्रतिदिन तीव्रता से जारी है तो वृति भाषाओं का विकास होना स्वाभाविक ही है।

हर देश के मल्लाहों और जुलाहों की भाषा विशिष्ट होती है। कबीर के काव्य को इसके उदाहरणस्वरुप लिया जा सकता है, जिसमें ऐसे अनेक परिभाषिक शब्दों का प्रयोग हुआ है, जिन्हें बिना समझे उनके काव्य का रसास्वादन नहीं किया जा सकता।

वर्ग भाषा

निम्नस्तरीय वर्ग के प्रयोक्ताओं द्वारा वृत्तिभाषा का विकसित वह रूप जिसे उसी वर्ग के लोग समझ सके, वर्गभाषा कहते हैं। वर्गीय सीमाबद्ध बेली को काण्ट कहा गया है। वर्गबोली की सीमा भी भौगोलिक नहीं होती। एक ही सम्प्रदाय के लोग, भौगोलिक दृष्टि से दूर रहते हुए भी, एक सी बोलते हैं। प्रत्येक क्षेत्रीय बोली के मध्य इस प्रकार के अनेक वर्ग-भाषाओं के द्वीप मिल सकते हैं। प्राचीन तथा मध्यकालीन साहित्य में काण्ट के उदाहरण भरे पड़े हैं। 15वीं शती के फ्राँसीसी काव्य में इस प्रकार के शब्दों की भरमार है, परिणामस्वरूप उन्हें आज समझना दुष्कर है। फ्रेंच में इसे आरगोट कहा गया है। वर्गभाषा का यही रूप जब चोरों, डकैतों या सेना द्वारा प्रयुक्त होता है, तो यह कूटभाषा के आर्थिक निकट आ जाता है। कूटभाषा के उद्देश्य है -- गोपन एवं मनोरंजकता।

मिश्रित भाषा

मिश्रित भाषा, भाषा का वह रूप है, जिसमें कम-से-कम दो भाषाओं का मिश्रण हो। मिश्रण का कारण दूसरी भाषा के पर्याप्त ज्ञान का अभाव होता है और उद्देश्य अपनी भाषा को दूसरे के लिए बोधगम्य बनाया। प्रायः जब दो भाषा-भाषी मिलते हैं,तो यह स्थिति आती है। कभी-कभी बोधगम्यता के अभाव में दोनो भाषा-भाषी परस्पर विचार-विनिमय हेतु संकेत का भी सहारा लेते हैं, किन्तु संकेत भाषा नहीं है। इसलिए उसे भाषा नहीं कहा जा सकता। मिश्रित भाषा का स्वरूप दो बोलियों के मिलन-स्थल पर तो देखा ही जा सकता है, साथ ही शासित प्रदेशों, व्यापार केन्द्रों, विस्थापित या प्रवासी बस्तियों में भी इसके स्वरूप मिल जाते हैं। हिन्दी में विदेशी शब्दों-स्टेशन, रेल, डाक आदि की भरमार इसी की परिणति है।

अर्धसंकर भाषा

अर्धसंकर किसी भी भाषा की वह स्थिति है, जिसमें वह भाषा प्रमुख रहती है एवं अन्य भाषाओं के शब्द उसमें मिलते हैं, उनके व्याकरणिक रूपों के अनुरूप ढलते भी हैं और नये व्याकरणिक स्वरूपों को निर्मित भी करते हैं।

साधारण व्यापारिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए इस प्रकार की अनेक मिश्रित भाषाओं का उदय होता है। चीन में प्रयुक्त पिजिन, इंगलिश तथा मलय, पोलीनिशियन इसके श्रेष्ठ उदाहरण हैं। जिनमें शब्दों की अधिकांश संख्या अंग्रेजी की है, किन्तु ध्वनिग्रामिक प्रक्रिया एवं व्याकरणिक रूप चीनी भाषा के हैं। यह भाषा व्यापार में प्रारम्भिक मोल-भाव करके खरीदने या बेचने के काम में आती है। इसका दूसरा रूप यह भी है कि विदेशी व्यापारी स्थानीय शब्दों के प्रयोग से ही अपनी ही भाषा का मिश्रित रूप प्रयुक्त करे। अतः अर्धसंकर भाषाएँ आर्थिक दुष्टि से उन पिछड़े वर्ग की भाषाएँ हैं, जो अपने जीवन-निर्वाह हेतु विदेशी भाषा-भाषी में सम्पर्क करने एवं उनकी भाषा सीखने के लिए विवश हैं, भले ही ये उसे अच्छी प्रकार से सीख सकें।

संकर भाषा

यह दो भिन्न भाषा समुदायों के व्यक्ति किसी कारणवंश एक भाषा समुदाय के मध्य किन्ही निश्चित सीमाओं में बंधकर मिश्रित भाषा का प्रयोग करते हैं, तो वह संकर कहलाती है। यह दो भाषाओं के अत्यधिक मिश्रण की परिणति है, जिसके फलस्वरूप एक वक्ता समुदाय अपनी मातृभाषा को छोड़ देता है। विभिन्न भाषा समुदाय के व्यक्तियों से बने समुदाय में जब किसी एक ही मिली-जुली भाषा का प्रयोग आरम्भ हो जाता है, तो वह संकर भाषा बन जाती है। अमरीकी हब्शी गुलामों के बीच आज भी प्रचलित बोली की यही स्थिति है। इस भाषा को ही निम्न स्तर की बोली का स्थान मिलता है।

● साहित्यिक भाषा

जिन भाषाओं का मुख्य रूप से साहित्य सृजन के लिए व्यवहार होता है, उन्हें साहित्यिक भाषा कहा जाता है। वह भाषा बोल-चाल की भाषा से कुछ सीमाओं तक भिन्न और परिनिष्ठित भाषा के बहुत निकट होती है। वस्तुतः भाषा एवं साहित्य का घनिष्ठ संबंध है, अत एव विश्व के प्रत्येक साहित्य की अपनी निजी भाषा है और इस प्रकार भाषा और साहित्य एक दूसरे के पूरक प्रतीत होने लगते हैं। बोल-चाल की भाषा में अनेक शब्द अपरिष्कृत, असंस्कृत तथा अशुद्ध भी हो सकते हैं, किन्तु साहित्यिक भाषा में इसका परिमार्जन एवं संस्करण अपेक्षित होता है। कवि और लेखक अक्सर इसी भाषा का व्यवहार अपनी साहित्यिक रचनाओं में किया करते हैं। यह भाषा युगानुरूप अनेक परिवर्तनों के सोपानों पर चढ़ती-उतरती रहती है। उदाहरणार्थ हिन्दी को ही ले सकते हैं। आदिकाल की साहित्यिक भाषा, मध्ययुग में व्यवहृत नहीं हुई और मध्ययुगीन साहित्य की भाषा, भारतेंदु काल में नहीं देखी जाती। द्विवेदी-युग में आकर खड़ी बोली ने शुद्ध साहित्यिक रूप धारण कर लिया था, फिर भी छायावाद से उसका वह रूप नहीं देखा जाता है। पुनः नई कविता ने ही अपने लिए नई भाषा का रूप चुन ही लिया था, जो प्रयोगवाद और प्रगतिवाद से बहुत भिन्न है। इस प्रकार कहा जा सकता है, साहित्यिक भाषा सर्वाधिक परिवर्तनशील होती है और इसका क्षेत्र भी किसी भूखण्ड प्रान्त या प्रदेश तक सीमित नहीं रहता।

● राज्य भाषा

राज्य भाषा का तात्पर्य, राज्य की भाषा। भारत जैसे विशाल देशों में जहाँ अनेक राज्य हैं और प्रत्येक राज्य में विभिन्न भाषा वाले लोग रहते हैं, शासन ने सुविधा के लिए हिन्दी राज्य भाषा घोषित की है। अतएव राज्य भाषा वह है, जो कि राज्य की सरकारी कार्यों में सर्वाधिक प्रयुक्त होती हो। राज्य भाषा में ही केन्द्रीय एवं राज्य सरकार अपने पत्र-व्यवहार करती है तथा सरकारी आदेश एवं राज्याज्ञाएं भी इसी भाषा में प्रकाशित होती है। केन्द्र और राज्य के मध्य सम्पर्क सूत्र भी यही भाषा जोड़ती है। इसके द्वारा शासनात्मक ऐक्य की स्थापना में बड़ी सहायता मिलती है। यथा भारत में सर्व प्रथम संस्कृत राज्य भाषा थी, प्राकृत एवं अपभ्रंश को यह श्रेय प्राप्त हुआ। बोद्धकाल में पालि राज्य भाषा थी। मुसलमानों के शासन काल में फारसी तथा अंग्रेजी राज्य भाषा रही। स्वतन्त्र भारत में हिन्दी को राज्य भाषा घोषित किया गया। समप्रति भारत का सर्वाधिक कार्य इसी भाषा में होता है। भारत एक विशाल राष्ट्र है, जो अनेक प्रदेशों में विभाजित है। सभी प्रदेशों में विभिन्न भाषाएं हैं, जो पर्याप्त समृद्ध एवं विकसित हैं, परन्तु सभी प्रदेशों में सम्पर्क स्थापित करने के लिए केन्द्र ने हिन्दी को ही राज्य भाषा के रूप में स्वीकार किया है, क्योंकि भारत में इसके बोलने वालों की ही संख्या सर्वाधिक है।

● राष्ट्र भाषा

राष्ट्र भाषा क तात्पर्य किसी भी राष्ट्र की उस सर्वाधिक समृद्ध भाषा से होता है, जो राष्ट्र के भिन्न-भिन्न भाषा-भाषियों के पारस्परिक विचार-विनिमय का साधन हुई, समग्र राष्ट्र को भाषात्मक एकता के सूत्र में निबद्ध करती है। सामान्यता किसी राष्ट्र में प्रचलित सभी भाषाओं को राष्ट्र भाषा माना जाता है, परन्तु प्रत्येक प्रभुता-सम्पन्न समृद्धिशाली राष्ट्र में कोई एक भाषा ही राष्ट्र के नाम से पुकारी जाती है, क्योंकि वही उस राष्ट्र की प्रतीक होती है और उसे ही विदेशी राष्ट्रों द्वारा सम्मान दिया जता है। उसी में राष्ट्र को अन्तरात्मा का दर्श होता है और उसी के नाम से राष्ट्र को अन्य देशों में जाना जाता है। यथा सम्प्रति भारत में बंगला, मराठी, गुजराती तथा उड़िया आदि अनेक समृद्ध तथा उन्नत भाषाएँ हैं, किन्तु भारतीय सविधान में हिन्दी को ही राष्ट्र भाषा के रूप में घोषित किया गया है। अतएव हिन्दी ही यहाँ की राष्ट्र भाषा है। ऐसे ही इंग्लैंड की अंग्रेजी, पाकिस्तान की उर्दू, बंगला देश की बंगला, रूस की रूसी तथा जर्मनी की जर्मन भाषा आदि राष्ट्र भाषा के पद पर अभिषिक्त है।

● अन्तर्राष्ट्रीय भाषा

अन्तर्रार्ष्ट्रीय भाषा उस भाषा का कहा जाता है, जो विभिन्न राष्ट्रों के मध्य पत्र-व्यवहार, विचार-विनिमय आदि के लिए सम्पर्क सूत्र का कार्य करती है। अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में इसी का प्रयोग किया जाता है। जहाँ विभिन्न राष्ट्रों के नाना भाषा-भाषी व्यक्ति एकत्रित होते हैं, यहाँ पारस्परिक विचार-विनिमय के लिए किसी एक परिनिष्ठित भाषा का ही प्रयोग किया जाता है। यह भाषा अधिकांश राष्ट्रों में प्रचलित होती है। सम्प्रति अन्तर्राष्ट्रीय भाषा के पद पर अंग्रेजी आसीन है। संयुक्त राष्ट्र संघ में इसका ही प्रयोग किया जाता है और प्रत्येक देश के राजदूत को इसका ज्ञान अनिवार्य होता है। सारांशत: कह सकते हैं कि एक देश का दूसरे देश से सम्पर्क-सूत्र इसके द्वारा ही जुड़ता है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. स्वर के कितने भेद हैं ?

प्र. 2. भाषा के कितने भेद होते हैं ?

प्र. 3. किसी क्षेत्र विशेष की भाषा क्या कहलाती है ?

3.4 सारांश

भाषा, मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है। किसी भाषा की सभी ध्वनियों के प्रतिनिधि स्वर एक व्यवस्था में मिलकर के सम्पूर्ण भाषा की अवधारणा बनाते हैं। वक्त नाद की वह समष्टि जिसकी सहायता से किसी एक समाज या देश के लोग अपने मनोगत भाव तथा विचार एक-दूसरे से प्रकट करते हैं। मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों आदि का वह समूह जिनके द्वारा मन की बात बताई जाती है जैसे बोली, जबान, वाणी विशेष।

3.5 कठिन शब्दावली

वैचारिक - विचार संबंधी

अस्मिता - अहंभाव

अभ्यस्त - दक्ष, निपुण

नैसर्गिक - स्वाभाविक

स्वभावत: स्वभाव से ही

3.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के प्रश्न

उ. 1. तीन

उ. 2. दो (लिखित और मौखिक)

उ. 3. बोली

3.7 संदर्भित पुस्तकें

1. श्यामचन्द्र कपूर, सरल हिन्दी व्याकरण, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

2. डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद, आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती प्रकाशन।

3.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. भाषा के अर्थ और परिभाषा सहित भाषा के विविध रूपों को स्पष्ट किजिए?

प्र. 2. भाषा की परिभाषा को स्पष्ट कीजिए। साथ ही राज्य भाषा, मूल भाषा, राष्ट्रीय भाषाओं पर प्रकाश डालिए।

प्र. 3. विभाषा, परिनिष्ठित भाषा, शिष्टेतर भाषा, मिश्रित भाषा और साहित्यिक भाषा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।

*****

इकाई – 4
हिन्दी भाषा की विशेषताएँ

संरचना

4.1 भूमिका

4.2 उद्देश्य

4.3 हिन्दी भाषा की विशेषताएँ

स्वयं आकलन प्रश्न

4.4 सारांश

4.5 कठिन शब्दावली

4.6 स्वयं आकलन के उत्तर

4.7 संदर्भित पुस्तकें

4.8 सात्रिक प्रश्न

4.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने भाषा के विविध रूपों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में हम हिन्दी भाषा की प्रमुख विशेषताओं का गहनता से अध्ययन करेंगे।

4.2 उद्देश्य

इकाई चार का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. हिन्दी भाषा की विशेषताएँ क्या-क्या हैं ?
2. व्यावहारिक भाषा से क्या अभिप्राय है ?
3. हिन्दी का विशाल साहित्यिक इतिहास क्या है ?
4. भाषा की बोधगम्यता क्या होती है ?

4.3 हिन्दी भाषा की विशेषताएँ

भाषा का मुख्य प्रयोजन सम्प्रेषण माना जाता है। भाषा व्यक्ति को उसके जन्म के साथ ही उसके परिवेश से मिल जाती है, जिसके माध्यम से वह अपने भावों और विचारों का आदान-प्रदान करने लगता है।

'भाषा' से अभिप्राय : भाषा शब्द की निष्पति संस्कृत की 'भाष' धातु से हुई है, जिसका अर्थ है 'बोलना'। 'भाषा' शब्द एक व्यापक शब्द है, परन्तु भाषा-विज्ञान की दृष्टि से सामान्यत: मनुष्य मात्र की बोली को 'भाषा' कहा जाता है। भले उसमें कोई भी विशेषण लगा हो। अत: मनुष्य द्वारा अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है।

हिन्दी भाषा की विशेषताएँ : हिन्दी को भारत वर्ष की राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, इसका आधार है, हिन्दी भाषा का सर्वगुण सम्पन्न होना। आज भारत के किसी भी राज्य के कोने-कोने तक हिन्दी बोली जाती है। समझी व लिखी जाती है। देश में सर्वाधिक नागरिकों के दैनिक जीवन में प्रयाग की जाने वाली भाषा है। हिन्दी कार्यालयी भाषा है। भारत की प्रमुख सम्पर्क भाषा हिन्दी है। हिन्दी भाषा की निम्नलिखित विशेषताएँ हैं :-

1. **व्यावहारिक भाषा :–** हिन्दी भाषा व्यावहारिक दृष्टि से न सिर्फ हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश, राजस्थान इत्यादि हिन्दी प्रदेशों के लिए महत्त्वपूर्ण है, अपितु भारत के अन्य राज्यों व केन्द्र शासित प्रदेशों में भी भली-भाँति दैनिक जीवन में व्यवहार में लाई जाती है। वर्तमान में अहिन्दी प्रदेशों में भी हिन्दी विचार-विमर्श का माध्यम बनती जा रही है। हिन्दी की व्यवहारिकता के परिणामस्वरूप ही दक्षिण में

तामिलनाडु, केरल, कर्नाटक व आन्ध्र प्रदेश आदि राज्यों में हिन्दी का प्रचार–प्रसार तेजी से हुआ है। इसी प्रकार से हिन्दी का पूर्व के राज्यों में भी पहले की तुलना में अधिक प्रसार हुआ है। आज हिन्दी समझने व बोलने वाले लोग भारत में हर क्षेत्र में पाए जाते हैं।

2. **बोधगम्यता :–** बोधगम्यता हिन्दी भाषा की अन्य विशेषता है। इसका कारण ध्वनि और लिपि में समानता है। समझने में सरल है। कोई भी अहिन्दी भाषी व्यक्ति इसे आसानी से बोलना सीख सकता है।

3. **हिन्दी का विशाल साहित्यिक इतिहास :–** हिन्दी भाषा का समृद्ध एवं विशाल साहित्यिक इतिहास है। लगभग एक हजार वर्ष से अधिक सयमय में हिन्दी साहित्य को प्रत्येक विधा ने अभूतपूर्व विकास किया है। हिन्दी भाषा के उद्‌भव से लेकर वर्तमान समय तक गद्य साहित्य में कहानी, निबंध, उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, जीवनी सहित विविध विधाओं से सम्बन्धित रचनाकारों ने असंख्य रचनाएँ लिखी हैं। कविता के क्षेत्र में भी कवियों द्वारा महत्त्वपूर्ण लेखन कार्य किया गया है। इस प्रकार हिन्दी का विस्तृत साहित्य है जिसकी तुलना विश्व के किसी भी भाषायी इतिहास से की जा सकती है।

4. **मानक भाषा हिन्दी :–** हिन्दी भाषा देश की मानक भाषा है। इसका अपना व्याकरण है। देवनागरी लिपि है। हिन्दी भाषा को संविधान की अष्टम अनुसूची तथा संविधान के अनुच्छेद 343(1) में राज्यभाषा घोषित किया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 351 में हिन्दी के प्रचार–प्रसार के लिए स्पष्ट निर्देश दिया गया है। हिन्दी ही सम्पूर्ण देश की एकमात्र ऐसी भाषा है, जो काश्मीर से कन्याकुमारी तक तथा कामाख्या से कच्छ तक समझी व बोली जाती है। इस प्रकार हिन्दी का मानक रूप इसकी अपनी प्रमुख विशेषता है।

5. **राष्ट्रीय व भावात्मक एकता का सशक्त माध्यम हिन्दी :** किसी देश के सर्वाधिक नागरिकों के दैनिक जीवन में विचार–विमर्श की मात्रा उस देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस दृष्टि से हिन्दी भाषा अपने देश की राष्ट्रभाषा कहलाती है। इस दृष्टि से हिन्दी भाषा अपने देश की राष्ट्रभाषा है। किसी भी राज्य एवं केन्द्र शासित प्रदेश में हिन्दी भाषी नागरिक निवास करते हैं। हिन्दी ही भारत की एकमात्र ऐसी भाषा है, जिसको बोलने और समझने वाले लोग हर स्थान पर मिल जाएँगे। अतः हिन्दी राष्ट्र को एकता के सूत्र में बांधने और भावात्मक दृष्टि से एकत्र करने हेतु प्रथम भाषा है। हिन्दी भाषा भावात्मक अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण माध्यम है।

6. **देवनागरी लिपि और उसकी वैज्ञानिकता :–** देवनागरी हिन्दी की समृद्ध व वैज्ञानिक लिपि है। वैज्ञानिक होने से अभिप्राय यह है कि देवनागरी में ध्वनियों का लेखानुसार उच्चारण किया जाता है। यह इस लिपि का विशिष्ट गुण है। विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में से हिन्दी की लिपि देवनागरी सबसे अधिक वैज्ञानिक है। इसका अन्य गुण है, वर्णों की सरलता, एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण तथा ध्वनियों के उच्चारण स्थान का वैज्ञानिक क्रम है।

7. **हिन्दी भाषा का व्यापक शब्द भण्डार :–** हिन्दी एक व्यापक क्षेत्र की भाषा है। इसके उद्‌भव से लेकर वर्तमान समय तक भारत में विदेशों शासन स्थापित रहा, जिसमें अंग्रेज शासक व मुगल शासक प्रमुख थे। अतः अंग्रेजी भाषा और मुसलमानों की अरबी तथा फारसी शब्दों का हिन्दी भाषा में सम्मिलित हो जाना, स्वभाविक है। हिन्दी का उद्‌भव संस्कृत से हुआ है, इसलिए संस्कृत शब्दों का मिश्रित रूप भी हिन्दी में देखने को मिलता है। हिन्दी बोलने वाले लोग भारत के प्रत्येक कोने में हैं, इसलिए स्वाभाविक है कि अन्य भारतीय भाषाओं के शब्द हिन्दी में समाहित हो गए हों। सार रूप में कह सकते हैं कि अन्य भारतीय व विदेशी भाषाओं के शब्द हिन्दी भाषा में आने से हिन्दी का शब्द भण्डार व्यापक हुआ है।

8. **व्यावसायिक दृष्टि से सम्पर्क भाषा :–** वर्तमान में व्यसवसायिक दृष्टि से हिन्दी महत्त्वपूर्ण है। इसके लिए देश के अन्दर अथवा बाहर सम्पर्क स्थापित करने हेतु श्रेष्ठ माध्यम हिन्दी है। आज अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है। भारत में उसकी सफलतापूर्वक बिक्री तभी सम्भव होगी जब वह वस्तु हर भारतीय

के हाथ में होगी। यह तभी सम्भव हो सकेगा जब वस्तुओं को विज्ञापित करने का माध्यम हिन्दी होगा। अंग्रेजी नहीं। आज व्यापार की भाषा हिन्दी है तथा सम्पर्क स्थापित करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यम हिन्दी है।

9. **सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक दृष्टिकोण :–** भारत की सभी प्रमुख भाषाओं में धार्मिक स्तर पर समानता हिन्दी और अन्य भारतीय भाषाओं के अंतर–सम्बन्धों की व्याख्या करती है। भारतीय भाषाओं की एकता का मूलभूत कारण देश की सांस्कृतिक एकता है। भारत अनेक संस्कृतियों का देश है और सांस्कृतिक एकता का आधार हिन्दी है। भारतीय आचार–विचार, रीति–रिवाज, सामाजिक मान्यताएँ व परमपराएँ, धार्मिकता एवं आध्यात्मिकता का जनसाधारण तक पहुँचने का माध्यम हिन्दी भाषा है। हिन्दी भारतीय संस्कृति की संरक्षिका मानी जाती है। वास्तव में भारतीय संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम संस्कृत रहा है, परन्तु क्योंकि संस्कृत आम जनसाधारण की भाषा के रूप में सफल न हो सकी। अत: हिन्दी भारतीय जनसाधारण की भाषा बन गई।

   आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाय तो चारों धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, द्वारिका, रामेश्वरम् इत्यादि में व्यावहारिक भाषा हिन्दी ही है। इसके अतिरिक्त अयोध्या, हरिद्वार, काशी, वृन्दावन, मथुरा, चित्रकूट, पुरी इत्यादि स्थानों पर आचार–विचार की भाषा हिन्दी है। विचारों के आदान प्रदान की भाषा हिन्दी है।

   राजनीतिक दृष्टि से हिन्दी जनसाधरण के साथ सम्प्रेषण का उत्कृष्ट माध्यम है। कोई भी राजनीतिक जनता के समक्ष अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए उस भाषा विशेष का चयन करता है, जो जनता की बोलचाल की भाषा हो। इसलिए अपना सन्देश सम्प्रेषित करना भाषा पर निर्भर करता है, ताकि वह अपनी बात जनता तक आसानी से पहुँचा सके। इस दृष्टि से भारत में हिन्दी की तुलना किसी भी अन्य भाषा से नहीं की जा सकती।

   इस प्रकार से हम देखते हैं कि धर्म, दर्शन, कला, साहित्य व संस्कार की एकता भाषायी एकता की और अधिक सुदृढ़ करती है। आज सभी भारतीय भाषाओं की धुरी हिन्दी है, जो निश्चित रूप से देश की सम्पर्क भाषा भी बन गई है।

10. **राजभाषा के रूप में हिन्दी :–** हिन्दी क्षेत्र की दृष्टि से, सम्पर्क भाषा की दृष्टि से, भाषा–भाषियों की संख्या की दृष्टि से देश की सर्वश्रेष्ठ एवं प्रधान भाषा हिन्दी है। भारतीय संविधान के भाग 17 और अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि 'संघ की राजभाषा हिन्दी तथ लिपि देवनागरी है। संविधान में जहाँ भी 'राजभाषा' शब्द का उल्लेख संघ की राजभाषा या राज्य की राजभाषाओं के संदर्भ में हुआ है, यहाँ उसका शासकीय प्रयोजन भी बताया गया है। वर्तमान में सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में प्रशासन के राजकाज की भाषा हिन्दी है। राज्यों के आपसी पत्राचार की भाषा हिन्दी है। अहिन्दी भाषी राज्यों के पत्राचार का माध्यम अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा है, तो उसका अनुवाद हिन्दी में लिखे जाने का प्रावधान है। यानि वहाँ पत्राचार की भाषा द्विभाषी होने का प्रावधान है। अत: समस्त देश की राजकाज की व अन्य प्रशासकीय कार्यों की भाषा वर्तमान में हिन्दी है, जो इस की प्रमुख विशेषताओं में से है।

निष्कर्षस्वरूप कहा जा सकता है कि हिन्दी भारत एक महादेश है। अनेक धर्मों, जातियों, परम्पराओं व संस्कृतियों का देश है। इन सभी विभिन्नताओं को भारत में एकता के सूत्र में पिरोने का एकमात्र माध्यम हिन्दी है। हिन्दी देश की प्रधान भाषा है। राष्ट्रीय एकता का आधार हिन्दी है। हिन्दी की विशेषताओं के बल पर ही यह विश्व की चौथी प्रमुख भाषा बनने में सक्षम हो सकी है। आज विश्व के हर देश में हिन्दी समझने व बोलने वाले लोग आसानी से मिल जाते हैं। हिन्दी विश्व भाषा बनने की ओर अग्रसर है इसका आधार हिन्दी की असंख्य विशेषताएँ हैं :–

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

1. 'भाषा' शब्द की निष्पति संस्कृत की किस धातु से हुई है?
2. हिन्दी भाषा को भारत में किस रूप में मान्यता प्राप्त है?
3. 'संध की राजभाषा हिन्दी तथा लिपि देवनागरी हैं, किस अनुच्छेद में वर्णित है?

4.4 सारांश

एक भाषा के रूप में हिन्दी न सिर्फ भारत की पहचान है बल्कि यह हमारे जीवन मूल्यों, संस्कृति एवं संस्कारों की सच्ची संवाहक, संप्रेषक और परिचायक भी है। बहुत सरल, सहज और सुगम भाषा होने के साथ हिन्दी विश्व की संभवतः सबसे वैज्ञानिक भाषा है, जिसे दुनिया भर में समझने, बोलने और चाहने वाले लोग बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। हिंदी के शब्दकोश में शब्दों की संख्या 2.5 लाख से भी अधिक है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। हिंदी भाषा की विशेषता ये भी है कि इसने अन्य भाषाओं के शब्दों को ग्रहण करने में कोई संकोच नहीं किया। जब और जहाँ आवश्यकता हुई, हिंदी भाषा में नए शब्द शामिल होकर हिंदी के अपने हो गये और हिंदी की समृद्धि बढ़ती गई।

4.5 कठिन शब्दावली

स्थानीय - स्थान संबंधी

एकाधिक - एक से अधिक

निर्मित - निर्माण करना

परिनिष्ठित - पूर्ण कुशल

विश्लेषण - परीक्षण, जाँच

4.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

प्र. 1. भाषा धातु

प्र. 2. राष्ट्रभाषा एवं राजभाषा

प्र. 3. अनुच्छेद 343 में

4.7 संदर्भित पुस्तकें

1. डॉ. विजयपाल सिंह, प्रामाणिक व्याकरण एवं रचना, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।

2. श्याम चन्द्र कपूर, व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण, प्रभात प्रकाशन।

4.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. हिन्दी भाषा की विशेषताओं को स्पष्ट कीजिए।

प्र. 2. भाषा के स्वरूप को निर्धारित कीजिए।

*****

इकाई – 5
क्रिया एवं उसके भेद

संरचना

5.1 भूमिका

5.2 उद्देश्य

5.3 क्रिया

5.3.1 क्रिया के भेद

स्वयं आकलन प्रश्न

5.4 सारांश

5.5 कठिन शब्दावली

5.6 स्वयं आकलन के उत्तर

5.7 संदर्भित पुस्तकें

5.8 सात्रिक प्रश्न

5.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने हिंदी भाषा की विशेषताओं का गहन विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत पाठ में हम क्रिया एवं उसके भेदों का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे।

5.2 उद्देश्य

इकाई पाँच का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि -

1. क्रिया क्या है ?
2. क्रिया का अर्थ क्या है ?
3. क्रिया की परिभाषाएँ क्या है ?
4. क्रिया के प्रमुख भेद क्या है ?

5.3 क्रिया

क्रिया की परिभाषा :– जिस शब्द से किसी कार्य का करना, होना या किसी प्रक्रिया में होने का बोध होता है, उसे 'क्रिया' कहते हैं। यथा -

क) निखिल सुबह पार्क में दौड़ता है।

ख) विद्यार्थी खेल रहे हैं।

ग) बर्फ पिघल रही है।

घ) पक्षी आकाश में उड़ रहा है।

इन वाक्यों के अध्ययन से स्पष्ट पता चलता है कि खेलना, दौड़ना, पिघलना, उड़ना आदि विभिन्न क्रियाएँ हैं। उदाहरण के लिए, इन क्रिया शब्दों का मूल रूप खेल, दौड़, पिघल, तथा उड़ है। जिसे धातु कहा जाता है। हिन्दी में मूल शब्द (धातु) के साथ 'ना' प्रत्यय जोड़े जाने से वह क्रिया रूप में बदल जाता है, जैसे पिघल+ना = पिघलना।

हिन्दी में मूल शब्द अथवा धातु के अतिरिक्त संज्ञा या विशेषण शब्द भी 'ना' प्रत्यय जोड़े जाने से क्रिया रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे - फटकार (संज्ञा) फटकारना, गरम (विशेषण) - गरमाना इत्यादि।

5.3.1 क्रिया के भेद – क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं:-

क) अकर्मक क्रिया ख) सकर्मक क्रिया

क) अकर्मक क्रिया :– जिस वाक्य में क्रिया के प्रयोग में कर्म की आवश्यकता नहीं होती या क्रिया कर्ता तक ही सीमित रहे और उससे मात्र कार्य का होना ज्ञात हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए

1. शेर दौड़ता है। 2. वृक्ष से पते गिरते हैं। 3. राम पढ़ रहा है।

इन वाक्यों में दौड़ना, गिरना, पढ़ना, भिन्न-भिन्न क्रियाएँ हैं। इन वाक्यों में क्रियाएँ कर्ता तक ही सीमित है। कर्म इन वाक्यों में नहीं है, इसलिए अकर्मक क्रिया है।

ख) सकर्मक क्रिया :– जिन वाक्यों में क्रिया व्यापार या कार्य का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कर्म के बिना अपना भाव पूरा नहीं कर पाती, इसलिए इसमें कर्म की आवश्यकता होती है। यथा -

+ गीता पुस्तक पढ़ती है।

+ गोपाल फिल्म देख रहा है।

+ रोगी दवाई पीता है।

इन तीनों वाक्यों में पढ़ना, देखना, पीना क्रियाओं का फल क्रमश: पुस्तक, फिल्म, दवाई पर पड़ रहा है, इसलिए पुस्तक, फिल्म, दवाई कर्म है और पढ़ना, देखना, पीता सकर्मक क्रियाएँ है:-

कर्म के आधार पर सकर्मक क्रिया के दो भेद किए जा सकते हैं।

1. एककर्मक क्रिया 2. द्विकर्मक क्रिया

1. **एककर्मक क्रिया –** एककर्मक क्रिया वह क्रिया है, जिसमें क्रिया का कार्य एक ही होता है। जैसे-

   क) सीता खाना खा रही है। ख) बच्चा दूध पीता है।

2. **द्विकर्मक क्रिया –** ये वे क्रियाएँ हैं, जिसमें दो कर्म होते हैं अथवा जिन्हें दो कर्मों की आवश्यकता होती है। जैसे-

   क) गुरू ने शिष्य से तरह-तरह के प्रश्न पूछे।

   ख) मोहन ने अपने पिता जी को पूरा पता बताया।

संरचना की दृष्टि से क्रिया के मुख्यत: दो भेद माने जाते हैं:-

1. मूल क्रिया (मुख्य) 2. यौगिक क्रिया

1. मूल या मुख्य क्रिया; वाक्य में एक क्रिया होती है और अपना स्वतंत्र अर्थ व्यक्त करती है, तो वह मूल या मुख्य क्रिया कहलाती है। यह वाक्य में सर्वप्रथम आती है। जैसे -

   क) शाम पढ़ता है। ख) विद्यार्थी पत्र लिखता है।

इन वाक्यों में पढ़ना, लिखना मूल क्रियाएँ हैं।

2. यौगिक क्रिया : वाक्य में जो क्रिया सहायक क्रियाओं के अलावा दो क्रियाओं के योग से बनती है, उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। यथा-

   (क) सीता का हृदय उमंग से भर गया। (ख) मेरी गाड़ी खोज दो।

इन वाक्यों में भर गया, खोज दो यौगिक क्रियाएँ हैं और दो भिन्न-भिन्न क्रियाओं के मेल से बनी है।

क्रिया के अन्य रूप : क्रिया के मुख्य रूप से दो भेदों आकर्मक क्रिया तथा सकर्मक क्रिया के अतिरिक्त कुछ अन्य क्रिया रूप भी हिन्दी व्याकरण में विवेचित किए गए हैं, जिनका अपना महत्त्व है। ये इस प्रकार से हैं।

(क) संयुक्त क्रिया (ख) प्रेरणार्थ क्रिया

(ग) आज्ञार्थक क्रिया (घ) पूर्णकालिक क्रिया

क) **संयुक्त क्रिया :** एक वाक्य में क्रिया पद के भीतर दो या दो से अधिक क्रियाएँ भी आती है। जिनके मेल से संयुक्त क्रिया बनती है, जैसे-राधा ने दूध पी लिया होगा।

इस वाक्य में 'पी लिया होगा' संयुक्त क्रिया है, जो कि के योग से बनी है। प्राय: यौगिक क्रिया को ही 'संयुक्त क्रिया' कह दिया जाता है क्योंकि इसमें एक मूल रहती है और दूसरी सहायक क्रियाएँ।

ख) **प्रेरणार्थक क्रिया :** जिस क्रिया से कर्ता के स्वयं काम करने का बोध नहीं होता वरन् वह अपनी प्रेरणा द्वारा अन्य किसी व्यक्ति से करवाता है या कराये जाने का बोध होता है, उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे - अमरीक गोपाल से काम करवाता है। वृद्ध डाकिए से पत्र पढ़वाता है।

उपर्युक्त वाक्यों में (1) में 'काम करने' का कार्य अमरीक नहीं कर रहा है, परन्तु अमरीक की प्रेरणा से गोपाल काम करता है। अमरीक गोपाल के द्वारा काम कराता है। (2) में वृद्ध नहीं डाकिया पत्र पढ़ने का काम करता है, परन्तु वृद्ध की प्रेरणा से डाकिया पत्र पढ़ता है। अत: इन वाक्यों में 'करवाता' और 'पढ़वाता' प्रेरणार्थक क्रिया है।

ग) **आज्ञार्थक क्रिया :** वाक्य में जिस क्रिया शब्द का प्रयोग अनुमति, आज्ञा और प्रार्थना आदि के लिए किया जाता है, वह आज्ञार्थक क्रिया कहलाती है, यथा सभी भारतीय राष्ट्रभाषा का सम्मान करें। आप खाना खाओ।

इन वाक्यों में निवेदन की अभिव्यक्ति है, अत: आज्ञार्थक क्रिया है।

घ) **पूर्वकालिक क्रिया :** वाक्य में जब एक क्रिया के समाप्त होने के पश्चात फिर एक दूसरी क्रिया का होना पाया जाए तथा जिसका काल दूसरी क्रिया से प्रकट हो, उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। यथा - मैं सो कर उठा हूँ। इस वाक्य में सोने के बाद उठने की क्रिया हुई है, अत: पढ़कर, पूर्वकालिक क्रिया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि क्रिया व उसके विभिन्न भेदों का वाक्य प्रयोग में अपना महत्त्वपूर्ण स्थान है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. जिस शब्द से कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं?

प्र. 2. क्रिया के कितने भेद होते हैं?

प्र. 3. 'शेर दौड़ता है।' में कौन सी क्रिया है?

5.4 सारांश

क्रिया एक भाषात्मक इकाई है जो किसी कार्य का वर्णन करती है। यह शब्द, भाषा की रचना में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है और वाक्यों में कार्य, स्थिति या गुण को प्रकट करने का कार्य करता है। क्रिया वाक्य भी आधारभूत इकाई होती है जो भाषा को जीवंत बनाती है। प्रत्येक भाषा के वाक्य में क्रिया का बहुत महत्व होता है। प्रत्येक वाक्य क्रिया से ही पूरा होता है। क्रिया किसी कार्य के करने या होने को दर्शाती है। क्रिया हमें समय सीमा के बारे में संकेत देती है।

5.5 कठिन शब्दावली

उच्चारित - अभिव्यक्त

प्राणतत्व - प्राणशक्ति

संयुक्तांक - एक साथ निकलने वाला अंक

स्वराघात - स्वर पर अधिक जोर देना।

प्रश्वास - बाहर निकली हुई साँस

5.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

उ. 1. क्रिया

उ. 2. दो

उ. 3. अकर्मक क्रिया

5.7 संदर्भित पुस्तकें

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा की संरचना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।
2. डॉ. बदरीनाथ कपूर, परिष्कृत हिन्दी व्याकरण, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

5.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया के विभिन्न प्रकारों का परिचय दें।

प्र. 2. किया को विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उसके स्वरूप को निर्धारित कीजिए और भेद स्पष्ट कीजिए।

*****

इकाई – 6
विभक्ति एवं कारक

संरचना

6.1 भूमिका
6.2 उद्देश्य
6.3 विभक्ति
6.3.1 कारक के भेद
स्वयं आकलन प्रश्न
6.4 सारांश
6.5 कठिन शब्दावली
6.6 स्वयं आकलन के उत्तर
6.7 संदर्भित पुस्तकें
6.8 सात्रिक प्रश्न

6.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने क्रिया एवं उसके भेदों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में हम विभक्ति एवं कारक का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम कारक के भेदों का भी विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

6.2 उद्देश्य

इकाई छः का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. विभक्ति क्या होती है ?
2. कारक का अर्थ क्या है ?
3. कारक की परिभाषा क्या है ?
4. कारक के कितने भेद हैं ?

6.3 विभक्ति

विभक्ति से अभिप्राय : कारक की विशेष अवस्था को और उसकी संख्या को बतलाने वाली सत्ता ही विभक्ति कहलाती है। पदों में लगी विभक्तियाँ उनका भिन्न–भिन्न कारक होना, उनकी भिन्न–भिन्न संख्याएँ बतलाती हैं, विभक्तियाँ हैं। कारकों तथा विभक्तियों को हम निम्न चिन्हों द्वारा पहचान सकते हैं।

कारक के भेद :– कारक के मुख्यत: आठ भेद माने जाते हैं, इनका उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है।

कारक	–	विभक्ति चिन्ह
कर्ता	–	ने।
कर्म	–	को।
करण	–	से, द्वारा, के साथ।
सम्प्रदान	–	को, के लिए।
अपादान	–	से (अलग होने के अर्थ में)।
सम्बन्ध	–	का, के, की/रा, रे, री/ना, ने, नी।

अधिकरण	–	में, पर।
सम्बोधन	–	हे, रे, अरे, ओ आदि।

6.3.1 कारक

संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में रूप परिवर्तन जिन तत्वों के अधार पर होता है वे विकारी तत्व कहलाते हैं। वचन और लिंग विवेचना के पश्चात तीसरा तत्व कारक है, जिसका वर्णन इस प्रकार से है।

'कारक' का अर्थ – 'कारक' का शाब्दिक अर्थ है 'क्रिया को करने वाला' या वह शब्द जो क्रिया को पूर्ण करने में किसी न किसी भूमिका को निभाता है उसे कारक कहते हैं।

'कारक' की परिभाषा – वाक्य में कर्ता और क्रिया के बीच सम्बन्ध बताने वाले चिन्ह 'कारक' कहलाते हैं। अन्य शब्दों में, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य में दूसरे शब्दों के साथ सम्बन्ध ज्ञात होता है, उसे कारक कहते हैं। यह सम्बन्ध अर्थ के धरातल पर निश्चित किए जाते हैं, जैसे – राम ने रावण को बाण से मारा'।

इस वाक्य में 'मारना' क्रिया से संज्ञा शब्द राम, रावण, बाण का सम्बन्ध सूचित हो रहा है। क्रिया 'मारना' ही सम्पन्नता या पूर्ण करने में जो भी संज्ञा शब्द जुड़े हुए हैं, वे अपनी भिन्न–भिन्न प्रकार की भूमिका के अनुसार विभिन्न कारकों के रूप में वाक्य में दिखाई पड़ रहें हैं। ऊपर दिए गए उदाहरण में 'राम' कर्ता, बाण 'कारक' तथा मारना 'कर्म' है।

इस प्रकार कारक की परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि कारक वह व्याकरणिक कोटी है, जो यह बताती है कि संज्ञा आदि शब्द वाक्य में क्रिया के साथ किस प्रकार की भूमिका से जुड़े हुए हैं।

1. **कर्ता कारक –** संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है, उसे कर्ता कारक कहते हैं, जैसे – मोहन ने आम खाए।

   इस वाक्य में आम खाने का कार्य मोहन ने किया है अत: 'मोहन' कर्ता कारक है। इसमें 'ने' विभक्ति चिन्ह है। विद्यार्थी यह जान लें कि कर्ता के बिना वाक्य में क्रिया नहीं हो सकती। प्रत्येक क्रिया के साथ कर्ता होना अपेक्षित है।

2. **कर्म कारक –** जिस संज्ञा शब्द पर क्रिया का फल पड़ता है, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे – राम ने रावण को मार डाला।

   इस वाक्य में मारने का कार्य 'राम' ने किया जिसका फल रावण पर पड़ता है, इसलिए रावण कर्म है। इस का विभक्ति चिन्ह 'को' है। स्मरण रहे कि 'कर्म– के बिना 'क्रिया' पूर्ण नहीं हो पाती। जैसे 'कृष्ण माखन खा रहा है' वाक्य में कृष्ण क्या खा रहा है का उत्तर होगा 'माखन' इस वाक्य में 'माखन' कर्म है और 'खाना' क्रिया।

3. **करण कारक –** संज्ञा के उस रूप को करण कहते हैं, जिससे क्रिया के साधन का बोध होता है, जैसे –

   क) हम आँखों से देखते हैं। ख) लड़की कलम से लिखती है।

   इन वाक्यों में क्रमश : देखने की क्रिया आँखों से और लिखने की क्रिया 'कलम' से की गई है। इसलिए आँखें और कलम करण कारक है। इस कारक की विभक्ति 'से' है।

4. **सम्प्रदान कारक –** जिस को कुछ दिया जाए या जिसके लिए कुछ किया जाए, उसको सूचित करने वाले या उसका बोध कराने वाले संज्ञा के रूप को सम्प्रदान कारक कहते हैं, इसके विभक्ति चिन्ह 'को' के लिए 'और' के 'वास्ते' है, जैसे –

   क) वह नौकर को रूपया देता है।

   ख) नौकर मालिक के लिए माल लाता है।

   ग) वह नाम के वास्ते आता है।

पहले वाक्य में देने काकाम 'नौकर' के लिए किया गया है। दूसरे वाक्य में माल लाने का काम 'मालिक' के लिए' तथा अन्तिम वाक्य में आने का काम 'नाम के वास्ते' किया गया है, अतः 'नौकर', 'मालिक' 'नाम' सम्प्रदान कारक है।

5. **अपादान कारक –** संज्ञा का वह रूप जिससे किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है अर्थात् क्रिया आरम्भ होने पर जब किसी संज्ञा शब्द का किसी वस्तु से अलगाव हो जाए तो वह अपादान कारक कहलाता है, जैसे – 'फल पेड़ से गिरता है' या 'पत्ता पेड़ से गिरता है'। इन वाक्यों में पत्ते का पेड़ में बोध होता है। से अलगाव हुआ है। इसलिए अपादान कारक है। इस का विभक्त्ति चिन्ह 'से' (अलग होने के अर्थ में) है।

6. **सम्बन्ध कारक –** सम्बन्ध कारक एक वस्तु का दूसरी वस्तु से सम्बन्ध का बोध कराता है। सम्बन्ध वाचक रूप का, के, की हैं, जैसे – यह किशोरी लाल का घर है।

   इस वाक्य में 'किशोरी लाल का' घर से सम्बन्ध है। इसलिए 'किशोरी लाल' सम्बन्ध कारक है।

7. **अधिकरण कारक –** संज्ञा शब्दों के जिस रूप से क्रिया के आधार का पता मालूम होता है, वह अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे – 'पेड़ पर बन्दर है' या 'श्याम कुर्सी पर बैठा है'।

   इन वाक्यों में क्रमशः बन्दर की क्रिया पेड़ पर तथा श्याम के बैठने की क्रिया कुर्सी पर हो रही है अतः 'पेड़' और 'कुर्सी' अधिकरण कारक है। अधिकरण कारक का विभक्त्ति चिन्ह 'में' 'पर' है।

8. **सम्बोधन कारक –** संज्ञा शब्दों के द्वारा जब किसी को पुकारने या चेतावनी देने का बोध होता है, तो इसे सम्बोधन कारक कहा जाता है। इस कारक का कोई विभक्त्ति चिन्ह नहीं है। इसमें शब्द के शुरू में 'रे', 'अरे', 'हे' आदि प्रयोग किया जाता है। जैसे –

   क) अरे !तुम अभी तक लिख रहे हो।

   ख) अरे रामू ! दरवाजा तो खोल दो।

   ग) हे राम ! सभी को सुखी रखना।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. विभक्त्ति का क्या अर्थ है?

प्र. 2. वाक्य में शब्दों का संबंध किससे दर्शाया जाता है?

प्र. 3. हिन्दी भाषा में कितने कारक हैं?

6.4 सारांश

हिन्दी व्याकरण में शब्द (संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण) के आगे लगा हुआ वह प्रत्यय या चिहन विभक्त्ति कहलाता है। जिससे पता लगता है कि उस शब्द का क्रियापद से क्या संबंध है। 'विभक्त्ति' नाम या संज्ञा शब्दों को पद (वाक्य प्रयोगार्थ) बनाते हैं और कारक परिणति के द्वारा क्रिया के साथ संबंध सूचित करते हैं। विभक्त्ति आपको मुख्य शब्दों और भावनाओं पर जोर देने की अनुमति देती है और दर्शकों को आपका सटीक अर्थ बताने में मदद करती है। उदाहरण के लिए, वाक्य ''मुझे उत्तर पता है। को केवल अपनी आवाज का मोड़ बदलकर विभिन्न अर्थों में बोलने का प्रयास करें।

6.5 कठिन शब्दावली

बाधित – आभारी

घर्षण – घिसने की क्रिया

विश्लेषित – पृथक्कृत

अभिलक्षण – विशिष्टता

स्वन – ध्वनि

6.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

उ. 1. कारकीय चिह्न

उ. 2. कारक

उ. 3. आठ

6.7 संदर्भित पुस्तकें

1. डॉ. विजयपाल सिंह, प्रामाणिक व्याकरण एवं रचना, विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी।
2. श्याम चन्द्र कपूर, व्यावहारिक हिन्दी व्याकरण, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

6.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. 'विभक्ति' के अर्थ एवं परिभाषा सहित स्वरूप को स्पष्ट कीजिए।

प्र. 2. कारक क्या है, उसके भेदों का वर्णन कीजिए।

*****

इकाई – 7
सर्वनाम

संरचना

7.1 भूमिका

7.2 उद्देश्य

7.3सर्वनाम

7.3.1 सर्वनाम के भेद

स्वयं आकलन प्रश्न

7.4 सारांश

7.5 कठिन शब्दावली

7.6 स्वयं आकलन के उत्तर

7.7 संदर्भित पुस्तकें

7.8 सात्रिक प्रश्न

7.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने विभक्ति एवं कारक के भेदों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में हम सर्वनाम एवं सर्वनाम के प्रमुख भेदों का गहन अध्ययन करेंगे।

7.2 उद्देश्य

इकाई सात का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. सर्वनाम क्या है?
2. सर्वनाम की परिभाषा क्या है?
3. सर्वनाम के कितने भेद हैं?
4. सर्वनाम किसके स्थान पर प्रयुक्त होते हैं?

7.3 सर्वनाम

उस विकारी शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जिसका पूर्वापर सम्बन्ध से किसी सज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है, अन्य शब्दों में, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग संज्ञा अथवा उसके स्थान पर किया जाता है, सर्वनाम कहलाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है, सर्व (सब) नाम (संज्ञा) अर्थात् सब का नाम। जैसे–मोसिन महाविद्यालय से आया है। मोहसिन आज अपने घर पर ठहरेगा। मोहसिन कल दिल्ली चला जाएगा।

इन वाक्यों में कोहसिन शब्द बार–बार प्रयोग हुआ है जो कि अटपटा व अनुचित सा प्रतीत हो रहा है। अतः सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करने के बाद इन वाक्यों का रूप निम्न प्रकार से परिवर्तित हो जाएगा, यथा – मोहसिन महाविद्यालय से आया है। वह आज अपने घर पर ठहरेगा। वह कल दिल्ली चला जाएगा।

सर्वनाम शब्द का प्रयोग पुल्लिग अथवा स्त्रीलिंग दोनों में होता है, यथा – कमला आज घर आई थी। वह कल शिमला चली जाएगी।

7.3.1 सर्वनाम के भेद : प्रयोग के अनुसार हिन्दी में सर्वनाम के छः भेद निम्नलिखित हैं :–

1. पुरुषवाचक सर्वनाम।
2. निश्चयवाचक सर्वनाम।

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम।

4. सम्बन्धवाचक सर्वनाम।

5. प्रश्नवाचक सर्वनाम।

6. निजवाचक सर्वनाम

1. पुरूषवाचक सर्वनाम :– वक्त्ता का लेखक की दृष्टि से सम्पूर्ण सृष्टि के तीन भाग किए जाते हैं। पहला वक्त्ता या लेखक दूसरा श्रोता अथवा पाठक और तीसरा श्रोता और पाठक को छोड़कर अन्य सभी। इन तीनों रूपों को व्याकरण में पुरुष कहते हैं। वक्त्ता या लेखक अपने लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है, वह उत्तम पुरुष सर्वनाम कहलाता है। श्रोता या पाठक जो कभी साने उपस्थित होता है, उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम तथा ऐसे व्यक्ति या वस्तु जो दूर स्थित ही अन्य पुरुष सर्वनाम कहे जाते हैं।

क) उत्तम पुरुष – मैं, मेरा (एक वचन), हम, हमारा (बहुवचन)।
जैसे–'मैं आता हूँ' 'हम आते हैं'

ख) मध्यम पुरुष – तू, तेरा (एक वचन), तुम, तुम्हारा (बहुवचन) आदर सूचक। उदाहरण के लिए हे प्रभु, तू दयालु है। तुम लोग कल कहाँ थे?

ग) अन्य पुरुष – वह, उसका (एक वचन), वे, उनका (बहुवचन)। उदाहरण – यह बहुत ईमानदार व्यक्त्ति है। ऐसी बातें वे लोग ही करते हैं।

विशेष

क) एक ही व्यक्त्ति के विषय में आदर प्रकट करने के लिए भी 'वे' शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे (कबीर दास) सन्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि थे।

ख) 'तुम' (मध्यम पुरूष) – बहुवचन और 'वे' अन्य पुरूष बहुवचन के स्थान पर आदर सूचक 'आप' शब्द का प्रयोग भी किया जाता है।

ग) अधिक आदर सूचित करने के लिए ''आप'' शब्द की अपेक्षा बड़े पदाधिकारियों के प्रति श्री मान, महाराज, हुजूर इत्यादि शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे – जो हजूर को राय सो मेरी राय। आज सत्संग में महाराज पधार रहे हैं।

घ) स्त्रियों के प्रति अतिशय आदर प्रदर्शित करने के लिए 'श्रीमति' 'देवी' आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे – श्रीमति की शिक्षा उत्तम है।

2. निश्चयवाचक सर्वनाम :– जिन सर्वनाम शब्दों के द्वारा किसी निश्चित वस्तु, व्यक्त्ति या प्राणी का (समीपवर्ती अथवा दूरदर्शी) निश्चित बोध होता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसमें समीप की किसी वस्तु के विषय में बोलने के लिए 'यह' (एकवचन) तथा 'ये' बहुवचन रूप है। इसी प्रकार दूरवर्ती (एकवचन) 'वह' तथा बहुवचन 'वे' शब्द प्रयोग किए जाते हैं।

उदाहरण के लिए –

क) वह किसकी पुस्तक है?

ख) वह मनुष्य नहीं देवता है।

ग) ये सभी पढ़ रहे हैं।

घ) वे सभी घूम रहे हैं।

ड़) इन्होंने खाना खा लिया।

च) उन्होंने क्या कहा था?

3. अनिश्चयवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम से किसी व्यक्त्ति या वस्तु का निश्चित बोध नहीं होता है, उसे अनिश्यवाचक सर्वनाम कहते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम दो प्रकार के हैं – 'कोई' और 'कुछ'। 'कोई' पुरुष के लिए तथा 'कुछ' अप्राणी पदार्थ या धर्म के लिए प्रयोग किया है। ऐसी स्थिती तब आती है, जब हमें किसी व्यक्त्ति या वस्तु आदि के हाने का आभास तो होता है परन्तु उसका नाक निश्चित नहीं होता। जैसे–

क) कोई दरवाजा खटखटा रहा है।

ख) चाय में कुछ पड़ गया है, उसे मत पीना।

ग) पुलिस कुछ तलाश कर रही है।

4. सम्बन्धवाचक सर्वनाम – जो सर्वनाम शब्द मिश्रित वाक्य की रचना में अन्य उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम से परस्पर सम्बन्ध का बोध कराता है, वह सम्बन्धवाचक सर्वनाम कहलाता है।

उदाहरण के लिए –

क) जो मेहनत करता है सो फल पाता है।

ख) जिसको आपने बुलाय था वह आ गया।

ग) जिसकी लाठी उसकी भैंस।

घ) जो घड़ी मुझे जन्म दिन पर मिली थी, वह खो गई है।

इस प्रकार 'जो' 'सो' 'जिसकी' 'वह' 'जिसकी' 'उसकी' आदि शब्द सम्बन्धवाचक सर्वनाम है।

5. प्रश्नवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम शब्द का उपयोग प्रश्न करने के लिए होता है अथवा जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्त्ति, वस्तु आदि के विषय में प्रश्न का बोध कराते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये दो हैं 'कौन' और –'क्या'।

किसी प्राणी और विशेष कर मनुष्य के लिए 'कौन' और पदार्थ, धर्म इत्यादि के लिए 'क्या' का प्रयोग किया जाता है। जैसे –

क) आज बाज़ार कौन जाएगा?

ख) आप पीने में क्या लेंगे?

ग) आप सभी जा रहे हो, कमरे में कौन रहेगा?

विशेष

'कौन सा' या 'कौन सी' शब्दों का प्रयोग साधारणत: अप्राणियों के लिए किया जाता है। जैसे – 'यहाँ' कपड़े की कई दुकानें हैं, आप कौन सी पसन्द करेंगे।

6. निजवाचक सर्वनाम – जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग कर्ता स्वयं के लिए प्रयुक्त्त करता है अर्थात् जो सर्वनाम निजता या अपनेपन का बोध करते हैं, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे

(क) मैं अपने – आप पढ़ता हूँ।

(ख) मैं अपनी पुस्तक ले रहा हूँ। अपना, अपने, अपने–आप, अपनी, स्वयं आदि शब्द निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण है।

हिन्दी में सर्वनाम शब्दों का लिंग संज्ञा के अनुसार बदलता है। प्राय: क्रिया से सर्वनाम के लिंग का बोध हो जाता है। जैसे –

वह जा रहा था मैं घर गया

वह जा रही थी मैं घर गयी

इन वाक्यों में क्रिया के द्वारा ही 'में' और 'वह' सर्वनाम शब्दों के लिंग का बोध हो रहा है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. 'कोई द्वार पर बड़ा है।' वाक्य में कौन सा सर्वनाम है?

प्र. 2. अर्थ की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं?

प्र. 3. 'पुरुषवाचक सर्वनाम' के कितने भेद होते है?

7.4 सारांश

जिस तरह हम एक-दूसरे के साथ संवाद करते हैं, उसमें सर्वनाम आवश्यक हैं। हालाँकि सर्वनाम संचार का महत्त्वपूर्ण है। हम सर्वनामों का उपयोग किसी को पहचानने या संदर्भित करने के तरीके के रूप में करते हैं। जो व्यक्ति के नाम की जगह पर मौजूद है। अन्य शब्दों में समझे तो सर्वनाम उन शब्दों को कहा जाता है, जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा अर्थात किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम के स्थान पर करते हैं। इसमें मैं, तुम, तुम्हारा, आप, आपका, इस, उस, यह, वह, हम, हमारा आदि शब्द आते हैं।

7.5 कठिन शब्दावली

समाहित - स्वीकृत

परिमार्जित - धोया हुआ

व्यवहृत - आचरित

संशोधित - जिसे संबोधन किया जाए

विनिमय - आदान-प्रदान

7.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

उ. 1. अनिश्चयवाचक सर्वनाम

उ. 2. छ:

उ. 3. तीन

7.7 संदर्भित पुस्तकें

1. कामता प्रसाद गुरु, हिन्दी व्याकरण, पवन पॉकेट बुक्स, दिल्ली।

2. श्याम सुन्दरदास, भाषा विज्ञान, प्रभाकर प्रकाशन, दिल्ली।

7.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. सर्वनाम क्या है, स्पष्ट कीजिए ?

प्र. 2. सर्वनाम की परिभाषा के साथ उसके भेदों को उदाहरण सहित विवेचन कीजिए।

*****

इकाई – 8
विशेषण

संरचना

8.1 भूमिका

8.2 उद्देश्य

8.3 विशेषण

8.3.1 विशेषण के भेद

8.3.2 विशेषण की अवस्थाएँ

स्वयं आकलन प्रश्न

8.4 सारांश

8.5 कठिन शब्दावली

8.6 स्वयं आकलन के उत्तर

8.7 संदर्भित पुस्तकें

8.8 सात्रिक प्रश्न

8.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने सर्वनाम एवं उसके भेदों का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम विशेषण, विशेषण के भेद एवं विशेषण की अवस्थाओं का गहन अध्ययन करेंगे।

8.2 उद्देश्य

इकाई आठ का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. विशेषण का अर्थ क्या है ?
2. विशेषण की परिभाषा क्या है ?
3. विशेषण के भेद क्या है ?
4. विशेषण की अवस्थाएँ क्या हैं ?

8.3 विशेषण

विशेषण वह शब्द है, जो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताता है अर्थात् संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाला रूप विशेषण कहलाता है।

विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, वह विशेष्य कहलाता है। जैसे –

क) लाल कपड़ा अधिक सुन्दर है।

ख) हमारा मकान ऊँचा है।

ग) काली गाय अधिक महंगी है।

घ) पतला चोर भागने में सफल रहा।

अतः इन वाक्यों में लाल, ऊँचा, काली, पतला शब्द विशेषता बता रहे हैं। कपड़ा, मकान, गाय तथा चोर को विशेषता जहाँ विशेषण द्वारा बताई जा रही है, इसलिए यह संज्ञा शब्द विशेष्य है।

8.3.1 विशेषण के भेद – हिन्दी भाषा में विशेषण के सामान्यतः चार भेद माने गए हैं:–

1. गुणवाचक विशेषण।

2. परिमाणवाचक विशेषण।

3. संख्यावाचक विशेषण।

4. सार्वनामिक विशेषण।

विशेषण के भेदों विद्वान परिमाण, संख्या व सर्वनाम की विशेषताओं का ऊपर लिखित मुख्य चार भेद मानते हैं, परन्तु कुछ विद्वान इनके अलावा 'भिन्नतावाचक' और 'व्यक्तिवाचक' को विशेषण के अलग से दो भेद मानते हैं इनका उदाहरण सहित विस्तृत वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है।

1. गुणवाचक विशेषण – जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम विशेष्य के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, दशा, स्थिती आदि की विशेषता का बोध कराता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा –

क) राम दयालु व्यक्ति है।

ख) रमेश की अपेक्षा घनश्याम वृद्ध है।

ग) यह चौड़ा मैदान है।

घ) यह कपड़ा पुराना है।

ड़) मेरी कमीज लाल है।

च) आम खट्टे हैं।

छ) अमन डरपोक व्यक्ति है।

विशेषण के अन्य उदाहरण हैं – पतला, काला, जापान, पंजाबी, रोगी, इत्यादि।

2. परिमाणवाचक विशेषण – जो विशेष्य (संज्ञा या सर्वनाम) के परिमाण नाप तोल सम्बन्धी विशेषता का बोध कराता है, उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यथा – बहुत दूध, थोड़ा पानी आदि।

परिमाणवाचक विशेषण के निम्नलिखित दो भेद हैं :–

क) निश्चित परिमाणवाचक विशेषण

ख) अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण।

क) निश्चित परिमाणवाचक विशेषण – जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के परिमाण का निश्चित बोध हो, वे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण – दो लीटर दूध, तीन किलोग्राम दाल, एक किलोग्राम चीनी आदि। यहाँ दूध, दाल, व चीनी की निश्चित मात्रा का बोध होता है।

ख) अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण – जिन विशेषणों से किसी वस्तु की मात्रा का पता तो चलता है, परन्तु वह नापी–तोली हुई निश्चित मात्रा नहीं होती, ऐसे विशेषण अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे – कितना, थोड़ा, बहुत कम, ढेर सारा, तनिक इत्यादि। कुत्ता कुछ दूध पी गया। वाक्य में दूध की मात्रा का बोध तो होता है, किन्तु निश्चित मात्रा नहीं। इसलिए अनिश्चित पमिाणवाचक विशेषण है।

3. संख्यावाचक विशेषण – जो शब्द संज्ञा का सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं या जो विशेषण विशेष्य की संख्या का गणना का बोध कराए वह संख्यावाचक कहलाता है जैसे – कक्षा में तीस छात्र पढ़ते हैं। 'तीस' शब्द संख्या का बोध कराता है।

विशेषण द्वारा निश्चित या अनिश्चित संख्या क ाबोध कराया जाता है, इस कारण विशेषण के दो भेद माने जाते हैं:–

क) निश्यित संख्यावाचक विशेषण।

ख) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण।

क) निश्चित संख्यावाचक विशेषण – वे विशेषण जो विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। जैसे– पहला, छठा, पाँच, आठ आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के चार उपभेद माने जाते हैं। ये हैं–

(i) क्रमवाचक (ii) गणनावाचक विशेषण

(iii) आवृतिवाचक विशेषण (iv) समुदायवाचक विशेषण

(i) क्रमवाचक विशेषण : ऐसे विशेषय जिनके क्रम का बोध हो या जो क्रम की सूचना देते हैं, क्रमवाचक, विशेषण कहलाते हैं। यथा – पहला, दूसरा, तीसरा इत्यादि।

(ii) गणनावाचक विशेषण : जो विशेष्य गणना का बोध कहते हैं, गणनावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे – एक, दो, चार, पाँच इत्यादि।

(iii) आवृतिवाचक विशेषण : जिसके विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम कितने गुणा है इसका बोध हो, उसे आवृतिवाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए – दुगुणा, चोगुणा इत्यादि।

(iv) समुदायवाचक विशेषण : जिससे संज्ञा या सर्वनाम के समूह अथवा समुदाय का बोध हो, उसे समुदायवाचक विशेषण कहते हैं। यथा – दोनों, तीनों, पाँचो इत्यादि।

(ख) अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण – जो विशेषण किसी निश्चित संख्या का बोध न कराए अथवा जब विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध न होकर संख्या की अस्पष्टता वाला शब्द प्रयुक्त हो, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उदाहरण –

+ कुछ विद्यार्थी पाठशाला में उपस्थित थे।
+ मेरे पास थोड़े रुपये शेष हैं।
+ आपको कक्षा में बहुत विद्यार्थी थे मेरी में थोड़े।

इन वाक्यों में कुछ, थोड़े बहुत इत्यादि शब्द अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है।

4. सार्वनामिक विशेषण – जो विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम की ओर संकेत करते हैं अथवा जो संज्ञा या सर्वनाम अपने सार्वनामिक रूप में संज्ञा के विशेषण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। उन्हें सार्वजनिक विशेषण कहा जाता है। ये विशेषण सर्वनाम शब्द से बनते हैं इसलिए इन्हें सार्वजनिक विशेषण कहा जाता है, जैसे: –

+ यह पुस्तक मेरी है।
+ वह भवन अपना है।
+ वे अमृतसर चले गए।

इन वाक्यों में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द यह, वह, वे, संज्ञा शब्द पुस्तक, भवन और अमृतसर की आर संकेत करती है इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। इसे संकेतवाचक विशेषण भी कहा जाता है।

जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, उन्हें विशेषण कहते हैं जैसे अशोक ने नीली कमीज पहनी है।

8.3.2 विशेषण की अवस्थाएँ

विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जिन वस्तुओं या पदार्थों की विशेषता बताई जाती है, वह उस वस्तु के गुण, संख्या या परिणाम से सम्बद्ध होती है। जिनका कम या अधिक होना स्वाभाविक है। जब दो या दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं में एक जैसा गुण विद्यमान हो, तो उनके गुण या संख्या को तुलना के रूप में समझा जा सकता है। इसे हम विशेषण की निम्नलिखित अवस्थाओं के माध्यम से सहज ही समझ सकते हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएँ हैं : –

1. मूलावस्था 2. उत्तरावस्था 3. उत्तमावस्था

1. **मूलावस्था : –** जब विशेषण अपनी मूल अवस्था में होता है और उसकी विशेषता की तुलना किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से नहीं हो रही हो तो सामान्य रूप में वह उसकी मूलावस्था है। जैसे – निखिल पढ़ने में बहुत निपुण है। उसे पुरस्कार में श्रेष्ठ पुस्तक मिली।

2. **उत्तरावस्था :–** यहाँ दो वस्तुओं या व्यक्त्तियों की विशेषता की तुलना की जाए और तुलना के पश्चात विशेषता को परस्पर एक–दूसरे से कम या अधिक बताया जाता है, वहाँ विशेषण की उत्तरावस्था होती है। तुलना के बाद 'की अपेक्षा' की तुलना में, से अधिक, से घटकर इत्यादि शब्दों का प्रयोग कर अभिव्यक्त्त किया जाता है। उदाहरण के लिए –

+ कमल अशोक से बेहतर पहलवान है।
+ सीमा राधा से अधिक बलवान है।
+ मोहन घनश्याम की तुलना में लम्बा है।

विशेष

उत्तरावस्था में शब्दों के साथ प्राय: 'तर' प्रत्यय जोड़ा जाता है।

3. **उत्तमावस्था :–** विशेषण की इस अवस्था में दो से अधिक वस्तुओं या व्यक्त्तियों की समूह में तुलना कर किसी एक को सर्वश्रेष्ठ या कम बताया जाता है। इस परिस्थिति में वह विशेषण की उत्त्तमावस्था होती है। इस अवस्था में सर्वाधिक, सभी में, सभी से या 'तम' प्रत्यय लगे प्रत्यय लगे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। यथा–

+ गाय सभी पशुओं में श्रेष्ठत्तम है।
+ अशोक कक्षा में सर्वाधिक कुशाग्रबुद्धि वाला विद्यार्थी है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. विशेषण के कितने भेद हैं?

प्र. 2. 'घोड़े का रंग भूरा है।' वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण को व्यक्त करता है?

प्र. 3. तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएँ हैं?

8.4 सारांश

विशेषण शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, विशेषता, स्थिति, आकार आदि को व्यक्त करते हैं। यह शब्द अपने संबंधित संज्ञा या सर्वनाम के बारे में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं और उन्हें समृद्ध करते हैं। विशेषण की मदद से हम शब्दों को और व्यापक, विस्तृत और रंगीन बना सकते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है और विशेषण जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेष्य कहते हैं। इसके अलावा विशेषता शब्द वाक्य में ज्ञान, अनुभव को बढ़ाने में मदद करते हैं।

8.5 कठिन शब्दावली

परिनिष्ठित – परिमार्जित

औचाराणिक – उच्चारण संबंधी

मूल – मुख्य

पाश्व – पशु संबंधी

संकुचित – संकोच युक्त

8.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

उ. 1. चार

उ. 2. भूरा

8.7 संदर्भित पुस्तकें

1.. डॉ वासुदेवन नन्दन प्रसाद, आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती भवन।

2. प्रो. रामलखन मीणा, भाषिकी हिंदी व्याकरण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

8.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1 - विशेषण क्या है, भेदों सहित स्पष्ट कीजिए ?

प्र. 2 - विशेषण परिभाषित करते हुए विशेषता की अवस्थाएँ स्पष्ट कीजिए ?

*****

इकाई – 9

क्रिया विशेषण अव्यय

संरचना

9.1 भूमिका

9.2 उद्देश्य

9.3 अव्यय

9.3.1 क्रिया विशेषण अव्यय

9.3.2 क्रिया विशेषण के भेद

9.3.3 क्रिया विशेषण अव्यय के उपभेद

स्वयं आकलन हेतु प्रश्न

9.4 सारांश

9.5 कठिन शब्दावली

9.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

9.7 संदर्भित पुस्तकें

9.8 सात्रिक प्रश्न

9.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने विशेषण एवं उसके भेदों एवं उपभेदों का गहन अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम क्रिया विशेषण अव्यय एवं उसके उपभेदों का गहन अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत सम्बंधबोधक अव्यय, समुच्चयबोधक अव्यय तथा विस्मयादिबोधक अव्ययों का अध्ययन किया जाएगा।

9.2 उद्देश्य

इकाई नौ का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. क्रिया विशेषण विद्रशेषण क्या है ?
2. अव्यय क्या है ?
3. अव्यय के उपभेद क्या है ?
4. विस्मयादिबोधक अव्यय क्या है ?

9.3 अव्यय

परिभाषा – जिन शब्दों के रूप नहीं बदलते वे अव्यय कहलाते हैं। जैसे वहाँ, निकट, नीचे, ऊपर, अहा, अथवा आदि।

अव्यय के भेद: –

(1) क्रिया विशेषण (2) संबधसूचक (3) समुच्यबोधक (4) विस्मयादिबोधक।

9.3.1. क्रिया विशेषण अव्यय :

क्रिया की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण अव्यय कहते हैं। यथा – राम धीरे – धीरे दौड़ रहा है। इस वाक्य में दौड़ने की विशेषता धीरे – धीरे के द्वारा प्रकट हो रही है। इसलिए 'धीरे – धीरे' क्रिया विशेषण है।

क्रिया विशेषण के कार्य : –

(1) क्रिया की विशेषता बतलाना : सीता धीरे – धीरे गाती है।

(2) विशेषण की विशेषता बतलाना : सीता बहुत सुंदर लड़की है।

(3) क्रिया विशेषण की विशेषता बतलाना : सीता बहुत तेज दौड़ती है।

9.3.2 क्रिया विशेषण के प्रमुख भेद

(1) स्थानवाचक (2) कालवाचक (3) रीतिवाचक (4) परिमाणवाचक।

(1) स्थानवाचक क्रिया विशेषण : जिससे स्थान का बोध होता है जैसे यहाँ, वहाँ इत्यादि।

(2) कालवाचक क्रिया विशेषण : जिससे काल अर्थात् समय का बोध होता है, जैसे आज, कल, परसों इत्यादि।

भेदः –

(क) समय वाचकः आजकल, पहले, अभी, तुरन्त इत्यादि।

(ख) अवधिवाचक : नित्य, हमेशा, सदैव, लगातार इत्यादि।

(ग) पुनःवाचकः प्रतिदिन, बार-बार इत्यादि।

(3) रीतिवाचक क्रिया विशेषण – जिसमें रीति अथवा ढंग का बोध हो। यथा-ऐसे, वैसे, इसलिए इत्यादि।

भेद :

(क) प्रकारबोधक : ऐसे, वैसे, यों ही, पैदल, स्वयं इत्यादि।

(ख) निश्चयबोधक : सचमुच, यथार्थ में, बेशक इत्यादि।

(ग) अनिश्चयबोधक : शायद, संभवतः कदाचित इत्यादि।

(घ) स्वीकारबोधक जीव : जी हाँ, ठीक इत्यादि।

(ड.) कारणबोधक : क्यों, अतः, अतएव इत्यादि।

(च) निषेधबोधक : नहीं, न मन इत्यादि।

(4) परिमाणवाचक क्रिया विशेषण : जिससे परिणाम का बोध होता है, यथा इतना, अत्यंत, बहुत इत्यादि।

(क) अधिकताबोधकः बहुत, बड़ा, ज्यादा इत्यादि।

(ख) न्यूनताबोधकः थोड़ा, जरा, कुछ इत्यादि।

(ग) पर्याप्तबोधकः यथेष्ट, काफी, पर्याप्त इत्यादि।

(घ) तुलनाबोधकः इतना, उतना, अधिक, बढ़कर इत्यादि।

(ङ) क्रमवाचकः यथाक्रम, बारी-बारी से, एक-एक करके इत्यादि।

2. संबंधसूचक अव्ययः संज्ञा के साथ आकर जो अव्यय संबंध सूचित करते हैं, उन्हें संबंधसूचक अव्यय कहा जाता है। जैसे- कुत्ते को भगाओ। ऊँट पर चढ़ो।

इस वाक्य में 'को' और 'पर' संबंधसूचक अव्यय हैं, क्योंकि ये 'कुत्ते और और ऊँट' संज्ञाओं के बाद आते हैं और 'भगाओं तथा चढ़ो' क्रियाओं से उनके संबंध सूचित करते हैं।

भेदः –

1. प्रयोग की दृष्टि से :

भेदः -

(क) सम्बद्ध संबंधसूचकः इनका प्रयोग संज्ञा की विभक्तियों के पश्चात होता है। यथा-

राम के सिवा ('क' के बाद)

धन के बिना ('क' के बाद)

(ख) अनुबद्ध संबंधसूचक :

किनारे तक किनारे (किनारा का परिवर्तित रूप)

शिष्यों सहित शिष्यों (किनारा का परिवर्तित रूप)

2. व्युपति की दृष्टि से :

(क) मूल संबंधसूचक : पर्यन्त, पूर्वक, बिना इत्यादि।

(ख) यौगिक संबंधसूचक : वास्ते, हमारे, पीछे इत्यादि।

3. अर्थ की दृष्टि से:

(क) कालवाचकः पश्चात, उपरांत, पीछे।

(ख) स्थानवाचकः नजदीक, दूर, समीप इत्यादि।

(ग) दिशावाचकः ओर, तरप्त इत्यादि।

(घ) साधनावाचकः जरिये, द्वारा, सहारे इत्यादि।

(ङ) **हेतुवाचकः** निमित्त, वास्ते, लिए इत्यादि।

3. समुच्चयबोधक अव्यय–

वाक्यांशों को जोड़ने वाले अव्यवों को समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। जैसे हवा चली और बादल तितर–बितर हो गए। इस वाक्य में 'हवा चली' तथा 'बादल तितर–बितर हो गए' इन वाक्यों को जोड़ने का कार्य और द्वारा किया गया है। इसलिए 'और' समुच्चयबोधक अव्यय है।

भेद : (क) समानाधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

(ख) व्यधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय

(क) समानाधिकरण समुच्चयबोधक : अव्यय मुख्य वाक्यों को जोड़ने वाले अव्ययों को समानाधिकरण बोधक कहते हैं। यथा मैं आया और मोहन चला गया।

भेद :– (क) संयोजक : जिनमें दो वाक्यों या वाक्यांशों से संयोजन होता है।
यथा–राम और रावण की लड़ाई हुई। दस एवं बीस होते हैं।

(ख) वियोजक : जिसके द्वारा दो वाक्यों, वाक्यांशों में अलगाव उत्पन्न हो।
जैसे राम या श्याम में से कोई प्रथम आएगा।
प्रमुख वियोजक दर्शक वा या अथवा, न चाहे आदि हैं।

(ग) विरोधदर्शक : इसके द्वारा दो वाक्यों या वाक्यांशों में विरोध दिखाकर किसी एक का स्वीकार या विरोध बताय जाता है। यथा रस्सी जल गई मगर ऐंठन न गई।

(घ) परिणामदर्शक : इसके द्वारा परिणाम सूचित किया जाता है और यह बताया जाता है कि आगे के वाक्यों का अर्थ पिछले वाक्य के अर्थ का बोधक है। यथा पिक्चर जाना है अत: छुट्टी ले रखी हैं। प्रमुख परिणामदर्शक है अतः अतएव वास्ते से।

(ङ) उद्देश्यदर्शक : इसके द्वारा पहले वाक्य का उद्देश्य दूसरे अर्थात बाद में आने वाले वाक्य द्वारा सूचित किया जाता है।

यथा

मोहन बहुत पढ़ रहा है ताकि प्रथम श्रेणी में आ सके।
प्रमुख उद्देश्यदर्शक है ताकि इसलिए कि इत्यादि।

(च) संकेतदर्शकः इसके द्वारा जुड़े हुए वाक्यों में एक का संकेत दूसरे में प्रकट किया जाता है यथा – यदि ऊपर ही चलोगे तो निश्चय ही कहीं न कहीं गिरोगे।
प्रमुख संकेतदर्शक हैं–यदि तो, जो तो, चाहे लेकिन इत्यादि।

(छ) **स्वरूपदर्शकः** इसके द्वारा जुड़े हुए वाक्यों में पहले का स्वरूप दूसरे में स्पष्ट किया जाता है। यथा वह जड़ अर्थात मूर्ख है। प्रमुख स्वरूप दर्शक यानी कि अर्थात जैसे माली।

(ज) **कारणदर्शक –** इसके पहले वाक्य के अर्थ का कारण दूसरे वाक्य के अर्थ में दिखाया जाता है। यथा मैं पढ़ नहीं सकता क्योंकि मेरी आँख में दर्द है।

(ख) व्याधिकरण समुच्चयबोधक – अव्यय जिन समुच्चबोधक अव्यवों के मूल वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य जोड़े जाते हैं, उन्हें व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहा जाता है। यथा–

आज पानी बरसेगा इसलिए छाता लेकर विद्यालय जा रहा हूँ

भेद :

(क) **कारणसूचक –** क्योंकि, इसलिए, कि इत्यादि।

(ख) **उद्देश्यसूचक –** जाति, ताकि, इसलिए कि इत्यादि।

(ग) **संकेतसूचक –** यदि तो, जो–तो इत्यादि।

(घ) **स्वरूपदर्शक –** जो अर्थात् मानो यानी इत्यादि।

4. विस्मयादिबोधक अव्यय – मन के विस्मय शोक, हर्ष आदि भावों को प्रकट करने वाले अव्यवों को विस्मयदि अव्यय कहा जाता है। यथा–वाह! तुमने तो कमाल ही कर दिया।

विस्मयादिबोधक के संबंध में कुछ महत्त्वपूर्ण बातें

1. इनका कोई वस्तुपरक अर्थ नहीं होता।
2. इनके प्रत्यय नहीं होते।
3. ये वाक्य के अंग नहीं होते।

प्रमुख विस्मयादिबोधकः

1. **आश्चर्यबोधकः** वाह! ओ हो! क्या! अरे! इत्यादि।
2. **प्रशंसाबोधकः** शाबाश! वाह–वाह! बहुत! इत्यादि।
3. **भयबोधकः** बाप रे! आहु! दुहाई! इन्यादि।
4. **शोकबोधकः** हाय! अफसोस! ओह! इत्यादि।
5. **घृणाबोधकः** उफ, छिः. धिक! इत्यादि।
6. **स्वीकृतिबोधकः** अच्छा, जरूर, हाँ इत्यादि।
7. **संबोधनबोधक** हरे रे, हे. हो इत्यादि।

9.2 क्रिया विशेषण अव्यय के उपभेद–

अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण अव्यय के निम्नलिखित चार उपभेद माने जाते हैं:–

क) स्थानवाचक क्रिया विशेषण।

ख) कालवाचक क्रिया विशेषण।

ग) परिमाणवाचक क्रिया विशेषण।

घ) रीतिवाचक क्रिया विशेषण

क) स्थानवाचक क्रिया विशेषण :– जिन अव्यय अविकारी शब्दों से क्रिया के होने के स्थान का बोध होता है, वे शब्द स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। स्थानवाचक क्रिया के दो प्रकार हैं:–

+ स्थितिवाचक : जैसे – कहाँ, आगे, पीछे, सामने, नीचे आदि।
+ दिशावाचक : जैसे – अलग, बाएँ, आर–पार आदि।

ख) कालवाचक क्रिया विशेषण :– जो शब्द पद क्रिया के होने के काल या समय की विशेषता का बोध कराता है, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए - कल, वह शिमला जाएगा। कालवाचक क्रिया विशेषण के तीन प्रकार हैं :-

+ कालवाचक या समयवाचक : कल, कब, प्रातः, सांय आदि।
+ अवधिवाचक : आजकल, दिनभर, निरन्तर आदि।
+ बारंबारता वाचक : बार-बार, प्रतिदिन, कई बार आदि।

ग) परिमाणवाचक क्रिया विशेषण : जो अव्यय शब्द क्रिया के परिणाम या मात्रा का बोध कराते हैं, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए (1) थोड़ा खाओ, खूब चबाओ। (2) मैं गया हूँ।

घ) रीतिवाचक क्रिया विशेषण :– जिन अव्यय शब्दों से क्रिया के होने की रीति अथवा विधि की विशेषता का बोध होता है, उन्हें रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे - (1) राम धीरे-धीरे चलता रहा। (2) आप कहिए मैं ध्यानपूर्वक सुन रहा हूँ।

9.3 सम्बन्धबोधक अव्यय

वाक्य में जो अव्यय (अविकारी) संज्ञा या सर्वनाम के पीछे या बाद लगता है और उसका सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ प्रकट होता है, अन्य शब्दों में, जिन शब्दों के द्वारा वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध दूसरे शब्दों के साथ में प्रकट होता है, उसे सम्बन्धबोधक अव्यय कहते हैं।

जैसे- (क) तुम्हारा रेडियो अशोक के पास है। (ख) रमेश घर के बाहर है।

इन वाक्यों में 'के पास' 'के बाहर' शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के बाद हुआ है और ये सम्बन्ध बोधक अव्यय शब्द हैं।

प्रयोग के आधार पर सम्बन्धबोधक अव्यय के दो भेद हैं:-

(क) सम्बद्ध सम्बन्ध बोधक।

(ख) अनुबद्ध सम्बन्ध बोधक।

क) सम्बद्ध सम्बन्ध बोधक – वे शब्द जिनका वाक्य में विभक्ति चिन्ह के साथ प्रयोग होता है सम्बद्धसम्बन्धवोधक कहे जाते है, जैसे - चाय के बिना, उसकी अपेक्षा, कोयल की तरह, मन्दिर के चारों और इत्यादि।

उसके विभक्ति चिन्ह 'के' 'की' का प्रयोग सम्बन्ध बोधक शब्द से पहले होता है।

ख) अनुबद्ध सम्बन्ध बोधक – अनुबद्ध सम्बन्ध बोधक अव्यय में विभक्ति चिन्हों का प्रयोग नहीं होता, ये बिना विभक्ति के आते हैं, जैसे - मन्दिर तक, पुत्र समेत आदि।

9.4 समुच्चयबोधक अव्यय

जो अव्यय दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यों उपवाक्यों या वाक्यांश को परस्पर जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चयबोधक अव्यय कहते हैं। उदाहरण के लिए -

(क) रमेश और धर्मवीर विद्यालय जाते हैं।

(ख) मैं या मेरा भाई बाजार जाएंगे।

इन वाक्यों में 'और' 'या' शब्द समुच्चयबोधक अव्यय हैं क्योंकि परस्पर दो शब्द वाक्याँश जोड़ रहे हैं। समुच्चयबोधक अव्यय के मुख्य दो भेद हैं:-

क) समानाधिकरण समुच्चयबोधक – जो अव्यय शब्द समान स्तर के स्वतंत्र वाक्यों उपवाक्यों के जोड़ते हैं, उन्हें समानाधिकरण समुच्चयबोधक कहते हैं, यथा - और, परन्तु आदि।

वाक्य प्रयोग की दृष्टि से -

+ मैं तो पढ़ना चाहता हूँ, परन्तु समय नहीं मिलता है।

+ पिता जी कल आए और आज लौट गए।

उपर्युक्त वाक्यों में 'परन्तु' 'और' शब्द दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, अतः समानाधिकरण समुच्चयबोधक हैं।

ख) व्याधिकरण समुच्चयबोधक – जो अव्यय एक वाक्य में एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं, वे व्याधिकरण समुच्चयबोधक अव्यय कहलाते हैं। उदाहरण के लिए - यदि, क्योंकि, ताकि, अर्थात् आदि।

वाक्य प्रयोग की दृष्टि से -

(1) यदि अशोक परिश्रम करता तो अवश्य पास हो जाता

(2) आप आ जाओ ताकि समय से कार्यवाही हो सके।

9.5 विस्मयादिबोधक अव्यय

ये अव्यय (अधिकारी) शब्द जिन से वक्ता के मानसिक हर्ष, शौक, तिरस्कार, घृणा, आदि भावों को अभिव्यक्ति या भाव मालूम होता है, उन्हें विस्मयादिबोधक अव्यय कहते हैं। यथा-

+ वाह ! मजा आ गया।

+ अरे ! यह तो अनर्थ हो गया।

+ हाय ! तूने यह क्या कर डाला।

इन वाक्यों में वह, अरे, हाय विस्मयादि बोधक अव्यय हैं।

भाव के आधार पर विस्मयादि बोधक शब्द का प्रयोग भिन्न-भिन्न प्रकार से किया जाता है, जिनका वर्णन इस प्रकार से है। यथा -

+ हर्ष बोधक	-	वाह ! आहा! शबाश!आदि।
+ शोक बोधक	-	हाय राम!बाप रे! आहा! आदि।
+ अनुमोदन बोधक	-	ठीक! अच्छा! आदि।
+ तिरस्कार बोधक	-	रे!हे! आदि।
+ सम्बोधन बोधक	-	रे!हे!अरे! आदि।
+ स्वीकार बोधक	-	बहुत अच्छा !जी हां! आदि।
+ आर्शीवाद बोधक	-	जीते रहो! खुश रहो! आदि।
+ चेतावनी बोधक	-	अरे! होशियार् आदि।

9.6 निपात (अवधारणामूलक) अव्यय

जो अव्यय किसी शब्द पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल या भाव पैदा करने में सहायता करते हैं, उन्हें निपात या अवधारणामूलक अव्यय कहते हैं, जैसे -

(क) अशोक दिल्ली ही जा रहा है।

(ख) वह फुटबाल भी खेलता है।

(ग)राम पढ़ता तो है परन्तु सफल नहीं होता।

इन वाक्यों में 'ही' 'भी' 'तो' शब्दों का प्रयोग वाक्यों के अर्थ में विशेष बल या भाव पैदा करने में सहायता कर रहा है। अतः यह शब्द निपात या अवधारणा मूलक है।

इस प्रकार स्पष्ट है कि अव्यय शब्दों का व्याकरण में विशेष महत्त्व है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. अव्यय का दूसरा नाम क्या है ?

प्र. 2. क्रिया विशेषण कितने प्रकार के होते हैं ?

प्र. 3. 'वाह! मजा आ गया।' वाक्य में कौन सा अव्यय है ?

9.4 सारांश

क्रियाविशेषण एक वाक्य में यह वर्णन करके संदर्भ प्रदान करते हैं कि कोई चीज कैसे, कब, कही और किस हद तक घटित होती है। क्रियाविशेषणों का उपयोग क्रियाओं, विशेषणों और यहाँ तक कि अन्य क्रिया विशेषणों को संशोधित करने के लिए किया जा सकता है। उदाहरण: क्रियाओं, विशेषणों और क्रियाविशेषणों को संशोधित करने वाले क्रियाविशेषण जैसे रीता ने धीरे-धीरे नृत्य किया। अत: क्रियाविशेषण वह शब्द है, जिससे क्रिया की विशेषता का पता चलता है। प्राय: इसका प्रयोग वाक्य में क्रिया से तुरंत पहले किया जाता है। यह अविकारी शब्द है अर्थात् इसमें लिंग, वचन, कारक कोई परिवर्तन नहीं आता है। यह हमेशा अपने मूल रूप में प्रयुक्त होता है।

9.5 कठिन शब्दावली

अवतरण चिहन - उदाहरण

लुप्त - अदृश्य

सस्वर वाचन - अनुकरण करना

अनुतान - सुर के उतार-चढ़ाव

सादृश्य - समानता

9.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

उ. 1. अविकारी

उ. 2. चार

उ. 3. विस्मयबोधक अव्यय

9.7 संदर्भित पुस्तकें

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी, हिन्दी भाषा की संरचना, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

2. डॉ. बदरीनाथ कपूर, परिष्कृत हिन्दी व्याकरण, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

9.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. क्रियाविशेषण अव्यय के उपभेदों पर उदाहरण सहित प्रकाश डाले ?

प्र. 2. संबंधबोधक अव्यय को उदाहरण सहित स्पष्ट करें।

प्र. 3. निपात (अवधारणामूलक) अव्यय का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।

*****

इकाई – 10
उपसर्ग एवं प्रत्यय

संरचना

10.1 भूमिका

10.2 उद्देश्य

10.3 उपसर्ग

- संस्कृत के उपसर्ग
- हिन्दी के उपसर्ग
- अरबी के उपसर्ग

स्वयं आकलन प्रश्न-1

10.4 प्रत्यय

- कृत प्रत्यय
- तच्दित प्रत्यय

स्वयं आकलन प्रश्न-2

10.5 सारांश

10.6 कठिन शब्दावली

10.7 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

10.8 संदर्भित पुस्तकें

10.9 सात्रिक प्रश्न

10.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने अव्यय एवं उसके उपभेदों का गहन अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम उपसर्ग एवं प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम हिन्दी एवं संस्कृत के प्रमुख उपसर्गों तथा प्रत्यय के विभिन्न प्रकारों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

10.2 उद्देश्य

इकाई दस का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि -

1. उपसर्ग क्या होता है ?
2. हिन्दी के प्रमुख उपसर्ग कौन-कौन से हैं ?
3. प्रत्यय क्या है ?
4. प्रत्यय के प्रमुख रूप कौन-कौन से हैं ?
5. उपसर्ग किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए।

10.3 उपसर्ग

उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं, जो किसी मूल शब्द के पूर्व में लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं अथवा विलोम कर देते हैं; जैसे-

वि + हार	=	विहार (अर्थ परिवर्तन)
वि + ज्ञान	=	विज्ञान (अर्थ परिवर्द्धन)
अप + मान	=	अपमान (अर्थ विलोम)

यहाँ प्रथम उदाहरण में **हार** शब्द जिसका अर्थ पराजय अथवा माला है, में जब **वि** उपसर्ग जुड़ जाता है, तब नए शब्द विहार का अर्थ निकलता है–भ्रमण। भ्रमण अर्थ मूल शब्द 'हार' के अर्थ से अलग परिवर्तित अर्थ देता है। दूसरे उदाहरण में **ज्ञान** शब्द में जब **वि** उपसर्ग जुड़ जाता है, तब नया बना शब्द **विज्ञान** विशिष्ट ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है। इसी प्रकार तीसरे उदाहरण में **मान** शब्द जो सम्मान के अर्थ में प्रयुक्त होता है। अप उपसर्ग से जाने पश्चात् बेइज्जती के अर्थ में प्रयुक्त होने लगता है।

उपसर्ग के संबंध में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए: –

- उपसर्ग शब्दांश होता है तथा मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है।
- हिंदी भाषा में संस्कृत, हिंदी, उर्दू–फारसी तथा अंग्रेजी के उपसगों का प्रयोग होता है।
- उपसर्ग अर्थ परिवर्तन, अर्थ परिवर्द्धन तथा अर्थ विलोम के साघन है।
- उपसर्ग जिस भाषा का होता है, उसी भाषा के शब्द के पूर्व लगता है

1. संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत भाषा के 22 उपसर्ग हैं

	उपसर्ग	**अर्थ**	**शब्द**
1.	अति	अधिक	अतिरिक्त, अत्यंत, अतिक्रमण, अत्युत्तम, अत्याचार, अतिकोमल अतिशय, अत्यंत, अत्यधिक, अत्याधुनिक, अल्यल्प।
2.	अधि	श्रेष्ठ, ऊपर	अधिनायक, अधिकार, अध्यादेश, अधिपति, अधिकृत, अधिकरण, अधिवास, अधीश।
3.	अनु	पीछे गौण, समान, बाद में आने वाले	अनुज, अनुचर, अनुगामी, अनुराग, अनुकूल, अनुसार, अनुभूति, अनुगमन, अनुसंधान, अनुकरण, अनुभव, अनुरोध।
4.	अप	बुरा, हीन	अपयश, अपवाद, अपशब्द, अपकार, अपहरण, अपमान, अपव्यय, अपशकुन।
5.	अभि	सामने, ओर, अधिक	अभिनव, अभिभावक, अभिमुख अभिवादन, अभिमान, अभियान, अभियोग, अभिज्ञान, अभिशाप, अभीष्ट, अभिप्राय।
6.	अव	बुरा, हीन, नीचे	अवतार, अवनति, अवगुण, अवचेतन, अवशेष, अवतरण अवकाश, अवमूल्यन।
7.	आ	तक, समेत, पूर्णता का सूचक	आरक्षण, आमरण, आदान, आगमन, आहार, आक्रमण, आजीवन, आजन्म।
8.	उत्	ऊँचा, श्रेष्ठ, ऊपर	उन्नति, ..., उत्थान, ... उन्नयन, ..., उत्पति, उच्चारण, उत्कर्ष।
9.	उप	निकट, समान, गौण छोटा, सहायक	उपसर्ग, ... उपकार,...... उपस्थित, उपचार, उपप्रधानाचार्य, उपहार, उपयोग उपनगर, उपकरण, उपकृत
10,11.	दुस/दुर	बुरा, कठिन	दुर्घटना, दुराग्रह, दुस्साहस, दुष्कर, दुर्नाम, दुर्दिन, दुभर, दुस्साध्य, दुष्कर्म।
12.	निर्	रहित, निषेध, बिना	निर्जन, निर्दय, निरंतर, निर्वाह, निर्भय, निडर, निराभिमानी, निराश, निष्कलंक।
13.	निस्	रहित, पूरा	निस्तार, निस्सार, निष्काम, निष्कपट, निश्छल, निस्तेज, निश्चय, निश्चल।
14.	नि	नीचे, निषेध	निरोध, निवास, ... निवारण, निषेध, ..., निपात, नियम, निकुल, नियुक्त।

15.	परा	विपरीत, नाश	पराजय, पराभव, पराक्रम, परामर्श, पराधीन, पराभूत, ... पराकाष्ठा।
16.	परि	चारों ओर	परिणाम, परिक्रमा, परीक्षा, परिचालक, परिष्कार, परिकल्पना, परिचायक, परिपक्व, परिपूर्ण, परिचय, परिणय।
17.	प्र	अधिक आगे	प्रकार, प्रगति, प्रसार, प्रचार, प्रस्थान, प्रेरणा, प्रक्रिया, प्रवाह, प्रमाण, प्रहार, प्रताप, प्रभाव, प्रसिद्धि, प्रयत्न, प्रबल।
18.	प्रति	विरुद्ध, सामने	प्रतिकार, प्रतिकूल, प्रतिध्वनि, प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष, प्रतिरूप, प्रतिरोध, प्रतिवादि।
19.	वि	विशिष्ट, भिन्न	विकार, विवाद, विदेश, विनाश, वियोग, विरोध, विकल, विभाग, विशुद्ध, विराम।
20.	सम् (सं)	पूर्णता, साथ, सम्यक, समकालिक	संयम, संशय, संभव, संकल्प, संगति, संजय, संग्राम, संतुलन, संन्यासी, सम्मेलन, संरक्षण, संसाधन संशोधन।
21.	सु	अच्छा	सुगम, सुभावन, सुलभ, सुराग, सुराज, सुपुत्र, सुकर, सुदूर, सुपथ, सुफल, सुजन, सुशील, सुयोग, सुव्यवस्थित।
22.	अपि	–	अपिधान (ढक्कन)

2. हिन्दी के उपसर्ग

	उपसर्ग	अर्थ	शब्द
1.	अ	अभाव	अज्ञान, अविविद्या, अकाल, अबाध, अधर्म, अहिंसा, असाध्य, अचर, अन्याय, असुन्दर।
2.	अधः	नीचे के अर्थ में	अधोगति, अधःपतन, अधोलिखित, अधोमुखी, अधोपतन, अधस्थल।
3.	अन्	अभाव के बिना	अनर्थ, अनायास, अनादि, अनुचित, अनिच्छा, अनन्त, अनाचार, अनागत।
4.	अलम्	बहुत	अलंकार, अलंकरण।
5.	कु	बुरा	कुचाल, कुचक्र, कुचैला।
6.	दु	कम, बुरा	दुर्बल, दुबला दुरात्मा, दुर्व्यवहार।
7.	नि	कमी	निकम्मा, निगोड़ा, निडर, निहत्था
8.	औ	हीन,	औगुन, औघड़, औसर, निषेध औसन।
9.	भर	पूरा	भरपूर, भरपेट, भरसक, भरमार।
10.	सु	अच्छा	सुलेख, सुजान, सुघड़, सुफल।
11.	अध	आधा	अधपेट, अधकच्चा, अधपका, अधमरा।
12.	उन	एक कम	उनतीस, उनसठ, उनहत्तर।
13.	पर	दूसरा, बाद	पराया, परलोक, परोपकार, परसर्ग।
14.	बिन	बिना, निषेध	बिनब्याहि, बिनबादल, बिनबोए, बिनगए।
15.	चिर	बहुत देर	चिरकाल, चिरआयु, चिरकुमार, चिरंजीवी।
16.	तिरस्	निषेध	तिरोभाव, तिरोहित, तिरस्कार।
17.	पुनः	फिर	पुनर्विवाह, पुनर्गमन, पुनर्मिलन, पुनरुत्थान।

18.	पुरस्	सामने	पुरस्कार, पुरस्कर्ता।
19.	प्राक्	पहले	प्राक्कथन, प्राग्वैदिक प्रागैतिहासिक
20.	बहिस्	बाहर	बहिस्कार, बहिर्मुखी वहिरंग, वहिर्गमन।
21.	सत्	सच्चा	सत्पुरुष, सदगति, सदाचार, सत्कर्म
22.	सम्	समान	समकालीन, समकालिक समकोण।
23.	सह	साथ	सहपाठी, सहचर, सहगान, सहगमन।
24.	स्व	अपना	स्वराज्य, स्वदेश, स्वतंत्र. स्वभाव, स्वजन।
25.	स्वयं	अपना	स्वयंवर, स्वयंसेवक।

3. अरबी – फारसी के उपसर्ग –

	उपसर्ग	अर्थ	शब्द
1.	ब	के साथ	बगैर, बखूबी, बनाम।
2.	बा	साथ	बकायदा, बाअदव, बावजूद।
3.	बे	बिना	बेघर, बेहोश, बेईमान, बेवपफा, बेसमझ।
4.	बद	बुरा	बदनाम, बदमाश, बदचलन, बतमीज।
5.	खुश	अच्छा	खुशहाल, खुशकिस्मत, खुशनसीब।
6.	ना	अभाव	नाखुश, नासमझ, नाचीज, नालायक।
7.	ला	नहीं, अभाव	लाइलाज, लापरवाह, लाजवाब, लापता।
8.	हम	आपस में, साथ	हमसफर, हमउम्र, हमनाम, हमराज।
9.	हर	प्रत्येक	हरचीज, हरदिल, हरहाल, हररोज, हरघड़ी।
10.	कम	थोड़ा	कमसमझ, कमबख्त, कमअक्ल, कमउम्र।
11.	दर	में	दरगुजर, दरअसल, दरमियान, दरकार।
12.	सर	मुख्य	सरपंच, सरताज।

4. अंग्रेजी के उपसर्ग –

	उपसर्ग	अर्थ	शब्द
1.	डिप्टी	उप	डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलक्टर।
2.	हेड	मुख्य	हेडमास्टर, हेड कांस्टेबल, ...
3.	सब	उप	सब – डिविजन, सब – इंस्पेक्टर, सब – जज।
4.	हाफ	अर्थ	हाफ पैंट, हाफ टाइम, हाफ इयरली।
5.	वाइस	उप	वाइस प्रिंसिपल, वाइसचांसलर।
6.	सेमी	पूर्व, मिला – जुला	सेमी फाइनल, सेमी गवर्नमेंट।
7.	जनरल	सामान्य	जनरल मैनेजर, जनरल बॉडी।
8.	चीफ	मुख्य	चीफ मिनिस्टर, चीफ इंजीनियर।

एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग

कुछ शब्दों में एक से अधिक उपसगों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ–

असुरक्षित	=	अ	+	सु	+	रक्षित
अनासक्ति	=	अन्	+	आ	+	सक्ति
सुसंगठित	=	सु	+	सम्	+	गठित
पर्यावरण	=	परि	+	आ	+	वरण
व्याकरण	=	वि	+	आ	+	करण
समाचार	=	सम्	+	आ	+	चार
समालोचना	=	सम्	+	आ	+	लोचना
अप्रत्यक्ष	=	अ	+	प्रति	+	अक्ष
अनियंत्रित	=	अ	+	नि	+	यन्त्रित

स्वयं आकलन प्रश्न–1

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग होते हैं ?

प्र. 2. वे शब्दांश जो शब्द के पूर्व में लगकर अर्थ बदल दें, क्या कहलाते हैं ?

10.4 प्रत्यय

प्रत्यय शब्द प्रति + अय शब्दों के मेल से बना है जिसका अर्थ है पीछे चलना। प्रत्यय वे शब्दार्थ होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, जैसे बढ़ा + आपा बुढ़ापा। यहां 'आपा' प्रत्यय है।

प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं -

(1) कृत प्रत्यय (2) तद्धित प्रत्यय

प्रत्यय के संदर्भ में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए -

- प्रत्यय शब्दांश होता है तथा मूलशब्द के अंत में जुड़कर नए शब्द का निर्माण करता है।
- प्रत्येक क्रमश: 'कृत' एवं 'तद्धित' दो प्रकार के होते हैं।
- हिन्दी भाषा में संस्कृत, हिन्दी व उूर्द–फारसी के प्रत्यय प्रस्तुत होते हैं।

1. कृत प्रत्यय– वे प्रत्यय, जो क्रिया के धातुरूप के बाद लगकर संज्ञा एवं विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। कृत प्रत्यय से बने शब्दों को कृदंत कहा जाता है, जैसे –पठ +अनीय पठनीय।

1. कृत प्रत्ययों के कुछ प्रमुख उदाहरण

	प्रत्यय	शब्द रचना
1.	अक	अध्यापक, पाठक, नायक, कारक, लेखक।
2.	हार	होनहार, पालनहार, सृजनहार।
3.	ऐया	गवैया, खिवैया, नचैया।
4.	ओड़ा	भगोड़ा, गपोड़ा, हँसोड़ा।
5.	अ	काम, क्रोध, जय, वाद, वेद।
6.	अन	गमन, तरण, दान, बंधन।
7.	अना	घटना, रचना, वेदना, सूचना।

8.	आ	इच्छा, चिंता, पूजा, रक्षा।
9.	इ	कृचि, रुचि, शुचि।
10.	ति	कृति, शक्ति, वृद्धि, सृष्टि, स्तुति, स्मृति।
11.	न	प्रश्न, यत्न, स्वप्न।
12.	या	क्रिया, चर्या, विद्या, मृगया।
13.	सा	जिज्ञासा, पिपासा, मीमांसा।
14.	अंत	गढ़त, भिड़ंत, रटंत, लड़ंत।
15.	आई	खुदाई, पढ़ाई, लड़ाई, चढ़ाई, सिलाई, कमाई।
16	आन	उड़ान, ढलान, मिलान, लगान।
17.	आव	खिंचाव, घटाव, घुमाव, जमाव, छिड़काव।
18.	आवट	थकावट, दिखावट, मिलावट, रुकावट।
19.	आहट	घबराहट, चिल्लाहट, बिलबिलाहट।
20.	ई	घुड़की, धमकी, बोली, हँसी।
21.	त	खपत, बचत, रंगत।
22.	ती	गिनती, घटती, चुकती, बढ़ती।
23.	नी	कटनी, कघनी, करनी, चटनी, भरनी।
24.	उ	बंधु।
25.	ऊ	रट्टू, खाऊ, उड़ाऊ।
26.	उक	भिक्षुक, मनोचिकित्सक।
27.	ता	अभिनेता, दाता, नेता।
28.	त्री	अभिनेत्री, दात्री, कत्री, नेत्री।
29.	दार	देनदार, लेनदार।
30.	आक	उड़ाक, तैराक।
31.	आकू	लड़ाकू, पढ़ाकू।
32.	अक्कड़	पियक्कड़, भुलक्कड़, घुम्मकड़, बुझक्कड़।
33.	इया	जड़िया, धुनिया, नचइया।
34.	ना	खाना, बिछौना।
35.	वाला	आनेवाला, जानेवाला, बोलनेवाला, धोनेवाला।
36.	अनीय	करनीय, निंदनीय दर्शनीय।
37.	आलु	कृपालु, शंकालु।
38.	तव्य	कर्तव्य, उद्देश्य, ज्ञातव्य, डेटाव्य, नियतव्य।
39.	मान	उदीयमान, विद्यमान, सेव्यमान।

40.	य	कार्य, कर्तव्य, निन्द्य, भोजन, पूज्य।
41.	वाली	नाचनेवाली, आनेवाली, जानेवाली।
42.	अऊ	टिकाऊ, जड़ाऊ, उड़ाऊ।
43.	आड़ी	खिलाड़ी।
44.	इयल	सड़ियल, अड़ियल।
45.	ऐत	चढ़ैत, लठैत।
46.	आप	मिलाप, विलाप।
47.	आवा	भुलावा, बुलावा।

● **संस्कृत के कृत प्रत्यय जिनका हिन्दी में प्रयोग होता है–**

	प्रत्यय	**शब्द रचना**
1.	अन	गमन, भवन, जलन, चलन, श्रवण, करण।
2.	अनीय	पठनीय, गोपनीय, करणीय।
3.	अना	भावना, वन्दना, प्रार्थना, कामना।
4.	आ	पूजा, इच्छा, विद्या।
5.	ई	त्यागी, उपकारी।
6.	ऐया	शैय्या।
7.	क	पाठक, सेवक, गायक, चालक, कारक।
8.	ता	नेता, दाता, कर्ता, वक्ता, विक्रेता, अभिनेता।
9.	ति	गति, मति, यति, शक्ति, नीति।
10.	य	देय, गेय, पेय।
11.	र	नम्र, हिंस्र।
12.	व्य	कर्तव्य, मंतव्य, गंतव्य।
13.	स्थ	गृहस्थ, स्वस्थ, दूरस्थ।

2. तद्धित प्रत्यय– तद्धित प्रत्यय वे होते हैं, जो क्रिया के अतिरिक्त अन्य पदों (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अव्यय) के पीछे लगकर प्रायः संज्ञा या विशेषण शब्द बनाते हैं

जैसे इया = डिब्बा + इया डिबिया

पन = बच्चा + पन बचपन आदि।

	तद्धित प्रत्यय	शब्द रचना
1.	अ	गौरव, कौशल, यौवन, लाघव।
2.	इमा	गरिमा, महिमा, लघिमा, रक्तिमा।
3.	ता	आवश्यकता, सुंदरता, जटिलता, स्पष्टता।
4.	त्व	एकत्व, गुरुत्व, लघुत्व, व्यक्तित्व, सतीत्व।
5.	य	धैर्य, पांडित्य, स्वास्थ्य।
6.	आ	चूरा, झौंका, खटका।
7.	आई	चतुराई, बुराई, अच्छाई, चिकनाई।
8.	आन	ऊँचान, निचान।
9.	आपा	खटास, मिठास।
10.	आहट	कड़वाहट, चिकनाहट,
11.	ई	खेती, चोरी, घंटी, रस्सी, गुणी, दुखी।
12.	क	कसक, ठंडक, धामक, महक।
13.	नी	चाँदनी, मँगनी।
14.	पन	बचपन, कालापन, लड़कपन।
15.	इया	आढ़तिया, डिबिया, लुटिया, चुटिया।
16.	वाला	घरवाला, टोपीवाला, पैसेवाला, लड़कीवाला।
17.	ऐरा	सँपेरा, चचेरा, फुफेरा।
18.	ड़ा	मुखड़ा, बछड़ा, दुखड़ा।
19.	इक	दैनिक, सामाजिक।
20.	री	कोठरी, भिखारी, पुजारी।
21.	आर	सुनार, लुहार।
22.	वान	गाड़ीवान, कोचवान, धानवान, गुणवान।
23.	कार	पत्रकार, कलाकार।
24.	क	लिपिक, लेखक।
25.	हारा	लकड़हारा, चूड़ीहारा।
26.	ऊ	बाजारू, पेटू, नक्कू।
27.	एलू	घरेलू।
28.	इक	धार्मिक, सामाजिक, नैतिक, ऐतिहासिक।
29.	आना	सालाना, रोजाना, मर्दाना।
30.	ला	पिछला, पिछला, निचला।
31.	इत	अंकित, अंकुरित, अनूदित, कलंकित।
32.	इय	भारतीय, राष्ट्रीय, कमनीय, स्वर्गीय।

33.	इल	तंद्रिल, फेनिल, स्वप्निल।
34.	इष्ठ	गरिष्ठ, पापिष्ठ, श्रेष्ठ।
35.	ईन	कुलीन, ग्रामीण, प्राचीन।
36.	तर	कठिनतर, दृढ़तर, बृहतर।
37.	तम	कठिनतम, दृढ़तम, गुरुतम, लघुतम।
38.	मय	आनंदमय, जलमय, दयामय, शांतिमय।
39.	मान	बुद्धिमान, श्रीमान, शक्तिमान।
40.	य	दंत्य, ओष्ठ्य, तालव्य, मूर्धन्य।
41.	र	मधुर, मुखर, प्रखर।
42.	ल	माँसल।
43.	वी	तपस्वी, मनस्वी, तेजस्वी, मायावी।
44.	आवना	डरावना, लुभावना।
45.	आलू	झगड़ालू, लजालू।
46.	इयलू	मरियल, दढ़ियल।
47.	इला	छबीला, जहरीला, रसीला, गठीला।
48.	ऐल	परैल, दंतैल।
49.	एला	सौतेला, बधोला।
50.	ओड़	हँसोड़, गपोड़।
51.	हरा	इकहरा, दुहरा, चौहरा, सुनहरा।
52.	आका	धमाका, धड़ाका, भड़ाका।
53.	औती	बपौती, बुढ़ौती।
54.	ओला	खटोला, मँझोला।
55.	त्र	सर्वत्र, अन्यत्र, एकत्र।

● **हिंदी भाषा में प्रचलित उर्दू–फारसी के प्रत्ययों के उदाहरण**

	प्रत्यय	शब्द
1.	आना	दोस्ताना, रोजाना, नजराना।
2.	दार	कर्जदार, वपफादार, चमकदार, मजेदार
3.	नाक	खतरनाक, खौफनाक, दर्दनाक।
4.	बंद	हथियारबंद, बख्तरबंद, मोर्चा मोहरबंद।
5.	वर	ताकतवर, नामवर, हिम्मतवर।
6.	वार	घंटेवार, नम्बरवार, उम्मीदवार, माहवार, सिलसिलेवार।
7.	खाना	डाकखाना, दवाखाना, मयखाना।

8.	कार	बेकार, जानकार, दस्तकार, काश्तकार
9.	गर	जादूगर, बाजीगर, रफूगर, कलईगर
10.	गी	बंदगी, मर्दानगी, रवानगी, पेशगी
11.	दान	कमलदान, गुलदान, पानदान, खानदान, कद्रदान।
12.	वान	गाड़ीवान, हाथीवान, कोचवान।
13.	गीर	राहगीर, बगलगीर।
14.	चा	बगीचा, गलीचा।
15.	दानी	मच्छरदानी, चायदानी।
16.	बीन	दूरबीन, तमाशबीन, खोजबीन।
17.	बान	बागबान, दरबान, मेहरबान।
18.	इंद्रा	शर्मिंदा, कारिंदा, दरिंदा।
19.	ईन	रंगीन, शौकीन, नमकीन।
20.	मंद	अक्लमंद, दौलतमंद, जरूरतमंद।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 2

प्र. 1. 'बनैला' शब्द में कौन सा प्रत्यय है ?

प्र. 2. प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं ?

10.5 सारांश

उपसर्ग मुख्य रूप से शब्द के अर्थ को संशोधित करते हैं, जबकि प्रत्यय अधिकतर व्याकरणिक पहलुओं में सहायक होते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ बड़े परिवर्तन के साथ बदल सकता है। प्रत्यय शब्द के काल, कारक, लिंग, वचन आदि को बदल सकते हैं। उपसर्ग बड़े परिवर्तन के साथ नए शब्द बना सकते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्दों के अवयव होते हैं। परंतु उनमें एक विशिष्ट अंतर होता है। उपसर्ग शब्द के पहले लगकर दूसरे शब्द का अर्थ बदल देते हैं, जबकि प्रत्यय शब्द के अंत में लगाकर शब्द का अर्थ बदलता है। इन दोनों के माध्यम से हम शब्दों के अर्थ को परिवर्तित करते हैं।

10.6 कठिन शब्दावली

काकल - स्वर - यंत्र मुख

कवायद - नियम

संगम - पदीय सीमा

स्वन - ध्वनि

मूल - वाचिक

10.7 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न – 1

उ. 1. 22 उपसर्ग

उ. 2. उपसर्ग

अभ्यास प्रश्न – 2

1. ऐला
2. दो प्रकार

10.8 संदर्भित पुस्तकें

1. कामता प्रसाद गुरू, हिन्दी व्याकरण, पवन पॉकेट बुक्स, दिल्ली।
2. श्याम सुंदरदास, भाषा विज्ञान, प्रभाकर प्रकाशन, दिल्ली।

10.9 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. उपसर्ग क्या है, उदाहरण सहित स्पष्ट करें? भेदों पर प्रकाश डालें।

प्र. 2. प्रत्यय क्या है, भेदों को उदाहरण सहित स्पष्ट करें?

*****

इकाई – 11

समास

संरचना

11.1 भूमिका

11.2 उद्देश्य

11.3 समास

11.3.1 समास के भेद

स्वयं आकलन प्रश्न

11.4 सारांश

11.5 कठिन शब्दावली

11.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

11.7 संदर्भित पुस्तकें

11.8 सात्रिक प्रश्न

11.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने उपसर्ग एवं प्रत्यय का गहन अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम समास का अर्थ, परिभाषा एवं उसके भेदों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

11.2 उद्देश्य

इकाई ग्यारह का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि -

1. समास का अर्थ क्या है ?

2. समास की परिभाषा क्या है ?

3. समास के प्रमुख भेद कौन-कौन से हैं ?

11.3 समास

परस्पर संबध रखने वाले दो अथवा अधिक पदों के मेल से उत्पन्न विकार को समास कहते हैं। दो पदों से जुड़कर बना हुआ नया पद समस्त पद कहलाता है। समस्त पद का प्रथम पद पूर्व पद तथा दूसरा पद का उत्तर पद कहलाता है। समस्त पद का विग्रह समास-विग्रह कहलाता है। वस्तुतः समास एक प्रक्रिया का नाम है।

जैसे - नीला है कंठ जिसका

11.3.1 समास के भेद

पदों की प्रधानता एवं गौणता के आधार पर समास के चार भेद हैं :-

समास

अव्ययी भाव	तत्पुरूष समास	द्वंद्व समास	बहुब्रीहि समास
(प्रथम पद प्रधान)	(द्वितीय पद प्रधान)	(दोनों पद पद प्रधान)	(अन्य पद प्रधान)

भेद	उपभेद	अन्य भेद
1. कर्म, त. पु.	1. कर्मधारय त. पु.	1. लय त. पु.
2. करण त. प	2. द्विगु त. पु.	2 अलुक् त. पु.
3. सम्प्रदान तु. पु.		3. मध्यम पद लोपी त. पु.
4. अपादान त. पु.		4. उपपद त. पु.
5. संबंध त. पु.		
6. अधिकरण त. पु.		

अव्ययी भाव समास

जिस समास का पहला पद प्रधान तथा अव्यय हो एवं समास बनने पर समस्त पद भी अव्यय हो जाए, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं जैसे -

	समस्त पद	विग्रह
1.	यथा समय	समय के अनुसार
2.	आजन्म	जन्मभर
3.	यथाबुद्धि	बुद्धि के अनुसार
4.	आजीवन	जीवन भर
5.	भर पेट	पेट भर कर
6.	बाकायदा	कायदे के अनुसार
7.	दिनोंदिन	दिन ही दिन में
8.	आमरण	मरण तक

	समस्त पद	विग्रह
9.	प्रत्येक	प्रति एक
10.	प्रतिवर्ष	प्रति-वर्ष
11.	प्रतिदिन	प्रति-दिन
12.	हरघड़ी	प्रत्येक घड़ी
13.	गलीगली	प्रत्येक गली
14.	बेकाम	बिना काम के
15.	बेखटके	खटके के बिना
16.	रातोंरात	रात ही रात में

तत्पुरूष समास

जिस समास का पहला पद गौण एवं दूसरा प्रधान हो तथा समास बनाने पर दोनों के बीच की विभक्ति का लोप हो जाए उसे तत्पुरूष समास कहते हैं। समास बनाते समय जिस कारक विभक्ति का लोप होता है, उसके आधार पर समास के छह भेद होते हैं -

(क) कर्म तत्पुरूष समास (को) – जिस तत्पुरूष समास को बनाते समय दो पदों के बीच कर्म कारक के चिह्न का लोप हो जाए उसे तत्पुरूष समास कहते हैं जैसे -

	समस्त पद	विग्रह
1.	शरणागत	शरण को पहुँचा हुआ
2.	परलोकगमन	परलोक को गमन
3.	ग्रामगत	ग्राम को गत
4.	स्वर्गगत	स्वर्ग को गत
5.	सुख प्राप्त	सुख को प्राप्त

(ख) करण तत्पुरूष समास (से, के, द्वारा) जिस तुत्पुरूष समास को बनाते समय दो पदों के बीच करण कारक का चिह्न 'से' अथवा 'के' द्वारा को लोप हो जाए उसे कारण तत्पुरूष समास कहते हैं जैसे -

	समस्त पद	विग्रह
1.	भयाकुल	भय से आकुल
2.	हस्तलिखित	हाथ से लिखा हुआ
3.	करुणापूर्ण	करूणा से पूर्ण
4.	रेखांकित	रेखा से अंकित
5.	तुलसीकृत	तुलसी के द्वारा कृत
6.	लेखांकित	लेख से अंकित
7.	सूररचित	सूर द्वारा रचित

(ग) सम्प्रदान तत्पुरूष समास (के लिए) जिस तत्पुरूष समास को बनाते समय दो पदों के बीच सम्प्रदान कारक के चिह्न (के लिए) का लोप हो जाए, उसे सम्प्रदान तत्पुरूष समास कहते हैं जैसे -

	समस्त पद	विग्रह
1.	स्नानघर	स्नान के लिए घर
2.	डाकगाड़ी	डाक के लिए गाड़ी
3.	विद्यालय	विद्या के लिए आलय
4.	रसोईघर	रसोई के लिए घर
5.	गौशाला	गौ के लिए शाला
6.	सत्याग्रह	सत्य के लिए आग्रह
7.	राहखर्च	राह के लिए खर्च
8.	मालगोदाम	माल के लिए गोदाम
9.	गुरूदक्षिणा	गुरू के लिए दक्षिणा
10.	हथघड़ी	हाथ के लिए घड़ी

(घ) अपादान तत्पुरूष समास (से अलग होने के अर्थ में)– जिस तत्पुरूष समास को बनाते समय दो पदों के बीच अपादान कारक के चिह्न (से अलग होने के अर्थ में) का लोप हो जाए, उसे अपादान तत्पुरूष कहते हैं जैसे -

	समस्त पद	विग्रह
1.	गुणहीन	गुण से हीन
2.	पापमुक्त	पाप से मुक्त
3.	भयभीत	भय से भीत
4.	धर्मभ्रष्ट	धर्म से भ्रष्ट
5.	ऋणमुक्त	ऋण से मुक्त
6.	देशनिकाला	देश से निकाला

(ङ) संबंध तत्पुरूष समास (को, के, की)– जिस तत्पुरूष समास को बनाते समय दो पदों के बीच संबंध के चिह्न (का, के, की) का लोप हो जाए उसे संबंध तत्पुरूष समास कहते हैं जैसे -

	समस्त पद	विग्रह
1.	राजमाता	राजा की माता
2.	राजपुरुष	राजा का पुरुष
3.	विश्वास पात्र	विश्वास का पात्र
4.	राजमहल	राजा का महल
5.	राजकन्या	राजा की कन्या
6.	गृहस्वामी	गृह का स्वामी
7.	देशरक्षा	देश की रक्षा
8.	शिवालय	शिव का आलय
9.	घुड़दौड़	घोड़ों की दौड़
10.	सेनानायक	सेना का नायक
11.	युद्धक्षेत्र	युद्ध का क्षेत्र

(च) अधिकरण तत्पुरूष समास (में, पर) जिस तत्पुरूष समास को बनाते समय दो पदों के बीच अधिकरण कारक के चिह्न (में, पर) का लोप हो जाए, उसे अधिकरण तत्पुरूष कहते हैं जैसे -

	समस्त पद	विग्रह
1.	शोकमग्न	शोक में मग्न
2.	धर्मवीर	धर्म में वीर
3.	कलाश्रेष्ठ	कला में श्रेष्ठ
4.	आत्मविश्वास	आत्मा पर विश्वास
5.	दानवीर	दान में वीर

	समस्त पद	विग्रह
6.	घुड़सवार	घोड़े पर सवार
7.	वनवास	वन में वास
8.	स्नेहमग्न	स्नेह में मग्न
9.	ध्यानमग्न	ध्यान में मग्न
10.	ग्रामवास	ग्राम में वास

(छ) कर्मधारय समास – यह समास तत्पुरूष समास का उपभेद है। इसका दूसरा पद प्रधान तथा पहला पद गौण होता है। साथ ही इसके दोनों पदों के बीच उपमान-उपमेय या विशेषण-विशेष्य का संबंध पाया जाता है जैसे -

पीताम्बर - पीले रंग के वस्त्र (विशेषण - विशेष्य)

नीलकंठ - नीले रंग का कंठ (विशेषण - विशेष्य)

राजीव नयन - राजीव (कमल) के समान नयन। (उपमान-उपमेय)

	समस्त पद	विग्रह
1.	चरणकमल	कमल के समान चरण
2.	कनकलता	कनक सी लता
3.	प्राणप्रिय	प्राणों के समान प्रिय
4.	मृगनयन	मृग के समान नयन
5.	देहलता	देह रूपी लता
6.	लालमिर्च	लाल मिर्च
7.	कापुरुष	कायर है जो पुरुष
8.	नीलांबर	नीला है जो अंवर
9.	महादेव	महान् है जो देव

	समस्त पद	विग्रह
10.	कृष्णसर्प	काला है जो साँप
11.	महात्मा	महान् है जो आत्मा
12.	महापुरुष	महान है जो पुरुष
13.	कमलनयन	कमल के समान नयन
14.	चंद्रमुख	चंद्र जैसा मुख
15.	स्त्रीरत्न	स्त्री रूपी रत्न
16.	भुजदंड	दंड के समान भुजा
17.	क्रोधाग्नि	क्रोध रूपी अमृत

(ज) द्विगु समास (को) – यह समास भी तत्पुरूष समास का उपभेद है। इसका भी दूसरा पद प्रधान तथा पहला गौण होता है। साथ ही इसका पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। इसका विग्रह करते समय 'का समूह' या 'समाहार' जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जैसे -

	समस्त पद	विग्रह
1.	चौराहा	चार राहों का समूह
2.	त्रिलोकी	तीन लोकों का समूह
3.	पंचतत्त्व	पाँच तत्वों का समाहार
4.	चवन्नी	चार आनों का समाहार
5.	त्रिवेणी	तीन वेणियों का समाहार
6.	त्रिफला	तीन फलों का समाहार
7.	पंचवटी	पाँच वटों का समूह
8.	त्रिलोक	तीन लोकों का समाहार

	समस्त पद	विग्रह
9.	त्रिकोण	तीन कोणों का समाहार
10.	त्रिभुवन	तीन भवनों का समूह
11.	चौमासा	चार मासों का समूह
12.	पंचतंत्र	पाँच तंत्रों का समूह
13.	दोपहर	दो पहरों का समाहार
14.	षट्रस	छः रसों का समूह
15.	नवनिधि	नौ निधियों का समूह
16.	अष्टसिद्धि	आठ सिद्धियों का समूह

तत्पुरुष समास के अन्य भेद–

(क) नञ तत्पुरुष समास– इस तत्पुरुष समास का पूर्व पद 'न' का भाव उत्पन्न करता है;

जैसे - अछूत = न छूत

अभाव = न भाव

अनहोनी = न होनी।

(ख) अलुक् तत्पुरुष समास– इस तत्पुरुष समास के दोनों पक्षों के बीच की विभक्ति का लोप नहीं होता है

जैसे है - युधिष्ठिर = युद्ध में स्थिर

खेचर = आकाश का चारी

मनसिज = मन में उत्पन्न।

(ग) मध्यम पद लोपी तत्पुरुष समास– इस तत्पुरुष समास में दो पदों के बीच दो से अधिक पदों का लोप होता है

जैसे - दही बड़ा = दही में डूबा हुआ बड़ा

बैलगाड़ी = बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न

प्र. 1. अव्ययीभाव समास का कौन सा पद प्रधान होता है ?

प्र. 2. किस समास का पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेषण होता है ?

प्र. 3. समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है ?

11.4 सारांश

समास का शाब्दिक अर्थ होता है–छोटा रूप ! समास–प्रक्रिया में जिन दो शब्दों को जोड़ा जाता है, उनके अलग–अलग अर्थ होते है और इन दोनों के मेल से एक नया शब्द बनता है; जिसका अर्थ इन दोनों से अलग होता है। दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनने वाले एक सार्थक शब्द को समास कहते हैं।

11.5 कठिन शब्दावली

(1) अभिन्न - एकरूप

(2) रिक्त - खाली

(3) बहुधा - प्राय:

(4) विख्यात - मशहूर

(5) सुमन - फूल

11.6 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

उ. 1. पूर्व पद

उ. 2. कर्मधारय समास

उ. 3. संक्षेप

11.7 संदर्भित पुस्तकें

(1) कामता प्रसाद गुरु, हिन्दी व्याकरण, पवन पॉकेट बुक्स, दिल्ली।

(2) श्यामचन्द्र कपूर, सरल हिन्दी व्याकरण, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

11.8 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. समास का अर्थ बताते हुए उनकी परिभाषा पर विचार कीजिए।

प्र. 2. समास का अर्थ बताते हुए उसके भेदों का वर्णन करें।

****

इकाई – 12
पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

संरचना

12.1 भूमिका

12.2 उद्देश्य

12.3 पर्यायवाची शब्द

स्वयं आकलन प्रश्न – 1

12.4 विलोम शब्द

स्वयं आकलन प्रश्न – 2

12.5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द

स्वयं आकलन प्रश्न – 3

12.6 सारांश।

12.7 कठिन शब्दावली

12.8 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

12.9 संदर्भित पुस्तकें

12.10 सात्रिक प्रश्न

12.1 भूमिका

पिछले इकाई में हमने समाज एवं उसके भेदों का गहन अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का विस्तारपूर्वक गहन अध्ययन करेंगे।

12.2 उद्देश्य

इकाई बारह का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. पर्यायवाची शब्द क्या है ?

2 विलोम शब्द क्या है ?

3 अनेक शब्दों के लिए अनेक शब्द क्या होते हैं ?

4 विलोम एवं विपरीतार्थक शब्दों में क्या अंतर है ?

12.3 पर्यायवाची शब्द

जब अनेक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराते हैं, तब ये सभी शब्द आपस में पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे अश्व, हय, तुरंग, घोड़ा। पर्यायवाची शब्दों को समानार्थी शब्द भी कहा जाता है।

पर्यायवाची शब्दों के उदाहरण

अग्नि	–	आग, पावक, हुताशन, वहिन, वैश्वानर।
अमृत	–	पीयुष, सुधा, अमिय, सोम।
अश्व	–	घोड़ा, वाजी, हय, तुरंग, सैंधव।
असुर	–	दनुज, दानव, दैत्य, राक्षस, निशाचर, रजनीचर, तमीचर।
आँख	–	चक्षु, नेत्र, लोचन, नयन, दृग, अक्षि।
आकाश	–	गगन, व्योम, नभ, अम्बर, शून्य, आसमान, अंतरिक्ष।

कपड़ा – वस्त्र, पट, चीर, वसन, अंबर।

इंद्र – सुरपति, देवेन्द्र, सुरेंद्र, देवराज, शचीपति, शक्र, मधवा, पुरंदर।

ईश्वर – भगवान, ईश, परमात्मा, परमेश्वर, जगन्नाथ जगदीश, प्रभु।

कमल – जलज, नीरज, वारिज, पद्म, राजीव, कंज, पंकज, इंदीवर।

कामदेव – अनंग, मनोज, मनसिज, मदन, काम, पंचशर मनमथ, कदर्प, रतिपति।

कृष्ण – घनश्याम, मोहन, केशव, माधव, वासुदेव, गिरिधर, गोपाल।

गणेश – गजानन, गजवदन, लम्बोदर, विनायक, गणपति भवानीनंदन।

गंगा – देवनदी, सुरसरिता, भागीरथी, जाह्नवी, देवपगा, विष्णुप्रिया।

घर – गृह, आलय, सदन, निकेतन, धाम, गेह, मंदिर।

अहंकार – घमंड, अभिमान, दम्भ, दर्प।

अंधेरा – अंधकार, तम, तिमिर, ध्वान्त।

अतिथि – अभ्यागत, मेहमान, पाहुना, आगन्तुक।

अनाज – अन्न, धान्य, शस्य।

आनन्द – प्रसन्न्ता, हर्ष, उल्लास, खुशी।

आभूषण – गहना, भूषण, अलंकार, जेवर।

उत्साह – उमंग, जोश।

उन्नति – उत्थान, अभ्युदय, उत्कर्ष, विकास, वृद्धि।

उपचार – इलाज, चिकित्सा।

उद्यान – उपवन, कुसुमाकर, बगीचा, बाग, वाटिका।

ओष्ठ – अधर, होंठ।

अनुपम – अद्वितीय, अपूर्व, अनोखा, निराला।

आज्ञा – आदिश, हुक्म, निर्देश।

आक्रमण – हमला, चढ़ाई, अभियान, धावा।

अपमान – अनादर, तिरस्कार, निरादर, अवमानना, अवहेलना।

अनुचर – सेवक, दास, भृत्य, चाकर।

अरण्य – कानन, कान्तार, जंगल, वन।

कन्दरा – गुफा, खेह, गुहा।

कोयल – पिक, कोकिल, परभृत, वसन्तदूत।

किरण – मरीचि, मयूख, कर, रश्मि, अंशु।

चंद्र – शशि, सुधांशु, राकापति, राकेश, निशाकर, रजनीपति।

जल – पानी, अंबु, नीर, वारि, सलिल, जीवन, तोय, पय।

तलवार – खड्स, असि, करवाल, शमशीर, चन्द्रहास।

तालाब – सर, सरोवर, तड़ाग, जलाशय, ताल।

नदी – तरंगिणी, सरिता, तटिनी, सरित, निर्झरिणी।

पक्षी – विहग, द्विज, अंडज, विहग, खग, नभचर, परवेरू।

पति	–	स्वामी, नाथ, भर्ता, कांत, वर, वल्लभ।
पत्नी	–	वधू, भार्या, दारा, बल्लभा, वामांगी, गृहिणी, सहधर्मिणी।
पर्वत	–	अचल, भूधर, महाड़, महीधर, नग, शैल, गिरि, भूमिधर।
....	–	मराल, कलकंठ।
...	–	पार्थ, गुडाकेश, धनन्जय।
....	–	खजाना, भण्डार, निधि।
कौआ	–	काक, वायस, काग।
किनारा	–	तट, तीर, कगार, कूल।
गाय	–	गौ, धेनु, सुरभि।
घोड़ा	–	सैन्धव, हय, तुरंग, अश्व, वाजि, घोटक।
....	–	ज्योत्सना, कौमदी. चन्द्रिका।
जंगल	–	विपक्ष, कानन, कांतार, अरण्य, वन।
जीभ	–	जिह्वा, रसना, जबान।
झण्डा	–	ध्वजा, पताका, वैजयंती, फरहरा।
तारा	–	नखत, तारिका, उडु, तारक, नक्षत्र।
दुष्ट	–	खल, दुर्जन, पामर, शठ।
दूध	–	पय, दुग्ध, गोरस, क्षीर।
दिन	–	दिवा, वार, वासर, दिवस।
वसंत	–	वधु, माधव, ऋतुराज, कुसुमाकर, मधुन।
विष्णु	–	हरि, कमलेश, पद्मनाभ, रमापति, श्री श्रीपति, चक्रधर।
वीर	–	योद्धा, सूरमा, पराक्रमी, शूरी।
शरीर	–	काया, तनु, कलेवर, अंग, वपु, जिस्म।
सरस्वती	–	वीणापाणि, निरा, शारदा, वाग्देवी, हंसवाहिनी, वीणावादिनी।
सिंह	–	शेर, हरि, केसरी, शार्दूल, व्याघ्र, केहरी, मृग, मृगराज।
स्वर्ग	–	इन्द्रलोक, बैकुण्ठ, सूरलोक, देवलोक।
साँप	–	नाग, फणी, व्याल, सर्प, अहि, भुजंग, विषधर।
संसार	–	विश्व, जगत, जग, दुनिया, भव।
सुगंधि	–	सौरभ, सुरभि, महक, खुशबू।
हाथ	–	हस्त, कर, पाणि।
हिरण	–	कुरंग, सारंग, मृग।
हाथी	–	दंती, कुञ्जर, द्विरद, द्विप, मतंग, हस्ति, करी।
हनुमान	–	अञ्जनिनन्दन, कपीश्वर, पवनसुत, महाबली, बजरंगबली।
दुख	–	कष्ट, क्लेश, वेदना, पीड़ा।
गीदड़	–	श्रृंगाल, सियार, जंबूक ।
ग्रीष्म	–	गर्मी, ताप, निदाघ, धाम।

चमक	–	आभा, दमक, दीप्ति, द्युति, कान्ति।
चोट	–	आघात, घाव, व्रण।
छाया	–	परछाई, प्रतिकृति, प्रतिबिंब।
जमुना	–	यमुना, कालिंदी, दुष्कृत्य, पातक।
पाप	–	अध, अधर्म, दुष्कृत्य, पातक।
धनुष	–	शरासन, कार्मुक, कोदंड, चाप।
पार्वती	–	भवानी, उमा, गौरी, गिरिजा, शैलजा, अम्बा, सर्वमंगला।
पत्थर	–	पाषाण, उपल, पाहन, अस्तर, अश्म।
प्रकाश	–	उजाला, ज्योति, द्युति, आलोक।
पुत्री	–	तनया, तनुजा, दुहिता, पुत्रिका, आत्मजा, सुता, बेटी।
पत्ता	–	किसलय, पल्लव, पर्ण, पत्र।
फूल	–	प्रसून, सुमन, पुष्प, पुहुप, कुसुम।
बन्दर	–	कपि, मर्कट, शाखामृग, हरि, वानर।
बिजली	–	दामिनी, सौदामिनी, विद्युत, चञ्चला, चपला तड़ित।
बेटा	–	पुत्र, तनय, आत्मज, सुत, तनु।
बाग	–	उपवन, वाटिका, उद्यान।
ब्रह्मा	–	विधि, विधाता, विरंची, साटा, चतुरानन, प्रजापति
बाल	–	अलक, कचर, चिकुर, केश, कुन्तल।
ब्राह्मण	–	द्विज, भूदेव, विप्र।
बर्फ	–	तुषार, हिम, तुहिन।
मछली	–	मीन, मत्स्य, शफरी।
मुकुट	–	ताज, किरीट, सिरतान।
मित्र	–	मीत, सखा, सहचर, सुहृद, दोस्त।
मदिरा	–	सुरा, पय, मधु, शराब, बारूणी।
मनुष्य	–	नर, मनुज, मर्त्य, मानव, आदमी।
माता	–	माँ, जननी, अम्बा, मात।
युद्ध	–	रण, संग्राम, लड़ाई, समर।
रात्रि	–	यामिनी, विभावरी, निशि, क्षपा, रज, रजनी, निशां।
राजा	–	नरेश, भूपति, भूपाल, नरेन्द्र, महीपाल, नृप, नृपति, महीष।
रास्ता	–	मार्ग, राह, बाट, डगर।
लक्ष्मी	–	रमा, श्री, कमला, चपला, चंचला, पद्मिनी।
लहर	–	तरंग, हिलोर, उर्मि, वीचि।
लहू	–	रक्त, खून, शोणित, रुधिर।
वायु	–	अनिल, वात, मारुत, पवमान, समीरण, पवन, समीर।
वृक्ष	–	रूख, विटप, द्रुम, पादम, तरु, पेड़।

मधु	-	ऋतुराज, कुसुमाकर, वसंत, माधव।
मिथ्या	-	झूठ, मृषा, असत्य, अयथार्थ।
शोकाकुल	-	पीड़ित, व्यथित, दुखी, व्याकुल विषण्ण।
शरीर	-	काया, गात, तन, तनु, देह, वपु।
समाचार	-	खबर, शत्रांत, संदेश, सूचना।
साधु	-	संन्यासी, मुनि, यति, वीतराग, संत।
समय	-	काल, वक्त, अवसर।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 1

प्र. 1. 'जब अनेक शब्द एक ही अर्थ का बोध कराए' क्या कहलाते हैं ?

प्र. 2. 'भू, अवनी तथा मेदनी' किस शब्द के पर्यायवाची हैं ?

12.4 विलोम शब्द –

विलोम का अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। अस्तु कहा जा सकता है कि किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द विलोम या विपरीतार्थ कहलाता है।

कुछ विलोम शब्द 'अ', 'अन', 'अप', 'अव', 'ना', 'परा', 'वि' लगाकर बनाए जाते हैं और कुछ स्वतंत्र विलोम होते हैं –

(1) अ	
ज्ञान	अज्ञान
लौकिक	अलौकिक
शुभ	अशुभ
सुर	असुर
न्याय	अन्याय
विवेक	अविवेक
सत्य	असत्य
शांत	अशांत
सफल	असफल

(2) अनु (संस्कृत)	
आदर	अनादर
एक	अनेक
उचित	अनुचित
आवश्यक	अनावश्यक

(3) अन (हिन्दी)	
पढ़	अनपढ़
कहनी	अनकहनी
देखी	अनदेखी
सुना	अनसुना

(4) अप	
मान	अपमान
यश	अपयश
कीर्ति	अपकीर्ति
व्यय	अपव्यय
शकुन	अपशकुन

(5) अव	
गुण	अवगुण
मूल्यन	अवमूल्यन

(6) प्रति	
पक्ष	प्रतिपक्ष
वादी	प्रतिवादी

(7) वि	
जातीय	विजातीय
पक्ष	विपक्ष
देश	विदेश

(8) ना	
लायक	नालायक
समझ	नासमझ
पसंद	नापसंद

स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त विलोम

अँधेरा	उजाला	जीवन	मरण
अधिक	न्यू/अल्प	राजा	रंक
अमृत	विष	ऊँचा	नीचा
दिन	रात	राग	द्वेष
अंधकार	प्रकाश	अनिवार्य	ऐच्छिक
आय	व्यय	उग्र	शांत
जन्म	मृत्यु	उतार	चढ़ाव
पाताल	आकाश	उत्थान	पतन
पाप	पुण्य	उदार	कृपण
हानि	लाभ	स्वर्ग	नरक
दोष	गुण	उर्वर	ऊसर
चेतन	जड़	अमीर	गरीब
मित्र	शत्रु	इधर	उधर
आदि	अंत	बुरा	भला

उपसर्ग बदलने से बनने वाले विलोम

आदान	प्रदान	स्वदेश	परदेश
अनुकूल	प्रतिकूल	सजीव	निर्जीव
उपकार	अपकार	सबल	निर्बल
उत्कर्ष	अपकर्ष	सदाचार	दुराचार
साक्षर	निरक्षर	सपूत	कपूत
सुगंध	दुर्गंध	उन्नति	अवनति
स्वतंत्र	परतंत्र	संयोग	वियोग
सच्चरित्र	दुश्चरित्र	सदुपयोग	दुरूपयोग
सारस	नीरस	सज्जन	दुर्जन

विपरीतार्थक शब्दों के अन्य उदाहरण

शब्द	विलोमार्थी	शब्द	विलोमार्थी
अध	इति	अवनति	उन्नति
अंतरंग	बहिरंग	अल्पज्ञ	बहुज्ञ
अल्पायु	दीर्घायु	अक्षम	सक्षम
अनुराग	विराग	अनुकूल	प्रतिकूल
अधुनातन	पुरातन	उदय	अस्त
अनुज	अग्रज	अपेक्षा	उपेक्षा
अणु	महान	अधिक	कम
आर्ष	अनार्ष	अनुलोम	प्रतिलोम
आज	कल	अंधकार	प्रकाश
अग्र	पश्च	अतिवृष्टि	अनावृष्टिं
अधिक	न्यून	अनाथ	सनाथ
अनुरक्ति	विरक्ति	अपना	पराया
अमीर	गरीब	अमृत	विष
अर्थ	अनर्थ	आध्यात्मिक	भौतिक
आवश्यक	अनावश्यक	आशा	निराशा
आकाश	पाताल	आग	पानी
आगत	अनागत	आकर्षण	विकर्षण
आगामी	विगत	आचार	अनाचार
आदर	निरादर	आदर्श	यथार्थ
आदान	प्रदान	आदि	अन्त
आय	व्यय	आयात	निर्यात
आरोह	अवरोह	आर्द्र	शुष्क
आर्य	अनार्य	कठोर	मृद्
अमर	मर्त्य	अमृत	विष
दुर्लभ	सुलभ	उपरि	अधः
उद्धत	विनीत	उदयाचल	अस्ताचल
ऐहिक	पारलौकिक	ऋजु	वक्र (तिर्यक)
उपकार	अपकार	उत्थान	पतन
कनिष्ठ	ज्येष्ठ	दुर्गन्ध	सुगंध
दुराशय	सदाशय	नगद	उधार
निरक्षर	साक्षर	पूर्ववर्ती	परवर्ती
प्राची	प्रतीची	चपल	गंभीर
गृहीत	त्यक्त	उत्कर्ष	अपकर्ष

शब्द	विलोमार्थी	शब्द	विलोमार्थी
उद्दंड	विनम्र	उत्तम	अधम
उत्तर	दक्षिण, प्रश्न	उत्तीर्ण	अनुत्तीर्ण
उत्थान	पतन	उदार	अनुदार
उलटा	सीधा	उन्नति	अवनति
उपयोगी	अनुपयोगी	उपस्थित	अनुपस्थित
उष्ण	शीत	ऊँच	नीच
गमन	आगमन	गर्मी	सर्दी
उर्वर	ऊसर	गहरा	उथला
गुण	दोष	गुप्त	प्रकट
गुरु	शिष्य/लघु	ग्रामीण	नागरिक
गृहस्थ	संन्यासी	घातक	रक्षक
घृणा	प्रेम	चंचल	स्थिर
चतुर	मूर्ख	चर	अचर
चल	अचल	चेतना	मूर्छा
छली	निश्छल	अल्पप्राण	महाप्राण
हिंसा	अहिंसा	अमर	मर्त्य
एकल	बहुल	ऊर्ध्व	नीचे
एकाग्र	व्यग्र	नैसर्गिक	कृत्रिम
कुख्यात	विख्यात	निर्गुण	सगुण
कटु	मधुर	कुटिल	सरल
ग्राहा	तज्य, अघह्य	ग्रस्त	मुक्त
जागरण	निद्रा	विजय	पराजय
व्यष्टि	समष्टि	बहिष्कार	सहकार, सहयोग
ज्योति	तम	जीवित	मृत
जंगम	स्थावर	जटिल	सरल
ताप	शीत	तामसिक	स्वात्विक
तीव्र	मंद	दुर्जन	सज्जन
सामिष	निरामिष	सुकर	दुष्कर
सहयोगी	प्रतियोगी	सुलभ	दुर्लभ
सकरात	दुत्कार, असत्कार	सदय	निर्दय
हास	वृद्धि	हर्ष	विषाद
नश्वर	अनश्वर	निडर	डरपोक
गोचर	अगोचर	क्षर	अक्षर
प्राचीन	अर्वाचीन	मान	अपमान

शब्द	विलोमार्थी	शब्द	विलोमार्थी
महात्मा	दुरात्मा	वैतनिक	अवैतनिक
हेय	प्रेय	समास	व्यास
हरव	दीर्घ	सात्विक	तामसिक
यश	अपयश	श्रव्य	अश्रव्य
परतंत्र	स्वतंत्र	यथार्थ	कल्पित
रिक्त	पूर्ण	लौकिक	अलौकिक
लुप्त	व्यक्त, प्रकट	अंधकार	प्रकाश
आयात	निर्यात	आविर्भाव	तिरोभाव
आकाश	पाताल	आगत	विगत
आरोह	अवरोह	आदान	प्रदान
आह्वान	विसर्जन	आर्द्र	शुष्क
आद्य/आदि	अन्त्य, अनादि	आसक्त	अनासय
आस्तिक	नास्तिक	आलोक	अंधकार
अभ्यांतर	बाह्य	देय	अदेय
निर्बल	सबल	दक्षिण	उत्तर
ध्वंस	निर्माण	धृष्ट	विनीत
विशिष्ट	सामान्य	श्वेत	श्याम
स्वप्न	जागरण	क्षणिक	शाश्वत
आसक्ति	विरक्ति	आस्था	अनास्था
आहार	निराहार	कृश	हृष्ट-पाट
इच्छा	अनिच्छा	इष्ट	अनिष्ट
इहलोक	परलोक	उग्र	शांत
उचित	अनुचित	उतार	चढ़ाव
कायर	वीर	कुटिल	सरल
कोमल	कठोर	क्रय	विक्रय
कीर्ति	अपकीर्ति	क्रिया	प्रतिक्रिया
कृतज्ञ	कृतघ्न	कृपालु	क्रूर
खंडन	मंडन	खरा	खोटा
खल	सज्जन	संकीर्ण	विस्तीर्ण
संक्षेप	विस्तार	संतोष	असंतोष
संध्या	प्रभात	संधि	विग्रह
ज्ञानी	अज्ञानी	लेना	देना
आना	जाना	स्थूल	सूक्ष्म
स्वदेश	विदेश	स्वस्थ	अस्वस्थ

शब्द	विलोमार्थी	शब्द	विलोमार्थी
स्वाधीन	पराधीन	स्वाभाविक	अस्वाभाविक
स्वार्थ	परमार्थ/निःस्वार्थ	सृष्टि	प्रलय
आगा	पीछा	तृष्णा	वितृष्णा
तरूण	वृद्ध	थोक	फुटकर
आरोह	अवरोह	इहलोक	परलोक
आश्रित	निराश्रित	उत्कृष्ट	निष्कृष्ट
ऋण	उऋण	मिलन	विरह
संयोग	वियोग	पक्ष	विपक्ष
पूर्व	पश्चिम	मूक	वाचाल
भौतिक	आध्यात्मिक	निंदा	स्तुति
विरोध	समर्थन	विवाहित	अविवाहित
विष	अमृत	वैध	अवैध
वृद्धि	क्षय	शकुन	अपशकुन
शांत	अशांत	शिष्ट	अशिष्ट
शीत	ग्रीष्म	शुद्ध	अशुद्ध
शोक	हर्ष	नूतन	पुरातन
न्याय	अन्याय	हल्का	भारी
साकार	निराकार	सामान्य	विशेष
सार्थक	निरर्थक	सुकर	दुष्कर
सुख	दुख	सुगंध	दुर्गंध
सुगम	दुर्गम	सुर	असुर
सेवक	स्वामी	स्थायी	अस्थायी
स्थिर	अस्थिर	मानव	दानव
मित्र	शत्रु	मौखिक	लिखित
हार	जीत	देव	दानव
दोषी	निर्दोष	दृश्य	अदृश्य
धनी	निर्धन	धर्म	अधर्म
धीर	अधीर	नकर	स्वर्ग
निद्रा	जागरण	निर्दयी	सदय
निर्मल	मलिन	निश्चित	अनिश्चित
बनना	बिगड़ना	बलवान	निर्बल
बहुत	थोड़ा	बाहर	भीतर

स्वय आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 2

प्र. 1. किसी शब्द का विपरीत अर्थ बताने वाला शब्द क्या कहलाता है ?

प्र. 2. 'उग्र' का विलोम शब्द क्या है ?

12.5 अनेक शब्दों के लिए एक शब्द –

भाषा की सुदृढ़ता भावों की गंभीरता और चुस्त शैली के लिए यह आवश्यक है कि लेखक अपने विस्तृत विचारों को कम से कम शब्दों में व्यक्त करें। इस हेतु भाषा में अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का प्रयोग किया जाता है। यथा–सप्ताह में एक बार होने वाला **साप्ताहिक।** अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं –

1.	जहाँ पहुँचा न जा सके	अगम्य
2.	जिसका शत्रु न हुआ हो	अजातशत्रु
3.	जिसे कभी बुढ़ापा न आए	अजर
4.	जो कभी न मरता हो	अमर
5.	जिसे क्षमा न किया जा सके	अक्षम्य
6.	जिस पर मुकदमा चल रहा हो	अभियुक्त
7.	परस्पर एक–दूसरे पर आश्रित	अन्योन्यश्रित
8.	थोड़ा जानने वाला	अल्पज्ञ
9.	पर्वत का निचला भाग	उपत्यका
10.	तर्क करने वाला	तार्किक
11.	कर्म में लगा रहने वाला	कर्मठ
12.	ऐसी शासन पद्धति जो व्यक्तियों पर आश्रित है	लोकतंत्र
13.	जिसके टुकड़े न हो सकते हों	अखंड
14.	जो बात पढ़ने, सुनने अथवा कहने में घिनौनी व लज्जा–पूर्ण हो।	अश्लील
15.	दूर से टकराकर लौटने वाली ध्वनि	प्रतिध्वनि
16.	जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हों	अधोहस्ताक्षरी
17.	जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ है	कुलीन
18.	जो किसी आपत्ति को भोग चुका है	भुक्तभोगी
19.	जिसका आचरण अच्छा न हो	दुराचारी
20.	जो अनुकरण करने योग्य हो	अनुकरणीय
21.	जिसका अनुभव इन्द्रियों द्वारा न हो	अतीन्द्रिय
22.	जो धन का दुरुपयोग करता है	अपव्ययी
23.	जिसक आने की तिथि निश्चित न हो	अतिथि
24.	जो कुछ न करता हो	अकर्मण्य
25.	जिसका आदि न हो	अनादि
26.	जो कुछ न जानता हो	अज्ञेय
27.	जो दिखाई न दे	अदृश्य
28.	जिसकी कल्पना न की जा सके	अकल्पनीय

29.	जिसके समान कोई दूसरा न हो	अद्वितीय
30.	जिसका मूल्य न आँका जा सके	अमूल्य
31.	जिसका अन्त न हो	अनंत
32.	जिसे भुलाया न जा सके	अविस्मरणीय
33.	जो इस संसार से बाहर की वस्तु हो	अलौकिक
34.	जिसका जन्म न हुआ हो	अजन्मा
35.	दोपहर के बाद का समय	अपराहन
36.	जो कम बोलता हो	अल्पभाषी/मितभाषी
37.	जिसकी गहराई का पता न मिल सके	अथाह
38.	जिसका निर्णय न हो सका हो	अनिर्णीत
39.	बढ़ा-चढ़ाकर कही गई उक्ति	अतिशयोक्ति
40.	जिसकी तुलना न की जा सके	अतुलनीय
41.	मांस न खाने वाला	निरामिध भोजी
42.	जिसका पति मर चुका हो	विधवा
43.	पश्चिम से संबंध रखने वाला	पाश्चात्य
44.	मोक्ष की इच्छा करने वाला	मुमुक्ष
45.	पंद्रह दिन में एक बार होने वाला	पाक्षिक
46.	सप्ताह में एक बार होने वाला	साप्ताहिक
47.	रथ हाँकने वाला	सारथी
48.	जिसका वाणी पर पूर्ण अधिकार हो	वाचस्पति
49.	जो विरोधी पक्ष का हो	विपक्षी
50.	जिसे पढ़ना तथा लिखना आता हो	साक्षर
51.	जिसका सारे कालों से संबंध हो	सार्वकालिक
52.	देश के लिए प्राण देने वाला	शहीद
53.	समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला	सार्वभौमिक
54.	हाथ से पकड़कर चलाया जाने वाला	शस्त्र
55	सौ वर्ष का समय	शताब्दी
56.	सरस्वती का भक्त या सरस्वती से सम्बद्ध	सारस्वत
57.	शरण में आया हुआ	शरणागत
58.	शत्रुओं को मारने वाला	शत्रुघ्न
59.	सिंह का बच्चा	सिंहशावक
60.	शास्त्र को जानने वाला	शास्त्रज्ञ
61.	सात सौ पदों की पुस्तक	सतसई
62.	जो सदा रहता हो	शाश्वत
63.	सिर पर धारण करने योग्य	शिरोधार्य

64.	जहाँ लोगों का मिलन हो	सम्मेलन
65.	जिसके हाथ में शूल हो	शूलपाणि
66.	सत्य की खोज करने वाला	सत्यान्वेषी
67.	शिव की उपासना करने वाला	शैव
68.	एक ही उदर से जन्म लेने वाला	सहोदर
69.	जो शिक्षा प्राप्त करता हो	शिक्षार्थी
70.	छूत से फैलने वाला रोग	संक्रामक
71.	बाएँ हाथ से तीर चलाने वाला	सव्यसाची
72.	जो तेज चलता हो	शीघ्रगामी
73.	जो सर्वशक्ति सम्पन्न हो	सर्वशक्तिमान
74.	जो सुनने में मधुर हो	श्रुतिमधुर
75.	ज्ञान देने वाली देवी	सरस्वती
76.	जो सुनने के योग्य हो	श्रवणीय
77.	अच्छे आचरण वाला	सदाचारी
78.	छह पैरों वाला	षड्पद
79.	समान वय वाला	समवयस्क
80.	जो सब कुछ जानता हो	सर्वज्ञ
81.	जिसकी ग्रीवा सुन्दर हो	सुग्रीव
82.	गहरी नींद में सोया हुआ	सषुप्त
83.	सत्य के प्रति आग्रह	सत्याग्रह
84.	जो स्पष्ट बात कहता हो	स्पष्टवादी
85.	इच्छा अनुसार अपना पति चुनने वाली कन्या	स्वयंवरा
86.	अच्छी तरह जाना हुआ	सुविदित
87.	जो स्त्री के वशीभूत हो	स्त्रैण
88.	कोमल अंगों वाला	सुकुमार
89.	दूसरे के स्थान पर काम करने वाला	स्थानापन्न
90.	जिसका आकार अच्छा हो	सुघड़
91.	एक स्थान से दूसरे स्थान को जाना	स्थानान्तरण
92.	जो सुनने में बहुत बुरा या अप्रिय हो	दुःश्रवः
93.	जो स्वयं अपने आप से उत्पन्न हो	स्वयंभू
94.	जो नाटक का संचालन करता है	सूत्रधार
95.	जिसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की जरूरत न हो	स्वयंसिद्ध
96.	वीर पुत्र को जन्म देने वाला	वीर प्रसू
97.	शाक–सब्जी खाने वाला	शाकाहारी
98.	सबको एक–सा देखने वाला	समदर्शी

99.	जो पहले हो चुका हो	भूतपूर्व
100.	जो ईश्वर को माने	आस्तिक
101.	अवश्य होने वाली घटना	भवितव्य
102.	जिस पुरुष की पत्नी मर गई हो	विधुर
103.	जो कम खाता हो	अल्पाहारी
104.	जानने की इच्छा रखने वाला	जिज्ञासु
105.	मांस खाने वाला	सामिष भोजी, माँसाहारी
106.	एक महीने में होने वाला	मासिक
107.	राजा या राज्य के प्रति किया जाने वाला विद्रोह	राजद्रोह
108.	मेघ की तरह नाद करने वाला	मेघनाद
109.	जो राजनीति जानता है	क्रमश:
110.	किसी विषय पर दूसरे से मत न मिलना	मतभेद
111.	जिसकी सूचना राजपत्र में दी गयी हो	राजपत्रित
112.	चुनाव में अपना मत देने की क्रिया	मतदान
113.	जिसका उदर लम्बा हो	लम्बोदर
114.	यह जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है	लब्धप्रतिष्ठित
115.	जिसने मृत्यु को जीत लिया है	मृत्युंजय
116.	जिसको देखकर रोंगटे खड़े हो जाएँ	लोमहर्षक
117.	शक्ति के अनुसार	यथाशक्ति
118.	जो पुरुष लोहे जैसा मजबूत हो	लौहपुरुष
119.	ज्यों का त्यों	यथावत
120.	जो वर्णन के बाहर हो	विवरण
121.	जो वचन से परे हो	वचनातीत
122.	जिसके पाणि (हाथ) में वीणा हो	वीणापानी
123.	जो युद्ध की इच्छा रखता हो	युयुत्सु
124.	बाल्यावस्था और युवावस्था का मिलन समय	वय:सन्धि
125.	योग में आस्था रखने वाला	योगी
126.	नए युग या प्रवृत्ति का निर्माण करने वाला	युगनिर्माता
127.	नए युग का प्रवृत्ति का प्रवर्तन (लागू करने) वाला	युगप्रवर्तक
128.	जो बहुत खर्च करने पर हो सके	व्ययसाध्य
129.	वर्ष में होने वाला	वार्षिक
130.	यात्रा करने वाला	यात्री
131.	व्याकरण शास्त्र का विद्वान या ज्ञाता	वैयाकरण
132.	जो वेतन लेकर काम करे	वैतनिक
133.	रात को दिखाई न देने वाला रोग	रतौंधी

134.	जो कपड़े रंगने का काम करता हो	रंगरेज
135.	रक्त में रंगा हुआ या भरा हुआ	रक्तरंजित
136.	राष्ट्र का प्रमुख	राष्ट्रपति
137.	जिसका पति मर गया हो	विद्यया
138.	जहाँ दो नदियाँ आकर मिलती हों	संगम
139.	किए हुए उपकार को मानने वाला	कृतज्ञ
140.	किए हुए उपकार को न मानने वाला	कृतघ्न
141.	वेतन के बिना कार्य करने वाला	अवैतनिक
142.	निर्वाचन में अपना मत देने वाला	निर्वाचक
143.	जो दूसरों का मुँह जोहा करता	परमुखापेक्ष
144.	जिस पेड़ से पत्ते झड़ गए हों	प्रपर्ण
145.	नगर में रहने वाला	नागरिक
146.	जिसे देश से निकाला गया हो	निर्वासित
147.	जो प्रशंसा के योग्य हो	प्रशंसनीय
148.	जिसका मूल नहीं है	निर्मूल
149.	जिसके पाँच मुँह हो	पंचानन
150.	जिसका कोई अर्थ न हो	निरर्थक
151.	किसी का पक्षपात करने वाला	पक्षपाती
152.	जो निन्दा के योग्य हो	निन्दनीय
153.	परदेश में रहने वाला	प्रवासी
154.	जो कामना रहित हो	निष्काम
155.	प्रिय बोलने वाली	प्रियंवदा
156.	जो चिन्ता से रहित हो	निश्चिंत
157.	जिसका हृदय पाषाण के समान कठोर हो	पाषाणहृदय
158.	जिसका कोई आधार न हो	निराधार
159.	पत्तों की बनी हुई कुटिया	पर्णकुटी
160.	जिसका कोई आश्रय न हो	निराश्रय
161.	जो दूसरों के सहारे जी रहा हो	परोपजीवी
162.	जिसके पास शक्ति न हो	निर्बल
163	जिस पर अभियोग लगाया गया हो	प्रतिवादी
164.	जिस पर किसी प्रकार का अंकुश (नियंत्रण) न हो	निरंकुश
165.	जो व्यक्ति किसी समस्या का तत्काल हल सोच सकता हो	प्रत्युत्पन्नमति
166.	जो उत्तर न दे सके	निरुत्तर
167.	शासकीय अधिकारियों का शासन	नौकरशाही
168.	बाद में मिलाया हुआ अंश	प्रक्षिप्त

169.	जिसके हृदय में दया न हो	निर्दयी
170.	जिसमें हानि या अनर्थ का भय न हो	निरापद
171.	इतिहास के पूर्व का	प्रागैतिहासिक
172.	जिसके हृदय में पाप न हो	निष्पाप
173.	रात्रि में विचरण करने वाला	निशाचर
174.	जो कथन पुस्तक के आरंभ में लिखा जाता है	प्राक्कथन
175.	एक देश से माल दूसरे देश में जाने की क्रिया	निर्यात
176.	जिसका कोई शुल्क न रखने वाला	निःशुल्क
177.	किसी के साथ सम्बन्ध न रखने वाला	निःसंग
178.	पिता के पिता	पितामह
179.	जिसकी कोई सन्तान न हो	निःसंतान
180.	जिसे कोई आकांक्षा न हो	निःस्पृह
181.	जो अपने लाभ या स्वार्थ का ध्यान न रखता हो	निःस्वार्थ
182.	जो पिंड से जन्म लेता है	पिंडज
183.	भला या हित चाहने वाला	प्रियाकांक्षी / हिताकांक्षी
184.	जो दूसरों के लिए बोलता है	प्रतिनिधि
185.	जो पिता की हत्या करता है	पितृहंता
186.	पुरुषार्थ करने वाला	पुरुषार्थी
187.	पुष्ट करने वाला	पुष्टिकर
188.	पति द्वारा त्यागी हुई स्त्री	परित्यक्ता
189.	सत्य बोलने वाला	सत्यवादी
190.	जो पढ़ा जा सके	पठनीय
191.	जिसका आकार हो	साकार
192.	रोगी की चिकित्सा करने वाला	चिकित्सक
193.	जो बड़ी कठिनाई से मिले	दुर्लभ
194.	जो स्थान न बहुत ठंडा तथा न बहुत गर्म हो	समशीतोष्ण
195.	जो बहुत दिनों से जान-पहचान वाला हो	चिरपरिचित
196.	जो बहुत समय तक रहे	चिरस्थायी
197.	काँटेदार झाड़ियों का समूह	झाड़-झंखाड़
198.	अपनी झक में मस्त रहने वाला	झक्की
199.	टाइप करने की कला	टंकण
200.	करुण स्वर में चिल्लाना	चीत्कार
201.	मूल बातों को संक्षेप में लिखना	टिप्पणी
202.	चार राहों वाला स्थान	चौराहा
203.	किराए पर चलने वाली मोटरगाड़ी	टैक्सी

204.	किसी पुस्तक की टीका करने वाला	टीकाकार
205.	जो चर्चा का विषय हो	चर्चित
206.	चारों ओर जल से घिरा हुआ भूभाग	टापू
207.	सिक्का डालने का कारखाना	टकसाल
208.	जो चक्र धारण करता हो	चक्रधारी
209.	धोखा देकर माल लूटने वाला	ठग
210	छ: मास में एक बार होने वाला	छमाही
211.	छिपे वेश में रहने वाला	छद्‌मवेशी
212.	पद छोड़ने के लिए लिखा गया पत्र	त्यागपत्र
213.	दूसरे के दोषों को खोजना	छिद्रान्वेषण
214.	छात्रों के रहने का स्थान	छात्रावास
215.	तैरने की इच्छा	तितीर्षा
216.	जो तर्क योग्य हो	तार्किक
217.	सेना के रहने का स्थान	छावनी
218.	जो तर्क के आधार पर सही सिद्ध हो	तर्कसंगत
219.	जल में जन्म लेने वाला	जलज
220.	जो जन्म से अन्धा हो	जन्मांध
221.	अन्न को पचाने वाली पेट की आग	जठराग्नि
222.	तीनों वेदों को जानने वाला	त्रिवेदी
223.	तीन लोकों का समूह	त्रिलोक
224.	तीनों काल को जानने वाला	त्रिकालदर्शी
225.	तीनों काल को जानने वाला	त्रिकालज्ञ
226.	तीन गुणों से युक्त	त्रिगुणातीत
227.	जल में रहने वाला जन्तु	जलचर
228.	जीने की इच्छा	जिजीविषा
229.	इन्द्रियों को जीतने वाला	जितेन्द्रिय
230.	जीतने की इच्छा	जिगीषा
231.	दश वर्षों का समय	दशक
232.	दस आनन वाला	दशानन
233.	जंगल में लगने वाली आग	दावानल
234.	जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो	दत्तचित्त
235.	घोड़ों को बाँधने का स्थान	अस्तबल
236.	जिस पर किसी अन्य का अधिकार न हो	एकाधिकार
237.	कंठ और तालु से जिसका उच्चारण हो	कंठ-तालव्य
238.	कंठ और ओंठ से एक साथ जिसका उच्चारण हो	कंठौष्ठ्य

239.	हड्डियों का ढाँचा	कंकाल
240.	जो इच्छा पर निर्भर करता है	ऐच्छिक
241.	सांप और जहरीले जीवों को मंत्रों से झाड़ने वाला	ओझा
242.	आकाश के पिण्डों का विवेचन करने वाला शास्त्र	खगोलशास्त्र
243.	जिसका उच्चारण ओष्ठ से हो	ओष्ठ्य
244.	वह नायिका जिसका पति रात को किसी अन्य स्त्री के पास रहकर प्रात: उसके पास आता है	खंडिता
245.	कविता लिखने वाली स्त्री	कवयित्री
246.	वह स्थान जहाँ से गंगा नदी का उद्गम होता है	गंगोत्री
247.	वह नायिका जो कृष्णपक्ष में अपने प्रेमी से मिलने जाती हो	कृष्णा-भिसारिका
248.	गंगा का पुत्र	गांगेय
249.	गाँव में रहने वाला	ग्रामीण
250.	प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला	गतानुगतिक
251.	बाल और युवा के बीच में रहती है राज्य याला	किशोर
252.	जो समझ न सके कि उसे क्या करना है	किंकर्तव्य विमूढ़
253.	विवाहोपरान्त यर के द्वारा वधू को ले जाने की रस्म	गौना
254.	लता-बेलों आदि से घिरा हुआ सुरम्य स्थान	कुंज
255.	वह जगह जहाँ गाय रहती है	गौशाला
256.	जिस बाह्य जगत का ज्ञान न हो	कृपमण्डूक
257.	घास खोदने वाला	घसियारा
258.	सौन्दर्ययुक्त लम्बे केशों से युक्त नारी	केशिका
259.	घृणा करने योग्य	घृणास्पद
260.	बर्तन बेचने वाला	कसेरा
261.	घुलने योग्य पदार्थ	घुलनशील
262.	जिसके चार पैर हो	चतुष्पद/चौपाया
263.	चार वेदों को जानने वाला	चतुर्वेदी
264.	वर्षाकाल के चार महीने	चतुर्मास
265.	चिंता करने वाला	चिंतक
266.	चिंता में डूबा हुआ	चिंताग्रस्त
267.	बहुत बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात	अतिशयोक्ति
268.	जो विश्वास के योग्य हो	विश्वसनीय
269.	वह नायिका, जिसका पति परदेस गया हो	प्रोषित/पतिका
270.	जिसका आकार न हो	निराकार
271.	जो आँखों के सामने न हो	परोक्ष
272.	जो आँखों के सामने हो	प्रत्यक्ष

273.	प्रासाद के अन्दर का भाग	अंतःपुर
274.	वह छात्र जो आचार्य के समीप ही निवास करता हो	अंतेवासी
275.	किन्हीं घटनाओं का कालक्रम में दिया गया वृत	इतिवृत्त
276.	हाथी हाँकने को छोटा भाला	अंकुश
277.	जो एक प्रान्त में दूसरे प्रान्त के बीच हो	अंतरप्रांतीय
278.	दूसरों की उन्नति को न देख सकना	ईर्ष्या
279.	पूरब और उत्तर के बीच की दिशा	ईशान
280.	जिसकी ईप्सा (इच्छा) की गई हो	इप्सित
281.	किसी नई चीज का बनाना अविष्कार	ईजाद,
282.	वह कागज जिसमें हिस्सेदारों का हिस्सा लिखा हो	अंशपत्र
283.	सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है	उदयाचल
284.	जिस पर उपकार किया गया हो	उपकृत
285.	पर्वत के पास की भूमि	उपत्यका
286.	सूर्योदय से पहले का समय	उषाकाल
287.	वह स्त्री जिसका पति परदेश से आ गया है	आगतपतिका
288.	जिसके विषय में उल्लेख करना आवश्यक हो	उल्लेखनीय
289.	जिसने अपना ऋण चुका दिया हो	उऋण
290.	जो भूमि उपजाऊ हो	उर्वरा
291.	यह कवि जो तत्क्षण कविता कर सके	आशुकवि

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 3

प्र. 1. 'थोड़ा जानने वाला' के लिए एक शब्द क्या है ?

प्र. 2. सप्ताह में एक बार होने वाले को क्या कहा जाता है ?

12.6 सारांश

जो शब्द अर्थ में एक दूसरे शब्द के समान या समनार्थी होते हैं वह पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो एक दूसरे को विपरीत अर्थ प्रदान करते हैं वह विलोम शब्द कहलाते हैं तथा अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को प्रभावशाली रूप देने के लिए इसका प्रयोग होता है।

12.7 कठिन शब्दावली

सिद्व - प्रमाणित

क्षति - घाटा

सतर्क - सावधान

वसुधा - धरती

व्यथा - दुःख

12.8 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न – 1

1. पर्यायवाची शब्द

2. पृथ्वी

अभ्यास प्रश्न – 2

उ. 1. विलोम शब्द

उ. 2. शांत

अभ्यास प्रश्न – 3

उ. 1. अल्पज्ञ

उ. 2. साप्ताहिक

129 संदर्भित पुस्तकें

(1) डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद, आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती भवन।

(2) प्रो. राम लखन मीणा, भाषिकी हिंदी व्याकरण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

12.10 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. पर्यायवाची शब्द किसे कहते है? उदाहरण सहित बताइए।

प्र. 2. विलोम शब्द से क्या अभिप्राय है? विस्तार से वर्णन कीजिए।

प्र. 3. अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का विस्तृत विवेचन कीजिए।

*****

इकाई – 13
शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि

संरचना

13.1 भूमिका

13.2 उद्देश्य

13.3 शब्द शुद्धि

स्वयं आकलन प्रश्न – 1

13.4 वाक्य शुद्धि

स्वयं आकलन प्रश्न – 2

13.5 सारांश

13.6 कठिन शब्दावली

13.7 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

13.8 संदर्भित पुस्तकें

13.9 सात्रिक प्रश्न

13.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने पर्यायवाची, विलोम एवं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का गहन अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

13.2 उद्देश्य

इकाई तेरह का अध्ययन करने के पश्चात् हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. शब्द क्या है ?
2. शब्द शुद्धि क्या है ?
3. वाक्य क्या है ?
4. वाक्य शुद्धि क्या है ?

13.3 शब्द शुद्धि –

भाषा – प्रयोग के दौरान बोलते – सुनते, लिखते समय अनेक शब्दों में उच्चारण एवं लेखन संबंधी अशुद्धियाँ हो जाती हैं। इन अशुद्धियों को शुद्ध करना ही शब्द – शुद्धि कहलाता है। सामान्यत: हिन्दी भाषा में शब्दों में अनेक कारणों से अशुद्धियाँ देखने को मिलती हैं, उनमें मुख्य है –

(i) हस्व स्वर के स्थान पर दीर्घ या दीर्घ स्वर के स्थान पर हस्व स्वर का उच्चारण करने से जैसे – अधीन के स्थान पर **आधीन** बोलना या आहार के स्थान पर **अहार** बोलना।

(ii) नासिक्य व्यंजन के गलत उच्चारण के कारण जैसे – गणेश को **गँडेश** या **गनेश** बोलना।

(iii) र, ल, ड़ के उच्चारण में अशुद्धियाँ जैसे – उजाड़ना को **उजारना** या लड़ाई को **लराई** बोलना।

(iv) व के स्थान पर ब का उच्चारण करने के कारण; जैसे – पूर्व को – पूर्व बोलना।

(v) श, ष तथा स के उच्चारण में अशुद्धता से उत्पन्न अशुद्धियाँ; अशोक को **असोक** या संकट को **शंकट** या पुष्प को **पुश्प** बोलना।

(vi) ट के स्थान पर ठ या ठ के स्थान पर ट का उच्चारण करने से भी शब्दों में अशुद्धियां आ जाती जैसे – संतुष्ट के स्थान पर संतुष्ठ या घनिष्ठ के स्थान पर **घनिष्ट** बोलना।

(vii) क्ष के स्थान पर छ का उच्चारण करना भी शब्दों को अशुद्ध बनाता है; जैसे – क्षमा को छपा बोलना।

(viii) ऋ के स्थान पर र का उच्चारण करने से भी शब्द अशुद्ध हो जाते है; जैसे – गृहीत के स्थान पर ग्रहीत

शब्द – शुद्धि के उदहारण –

(क) स्वर मात्रा संबंधी अशुद्धियाँ

1. अ – अ तथा अ – आ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
अकार	आकार	अराधना	आराधना
अकाश	आकाश	अरोग्य	आरोग्य
बरात	बारात	आस्वस्थ्य	आजकल
अत्याधिक	अत्यधिक	अगामी	आगामी

2. ई – इ तथा इ – ई			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
कवी	कवि	उन्नत	उन्नति
अतीथि	अतिथि	ईतना	इतना
शक्ती	शक्ति	पूर्ती	पूर्ति
क्योकी	क्योंकि	नालीयाँ	नालियाँ
उत्पत्ती	उत्पत्ति	व्यक्ती	व्यक्ति
शक्ती	शक्ति	प्रीती	प्रीति
नीती	नीति	साथीयों	साथियों

3. ऊ – उ तथा इ – ऊ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
वधु	वधू	अनूकूल	अनुकूल
भूमि	भूमि	कृपालू	कृपालु
गुरू	गुरु	आयू	आयु
आतूर	आतुर	रूपया	रुपया
सिन्धू	सिन्धु	दयालू	दयालु
धूलाई	धुलाई	पटू	पटु
वायू	वायु	साधू	साधु
पशू	पशु	पुरूष	पुरुष

4. ऐ – ऐ तया ए – ऐ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
ऐक	एक	ऐकाकार	एकाकार
एतिहासिक	ऐतिहासिक	एश्वर्य	ऐश्वर्य
एनक	ऐनक	वैश्या	वेश्या
भाषाऐँ	भाषाएँ	ऐकता	एकता
कुबैर	कुबेर	पेतृक	पैतृक
सेनिक	सैनिक	एक्य	ऐक्य

5. 'ओ' तया 'औ'			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
ओचक	औचक	औखद	ओखद
अलोकिक	अलौलिक	ओषधालय	औषधालय
ओद्योगिक	औद्योगिक	ओचित्य	औचित्य
औटन	ओटन	औजस्वी	ओजस्वी
कोन	कौन	लोटना	लौटना
त्यौहार	त्योहार	एसा	ऐसा
न्यौछावर	न्योछावर	एकेक	एकैक

6. ई तथा यी			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
कयी	कई	विजई	विजयी
गयी	गई	मित्वयई	मितव्ययी
अन्याई	अन्यायी	प्रणई	प्रणयी
विषई	विषयी	पायी	पाई
स्थाई	स्थायी	गायी	गाई
चिकनायी	चिकनाई	नयी	नई
आयी	आई	आयी	आई

7. अकारण – अनुनासिकता			
अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
अँश	अंश	तँन	तन
खानं	खान	पाँन	पान
काँम	काम	राँम	राम
दाँम	दाम	तँम	तम
काँत	कान्त	रणैं	रण

8. अनुनासिकता (चन्द्रबिन्दु)			
अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
हंस	हँस	आंख	आँख
ऊंचा	ऊँचा	कांच	काँच
गूंगा	गूँगा	चांद	चाँद
जहां	जहाँ	दांत	दाँत
बांस	बाँस	यहां	यहाँ
कहां	कहाँ	हां	हाँ

9. अनुस्वार			
अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
सन्त	संत	अँक	(अंक) (अङ्क)
पँक	पंक (पङ्क)	रैंक	रंक (रङ्क)
शँकर	शंकर (शङ्कर)	पँख	पंख (पङ्ख)
अँग	अंक (अङ्ग)	कँगन	कंगन (कङ्गन)
जँग	जंग	रँग (जङ्ग)	रंग (रङ्ग)
कँचन	कंचन	मँजुल (कञ्चन)	मंजुल (मञ्जुल)
घँटी	घंटी (घण्टी)	गँगा	गंगा

10. रि तथा ऋ			
अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
कृपाण	कृपण	रिण	ऋण
रिषि	ऋषि	श्रृंगार	श्रृंगार
बृज	ब्रज	किर्तघ्न	कृतघ्न
रिद्धि	ऋद्धि	त्रितीय	तृतीय
त्रिण	तृण	ह्रदय	हृदय
द्रश्य	दृश्य	म्रित्यु	मृत्यु

11. विसर्ग (१) सम्बन्धी अशुद्धियों			
अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
अतह	अत:	अन्तकरण	अन्त:करण
प्रायह	प्राय:	अत:एव	अतएव
पुनह	पुन:	तत:एव	ततएव
प्रातहकाल	प्रात:काल		

(ख) व्यंजन सम्बन्धी अशुद्धियाँ

1. 'छ' तथा 'क्ष'			
अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
छेत्र	क्षेत्र	क्षत्रपति	छत्रपति
यच्छ	यक्ष	वृच्छ	वृक्ष
छार	क्षार	छति	क्षति
पच्छ	पक्ष	सूछम	सूक्ष्म
छत्रिय	क्षत्रिय	लछण	लक्षण
छीर	क्षीर	छुआ	क्षुधा
छेम	क्षेम	छन	क्षण

2. ड़, ढ तया ड़, ढ़ सम्बन्धी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द	अशुद्ध शब्द	शुद्ध शब्द
पड़ाई	पढ़ाई	काड़ना	काढ़ना
रोड़	रोड	फाढना	फाड़ना
ढमरू	डमरू	चडना	चढ़ना
सड़क	सड़क	सढ़ना	सड़ना

3. ‘ट’ तथा ‘ठ’ सम्बन्धी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
अभीष्ठ	अभीष्ट	विशिष्ट	विशिष्ट
आश्लिष्ठ	आश्लिष्ट	संतुष्ठ	संतुष्ट
घनिष्ट	घनिष्ठ	श्रेष्ट	श्रेष्ठ
कष्ठ	कष्ट	वरिष्ट	वरिष्ठ

4. न और ण संबंधी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
रामायन	रामायण	परिनाम	परिणाम
किरण	किरण	आचरन	आचरण
गनित	गणित	गुन	गुण
निरीक्षण	निरीक्षण	रन	रण
आक्रमन	आक्रमण	शरन	शरण
स्मरन	स्मरण	प्रान	प्राण
बान	बाण	तृशणा	तृष्णा

5. ‘ब’ तथा ‘व’ सम्बन्धी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
वेद	वेद	बिदेश	विदेश
वेश्या	वेश्या	ब्रत	व्रत
बधू	वधू	बानी	वाणी
वृहस्पति	बृहस्पति	बृक्ष	वृक्ष

6. ‘श’, ‘ष’ तथा ‘स’ सम्बन्धी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
नश्ट	नष्ट	विस	विष
संकर	शंकर	देसी	देशी
असोक	अशोक	वेस	वेश
ईर्शा	ईर्ष्या	वैदेषिक	वैदेशिक
कृश्न	कृष्ण	असपष्ट	अस्पष्ट
आसा	आशा	भ्रश्ट	भ्रष्ट
हर्स	हर्ष	सिथिल	शिथिल

7. ‘ष्ट’ तया ‘ष्ठ’ संबंधी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
अभीष्ठ	अभीष्ट	हटी	हठी
सृष्ठि	सृष्टि	निष्टा	निष्ठा
ओष्ट	ओष्ठ	सन्तुष्ठ	सन्तुष्ट
कनिष्ट	कनिष्ठ	विष्टा	विष्ठा
घनिष्ट	घनिष्ठ	श्रेष्ट	श्रेष्ठ
ज्येष्ट	ज्येष्ठ	छटी	छठी
इष्ठ	इष्ट		

8. हलन्त चिह्न संबन्धी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
जगत	जगत्	श्रीमान	श्रीमान्
पश्चात	पश्चात्	भगवान	भगवान्
तदभव	तद्भव		

9. अक्षर लोप सम्बन्धी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
स्वालम्बन	स्वावलंबन	स्वास्थ	स्वास्थ्य
सप्ता	सप्ताह	अध्यन	अध्ययन

10. ‘य’ के साथ संयोग सम्बन्धी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
उपलक्ष	उपलक्ष्य	जादा	ज्यादा
पुण	पुण्य	भागवान	भाग्यवान

11. ‘र’ का अर्थ संबंधित कलाकृतियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
शरम	शर्म	अरथ	अर्थ
धरम	धर्म	मरयादा	मर्यादा
करम	कर्म	अरथ	अर्थ
चन्दर	चंद्र	आर्शीवाद	आशीर्वाद

12. 'ग्य' तया 'ज्ञ' संबंधी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
विग्यान	विज्ञान	भोज्ञ	भोग्य
व्यंज्ञ	व्यंग्य	अनभिग्य	अनभिज्ञ
कृतग्य	कृतज्ञ	भाज्ञ	भाग्य
अरोज्ञ	आरोग्य	आग्या	आज्ञा
यग्य	यज्ञ	प्रतिग्या	प्रतिज्ञा

13. 'ढ' तथा 'ढ़' सम्बन्धी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
ढ़क्कन	ढक्कन	ढ़पली	ढपली
ढलान	ढलान	ढ़ोल	ढोल
चढना	चढ़ान	टेढा	टेढ़ा
प्रौढ	प्रौढ़	बूढा	बूढ़ा

14. 'ज' तथा 'झ' सम्बन्धी अशुद्धियाँ			
अशुद्ध शब्द	**शुद्ध शब्द**	**अशुद्ध शब्द**	**शुद्ध शब्द**
बोज	बोझ	मुजे	मुझे
ओजल	ओझल	मंजधार	मंझधार
समबंध	संबंध	रितू	रितु
कवीता	कविता	सुन्द्र	सुंदर
कोशीश	कोशिश	सैना	सेना
खैंचना	खींचना	सब्द	शब्द
स्वामणी	स्वामिनी	बलकी	बल्कि
ऐैसा	ऐसा	मूरती	मूर्ति
ओलाद	औलाद	रिशी	ऋषि
कवेर	कुबैर	किर्णे	किरणें
विज्ञानिक	वैज्ञानिक	उदेश्य	उद्देश्य
परस्ताव	प्रस्ताव	परभाव	प्रभाव
उतिर्ण	उत्तीर्ण	पूर्ती	पूर्ति
उपाधी	उपाधि	वातावर्ण	वातावरण
कठीनाई	कठिनाई	स्वाधिनता	स्वाधीनता
उचकोटी	उच्चकोटी	समपूरण	संपूर्ण

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 1

प्र. 1. शब्दों के उच्चारण, लेखन की अशुद्धियों को दूर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है?

प्र. 2. 'आधीन' शब्द का सही रूप क्या है?

13.4 वाक्य – शुद्धि

वाक्य – शुद्धि से अभिप्राय वाक्य में आई अशुद्धियों को दूर करने से होता है। पूर्ण अर प्रकट करने वाला शब्द समूह ही वाक्य कहलाता है। वाक्य निर्माण करते समय अन्विति, पदक्रम, वाच्य व अन्य बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। यदि किसी कारणवश वाक्य का निर्माण करते समय अन्विति, पदक्रम बार शब्द – शुद्धि आदि का ध्यान न रखा जाए तो वाक्य अशुद्ध हो जाता है। वाक्य – शुद्धि के उदाहरण –

1. **अन्चिति संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण**

1. **अशुद्ध वाक्य** – हमारा लक्ष्य देश को चहुँमुखी प्रगति होनी चाहिए।
   शुद्ध वाक्य – हमारा लक्ष्य देश की चहुँमुखी प्रगति होना चाहिए।
2. **अशुद्ध वाक्य** – क्या आप पढ़ लिए हैं?
   शुद्ध वाक्य – क्या आपने पढ़ लिया है?
3. **अशुद्ध वाक्य** – क्या आप आ सकेंगे?
   शुद्ध वाक्य – क्या आप आ सकेंगे?
4. **अशुद्ध वाक्य** – प्रधानाचार्य अध्यापक को बुलाए।
   शुद्ध वाक्य – प्रधानाचार्य ने अध्यापक को बुलाया।
5. **अशुद्ध वाक्य** – सुरेश को योगेश को और मोहन को कल मैंने साथ – साथ देखा था।
   शुद्ध वाक्य – मैंने सुरेश, योगेश और मोहन को कल साथ – साथ देखा था।

2. पदक्रम संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य**–एक पानी का तालाब भरा है।
   शुद्ध वाक्य–पानी का एक तालाब भरा है।
2. **अशुद्ध वाक्य**–खरगोश को काटकर गाजर खिला दो।
   शुद्ध वाक्य–खरगोश को गाजर काटकर खिला दो।
3. **अशुद्ध वाक्य**–मुझे एक दूध का कटोरा दो।
   शुद्ध वाक्य–मुझे एक कटोरा दूध दो।
4. **अशुद्ध वाक्य**–मुझे एक लस्सी का गिलास दो।
   शुद्ध वाक्य–मुझे लस्सी का एक गिलास दो।
5. **अशुद्ध वाक्य**–मोहन लड़का सुंदर है।
   शुद्ध वाक्य–मोहन सुंदर लड़का है।

3. वाच्य संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य**–प्रस्तुत पक्तियाँ सरोज स्मृति से ली हैं।
   शुद्ध वाक्य–प्रस्तुत पक्तियाँ सरोज स्मृति से ली गई हैं।
2. **अशुद्ध वाक्य**–प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को दो भागों में विभक्त किया है।
   शुद्ध वाक्य–प्रयोग के आधार पर हिंदी शब्दों को दो भागों में विभक्त किया गया है।
3. **अशुद्ध वाक्य**–अध्यापक से हिंदी पढ़ाई है।
   शुद्ध वाक्य–अध्यापक से हिंदी पढ़ी है। अथवा अध्यापक ने हिंदी पढ़ाई है।
4. **अशुद्ध वाक्य**–पुलिस ने डाकुओं का पीछा किय गया।
   शुद्ध वाक्य–पुलिस द्वारा डाकुओं का पीछा किया गया।
5. **अशुद्ध वाक्य**–अध्यापक ने हमसे लेख लिखाया।
   शुद्ध वाक्य–अध्यापक ने हमसे लेख लिखवाया।
6. **अशुद्ध वाक्य**–डाकुओं ने चौकी लूटी गई।
   शुद्ध वाक्य–डाकुओं द्वारा चौकी लूटी गई।

4. संज्ञा संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य**–तुम्हारी नारी का नाम क्या है?
   शुद्ध वाक्य–तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है?
2. **अशुद्ध वाक्य**–बढ़ई ने दरवाजे की रचना की।
   शुद्ध वाक्य–बढ़ई ने दरवाजे का निर्माण किया।
3. **अशुद्ध वाक्य**–विध्यांचल पहाड़ को पार करना पड़ेगा।
   शुद्ध वाक्य–विंध्याचल को पार करना पड़ेगा।
4. **अशुद्ध वाक्य**–कला सीखने के लिए कसरत करनी पड़ती है।
   शुद्ध वाक्य– कला सीखने के लिए अभ्यास करना पड़ता है।
5. **अशुद्ध वाक्य**–क्या तुम्हें अपनी शक्ति और बल पर विश्वास है?
   शुद्ध वाक्य–क्या तुम्हें अपनी शक्ति पर विश्वास है।

6. **अशुद्ध वाक्य**–ये मुसीबतें टिकाऊ नहीं हैं?

शुद्ध वाक्य–ये मुसीबतें स्थाई नहीं हैं।

7. **अशुद्ध वाक्य**–कृष्ण ने सोहन की मृत्यु पर खेद प्रकट किया।

शुद्ध वाक्य–कृष्ण ने सोहन की मृत्यु पर दु:ख प्रकट किया।

8. **अशुद्ध वाक्य**–विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र प्रदान किया।

शुद्ध वाक्य–विद्यार्थियों ने मुख्यमंत्री को अभिनंदन पत्र भेंट किया।

9. परसर्ग सम्वन्धी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य**–राधा ने कल दिल्ली जाना है।

शुद्ध वाक्य–राधा को कल दिल्ली जाना है।

2. **अशुद्ध वाक्य**–मैं पुस्तक को पढ़ता हूँ।

शुद्ध वाक्य–मैं पुस्तक पढ़ता हूँ।

3. **अशुद्ध वाक्य**–मैं उसे पहचाना नहीं।

शुद्ध वाक्य–मैंने उसे पहचाना नहीं।

4. **अशुद्ध वाक्य**–मामे ने कहा कि वह अवश्य जाएगा।

शुद्ध वाक्य–मामा ने कहा कि वह अवश्य जाएगा।

5. **अशुद्ध वाक्य**– आप खाना खाया?

शुद्ध वाक्य– आपने खाना खाया?

6. **अशुद्ध वाक्य**–माला दु:खों को सहती है।

शुद्ध वाक्य–माला दु:ख सहती है।

7. **अशुद्ध वाक्य**–मीना को बेटा हुआ है।

शुद्ध वाक्य–मीना के बेटा हुआ है।

8. **अशुद्ध वाक्य**–पाँच बोरी चावल की भिजवा देना।

शुद्ध वाक्य–पाँच बोरी चावल भिजवा देना।

9. **अशुद्ध वाक्य**–मुझे भोजन को बुलाया है।

शुद्ध वाक्य–मुझे भोजन पर बुलाया है।

10. **अशुद्ध वाक्य**–वह कॉलेज को चला गया।

शुद्ध वाक्य–यह कॉलेज चला गया।

11. **अशुद्ध वाक्य**–मुझे चला नहीं जाता।

शुद्ध वाक्य–गुझसे चला नहीं जाता।

6. लिंग सम्बन्धी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य**–रमेश और नेहा कॉलेज गई।

शुद्ध वाक्य–रमेश और नेहा कॉलेज गए।

2. **अशुद्ध वाक्य**–राम ने मुझे आदेश दी।

शुद्ध वाक्य–राम ने मुझे आदेश दिया।

3. **अशुद्ध वाक्य**–शिक्षा प्रणाली को ऐसी बनाएँ की वह उदर–पूर्ति का साधन बन सके।
शुद्ध वाक्य–शिक्षा–प्रणाली को ऐसा बनाएँ कि वह उदर–पूर्ति का साधन बन सके।

4. **अशुद्ध वाक्य**–सीता, मीना और रानी जा रहे हैं।
शुद्ध वाक्य–सीता, मीना और रानी जा रही हैं।

5. **अशुद्ध वाक्य**–राम ने मुझे मुम्बई घुमाई।
शुद्ध वाक्य–राम ने मुझे मुम्बई में घुमाया।

6. **अशुद्ध वाक्य**–लड़के ने पुस्तक पढ़ा।
शुद्ध वाक्य–लड़के ने पुस्तक पढ़ी।

7. वचन सम्बन्धी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य**–लड़की लोग बैठा था।
शुद्ध वाक्य–लड़कियाँ बैठी थीं।

2 **अशुद्ध वाक्य**–चारों वेदों का नाम लिखो।
शुद्ध वाक्य–चारों वेदों के नाम लिखो।

3. **अशुद्ध वाक्य**–मेरा कान मत खाओ।
शुद्ध वाक्य–मेरे कान मत खाओ।

4. **अशुद्ध वाक्य**–भूख के मारे पेट में चूहा कूद रहा है।
शुद्ध वाक्य–भूख के मारे पेट में चूहे कूद रहे हैं।

5. **अशुद्ध वाक्य**–सभी राजे एकत्र थे।
शुद्ध वाक्य–सभी राजा एकत्र थे।

6. **अशुद्ध वाक्य**–रमेश को तीन रोटी दे दो।
शुद्ध वाक्य–रमेश को तीन रोटियाँ दे दो।

7. **अशुद्ध वाक्य**–केला न मिले तो अमरूद लेते आना।
शुद्ध वाक्य–केले न मिलें तो अमरूद लेते आना।

8. सर्वनाम सम्बन्धी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य**–कल शाम क्या मर गया।
शुद्ध वाक्य–कल शाम कौन मर गया?

2. **अशुद्ध वाक्य** –उसने मोहन को देखा और पास गई।
शुद्ध वाक्य–उसने मोहन को देखा और उसके चली गई।

3. **अशुद्ध वाक्य** – बाजार में आपने कौन–कौन देखा।
शुद्ध वाक्य–बाजार में आपने क्या–क्या देखा?

4. **अशुद्ध वाक्य**–तुम तुम्हारे रास्ते चलों।
शुद्ध वाक्य–तुम अपने रास्ते चलो।

5. **अशुद्ध वाक्य**–दूध में कौन पड़ गया।
शुद्ध वाक्य–दूध में क्या पड़ गया?

6. **अशुद्ध वाक्य**–उसको पाँच रुपये दे दो।

शुद्ध वाक्य–उसे पाँच रुपए दे दो।

9. विशेषण संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य**–इस काम का होना सर्वथा असम्भव है।

   शुद्ध वाक्य–इस काम का होना असंभव है।

2. **अशुद्ध वाक्य**–एक गुप्त रहस्य।

   शुद्ध वाक्य–एक रहस्य।

3. **अशुद्ध वाक्य**–मुझे छिलके वाला धान चाहिए।

   शुद्ध वाक्य–मुझे धान चाहिए।

4. **अशुद्ध वाक्य**–महेश ने अदालत में सच गवाही की।

   शुद्ध वाक्य–महेश ने अदालत में सच्ची गवाही दी।

5. **अशुद्ध वाक्य**–पूरे संसार भर में यह खबर फैल गई।

   शुद्ध वाक्य–संसार भर में यह खबर फैल गई।

6. **अशुद्ध वाक्य**–मीना को सबसे अच्छी सद्भावना प्राप्त हुई।

   शुद्ध वाक्य–मीना को सबसे सद्भावना प्राप्त हुई।

7. **अशुद्ध वाक्य**–भारी–भरकम भीड़ जमा हो गई।

   शुद्ध वाक्य–बड़ी भीड़ जमा हो गई।

8. **अशुद्ध वाक्य**–अपनी सकुशलता का समाचार भेजना।

   शुद्ध वाक्य–अपनी कुशलता का समाचार भेजना।

9. **अशुद्ध वाक्य**–सोता दिनेश नींद से जाग पड़ा।

   शुद्ध वाक्य–दिनेश नींद से जाग पड़ा।

10. **अशुद्ध वाक्य**–ठंडी बर्फ वाला पानी पीने से गला बैठ गया।

    शुद्ध वाक्य–बर्फ वाला पानी पीने से गला बैठ गया।

10. क्रिया सम्बन्धी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य**– मैं कष्ट उठाने में असमर्थ हैं।

   शुद्ध वाक्य– में कष्ट सहने में असमर्थ हूँ।

2. **अशुद्ध वाक्य**–मोहन साँप को देखकर चिल्ला उठा।

   शुद्ध वाक्य–मोहन सर्प को देखकर चिल्ला पड़ा।

3. **अशुद्ध वाक्य**–उसका मूल्य नहीं नापा जा सकता।

   शुद्ध वाक्य–उसका मूल्य नहीं आंका जा सकता।

4. **अशुद्ध वाक्य**–बाहर गहन अंधकार घिरा हुआ है।

   शुद्ध वाक्य–बाहर गहन अंधकार छाया हुआ है।

5. **अशुद्ध वाक्य**–मुझे उन पर सम्पूर्ण विश्वास है।

   शुद्ध वाक्य–मुझे उन पर पूर्ण विश्वास है।

6. **अशुद्ध वाक्य** – अपराधी दण्ड देने योग्य है।
शुद्ध वाक्य – अपराधी दण्ड पाने योग्य है।
7. **अशुद्ध वाक्य** – मीना आटा गूंथ रही है।
शुद्ध वाक्य – मीना आटा गूंध रही है।
8. **अशुद्ध वाक्य** – आप उसे रख डालना।
शुद्ध वाक्य – आप उसे रख लेना।
9. **अशुद्ध वाक्य** – वह फूट चला।
शुद्ध वाक्य – वह फूट पड़ा।
10. **अशुद्ध वाक्य** – मैंने उसे दौड़ में जीत लिया।
शुद्ध वाक्य – मैंने उसे दौड़ में पराजित कर दिया।

11. मुहावरे संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य** – उस पर घड़ों पानी गिर गया।
शुद्ध वाक्य – उस पर घड़ों पानी पड़ गया।
2. **अशुद्ध वाक्य** – उसकी अक्ल चक्कर खा गई।
शुद्ध वाक्य – उसकी अक्ल चकरा गई।
3. **अशुद्ध वाक्य** – मोहन रमेश पर बरस गया।
शुद्ध वाक्य – मोहन रमेश पर बरस पड़ा।
4. **अशुद्ध वाक्य** – चौथे दिन शत्रु ने हथियार रख दिए।
शुद्ध वाक्य – चौथे दिन शत्रु ने हथियार डाल दिए।

12. क्रिया – विशेषण सम्बन्धी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य –** सोहन प्रायः कभी – कभी आता है।
शुद्ध वाक्य – सोहन कभी – कभी आता है।
2. **अशुद्ध वाक्य –** रुचि रोती – रोती सो गई।
शुद्ध वाक्य – रुचि रोते – रोते सो गई।
3. **अशुद्ध वाक्य** – प्रायः एक सप्ताह हो गया है।
शुद्ध वाक्य – लगभग एक सप्ताह हो गया है।
4. **अशुद्ध वाक्य** – तुम लोग परस्पर में समझ लेना।
शुद्ध वाक्य – तुम लोग परस्पर समझ लेना।
5. **अशुद्ध वाक्य** – वहाँ पर कुछ गन्दगी है।
शुद्ध वाक्य – वहाँ कुछ गंदगी है।
6. **अशुद्ध वाक्य** – शोर नहीं करो।
शुद्ध वाक्य – शोर मत करो।

13. अव्यय सम्बन्धी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य** – वे बच्चो को लेकर दुःखी थे।
शुद्ध वाक्य – वे बच्चों के कारण दुःखी थे।

2. **अशुद्ध वाक्य** – मैं खुश हूँ, क्योंकि तुम मेहनती हो।
शुद्ध वाक्य – मैं इसलिए खुश हूँ, क्योंकि तुम मेहनती हो।

3. **अशुद्ध वाक्य** – वहाँ अपार जनसमूह एकत्रित था।
शुद्ध वाक्य – वहाँ अपार जनसमूह एकत्र था।

4. **अशुद्ध वाक्य** – देश व काल का ध्यान रखना आवश्यक है।
शुद्ध वाक्य – देश और काल का ध्यान रखना आवश्यक है।

5. **अशुद्ध वाक्य** – तुम्हें काम करना हो तो करो या अपने घर जाओ।
शुद्ध वाक्य – तुम्हें काम करना हो तो करो अन्यथा अपने घर जाओ।

6. **अशुद्ध वाक्य** – अंधा मनुष्य लाठी के द्वारा चलता है।
शुद्ध वाक्य – अंधा मनुष्य लाठी के सहारे चलता है।

14. वाक्यगत सामान्य अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य** – चार पूड़ी दो।
शुद्ध वाक्य – चार पूड़ियाँ दो।

2. **अशुद्ध वाक्य** – रमेश बीस की आयु का है।
शुद्ध वाक्य – रमेश की आयु बीस वर्ष है।

3. **अशुद्ध वाक्य** – उसने अनेकों ग्रंथ लिखे।
शुद्ध वाक्य – उसने अनेक ग्रंथ लिखे।

4. **अशुद्ध वाक्य** – चार हजार का टिकट बिक गया।
शुद्ध वाक्य – चार हजार के टिकट बिक गए।

5. **अशुद्ध वाक्य** – मैंने वहाँ जाकर बड़ी अशुद्धि की।
शुद्ध वाक्य – मैंने वहाँ जाकर बड़ी भूल की।

6. **अशुद्ध वाक्य** – कृपया बैठने का अनुग्रह करें।
शुद्ध वाक्य – कृपया बैठ जाएँ।

7. **अशुद्ध वाक्य** – मकान के गिर जाने का संदेह है।
शुद्ध वाक्य – मकान के गिर जाने की आशंका है।

8. **अशुद्ध वाक्य** – उसे भगवान पर आत्म-विश्वास है।
शुद्ध वाक्य – उसे भगवान पर विश्वास है।

15. पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य** – वे गुनगुने गर्म पानी से स्नान करते हैं।
शुद्ध वाक्य – वे गुनगुने पानी से स्नान करते हैं।

2. **अशुद्ध वाक्य** – तुम बेफिजूल बोलते हो।
शुद्ध वाक्य – तुम फिजूल बोलते हो।

3. **अशुद्ध वाक्य** – महात्मा गाँधी सज्जन पुरुष थे।
शुद्ध वाक्य – महात्मा गाँधी सज्जन थे।

4. **अशुद्ध वाक्य** – मुक्ता धीरे से चलती है।
   शुद्ध वाक्य – मुक्ता धीरे–धीरे चलती है।
5. **अशुद्ध वाक्य** – मेघ जल बरसते हैं।
   शुद्ध वाक्य – मेघ बरसते हैं।
6. **अशुद्ध वाक्य** – हाल में कोई लगभग हजार लोग।
   शुद्ध वाक्य – हाल में लगभग हजार लोग थे।
7. **अशुद्ध वाक्य** – कृपया करके इधर आइए।
   शुद्ध वाक्य – कृपया इधर आइए।

16. शब्दगत अशुद्धियों के उदाहरण

1. **अशुद्ध वाक्य** – उसका भविष्य उज्जवल है।
   शुद्ध वाक्य – उसका भविष्य उज्ज्वल है।
2. **अशुद्ध वाक्य** – राम ने हनुमान को आर्शीवाद दिया
   शुद्ध वाक्य – राम ने हनुमान को आशीर्वाद दिया।
3. **अशुद्ध वाक्य** – वह दवाईयां ले आया।
   शुद्ध वाक्य – वह दवाईयां ले आया।
4. **अशुद्ध वाक्य** – उसका चुनाव चिन्ह मोटर है।
   शुद्ध वाक्य – उसका चुनाव चिह्न मोटर है।
5. **अशुद्ध वाक्य** – वह बड़ा उच्चशृंखल है।
   शुद्ध वाक्य – वह बड़ा उच्छृंखल है।
6. **अशुद्ध वाक्य** – वह बिमार है।
   शुद्ध वाक्य – वह बीमार है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 2

प्र. 1. 'लड़की लोग बैठा था' वाक्य में कौन सी अशुद्धि है।

प्र. 2. शब्द अशुद्धि का कोई एक कारण बताइए।

13.5 सारांश

भाषा विचारों की अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और शब्द भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई है। भाषा के माध्यम से ही मानव मौखिक एवं लिखित रूपों में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। इस वैचारिक अभिव्यक्ति के लिए शब्दों का शुद्ध प्रयोग आवश्यक है।

13.6 कठिन शब्दावली

प्रगति – विकास

पुस्कार – इनाम

प्रतिष्ठा – प्रतिष्ठा

चिर – सदा

गति – चाल

12.7 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न – 1

उ. 1. शब्द शुद्धि

उ. 2. अधीन

अभ्यास प्रश्न – 2

उ. 1. वचन संबंधी।

उ. 2. क्षेत्रीयता का प्रभाव।

13.8 संदर्भित पुस्तकें

(1) श्यामचन्द्र कपूर, सरल हिन्दी व्याकरण, प्रभात प्रकाशन दिल्ली।

(2) डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद, आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती भवन।

13.9 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. शब्द शुद्धि से क्या अभिप्राय है? विस्तार से चर्चा कीजिए।

प्र. 2. वाक्य शुद्धि का अर्थ स्पष्ट करते हुए इसकी विवेचना कीजिए।

प्र. 3. भाषा में शब्द तथा वाक्य शुद्धि की क्या महत्ता है स्पष्ट कीजिए।

*****

इकाई – 14
मुहावेर एवं लोकोक्तियां

संरचना

14.1 भूमिका

14.2 उद्देश्य

14.3 मुहावरा

स्वयं आकलन प्रश्न – 1

14.4 लोकोक्ति

14.4.1 मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर

स्वयं आकलन प्रश्न – 2

14.5 सारांश

14.6 कठिन शब्दावली

14.7 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

14.8 संदर्भित पुस्तकें

14.9 सात्रिक प्रश्न

14.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने शब्द शुद्वि एवं वाक्य शुद्वि का गहन अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम मुहावरा एवं लोकोक्ति का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम प्रमुख मुहावरा एवं लोकोक्तियों का भी अध्ययन करेंगे।

14.2 उद्देश्य

इकाई चौदह का अध्ययन करने के पश्चात् हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. मुहावरा का अर्थ क्या है ?
2. प्रमुख मुहावरे कौन – कौन से हैं ?
3. लोकोक्ति क्या है ?
4. लोकोक्ति एवं मुहावरे में क्या अंतर है ?

14.3 मुहावरा

जब कोई वाक्याँश अपना कोशीय अर्थ न देकर लाक्षणिक अर्थ देने लगता है, तो भाषा में यह मुहावरा कहलाने लगता है। 'मुहावरा' मूलत: अरबी भाषा का शब्द है, लेकिन हिंदी भाषा में ऐसे घुल – मिल गया है, जैसे वह भाषा का ही शब्द हो। यही कारण है कि हिंदी में इसका ठीक – ठीक पर्याय भी नहीं है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा लाक्षणिकता, विशिष्टता, अर्थ गांभीर्य, स्वाभाविकता, प्रभावोत्पादन एवं चमत्कारोत्पादन की क्षमता आ जाती है। जैसे – 'आँख का तारा' का सामान्य अर्थ है 'आँख की पुतली' लेकिन इसका लाक्षणिक या यूँ कहें चमत्कारपूर्ण अर्थ है, 'बहुत प्यारा भाषा में भी इस वाक्याँश का लाक्षणिक अर्थ ही रूढ़ है तथा सभी इसका प्रयोग 'बहुत प्यारा' के अर्थ में ही करते आँखें की पुतली के रूप में नहीं। अत: कहा जा सकता है कि मुहावरे अपने लाक्षणिक अर्थ में रूढ़ होते हैं।

मुहावरों के उदाहरण

1. **अंकुश लगाना** = नियंत्रण रखना।

   माता – पिता को अपने बच्चों की हरकतों पर अंकुश लगाना चाहिए।

2. **अँगूठा दिखाना** = मौके पर इंकार करना, ऐन मौके पर धोखा देना
रमेश ने मुझे सहायता देने का वचन दिया था, मगर मेरे द्वारा मदद माँगने पर साफ अंगूठा दिखा दिया।

3. **अंधे की लाठी होना** = एकमात्र सहारा
श्रवण कुमार अपने अन्धे माता-पिता के लिए अंधे की लाठी के समान था।

4. **अंग-अंग ढीला होना** = थक जाना
सारा दिन पढ़ाई करने के पश्चात् मेरे अंग-अंग ढीले हो गए हैं।

5. **अंगारे उगलना** = क्रोध करना।
नौकर द्वारा कीमती फूलदान टूटता देखकर मालकिन ने अंगारे उगलना आरंभ कर दिया।

6. **अंधे के हाथ बटेर लगना** = अपात्र को अनायास लाभ होना।
दसवीं पास राम को बी.ए. पास पत्नी मिली, तो उसे सभी ने कहा, 'भाई यह तो अंधे के हाथ बटेर लगने वाली बात हो गई।'

7. **अपना उल्लू सीधा करना** = स्वार्थ सिद्ध करना।
आज के नेताओं को जनता की चिन्ता कहाँ। उन्हें तो अपना उल्लू सीधा करने से ही फुर्सत नहीं।

8. **अंगुली पर नचाना =** वश में करना।
स्त्रियाँ अपने पतियों को अंगुली पर नचाती हैं।

9. **अपना सा मुँह लेकर रह जाना =** विफल मनोरथ रह जाना, अपने उद्देश्य में असफल रहना।
कृष्ण ने जब मोहन को पैसे उधार देने से मना कर दिया, तब वह अपना-सा मुँह लेकर रह गया।

10. **अपने पाँवों पर आप कुल्हाड़ी मारना** = स्वयं अपनी हानि करना।
तुमने अपनी दुकान बेचकर अपने पाँवों पर आप कुल्हाड़ी मार ली।

11. **अपनी खिचड़ी अलग पकाना** = स्वार्थी होना, अलग होना।
राजेश पर कभी विश्वास मत करना, यह हमेशा अपनी खिचड़ी अलग पकाता है।

12. **'अपना ही राग अलापना** = अपनी कहना, दूसरे की न सुनना।
संसद में अधिकतर सदस्य सभापति की बात तो सुनते नहीं, केवल अपना ही राग अलापते रहते हैं।

13. **अपने पैरों पर खड़ा होना** = स्वावलम्बी होना।
निर्धन मोहन ने दिन-रात मेहनत करके पढ़ाई की और आज यह अपने पैरों पर खड़ा है।

14. **अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना =** अपनी प्रशंसा स्वयं करना।
राम को आता जाता तो कुछ नहीं, परन्तु हमेशा अपने मुँह मियां मिट्ठू बनता रहता है।

15. **अड़ियल टट्टू** = जिद्दी स्वभाव वाला।
राजीव से बिल पास कराना आसान नहीं क्योंकि यह पूरा अड़ियल टट्टू है।

16. **अक्ल पर पत्थर पड़ना** = सोचने विचारने की क्षमता न रहना।
लगता है रमेश की अक्ल पर पत्थर पड़ गए हैं, तभी तो उसे तुम जैसे भरोसेमंद दोस्त पर भी विश्वास नहीं।

17. **.आँख खुलना =** सही स्थिति का बोध होना।
सन् 1962 के चीनी आक्रमण के याद भारतीय नेताओं की आँखें खुली।

18. **आँख का तारा होना =** बहुत प्रिय होना।
सभी बच्चे अपने माता-पिता की आँखों के तारे होते हैं।

19. **आँख पर परदा पड़ना=** सच्चाई से अनभिज्ञ रहना।
जब तक सत्यप्रकाश अपनी पत्नी की झूठी बातों पर विश्वास करता रहेगा, तब तक उसकी आँख पर रहेगा।

20. **आकाश के तारे तोड़ना** = असंभव कार्य करने का प्रयास करना।
परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करना चाहते हो तो आकाश के तारे तोड़ने के समान मेहनत करो।

21. **आँखें फाड़कर देखना = उत्सुकता से घूरना** =
यूं आंखें फाड़कर क्या देख रहे हो, क्या पहले कार चलाती हुई लड़की नहीं देखी।

22. **आँख–कान खेलकर चलना** = सावधान होकर चलना।
पिता ने विदेश जाते बेटे को कहा है कि बेटे वहाँ पर हमेशा अपनी आँख कान खोलकर चलना।

23. **आँख की किरकिरी होना** = कष्टदायक होना।
जब से मैंने उसे चोरी करते देखा है, वह मेरी आंख की किरकिरी बना हुआ है।

24. **आँखों में चर्बी छाना** = अधिक घमण्ड होना।
राम अपने कल को भूल चुका है, आज तो उसकी आँखों पर चर्बी छा चुकी है।

25. **आँखें तरसना =** देखने का इच्छुक होना।
विदेश गए बेटे के लिए बूढ़ी मां की आंखें तरस गई।

26. **आँखें चुराना =** अपराध बोध से बचने का प्रयास करना।
जब से मैंने उसे सिगरेट पीते देखा है, तब से वह मुझसे आखें चुराता फिरता है।

27. **आँखें फेर लेना** = प्रतिकूल हो जाना, बदल जाना।
सच्चा दोस्त कितनी ही तरक्की क्यों न कर ले, अपने मित्रों से कभी आंखें नहीं फेरता।

28. **आँखों का काँटा होना =** दुश्मन होना, बुरा लगना।
जब से मोहन ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है तब से वह मेरी आंखों का काँटा बना हुआ है।

29. **आटे दाल का भाव मालूम होना** = वास्तविकता से परिचित होना।
माता–पिता की आकस्मिक मौत ने आवारा राकेश को आटे–दाल के भाव मालूम करवा दिया।

30. **आसमान टूट पड़ना** = बड़ी विपत्ति आना।
पति के देहांत से भोली–भाली कविता पर तो मानो आसमान ही टूट पड़ा।

31. **आँखों में धूल झोंकना** = धोखा देना।
उस वृद्ध महिला की आंखों में धूल झोंककर ठग उसके सारे जेवर ले गया।

32. **आंच न आने देना** = किसी भी तरह की विपत्ति न आने देना।
देश के नौजवानों को प्राण दे देने चाहिए पर मातृभूमि पर आंच न आने देनी चाहिए।

33. **आग में घी डालना** = भड़काने वाली बातें करना।
सास–बहू के झगड़े में प्राय: पड़ोसी आग में घी डालने का काम करते हैं।

34. **आपे से बाहर होना =** क्रोधित होना।
शिव धनुष भंग होने की सूचना पाकर परशुराम आपे से बाहर हो गए।

35. **आहुति देना** = त्याग करना।
इकलौते पुत्र को पालने के लिए उस विधवा ने बड़ी से बड़ी आहुति दी है।

36. **इशारे पर नचाना** = गुलामों की तरह काम कराना।
आजकल के नेता ईमानदार अधिकारियों को अपने इशारों पर नचाना चाहते हैं।

37. **इधर का उधर करना** = चुगली करना।
मोहिनी, तुम्हारी उम्र अभी इधर का उधर करने ही नहीं है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो।

38. **इज्जत अपने हाथ होना** = मर्यादा के वश में होना।
सोहन तुम्हें दूसरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए क्योंकि तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ होती है।

39. **इज्जत में बट्टा लगाना** = इज्जत खराब करना।
अवारा कमल ने अपनी शरारतों से अपने मां-बाप की इज्जत में बट्टा लगा दिया।

40. **ईद का चाँद होना** = मुश्किल से दर्शन देना।
मोहन और राकेश बरसों बाद मिले तो एक साथ बोल उठे, 'तुम तो ईद का चांद हो गए।'

41. **ईंट का जवाब पत्थर से देना** = कठोर जवाबी कार्यवाही करना।
यदि इस बार पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया तो उसकी हर ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा।

42. **इधर-उधर की हाँकना** = व्यर्थ की बातें करना।
राधा की बातों पर क्या विश्वास करना यह तो सदा इधर-उधर की हॉकती रहती है।

43. **उल्टी गंगा बहाना** = नियम विरुद्ध काम करना।
पुत्र से माफी माँगकर क्यों उल्टी गंगा बहा रहे हो।

44. **उल्लू बनाना** = मूर्ख बनाना।
भोली और सीधी महिलाओं को उल्लू बनाकर ढोंगी साधू अपना स्वार्थ साधते हैं।

45. **उल्टे पाँव लौटना** = तुरंत लौटना।
घर से निकलते ही पीछे-पीछे पुत्र की बीमारी का समाचार पाकर में तुरंत उल्टे पाँव लौट पड़ा।

46. **उधेड़बुन में पड़ना** = दुविधा में रहना।
सोनिया सदा उधेड़बुन में ही पड़ी रहती है, किसी निर्णय पर पहुँच ही नहीं पाती।

47. **उड़ती चिड़िया को पहचानना** = मन की बातें जान लेना।
पिता ने पुत्र से कहा कि बेटे झूठ मत बोलो। मैं उड़ती चिड़िया को पहचान लेता हूँ।

48. **उल्लू बोलना** = उजाड़ हो जाना।
सेठ दीवानचन्द्र की मृत्यु क्या हुई, उसके घर में उल्लू बोलने लगे हैं।

49. **उन्नीस-बीस का अन्तर** = थोड़ा अन्तर।
आजकल के सारे नेता स्वार्थी होते हैं उनमें केवल उन्नीस-बीस का अन्तर होता है।

50. **ऊँगली उठाना** = दोष लगाना।
सुभाषचन्द्र बोस एक सच्चे देशभक्त थे उन पर कोई भी ऊँगली नहीं उठा सकता।

51. **ऊँट के मुँह में जीरा** = बड़ी जरूरत के हिसाब से बिल्कुल थोड़ी-सी वस्तु।
पहलवानों को एक गिलास दूध देने से कुछ नहीं होगा। यह तो ऊँट के मुँह में जीरे के समान है।

52 **ऊँच-नीच सोचना** = भला-बुरा सोचना।
आजकल लड़की के माता-पिता को पुत्री के विवाह से पहले ऊँच-नीच सोच लेनी चाहिए।

53. **एक और एक ग्यारह होना** = संगठन में शक्ति होना, मिल-जुल कर बड़ा काम करना।
गौरव संगीत में रुचि रखता था और मोहन गाना गाने में। दोनों ने मिलकर आज अपनी अलग पहचान है। वास्तव में ये दोनों मिलकर एक और एक ग्यारह हो गए हैं।

54. **एक लकड़ी से हाँकना** = समान व्यवहार करना।
पुलिस वाले शरीफ नागरिकों और बदमाशों को एक ही लकड़ी से हाँकते हैं।

55. **एड़ी चोटी का जोर लगाना** = बहुत परिश्रम करना।
परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए राहुल ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया।

56. **एक पंथ दो काज** = एक ही उपाय से दो लाभ होना।
हरिद्वार कार्यालय के कार्य से जा रहा हूँ, गंगा स्नान भी कर लूँगा। एक पंथ दो काज हो जाएँगे।

57. **एक ही थैली के चट्टे-बट्टे** = सभी का एक जैसा होना।
यहाँ किस दल पर विश्वास करें, सभी एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं।

58 **औंधी खोपड़ी का होना** = मूर्ख।
प्रकाश तो औंधी खोपड़ी का है, उससे समझदारी की उम्मीद करना व्यर्थ है।

59. **ओंठ तक न हिलाना** = बिल्कुल चुप रहना।
राजन चोरी करते रंगे हाथ जब पकड़ा गया तब उसके ओंठ तक न हिले।

60. **औंधे मुँह गिरना** = पराजित होना।
यदि इस बार पाकिस्तान ने कोई दुस्साहस किया तो यह औंधे मुँह गिरेगा।

61. **औने-पौने करना** = जो कुछ मिले, उसी मूल्य पर बेच देना।
चोर ने चोरी की साइकिल औने-पौने में ही बेच दी।

62. **कलई खोलना** = भेद बताना।
पुलिस द्वारा सख्ती करने पर अभियुक्त ने सारी कलई खोल कर सामने रख दी।

63. **कलम तोड़ना** = बहुत अच्छा लिखना।
प्रेमचंद ने अपने उपन्यासों में कलम ही तोड़ कर रख दी है।

64. **कलेजे पर पत्थर रखना** = सहन करना।
युवा पुत्र के देहांत की खबर पाकर वो वृद्ध दंपत्ति कलेजे पर पत्थर रखकर रह गया।

65. **कंच बरसना** = समृद्धि आना।
जब से कृष्णकाल के तीनों पुत्रों ने व्यापार प्रारम्भ किया है, उसके घर कंचन बरसने लगा है।

66. **कलेजे पर साँप लोटना** = ईर्ष्या करना।
पड़ोसी की दस लाख की लाटरी निकलने की खबर सुनकर गीता के कलेजे पर साँप लोटने लगा।

67. **काला अक्षर भैंस बराबर** = निरक्षर।
शंकर को उपहार में पुस्तकें देना चाहते हो पर उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर है।

68. **कान का कच्चा होना** = बात पर जल्दी विश्वास कर लेना।
तुम अमित की बात मानकर अपने भाइयों से लड़ने को तैयार हो गए तुम तो बहुत कान के कच्चे हो।

69. **कानून छाँटना** = अधिक चतुराई दिखाते हुए कुतर्क करना।
उस धूर्त महाजन से तुम नहीं जीत सकते क्योंकि वह तो कानून छाँटता-फिरता है।

70. **कठपुतली होना** = दूसरे के संकेत में कार्य करना।
राम तो श्याम की कठपुतली हो गया।

71. **कफन सिर पर बाँधना** = हर प्रकार के संकटों के लिए तैयार रहना।
भारतीय सेना के जवान हमेशा कफन सिर पर बाँधे रहते हैं।

72. **कमर सीधी करना** = थकान मिटाना।
सोहन अभी कमर सीधी कर भी न पाया था कि अतुल उसे बुलाने आ गया।

73. **कलेजा ठण्डा होना** = सन्तोष होना।
अपनी बेटी के हत्यारों को सजा पाते देख माँ-बाप का कलेजा ठण्डा हो गया।

74. **कान फूंकना** = किसी के विरुद्ध फुसलाना।
शाम को ऑफिस से घर में पति के घुसते ही शीला ने अपनी सास के खिलाफ उनके कान फूंक दिए।

75. **कोल्हू का बैल** = दिन-रात काम करने वाला।
राके दिन-रात कोल्हू के बैल की तरह काम में लगा रहता है।

76. **खटाई में पड़ना** = संदिग्ध हो जाना।
केन्द्र में सत्ता परिवर्तन से कई कल्याणकारी योजनाओं का भविष्य खटाई में पड़ गया।

77. **खरी-खोटी सुनाना** = फटकारना।
कक्षा में शोर करने वाले छात्रों को अध्यापक महोदय ने खूब खरी-खोटी सुनाई।

78. **खाला जी का घर** = सरल काम।
प्रथम श्रेणी से बी.ए. पास करना खाला जी का घर नहीं है।

79. **खाक में मिला देना** = नष्ट कर देना।
भारतीय सेना ने शत्रुओं को खाक में मिला दिया।

80. **खेत रहना** = संग्राम या युद्ध में मारा जाना।
पानीपत की लड़ाई में इब्राहिम लोधी के लाखों सिपाही खेत रहे।

81. **खून के घूँट पीना** = अपमान सहना।
द्रोपदी के चीर हरण को देखकर पाण्डव खून के घूँट पी गए।

82. **खून सूख जाना** = भयभीत हो जाना।
सार्स बीमारी के कारण चीन के लोगों का खून सूख गया।

83. **गड़े-मुर्दे उखाड़ना** = पुरानी बातें याद करना।
राहुल, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई लाभ नहीं है, आओ दुबारा से दोस्ती कर लें।

84. **गाल फुलाना** = नाराज होना।
पति द्वारा साड़ी न लाने पर लता ने गाल फुला लिए।

85. **गुड़ गोबर होना** = काम बिगड़ना।
अच्छी खासी चल रही पार्टी में वर्षा के आ जाने से सारा गुड़ गोबर हो गया।

86. **गुदड़ी का लाल** = छिपा हुआ योग्य व्यक्ति।
श्री लाल बहादुर शास्त्री गुदड़ी के लाल थे।

87. **गागर में सागर भरना** = संक्षेप में बहुत कुछ कहना।
बिहारी ने अपने दोहों के द्वारा गागर में सागर भरने का कार्य किया है।

88. **घाव पर नमक छिड़कना** = दुखी व्यक्ति को और दुख देना।
बलराम पहले से ही गरीब है, अब उसे अपना धन दिखाकर तुम व्यर्थ में उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हो।

89. **घोड़े बेचकर सोना** = निश्चित होकर सोना।
अभी तो परीक्षा देने का समय है इसलिए मन लगाकर पढ़ लो। बाद में घोड़े बेचकर सो लेना।

90. **घर काटने को दौड़ना** = सूनापन अखरना, मन न लगना।
बेटी के विदा होते ही विधवा मां को घर काटने को दौड़ा।

91. **घी के दिये जलाना** = खुशी मनाना।
राम के अयोध्या लौटने पर लोगों ने घी के दिए जलाए।

92. **घुटने टेकना** = हार मान लेना।
पाकिस्तान की सेना ने हमारी सेना के आगे घुटने टेक दिए।

93. **घाव हरे होना** = बीते दुख याद आना।
मोहन की दुर्घटना में मौत होने की बात याद आते ही फिर घाव हरे हो गए।

94. **घर फूँककर तमाशा देखना** = अपनी हानि करके प्रसन्न होना।
पूनम ने तो घर फूंककर तमाशा देखने वाली बात की है तभी तो उसकी जग हँसाई हो रही है।

95. **घाट–घाट का पानी पीना** = अनुभवी होना।
सेठ चंपकलाल को धोखा देना सरल कार्य नहीं, उसने तो घाट-घाट का पानी पिया है।

96. **चादर देखकर पाँव फैलाना** = अपनी सीमा में काम करना।
जीवन में सुख से रहना है तो अपनी चादर देखकर ही पाँव फैलाने चाहिए।

97. **चार चाँद लगाना** = सुंदरता बढ़ा देना।
जिलाधीश महोदय ने विद्यालय के वार्षिक समारोह में पधारकर समारोह को चार चाँद लगा दिए।

98. **चाँदी का जूता मारना** = घूस देना।
आजकल के नेताओं को चाँदी के जूते मारो और अपना काम करवाओ।

99. **चिकना घड़ा** = जिस पर किसी बात का असर न हो, निर्लज्ज, बेशर्म।
अध्यापक ने सोहन को बहुत समझाया परन्तु वह तो चिकना घड़ा निकला।

100. **चादर से पाँव बाहर पसारना** = अपनी सीमा से बाहर जाना।
बेटी का विवाह होने वाला है इसलिए चादर से पाँव बाहर पसारने की भूल मत करो।

101. **चार दिन की चाँदनी** = थोड़े दिन का सुख।
तुम्हारे पिता का धन तो चार दिन की चाँदनी है। एक दिन तो तुम्हें मेहनत करनी ही पड़ेगी।

102. **जूती चाटना** = खुशामद करना।
अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कामचोर व्यक्ति ही उच्च अधिकारियों की जूती चाटते हैं।

103. **टका–सा जवाब देना** = साफ इंकार कर देना।
जब मैंने सोहन से अपने पैसे माँगे तो उसने टका-सा जवाब दे दिया।

104. **टांग अड़ाना** = बाधा डालना।
किसी के माँगलिक कार्यों में टांग अड़ाना अच्छी बात नहीं है।
105. **टोपी उछालना** = अपमानित करना।
आज के राजनीतिक नेता अपने प्रतिद्वंद्वी की टोपी उछालने में संकोच नहीं करते।
106. **ठन–ठेन गोपाल** = पैसा पास न होना।
महीने की अंतिम तारीखों में उधार माँग रहे हो पर अपना भी तो ठन–ठन गोपाल वाला हाल है।
107. **डूबते को तिनके का सहारा** = संकट काल में प्राप्त छोटी–सी सहायता का उपयोगी होना।
भूकम्प से पीड़ितों को दी गई आर्थिक सहायता डूबते को तिनके का सहारा सिद्ध हुई।
108. **तलवे चाटना** = चापलूसी करना।
क्यों अपने अधिकारियों के तलवे चाटते हो, मेहनत किया करो।
109. **तिल का ताड़ बनाना** = छोटी–सी बात को बड़ा कर कहना।
सोनिया ने सास से हुई लड़ाई को अपने पति को तिल का ताड़ बनाकर सुनाया।
110 **तारीफ के पुल बाँधना** = अत्यधिक प्रशंसा करना।
अजय ने दसवीं कक्षा क्या पास कर ली, उसके पिता सारे दिन उसकी तारीफों के पुल बाँधते रहते हैं।
111. **तारे गिनना** = व्यग्रता से प्रतीक्षा करना।
प्रेमी अपनी प्रेयी से मिलने के लिए रात–भर तारे गिनता है।
112. **तूती बोलना** = धाक जमना।
आजकल सारे संसार में सचिन तेंदुलकर की तूती बोलती है।
113. **थाली का बैंगन** = अस्थिर रहना।
आजकल के विधायक तो थाली के बैंगन है, सुबह किसी दल में तो शाम को किसी और दल में।
114. **दाँत खट्टे करना** = हराना।
शिवाजी की सेना ने कई बार मुगलों के दाँत खट्टे किए।
115. **दाल में काला** = रहस्य होना।
झाड़ी में छिपे युवकों की गतिविधियों से पुलिस ने अंदाजा लगा लिया कि दान में कुछ काला है।
116. **दाँतों तले उंगली दबाना** = आश्चर्य प्रकट करना।
पाँच साल की लड़की को कार चलाते देखकर सभी ने दाँतों तले उंगली दबा ली।
117. **दाल न गलना** = कार्य सिद्ध न कर पाना।
इस ईमानदार अफसर के रहते भ्रष्टाचारी कर्मचारी अपनी दाल नहीं गला पाएँगे।
118. **दूध का दूध, पानी का पानी** = न्याय करना।
न्यायाधीश महोदय ने इस मुकदमें में अपना निर्णय देकर दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया।
119. **दाँत पीसना** = क्रोध करना।
पुत्र के चोरी के अपराध में गिरफ्तार हो जाने की सुनकर सोमनाथ दाँत पीसने लगा।
120. **धाक जमाना** = अपना रौब दिखाना।
आज का प्रत्येक नेता दूसरे नेता पर धाक जमाना चाहता है।

121. **धूल में मिल जाना** = नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना।
रोशनलाल की मिल में आग क्या लगी, वह तो धूल में मिल गया।

122. **धूप में बाल सफेद होना** = अनुभव प्राप्त न करना।
मैं जानता हूँ कि तुम अभी इतने समझदार नहीं हुए हो, तुमने धूप में बाल सफेद किए हैं।

123. **फूटी आँख न सुहाना** = अच्छा न लगना।
माला को अपना सौतेला पुत्र फूटी आँख नहीं सुहाता है।

124. **फूला न समाना** = अत्यधिक प्रसन्न होना।
पुत्र द्वारा आई.पी.एस. की परीक्षा पास करने पर लखनपाल फूला न समाया।

125. **बगुला भगत होना** = पाखंडी होना।
नरेश की बातों पर कभी विश्वास न करना, वह तो बगुला भगत है।

126 **बहती गंगा में हाथ धोना** = दूसरे के प्रयास से अपना भी लाभ उठा लेना।
लोग श्याम के शत्रु को पीट रहे थे, लगे हाथ श्याम ने भी उसे पीटकर बहती गंगा में हाथ धो लिए।

127. **बाल बराबर न समझना** = कुछ भी न समझना।
इतनी देर से तुम उसे बातें समझाने की कोशिश कर रहे हो, मगर उसने तो बाल बराबर भी नहीं समझा है।

128. **बाल की खाल उतारना** = नुक्ताचीनी करना।
आजकल के वकील बाल की खाल उतारने में निपुण होते हैं।

129. **बात का धनी** = अपनी बात को पूरी तरह निभाने वाला, वचन का पक्का।
वह बात का धनी है, यदि उसने तुम्हारी मदद करने के लिए कहा है तो अवश्य करेगा।

130. **बाएँ हाथ का खेल** = बिल्कुल आसान काम।
सचिन तेंदुलकर के लिए चौका मारना तो बाएँ हाथ का खेल है।

131. **भाँग खा लेना** = विवेकहीन हो जाना।
जब तुमने उस नशेड़ी के साथ अपनी बेटी का रिश्ता तय किया था तब क्या तुमने भाँग खा ली थी।

132. **मन में लड्डू फूटना** = आन्तरिक आनन्द प्रकट करना।
जब से कंचन का विवाह निश्चित हुआ है तभी से उसके मन में लड्डू फूट रहे हैं।

133. **मगरमच्छ के आँसू बहाना** = दिखावे की सहानुभूति।
विपक्षी नेता की मृत्यु पर नेताओं ने मगरमच्छ के आँसू बहाने में कोई कसर नहीं छोड़ी।

134. **माथा ठनकना** = संदेह होना।
मकान का टूटा ताला देख मेरा माथा ठनक गया।

135. **मुँह की खाना** = पराजित होना।
भारत-पाक युद्ध में पाक सेना को मुँह की खानी पड़ी।

136. **मिट्टी पलीद करना** = लज्जित करना।
रमेश ने गबन करके अपने कुल की मिट्टी पलीद करवा दी।

137. **मैदान साफ होना** = निरापद रास्ता।
कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का जोश बढ़ाते हुए कहा, 'मैदान साफ है, आप आगे बढ़े।'

13 8. **मुँह में पानी भर आना** = ललचाना।

विवाह समारोह में स्वादिष्ट व्यंजन देखकर मेरे मुँह में पानी भर आया।

13 9. **रंगा सियार** = कपटी।

तुम इस साधु को बड़ा महात्मा समझते थे ये तो रंगा सियार निकला।

140. **राई का पहाड़ बनाना** = छोटी-सी बात को बड़ा बनाना।

स्त्रियाँ प्रायः राई का पहाड़ बना देती हैं।

141. **लकीर का फकीर होना** = पुरानी प्रथा पर चलना।

दुनिया चाँद पर पहुँच गई, मगर कट्टरपंथी अभी भी लकीर के फकीर बने बैठे हैं।

142. **लाल–पीला होना** = क्रोधित होना।

महरी से बर्तन टूटा देख विमला लाल-पीली होने लगी।

143. **लोहा मानना** = शक्ति स्वीकारना।

आज विश्व के सभी बड़े देश भारत की शक्ति का लोहा मानते हैं।

144. **विष उगलना** = विरोधी द्वारा कुप्रचार करना।

पाकिस्तान के अधिकांश समाचार-पत्र भारत के विरुद्ध विष उगलने का कार्य करते हैं।

145. **वेद वाक्य मानना** = अटूट सत्य स्वीकार करना।

जीवन की अन्तिम परिणति मृत्यु है-इस वेद वाक्य को न मानना बेवकूफी है।

146. **श्रीगणेश करना** = आरम्भ करना।

धार्मिक अनुष्ठान के बिना किसी भी माँगलिक कार्य का श्रीगणेश नहीं करना चाहिए।

147. **सिर पीटना** = पछताना

समय पर तो काम किया नहीं, अब सिर पीटने से क्या लाभ।

148. **सिर मुंडाते ही ओले पड़ना** = काम के आरम्भ में ही बाधा खड़ी होना।

राम ने कल दुकान खोली थी और आज उसमें चोरी हो गई। बेचारे के सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए।

149. **सूर्य को दीपक दिखाना** = किसी महान् व गुणी व्यक्ति की प्रशंसा करना।

सुभाषचन्द्र बोस के बारे में कुछ कहना मानो सूर्य को दीपक दिखाना है।

150. **साँप के मुँह में उंगली देना** = जानबूझकर मुसीबत मोल ले लेना।

इस कार्य में हाथ डालना तो साँप के मुँह में उंगली देना है।

151. **साँठगाँठ करना** = षड्यन्त्र में सम्मिलित होना।

इस सज्जन व्यक्ति को तंग करने के लिए तुम्हें विरोधियों से साँठगाँठ करते शर्म आनी चाहिए।

152. **सिर पर खून सवार होना** = हर समय मरने-मारने को तैयार रहना।

कुछ तो अक्ल से भी काम लिया करो। हर वक्त सिर पर खून सवार रहता है।

1.53 **सीधे मुँह बात न करना** = अकड़ में रहना।

पता नहीं शिखा को क्या हो गया है, सीधे मुँह बात ही नहीं करती।

154. **सेहरा बाँधना** = सम्मान देना। सारे कार्यक्रम की सफलता का सेहरा कमल प्रताप के सिर पर ही बँधेगा।

155. **सोने पर सुहागा** = अच्छे पर और अच्छा होना।

राम की एक माह पहले ही नौकरी लगी थी और अब उसकी सगाई भी हो गई। यह तो सोने पर सुहागा हो गया।

156. हवा हो जाना = भाग जाना।

पुलिस को आता देखकर चोर हवा हो गए।

157. हाथ के तोते उड़ना = हतप्रभ रह जाना।

जवान पुत्र की आकस्मिक मौत की खबर से रामलाल के हाथों के तोते उड़ गए।

158. हाथों हाथ लेना = गर्मजोशी से स्वागत करना।

अपने प्रिय नेता को जनता हाथों हाथ लेती है।

159. हाथ मलते रह जाना = पछताना।

जो समय पर मेहनत नहीं करते, वो जीवन भर हाथ मलते रह जाते हैं।

160. होश उड़ना = सुध-बुध खो बैठना।

पुलिस को देखकर चोर के होश उड़ गए।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 1

प्र. 1. 'जब वाक्याँश लाक्षणिक अर्थ देता है' तो वह क्या कहलाता है ?

प्र. 2. 'अँकुश लगाना' मुहावरे का अर्थ बताइए ?

14.4 लोकोक्ति

उत्तर-लोकोक्ति शब्द 'लोक + उक्ति' से मिलकर बना है। इसका अर्थ है, जनसाधारण में प्रचलित कथन। लोकोक्ति को भाषा में कहावत भी कहा जाता है। लोकोक्ति की विशेषता है कि यह सारगर्भित, संक्षिप्त तथा बहुत प्रभावकारी होती है। इसका प्रयोग किसी को उपदेश देने, मूल की ओर ध्यान दिलाने, किसी पर ढालकर कुछ कहने, उपालंभ देने, योग्य करने, मीठी चुटकी लेने या अपने कथन को प्रमाणित करने के लिए किया जाता है। इसका प्रभाव सीधे हृदय पर पड़ता है। जैसे जब कोई अज्ञानी अपनी बुद्धि की डींगें मार रहा हो, उस समय यदि उससे इतना भर कह दिया जाए-'अध जल गगरी छलकत जाए' तो वह भले ही चुल्लू भर पानी में न डूबे पर पानी-पानी अवश्य हो जाता है।

14.4.1 मुहावरे व लोकोक्ति में अंतर –

1. मुहावरा वाक्याँश के रूप में होता है, जबकि लोकोक्ति अपने आप में पूर्ण वाक्य होती है।
2. मुहावरों में क्रियापद परिवर्तित हो सकते हैं, जबकि लोकोक्ति का प्रयोग सदैव एक ही रूप में होता है।
3. मुहावरा वाक्याश्रित होने के कारण परमुखापेक्षी होता है, जबकि अर्थ की भूमिका पर लोकोक्ति स्वतः पूर्ण होती है।
4. मुहावरा जहाँ लक्ष्यार्थ या विलक्षण अर्थ में प्रयुक्त होता है, वहीं लोकोक्ति अपने अर्थ का स्वतंत्र बोध कराने के पश्चात् प्रकरण अनुसार किसी विशिष्ट अर्थ का बोध कराती है।
5. मुहावरों में क्रिया नहीं होती। प्रायः क्रिया पद या क्रियार्थक संज्ञा शब्द होते हैं, जबकि सोकोक्ति में क्रिया कभी अंत में, कभी मध्य में तो कभी प्रछन्न होती है।
6. मुहावरों की अपेक्षा लोकोक्ति का आकार बड़ा होता है।

लोकोक्तियों के उदाहरण

1. **अंधा क्या चाहे, दो आँखें –** जिस वस्तु की इच्छा हो, उसे प्राप्त करना।

   मोहन पहले से ही घर में बेकार बैठा था। सेठ जी ने उसे अपने यहाँ काम करने के लिए पूछा तो तुरंत हां बोल दी। अंधा क्या चाहे, दो आंखें।
2. **अंधा पीसे कुत्ता खाय** - किसी अयोग्य व्यक्ति की मेहनत से दूसरे लोग लाभ उठाते हैं।

हमें हिन्दी तो पढ़ाई सीधे-साधे अध्यापक रामलाल ने परंतु अच्छे परिणाम का श्रेय मुख्याध्यापक सोहनलाल को मिला। सच ही कहा है-अंधा पीसे कुत्ता खाय।

3. **अंधा बाँटे रेवड़ी, फिर-फिर अपने को ही दे**-अवसर पाते ही सगे संबंधियों को लाभ पहुँचाना।
जब से सावित्री रेल-मंत्री बनी है, तब से आज तक वह अपने परिवार के बीस सदस्यों को रेलवे में नौकरी दिला चुकी है। सच ही कहा है-अंधा बाँटे रेवड़ी, फिर फिर अपने को ही दे।

4. **अधजल गगरी छलकत जाय**-थोड़ा धन अथवा ज्ञान वाले दिखावा अधिक करते हैं।
कौशल है तो दसवीं पास परंतु बातें करता है एम.ए. पास की। अधजल गगरी छलकत जाय।

5. **अंत भला तो सब भला**-परिणाम अच्छा होने पर सब अच्छा मान लिया जाता है।
रामलाल जाते समय सबको कुछ न कुछ दे गया और अच्छाई पा गया। सबने उसकी तारीफ की। अंत भत सब भला।

6. **अपना हाथ जगन्नाथ-स्वावलंबी होना चाहिए।**
मुझे तुम्हारे झूठे वादों पर नहीं बल्कि अपनी बाजुओं के दम पर विश्वास है। सुना ही होगा अपना हाथ जगन्नाथ।

7. **अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता**-अकेला व्यक्ति असमर्थ होता है।
इतने बड़े आंदोलन को अपने बल पर चलाना चाहते थे? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता।

8. **अंधों में काना राजा**-गुणहीनों में थोड़ा गुणवान भी सम्मान पाता है।
सुरेश अपने समुदाय में अकेला पढ़ा-लिखा व्यक्ति होने के कारण अंधों में काना राजा वाली कहावत सिद्ध करता है।

9. **अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत**-समय बीत जाने पर पछताने पर क्या लाभ।
पढ़ने के समय तो खेलकूद और घूमने में लगे रहे और अब परीक्षा निकट आई तो रो रहे हो। अब पछताए। होता है, जब चिड़िया चुग गई खेत।

10. **अपनी करनी पार उतरनी**-अपने किए पर सफलता मिलती है।
मीना को पूरा यकीन था कि यो परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होगी। अपनी करनी पार उतरनी।

11. **अपनी-अपनी ढफली अपना-अपना राग**-सबकी अलग-अलग राय होना।
इस वक्त देश की राजनीतिक स्थिति पर अपनी-अपनी ढफली अपना राग-राग वाली कहावत सिद्ध हो रही है।

12. **आंख का अंधा-** मूर्ख धनवान।
किसी भाग्यवान नौकर को ही आंख का अंधा और गाँठ का पूरा मालिक मिलता है।

13. **आ बैल मुझे मार**-जान बूझकर मुसीबत मोल लेना।
मोहन जब दो बदमाशों को लड़ने से रोकने गया, तो दो थप्पड़ उसे भी पड़ गए। यह तो वही हुआ कि आ बैल मुझे मार।

14. **आम मरे जग प्रलय**-जब मनुष्य ही नहीं रहा तो उसे क्या।
मैं तो आखिरी बार उनका कर्ज चुका आया हूँ। मेरे मरने के बाद वे जो भी करें मुझे कोई चिंता नहीं। सच ही कहा गया है आप मरे जग प्रलय।

15. **आम के आम गुठलियों के दाम**-दोहरा लाभ।
पूरे साल किताबें पढ़ने के पश्चात् दो-तिहाई मूल्य पर बेच दीं। इसी को कहते हैं कि आम के आम गुठलियों के दाम।

16. **अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है** – अपने घर में निर्बल भी सबल हो जाता है।
सुंदर लाल देखने में तो दुबला – पतला सा था परंतु घर में घुसे तीनों चोरों से अकेले ही भिड़ गया। सही तो कहा गया है – अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है।

17. **आंख का अंधा, नाम नैनसुख** – नाम के अनुरूप गुण का न होना।
उसका नाम तो है गुणवती, मगर लोगों से बात तक तो करनी आती नहीं। आंख का अंधा, नाम नैनसुख।

18. **ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया** – परमात्मा की लीला विचित्र होती है।
क्या जमाना आ गया है एक तरफ तो कुत्ते गाड़ियों में घूमते हैं और दूसरी तरफ गरीब आदमी बसों में धक्के खाते हैं। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया।

19. **ऊधो का लेना न माधो का देना** – किसी से कोई मतलब नहीं।
अपना तो पूरी जिंदगी एक ही उसूल रहा कि ऊधो का लेना न माधो का देना।

20. **उल्टा चोर कोतवाल को डाँटे** – दोषी होकर निर्दोष को पकड़ना।
एक तो तुम्हारे कुत्ते ने मेरा बगीचा खराब कर दिया और उल्टा तुम मुझी पर बरस रहे हो – उल्टा चोर कोतवाल को डांटे।

21. **ऊँची दुकान फीका पकवान** – केवल बाहरी दिखावा।
मैंने इस बाजार की सबसे बड़ी दुकान से जूते खरीदे मगर दो महीने में ही फट गए। ऊँची दुकान फीका पकवान।

22. **ऊँट के मुँह में जीरा –** अधिक खाने वाले को थोड़ी वस्तु देना।
पहलवान को पेट भरने के लिए मात्र चार रोटी देना ऊँट के मुँह में जीरा के समान है।

23. **एक अनार सौ बीमार** – एक वस्तु के लिए अनेक ग्राहक होना।
एक पद के लिए पाँच सौ से भी ज्यादा आवेदन पत्र आ गए। एक अनार सौ बीमार वाली कहावत याद आ गई।

24. **एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है** – एक व्यक्ति के कारण सारा समाज कलंकित होता है।
रमेश की गंदी हरकतों के कारण उसका परिवार कलंकित होता है। सच ही कहा गया है – एक सड़ी मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है।

25. **एक हाथ से ताली नहीं बजती** – लड़ाई में दोनों पक्ष दोषी होते हैं।
तुम दोनों पक्ष ही दोषी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती।

26. **ओखली में सिर दिया तो मूसल से क्या डरना** – कठिन कार्य को करते वक्त संकटों से नहीं डरना चाहिए।
जब सरकार के खिलाफ कमर कस ली है तो अब डरते क्यों हो ? ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डरना।

27. **कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमति ने कुनबा जोड़ा** – भिन्न वस्तुओं को मिलाकर निम्न स्तर की वस्तु तैयार करना।
तुम्हारी संस्था भी कोई संस्था है? किराए के मकान में दफ्तर खोल लिया, मजदूरों को नौकरी पर रखकर उन्हें स्वयंसेवक बना दिया। पड़ोसियों को इसका सदस्य बना लिया। तुमने तो वही कर दिखाया – कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमति ने कुनबा जोड़ा।

28. **का बरखा जब कृषि सुखाने** – काम बिगड़ जाने के बाद मिलने वाली सहायता का कोई मूल्य नहीं होता।
जब तक मरीज तड़पता रहा, तब तक किसी ने भी उसे दवाई खरीद कर नहीं दी और अब जब मर गया तो सब पूछने चले आये।

29. **काठ की हांडी बार – बार नहीं चढ़ती** – छल कपट बार – बार काम नहीं आता।
उस धूर्त व्यक्ति की चालाकी इस बार गाँव वालों को नहीं ठग सकी। काठ की हाँडी बार – बार नहीं चढ़ती।

30. **खग ही जाने खग की भाषा–** साथ रहने वाले ही एक-दूसरे का स्वभाव जानते हैं।
अपनी सखी पायल की बातें तुम ही ठीक से समझ सकते हो। हम तो एक ही बात जानते है, खग ही जाने खग की भाषा।

31. **खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है**-एक को देखकर दूसरा भी रंग बदलता है।
अपने बड़े भाई को नशा करते देख छोटा भाई भी चोरी-छिपे नशा करने लगा। सच है-खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है।

32. **खोदा पहाड़ निकली चुहिया–** अधिक परिश्रम करने पर कम फल प्राप्त होना।
सुबह से शाम तक कमर तोड़ मेहनत की और मजदूरी मिली सिर्फ दस रुपये। यह तो वही बात हुई कि सो पहाड़ निकली चुहिया।

33. **गंगा गए गंगादास यमुना गए यमुनादास**- अवसरवादी। आजकल के नेताओं की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन पर तो गंगा गए गंगादास यमुना यमुनादास वाली कहावत सिद्ध होती है।

34. **गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है**-बुरे व्यक्ति के साथ उसका निरपराध सगा-संबंधी, मित्र भी फंसता है।
सभी जानते हैं कि चोरी मोहन ने की थी पर पुलिस उसके दोस्त अनिल को भी पकड़ कर ले गई। इसे कहते हैं गेहूँ के साथ घुन भी पिसता है।

35. **घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध**-घर के गुणवान व्यक्ति को कोई सम्मान नहीं देता।
राधा मोहन अंग्रेजी के सबसे अच्छे अध्यापक हैं परंतु उन्हीं के बच्चे अंग्रेजी की ट्यूशन के लिए ब्रजलाल के यहां जाते हैं। इसे कहते हैं-घर का जोगी जोगड़ा आन गाँव का सिद्ध।

36. **घर का भेदी लंका ढाए–** घर की फूट से हानि होती है।
दोनों साझीदारों के मामूली झगड़े की परिणिति आयकर कार्यालय जाकर हुई। एक ने दूसरे के सारे कच्चे चिट्ठे खोल दिए। घर का भेदी लंका ढाए।

37. **घोड़ा घास से यारी करे तो खाए क्या**-काम के बदले पारिश्रमिक माँगने में कोई बुराई नहीं।
पूरे साल तुम्हें पढ़ाया और अब पैसे देना नहीं चाहते। दोस्ती का वास्ता देते हो। घोड़ा घास से यारी करे। खाए क्या।

38. **चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाए**-कंजूस आदमी शारीरिक कष्ट उठा सकता है लेकिन खर्च नहीं कर सकता।
सेठ जी बीमारी से परेशान रह लेंगे। मगर इलाज में पैसा खर्च नहीं करेंगे। उनका तो सिद्धांत है कि चमड़ी जाए मगर दमड़ी न जाये।

39. **चोर की दाढ़ी में तिनका**-दोषी आदमी सदैव सशंकित रहता है।
घर में चोरी की बातें होते ही नौकर ने सफाई देनी आरम्भ कर दी। मैं तभी समझ गया चोर की दाढ़ी में तिनका है।

40. **जल में रहकर मगर से बैर**-जहाँ रहना हो वहाँ के लोगों से दुश्मनी।
एक ही दफ्तर में काम करते हुए अपने साथी की शिकायत करते हो। जल में रहकर मगर से बैर ठीक नहीं।

41. **जिसके पाँव न फटी विवाई वह क्या जाने पीर पराई**-स्वयं कष्ट सहे बिना दूसरे का कष्ट नहीं जाना जा सकता तुम अमीर लोग गरीबों के दुख दर्द नहीं जान सकते। सुना ही होगा जिसके पाँव न फटी बिवाई वह क्या जा पीर पराई।

42. **जिस बर्तन में खाना उसी में छेद करना**-अपने आश्रयदाता का ही बुरा चाहना।

मोहन को जब देखो अपने मालिक की बुराई अपने में जुटा रहता है। ठीक ही तो कहा गया है कि जिसमें खाना खाया उसी में छेद करना।

43. **जाको राखे साइयों मारि सके न कोय –** ईश्वर की कृपा जिस पर होती है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तीसरी मंजिल से गिरकर भी इस बालक को कुछ नहीं हुआ, मामूली खरोंच तक नहीं आई। इसी को कहते है जाको राखे साइयाँ मारि सकै न कोय।

44. **तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर –** आय के अनुसार ही व्यय करना चाहिए।
अगर जिंदगी खुशीपूर्वक जीना चाहते हो तो इस कहावत को कभी मत भूलो – तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौर।

45. **तू डाल – डाल, मैं पात – पात –** चालाक व्यक्ति को भी अपनी चालाकी से मात दे देना।
सुभद्रा अपने आपको बहुत चतुर समझती थी परंतु वह ठग उसे रुपये दुगुने करने का झांसा देकर उसके पाँच हजार लेकर भाग गया। इसे कहते हैं – तू डाल – डाल, मैं पात – पात।

46. **तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले** – खर्च कोई और करे, दुखी कोई और हो।
अरे, मैं अपने पैसे से होटल में खाना खाता हूँ पर बुरा तुम्हें लग रहा है। ये तो वही बात हुई – तेली का तेल जले, मसालची का दिल जले।

47. **दूध का जला छाछ को फूंक मारकर पीता है –** अति साधारण चीज से भी सावधान रहना।
जब से सेठ जी के मुनीम ने धोखा दिया है, वे एक साधारण नौकर को रखने से भी डरते हैं। कहावत है कि दूध का जला छाछ को फूंक मारकर पीता है।

48. **न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी** – मूल स्रोत ही समाप्त कर देना।
कोठी के बगीचे में लगे जामुन के पेड़ पर लोग अक्सर पत्थर फेंका करते थे। शर्मा जी ने पेड़ ही कटवा दिया। न रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी।

49. **नाच न जाने आँगन टेढ़ा –** अपने से काम न होने पर दूसरे पर दोष मढ़ना।
संगीता को टाइपिंग तो ठीक से आती नहीं और मशीन को ही खराब बता रही है। यह तो वही बात हुई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा।

50. **न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी –** ऐसी शर्त लगाना, जिसे पूरा करना संभव न हो।
लाला ने अपने बेटे के साथ विवाह की यह शर्त रखी कि उसे पढ़ाई के लिए विदेश भेजने का खर्च भी मैं उठाऊँ। मेरे लिए यह संभव नहीं। न नी मन तेल होगा न राधा नाचेगी।

51. **पर उपदेश कुशल बहुतेरे –** दूसरों को उपदेश देने में सभी चतुर होते हैं।
ये नेता जनता को सादा जीवन जीने को कहते हैं, लेकिन स्वयं वैभवपूर्ण जीवन जीते हैं। पर उपदेश कुशल बहुतेरे।

52. **पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं** – पराधीनता में कभी सुख नहीं मिलता।
नौकरी में चाहे वेतन कितना क्यों न हो, है तो गुलामी ही। सत्य ही कहा गया है – पराधीन सपनेहुँ सुख नाहीं।

53. **पाँचों अँगुलियाँ बराबर नहीं होती** – सभी व्यक्ति एक जैसे स्वभाव के नहीं होते।
मैं जानता हूँ कि मोहन चोर है पर उसके पिता व दोनों भाई बहुत ही ईमानदार हैं। ये तो वहीं बात हुई पाँचों अगुलियाँ बराबर नहीं होती।

54. **प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ, प्यासे के पास नहीं जाता** – जिसे आवश्यकता होती है वही दूसरों के पास एक तो तुम उधार माँग रहे हो और फिर कह रहे हो कि रुपये देने में ही तुम्हारे घर जाऊँ। नहीं, मुझसे यह न होगा। तुम नहीं जानते – प्यासा कुएँ के पास जाता है, कुआँ प्यासे के पास नहीं जाता।

55. **बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद**-मूर्ख व्यक्ति अच्छी वस्तु या अच्छे व्यक्तियों के गुणों को नहीं जानता मुझे तो लस्सी अच्छी लग रही है और तुम कहते हो कि सड़े दही की बनी हुई है। अरे, तुमने कभी लस्सी पी क्या? बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद।

56. **मुँह में राम बगल में छुरी**-बाहर से कुछ और, भीतर से कुछ और।
चीन और पाकिस्तान दोनों ही एक समान हैं। उनके मुँह में राम बगल में छुरी है।

57. **बद अच्छा बदनाम बुरा** -कुख्यात होने से बुरा होना अच्छा है।
किसी से काम कराने के बदले कुछ लेना भी हो तो चुपचाप लिया करो अन्यथा बदनाम हो जाओगे। कहावत है बद अच्छा बदनाम बुरा।

58. **बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाय**-जो जैसा करता है वैसा ही भोगता है।
सबका बुरा करते फिरते हो और अपने लिए अच्छे व्यवहार की आशा करते हो। बोया पेड़ बबूल का आम से कहाँ से खाय।

59. **मन चंगा तो कठौती में गंगा**-मन पवित्र हो तो भक्ति घर में ही संभव है।
अगर तुम्हारे विचार पवित्र हैं और किसी का बुरा नहीं चाहते हो तो तीर्थ स्थलों पर जाने की आवश्यकता नहीं। मन चंगा तो कठौती में गंगा होती है।

60. **मान न मान मैं तेरा मेहमान**- जबरदस्ती गले पड़ना।
अजीब आदमी हो तुम यार, जान न पहचान और घर में घुसे चले आ रहे हो। मान न मान मैं तेरा मेहमान।

61. **रस्सी जल गई पर बल न गया**-बुरी दशा होने पर घमंड न टूटना।
बेटे-बेटियों के काले कारनामे देखने के बाद भी ठाकुर वीरेंद्र प्रताप छाती तानकर चलते हैं-रस्सी जल गई पर बल न गया।

62. **सांच को आंच क्या**- सच्चे आदमी कोई डर नहीं।
पुलिस ने उसे झूठे आरोपों में गिरफ्तार तो कर लिया मगर न्यायालय ने बरी कर दिया। कहा गया है कि सांच को आंच नहीं।

63. **सीधी उंगली से घी नहीं निकलता**-सदा सरलता से काम नहीं बनता।
जब रमेश ने मेरी जमीन से कब्जा नहीं छोड़ा तो हारकर मैंने पुलिस की शरण ली तो एक दिन में ही काम हो गया। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता।

64. **हाथ कंगन को आरसी क्या**- प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती।
यदि आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो अपने पिता जी से पूछ लो, वे सब जानते हैं। हाथ कंगन आरसी क्या।

65. **होनहार बिरवान के होत चिकने पात**-गुणी आदमी के गुण बचपन में ही दिखाई दे जाते हैं।
एडिसन बाल्यकाल से ही जटिल प्रश्नों को हल करने लगा था। उसकी प्रतिभा को देखकर होनहार बिरवान होत चिकने पात वाली कहावत याद हो आती थी।

66. **हँसा थे जो उड़ गए कागा भये दीवान**-योग्य व्यक्तियों के स्थान पर अयोग्य व्यक्तियों का शासन।
इस कलियुग में सच्चे जन-सेवकों का अभाव है। अब तो बस हंसा थे जो उड़ गए कागा भये दीवान वाली बात सच्ची है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 2

प्र. 1. लोकोक्ति की भाषा में क्या कहा जाता है ?

प्र. 2. लोकोक्ति किस भाषा का शब्द है ?

14.5 सारांश

विशेष अर्थ को प्रकट करने वाले वाक्यांग को मुशवरा कहते हैं। मुहावरा संपूर्ण वाक्य नहीं होता है इसलिए इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं किया जाता है। विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक तथा ऐतिहासिक व्यक्तियों आदि पर आधारित सारगर्भित, लोक प्रचलित, संक्षिप्त उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं।

14.6 कठिन शब्दावली

रौद - कठोर, क्रोध

सत्कार – सम्मान

निपुण - कुशल

चेष्टा - कोशिश

अवहेलना - तिरस्कार

स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न – 1

उ. 1. मुहावरा

उ. 2. नियंत्रण रखना

अभ्यास प्रश्न – 2

उ. 1. कहावत

उ. 2. संस्कृत

14.8 संदर्भित पुस्तकें

(1) गिरीश चन्द्र जोशी, मुहावरे और लोकोक्तियाँ, हिंदी पुस्तक एजेंसी, कलकत्ता।

(2) सं. डॉ. शोभाराम शर्मा, मानक हिन्दी मुहावरा कोश, तक्षशिला प्रकाशन।

14.9 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. मुहावरा किसे कहते हैं? उदाहरण सहित वर्णन करें।

प्र. 2. लोकोक्ति शब्द से क्या अभिप्राय है? लोकोक्तियों के भेदों का वर्णन करें।

प्र. 3. मुहावरे तथा लोकोवित में क्या आन्तर है? स्पष्ट करें।

*****

इकाई – 15
हिन्दी की वर्ण व्यवस्था स्वर एवं व्यंजन

संरचना

15.1 भूमिका

15.2 उद्देश्य

15.3 वर्ण

स्वयं आकलन प्रश्न – 1

15.4 स्वर की परिभाषा एवं स्वरूप

15.4.1 स्वरों की विशेषताएँ

स्वर आकलन प्रश्न – 2

15.5 व्यंजन का अर्थ एवं परिभाषाएँ

15.5.1 व्यंजनों, की विशेषताएँ

स्वयं आकलन प्रश्न – 3

15.6 सारांश

15.7 कठिन शब्दावली

15.8 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

15.9 संदर्भित पुस्तकें

15.10 सात्रिक प्रश्न

15.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने मुहावरा एवं लोकोक्ति का गहन अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम वर्ण, स्वर की परिभाषा एवं स्वरूप, स्वरों की विशेषताएँ, व्यंजन का अर्थ एवं परिभाषा तथा व्यंजन की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

15.2 उद्देश्य

इकाई प्रदंह का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. वर्ण क्या है ?
2. स्वर की परिभाषा क्या है ?
3 स्वरों की विशेषताएँ क्या हैं ?
4. व्यंजन का अर्थ क्या है ?
5. व्यंजन की परिभाषा क्या है?

15.3 वर्ण

भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इसका मूलरूप मनुष्य के मस्तिष्क में बोध और अभिव्यक्ति की क्षमता के रूप में विद्यमान रहता है। आधुनिक भाषा विज्ञान में भाषा को ऐसी बौद्धि क्षमता के रूप में परिभाषित किया जाता है जो ध्वनि–प्रतीकों क माध्यम से अभिव्यक्त होती है। भाषा के इन्हीं ध्वनि व ध्वनि प्रतीकों का वर्ण के रूप में जाना जाता है।

'वर्ण' की परिभाषा : लिखित भाषा की वइ छोटी से छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, 'वर्ण' कहलाती है। अन्य शब्दों में मुख से निकलने वाली वह मूल लघुतम ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे 'वर्ण'

कहते हैं। 'वर्ण' भाषा के उच्चरित और लिखित दोनों रूपों के प्रतीक हैं और वे ही भाषा की लघुतम इकाई है। उदाहरण के लिए- 'राम बाजार गया'। इस वाक्य में वर्णों की स्थिती निम्नलिखित प्रकार से है। र+आ+म+अ, ब+आ+ज+आ+र+अ, ग+अ+य+आ। इसके आगे इनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये लघुतक ध्वनि रूप हैं। इसलिए ये 'वर्ण' कहलाते हैं।

हिन्दी वर्णमाला (वर्ण व्यवस्था)। वर्णों का क्रमबद्ध रूप वर्णमाला कहलाता है। हिन्दी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले वर्णों का विस्तृत वर्णन इस प्रकार से है। इनके दो भेद हैं।

वर्ण

1. स्वर 2. व्यंजन

1. स्वर :- जिन ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती अर्थात् जिन ध्वनियों के उच्चारण समय हवा मुँह से बिना किसी रूकावट के निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। जैसे- अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ। इनकी संख्या ग्यारह है। 'स्वर' के तीन भेद हैं।
2. व्यंजन :- वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 33 + 2 (विकसित ध्वनियाँ) 35 मानी जाती हैं।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न–1

प्र. 1. भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है?

प्र. 2. वर्ण कितने प्रकार के होते हैं?

15.4 स्वर की परिभाषा एवं स्वरूप

स्वर की परिभाषा एवं स्वरूप – भाषा वैज्ञानिक ने अपने-अपने तरीके से स्वर तथा व्यंजन की परिभाषाएँ दी हैं। प्रसिद्ध व्याकरण पंतजलि ने स्वर तथा व्यंजन की परिभाषा देते हुए लिखा है -

स्वयं राजन्ते स्वराः, अन्वग् भवति व्यंजनमिति।

इसका अर्थ है कि जो स्वयं प्रकाशित होते हैं, वे स्वर हैं जो अनुगामी होते हैं, वे व्यंजन हैं। अर्थात् व्यंजन स्वरों के सहायता से उच्चरित होते हैं। इस परिभाषा से स्पष्ट होता है कि स्वर एक मुख्य स्वन है, परन्तु व्यंजन असहाय ध्वनि है। परन्तु आधुनिक भाषा विज्ञान के कारण पंतजलि की मान्यता व खंडित हो चुकी है, क्योंकि संसार में कुछ ऐसी भाषाएँ हैं, जिनमें स्वर नहीं होते। अफ्रीका में इसी नाम की ऐसी भाषा है, जिसके व्यंजन स्वरों की सहायता बिना उच्चरित होते हैं। चैकोस्लोवाकिया की चैक भाषा की भी यही स्थिति है। डॉ. ओ.पी. भारद्वाज ने स्वर की परिभाषा देते हुए लिखा है -''स्वर ने स्वन हैं, जिनके उच्चारण में कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता और श्वास वायु मुख विचार से बिना किसी बाधा के उच्चरित होती है।'' स्वरों के बारे में विद्वानों ने अलग-अलग भाषाएँ दी हैं -

डॉ. भोलानाथ तिवारी लिखते हैं - ''स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं, जिनके उच्चारण में 'मुँह' के वायु मार्ग में किसी भी प्रकार की पूर्ण या अपूर्ण रुकावट नहीं होती।''

डॉ. रत्न चन्द्र शर्मा के अनुसार, 'जिस ध्वनि का उच्चारण स्वतः हो जाता है और उसके उच्चारण के लिए किसी अन्य सहायक ध्वनि की आवश्यकता नहीं पड़ती उसे स्वर कहते हैं।''

ब्लॉक के अनुसार, ''स्वर उन ध्वनियों को कहते हैं जो मुख में किसी प्रकार अवरुद्ध हुए बिना उच्चरित होती हैं। फेफड़ों से आने वाली वायु ओष्ठ और उससे आगे तक अवरुद्ध नहीं होती। इनको कहीं संकीर्ण मार्ग से नहीं निकलना पड़ता। यह मुख विवर की स्वर सीमा से ऊपर नहीं जाती, इसमें स्वरतंत्री से ऊपर वाले वाक्-अवयव में कम्पन नहीं होता। यह साधारणतः या मौन ध्वनि होती है, परन्तु ऐसा अनिवार्य नहीं है।''

डॉ. कपिल द्विवेदी के अनुसार - ''स्वर यह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से मुख बिवर से बाहर निकलती है।''

15.4.1 स्वरों की विशेषताएँ

(i) सभी स्वर सघोष होते हैं उनके उच्चारण में स्वरतंत्रियों मे अधिक कम्पन होता है।

(ii) स्वर मुख विवर के किसी भी अंग का स्पर्श नहीं करते।

(iii) स्वरो का उच्चारण देर तक किया जा सकता है।

(iv) व्यंजनों के बिना स्वरों का उच्चारण आसानी से हो सकता है।

(v) स्वरों को अधिक दूर तक सुना जा सकता है।

(vi) स्वरों में स्वराघात सहन करने की भी शक्ति होती है।

(vii) व्यंजनों के साथ मिलकर स्वर अक्षरों का निर्माण करते हैं।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 2

प्र. 1. स्वरों की संख्या कितनी मानी जाती है?

प्र. 2. स्वरों के कितने प्रकार होते हैं?

15.5 व्यंजन का अर्थ एवं परिभाषाएँ

ध्वनि विज्ञान के अनुसार संघोष वह ध्वनि है, जिसके उच्चारण में श्वास नालिका से आती हुई वायु अबाध गति से मुख से निकल जाती है और मुख विवर में ऐसा कोई संकोच नहीं होता कि तनिक भी संघर्ष अथवा स्पर्श हो। किन्तु व्यंजनों के मुख विवर में रुकावट अवश्य आती है। स्वर और व्यंजन के अन्तर को स्पष्ट करते हुए डॉ. देवेन्द्र नाथ शर्मा ने लिखा भी है - ''स्वर ने ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करते समय नि:श्वास में कहीं कोई अवरोध उत्पन्न नहीं होता (यदि होता है तो अन्पल्प)। व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं, जिनका उच्चारण करते समय नि:श्वास में कहीं न कहीं अवराध अवश्य होता है।'' व्यंजन के बारे में विद्वानों ने अलग-अलग परिभाषाएँ दी हैं-

1. डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, '' व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा अबाध गति से बाहर निकल नहीं पाती। या तो इसे पूर्व अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से घर्षण रखते हुए निकलना पड़ता है, मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पाश्वों से निकलना पड़ता है, या किसी भाग की कंपित करते हुए निकलता पड़ता है। इस प्रकार वायु मार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है।''
2. डॉ. कपिल द्विवेदी के अनुसार, ''व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में वायु अबाध गति से बाहर नहीं निकल पाती है।''
3. डॉ. रामचन्द्र वर्मा के अनुसार, ''जिस ध्वनि का उच्चारण के लिए स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं।''
4. ब्लॉक एवं ट्रेगर के अनुसार, ''व्यंजन वह ध्वनि है, जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु स्वरतंत्री या मुखमार्ग में कहीं पूर्णतया रोकी जाती है या अत्यन्त संकुचित मार्ग से निकलती है या मुख विवर को स्वर-सीमा से हटाते हुए जिह्वा के एक या दोनों ओर से निकलती है या स्वरतंत्री से ऊपर वाले किसी वाकू अवयव में कम्पन पैदा करती है।''
5. डॉ. नरेश मिश्र के अनुसार, ''व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में सवर ध्वनि का सहयोग अनिवार्य हो, नि:श्वास की वायु मुख विवर से उबाध गति से निकल नहीं पाती, बरनू बाधित होने के कारण घर्षण करती हुई बाधित हुई बाहर आती है।''

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट हो जाता है कि स्वरों के उच्चारण के समय प्राणवायु मुख विवर में बिना किसी बाधा के उत्पन्न होती हैं लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राण वायु मुख विवर से कहीं न कहीं अवश्य बाधित होती है। इसलिए महाभष्यकार पतंजलि ने लिखा भी है –''स्वयं राजेन्ते स्वराः अन्वगू भवति व्यंजनम्''। अर्थात् स्वर स्वतन्त्र रूप से शोभित होते हैं और व्यंजन उनका नुसरण करते है। क, ख, ग आदि व्यजन अपने मूल रूप में उच्चरित नहीं हो सकते। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। छोटे बच्चों को हिन्दी के वर्णो की पहचान करवाने के लिए स्वरों का ही सहयोग लिया जाता है। जैसे – क, का, कि, की, कू, कु, के, कै, को, कौ, कं, कः।

15.5.1 व्यंजनों की विशेषताएँ

व्यंजनों के निम्नलिखित विशेषताएँ हो सकती हैं:-

1. स्वरों की सहायता के बिना व्यंजनों का उच्चारण करना कठिन होता है।
2. व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख विवर में प्राण वायु अवरुद्ध होती है।
3. व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता।
4. व्यंजनों अक्षरों का निर्माण नहीं कर सकते।
5. व्यंजनों में स्वराघात नहीं होता।
6. व्यंजन सुनने में अधिक फुस्फुट नहीं होती।

व्यंजनों का वर्गीकरण – व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जा सकता है।

1. उच्चारण स्थान के आधार पर।
2. प्रयत्न के आधार पर।
3. स्वर तंत्रियों की स्थितियों के आधार पर।
4. प्राणत्व के आधार पर।
5. अनुनासिकता के आधार पर।
6. संयुक्तता के आधार पर।
7. मांसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर।

2. स्वर तथा व्यंजन में अन्तर –पहले बताया जा चुका है कि व्यंजन ध्वनियों स्वतः उच्चरित नहीं हो सकती। उसके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होती है। स्वरों के उच्चारण में फेफड़ों से बाहर आने वाले प्रश्वास वायु श्वास नलिका में स्थित स्वरतत्रियों से घर्षण करती हैं। जिसके फलस्वरूप सभी स्वर घोष होते हैं। परन्तु स्वर मुख विवर में कहीं बाधित नहीं होते। इसके विपरीत व्यंजनों में प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवां, वर्ण श्वास नलिका में स्वर तंत्रियों से घर्षण करने के कारण घोष कहलाते हैं। लेकिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख विवर के किसी न किसी स्थान पर प्रश्वास वायु में अवश्य ही टकराव, घर्षण एवं बाधा होती है। उदाहरण के रूप में क, ख, ग, घ आदि व्यंजन अपने मूल रूप में उच्चरित नहीं हो सकते। इनके उच्चारण में स्वर की सहायता आवश्यक है जैसे – कू + अ = क, ख् + अ = ख, ग् + अ = ग, म् + अ = घ। अन्य स्वर भी व्यंजनों के उच्चारण में सहयोग देते हैं। यधा – किसान = क + इ + स् +आ +न् + अ। इससे स्पष्ट हो जाता है कि स्वरों के उच्चारण में प्रश्वास वायु मुख विवर में बाधित नहीं होती। परन्तु व्यंजनों के उच्चारण में प्रश्वास वायु मुख विवर में कहीं-न-कहीं अवश्य बाधित होती है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 3

प्र. 1. व्यंजन वर्णो की संख्या कितनी होती है ?

प्र. 2. 'स्वयं राजेन्ते स्तराः अन्वगू भवति व्यंजनम' किसकी परिभाषा है ?

15.8 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न – 1

उ. 1. वर्ण

उ. 2. दो प्रकार के

अभ्यास प्रश्न – 2

उ. 1. ग्यारह

उ. 2. तीन

अभ्यास प्रश्न – 3

उ. 1. तैंतीस

उ. 2. पतंजलि

15.9 संदर्भित पुस्तकें

(1) ज.म. दीमशित्स, हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा, राजकमल, प्रकाशन, दिल्ली।

(2) डॉ. लक्ष्मीनारायण शर्मा, हिंदी व्याकरण, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा।

15.10 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. स्वर की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप का वर्णन करें।

प्र. 2. स्वरों की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।

प्र. 3. व्यंजन का अर्थ, परिभाषा देते हुए उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।

*****

इकाई – 16
स्वर एवं व्यंजन के प्रकार

संरचना

16.1 भूमिका

16.2 उद्‌देश्य

16.3 स्वर के प्रकार – हस्व, दीर्घ तथा संयुक्त

स्वयं आकलन प्रश्न – 1

16.4 व्यंजन के प्रकार – स्पर्श, अन्तस्थ, ऊष्म, अल्प्राण, महाप्राण घोष तथा अघोष।

16.4.1 व्यंजन स्वनों का वर्गीकरण

स्वयं आकलन प्रश्न – 2

16.4 सारांश

16.6 कठिन शब्दावली

16.7 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

16.8 संदर्भित पुस्तकें

16.9 सात्रिक प्रश्न

16.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने स्वर एवं व्यंजन का गहन अध्ययन किया। प्रस्तुत इकाई में हम स्वर के प्रकार – ह्रस्व, दीर्घ तथा संयुक्त का अध्ययन करेंगे। इसके साथ व्यंजन के प्रमुख प्रकारो का भी विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

16.2 उद्‌देश्य

इकाई सोलह का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. ह्स्व स्वर क्या है ?
2. दीर्घ एवं संयुक्त स्वर क्या है ?
3. व्यंजन के प्रमुख प्रकार कौन – कौन से हैं ?
4. व्यंजनों का वर्गीकरण कितने आधार पर होता है ?

16.3 स्वर के प्रकार – ह्रस्वं, दीर्घ तथा संयुक्त

स्वर ध्वनियाँ एक प्रकार की गूँज होती है और गूँज उस स्वर पर निर्भर करती है, जिसमें होती है, अतः विवर की दृष्टि से स्वरों का वर्णन अधिक उपयोगी और सुविधाजनक होता है। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता तथा रुकावट के स्वतन्त्र रूप से होता है, वह स्वर कहलाते हैं। डॉ. मंगलदेव शास्त्री के अनुसार :– स्वर ऐसी प्रघोष आवाज को कहते हैं, जिसके उच्चारण में वायु के प्रवाह की गति मुख हो से बिना किसी रुकावट के होती है और किसी प्रकार का सुनने में आने वाला भौतिक अवयवों का घर्षण नहीं होता।

उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के निम्नलिख्ति भेद किए जा सकते हैं।

1. **ह्रस्व स्वर –** ह्स्व स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों की अपेक्षा कम समय लगता है। जैसे अ, इ, उ।
2. **दीर्घ स्वर –** जिन स्वरों के उच्चारण में ह्स्व स्वरों से दुगुना समय लगता है, उसे दीर्घ स्वर कहते हैं जैसे – आ, ई, ऊ, औ।

3. **प्लुन स्वर –** जिन स्वरों के उच्चारण में हृदय स्वर से तिगुणा समय लगे। वर्तमान में प्लुन को अभिव्यक्त करने के लिए (3) अंक बना दिया जाता है। जैसे ओम (ओयम्)

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 1

प्र. 1. अ, इ, उ किस स्वर के उदाहरण हैं?

प्र. 2. हृस्व स्वर से तिगुना समय किस स्वर में लगता है?

16.4 व्यंजन के प्रकार – स्पर्श, अन्तस्थ, ऊष्म, अल्पप्राण, महाप्राण घोष तथा अघोष

व्यंजन की अवधारणा – श्रवणीयता के आधार पर हिन्दी स्वनों के दो वर्ग हैं – स्वर तथा व्यंजन। व्यंजन ध्वनियां स्वतन्त्र रूप से उच्चरित नहीं हो सकती। वे स्वरों की सहायता से ही उच्चरित होती हैं। डॉ. कर्णसिंह के अनुसार – ''व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनके उच्चारण में स्वर खण्ड से बाहर निकलती हुई श्वास मुख-नासिका के सन्धि-स्वत के मुख-बिवर में कहीं-न-कहीं अवरुद्ध होकर या संघर्षित होकर या नासिका से बाहर निकलती है। व्यंजनों के उच्चाण में जिस तालु आदि स्थानों का स्पर्श करती है तथा स्फोट होता है। यही कारण है कि व्यंजनों की सामान्यतया स्पर्श तथा स्फोट ध्वनियाँ भी कहा जाता है।''

डॉ. भोलानाथ तिवारी व्यंजन को पभिाषित करते हुए लिखते हैं- ''व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में हवा गति से बाहर नहीं निकलने गती या तो इसे पूर्ण अवरुद्ध होकर फिर आगे बढ़ना पड़ता है, या संकीर्ण मार्ग से स्पर्श करते हुए निकलना पड़ता है, मध्य रेखा से हटकर एक या दोनों पाश्वों से निकलना पड़ता है, या किसी भाग को आकर्षित करते हुए निकलना पड़ता है। इसके प्रकार वायुमार्ग में पूर्ण या अपूर्ण अवरोध उपस्थित होता है।''

स्टीक एंवं ट्रेगर के अनुसार, ''व्यंजन वह ध्वनि है जिसके उच्चारण में फेफड़ों से आने वाली वायु स्वतन्त्री या मुख मार्ग से कहीं पूर्णतया रोकी जाती है या अत्यन्त संकुचित मार्ग से निकलती है, या मुखबिवर को स्वर-सीमा से हराते हुए, जिस के एक या दोनों ओर से निकलती है या स्वर-तंत्री से ऊपर वाले किसी बाकू अवयव में कम्पन पैदा करती है।''

डॉ. नरेश मिश्र लिखते हैं, ''व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं, जिनके उच्चारण में स्वर ध्वनि का सहयोग अनिवार्य हो, निःश्वास वायु मुख बिवर से आबाध गति से निकल नहीं पाती है, बरनु घर्षित होने के कारण अर्पण करती हुई बाहर जाती हैं।''

स्पष्ट है स्वरों को उच्चारण के समय प्राण, वायु मुख-बिवर में अबाधित रहती है, लेकिन व्यंजनों के उच्चारण समय प्राण-वायु मुख-बिवर मं कहीं-न-कहीं अवश्य बाधित रहती है। इस संक्षेप में महाभाष्यकार पतंजलि ने लिखा भी है, ''स्वयं राजन्ते स्वरा अन्वगू भवति व्यंजनयू अर्थात् स्वर स्वतंत्र रूप से शोषित होते हैं तथा व्यंजन उनका अनुसरण करते हैं।''

हिन्दी के क् ल् ग् आदि व्यंजन अपने मूल रूप में उच्चरित नहीं हो सकते। इनके उच्चारण के लिए स्वर के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। यथा मोहन = म् + ओ + ड् + अ+न+अ। इस उदाहरण में म्, ह्, न् आदि व्यंजन स्वरों की सहायता से उच्चरित हुए हैं। छोटे बच्चों को हिन्दी के वर्णो की पहचान कराने के लिए जो विभिन्न स्वरों का सहयोग लिया जाता है, उसका उदाहरण देखिए – क, का, कि, की, कु, कू, के, कै, को, कौ आदि में कू व्यंजन विभिन्न स्वरों की सहायता से उच्चरित हुआ है। व्यंजनो की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं –

(i) स्वरों के बिना व्यंजनों का उच्चारण कठिन होता है।

(ii) व्यंजनों के उच्चारण के समय प्राण वायु मुख-बिवर में कहीं-न-कहीं अवरुद्ध होती है या संघर्ष करती है।

(iii) व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता।

(iv) व्यंजन अक्षर नहीं बना सकते।

(v) व्यंजन स्वराघात दहन नहीं करते।

(vi) व्यंजन सुनने में अधिक परिष्कुट नहीं होते।

16.4.1 व्यंजन स्वनों का वर्गीकरण

व्यंजनों का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है -

1. उच्चारण स्थान के आधार पर।
2. प्रयत्न के आधार पर।
3. स्वर तंत्रियों की स्थितियों के आधार पर।
4. प्राणत्व के आधार पर।
5. अनुनासिकता के आधार पर।
6. संयुक्तता के आधार पर।
7. माँसपेशियों की दृढ़ता कके आधार पर।

1. स्थान के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण- स्थान के आधार पर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण निम्नलिखित उपबिंदुओं के अंर्तगत किया जाता है -

(i) **काकत्व (Glottal)–** जिन व्यंजनों का उच्चारण कण्ठ में स्थित काकल (स्वर-यंत्र मुख) से होता है, उनको काकत्व व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण के समय मुख-बिवर पूर्णतया खुला रहता है। हिन्दी से 'ह' व्यंजन काकल (स्वरयंत्र मुखी) कहा जाता है।

(ii) **कण्ठ्व (Guttural)–** हिन्दी के वे व्यंजन जिनका उच्चारण कण्ठ से होता है उन व्यंजनों को कण्ठ्व व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा का पिछला भाग (जिह्वा मूल) तालु का स्पर्श करता है। कबर्ग के पहले के चार व्यंजन क, ख, ग कण्ठ्व व्यंजन है।

(iii) **तालव्य (Palatala)–** जिन व्यंजनों का उच्चारण तालु से होता है, उनको तात्व्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वग्र कठोर तालु को स्पर्श करता है। हिन्दी के धवर्ग के चार व्यंजन - च, छ, ज, झ तथा य, श तालव्य व्यंजन हैं।

(iv) **मूर्धन्य (Cerebrals)–** जिन व्यंजनों का उच्चारण मूर्धा से होता है, उनको मूर्धन्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वग्र (जिह्व का आगे का भाग) कठोर तालु के पिछले भाग से स्पर्श करता है। हिन्दी के टवर्ग के चार वर्ण ट, ठ, ड़, ढ तथा र और प मूर्धन्य व्यंजन हैं।

(v) **वर्त्स्य (Alreotars)–** जिन व्यंजनों का उच्चारण वर्त्स व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वनीक वर्त्स अर्थात् ऊपरी मसूड़े का स्पर्श करती है या वर्त्स समीप पहुँचकर एक झटके से साथ मुड़कर पीछे हट जाती है। वर्त्स व्यंजनों में म,ल,र, ज, ड़ गिनवाए जा सकते हैं।

(vi) **दन्त्य (Dental)–** जिन व्यंजनों का उच्चारण दातों से होता है।, उनको दन्त्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जिह्वा की नोक (जिह्वनीक) ऊपरी दत्न-पंक्ति का स्पर्श करती है। त, य, द, प, न तथा स व्यंजन दन्त्य हैं।

(vii) **ओष्ठ्म (Libiala)–** जिन व्यंजनों का उच्चारण दोनों ओष्ठों से होता है, उनको ओष्ठ्म व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय दोनो ओष्ठ स्पर्श करते हैं तथा जिह्वा निष्क्रिय रहती है। प, फ, ब, भ ओष्ठ्म व्यंजन हैं।

(viii) **जिह्वामूलीय–** जिन व्यंजनों का उच्चारण जिह्वामूल से होता है, उनको जिह्वामूली व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्ववा का मूल भाग तालु के पिछले भाग से इल्का-सा स्पर्श करता है। क, ख तथा ग, ज व्यंजन जिह्वामूलीय हैं। ये व्यंजन अरबी से उर्दू में तथा उर्दू से हिन्दी में आये हैं।

(ix) **दन्त्योष्ठ्य (Dento-Libals)–** जिन व्यंजनों का उच्चारण दांतों तथा ओष्ठों दोनों के सहयोग से होता है, उनको दन्तयोष्ठ्य व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के सयम दांत ओष्ठ का स्पर्श करते हैं। ब तथा फ दोनों ही दन्तयोष्ठ्य व्यंजन हैं।

2. **प्रयत्न के अधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण –** हिन्दी व्यंजनों के उच्चारण के समय पाएँगे (जिह्वा, ओष्ठ, दन्त, मूर्घा आदि) की सक्रियता को ही प्रयत्न कहते हैं। व्यंजनो का उच्चारण करते समय इन अवयवों को विशेष प्रयास करना पढ़ता है। अतः प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण इस प्रकार है -

(i) **स्पर्श व्यंजन –** स्पर्श वे व्यंजन हैं जिनके उच्चारण के समय कण्ठ से लेकर ओठों तक के बागंगों को या तो जिह्व स्पर्श करती है अथवा कोई दो या अधिक बागंग पर स्वर स्पर्श करते हैं। कवर्ग के ('क', 'ख', 'ग', 'घ'), स्वर्ग के ('ट', 'ठ', 'ड', 'ढ'), ('त', 'थ', 'द', 'ध') तथा पवर्ग के ('प', 'फ', 'ब', 'भ') के सभी चॉबीस व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं। इन व्यंजनों के उच्चारण के समय जिह्वा अथवा दोनो ओष्ठ परस्पर स्पर्श करते हैं।

(ii) **स्पर्श संघर्षी –** जिन व्यंजनों के उच्चारण में कोई दो बागंग एक दूसरे को स्पर्श करके बाहर निकलने वाली प्रश्वास की वायु में आंशिक बाधा उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप उन्हें निकलने में कुछ संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यंजनों को स्पर्श संघर्षी व्यंजन कहते हैं। अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन व्यंजनों के उच्चारण में वागंगों का स्पर्श भी होता है और प्रश्वास वायु को संघर्ष भी करना पड़ता है। हिन्दी के सवर्ग - च, छ, ज, झ चारों ही स्पर्श संघर्षी व्यंजन है।

(iii) **संघर्षी–** जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख के बागंग परस्पर इतने समीप आ जाते हैं कि बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु को इस संकरे मार्ग से निकलने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, ऐसे व्यंजनों को संघर्षी व्यंजन कहते हैं। ख, ग, ज, श, ष, स ये संघर्षी व्यंजन है।

(iv) **पार्श्विक –** जिन व्यंजनों के समय जिह्वा की नोक भूर्घा का स्पर्श करती है और बाहर निकलने वाली प्रश्वास वायु जिह्वा के अगल-बगल से निकलती है, उस समय निकलने वाले व्यंजन को पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। हिन्दी भाषा में प्रयत्न की दृष्टि से 'ल' पार्श्विक व्यंजन है।

(v) **लुण्ठित–** लुण्ठित वे व्यंजन हैं जिनका उच्चरण करते समय जिह्वा की नोक बेलन की भाँति लुड़ककर बर्त्स का स्पर्श करके (मसूढ़ा) तीचे लुड़क जाती है। हिन्दी में 'र' लुण्ठित व्यंजन हैं।

(vi) **उत्क्षिप्त –** ये वे व्यंजन हैं जिनका उच्चरण करते समय जिह्वा की नोक वायु को झटके से स्पर्श करके हट जाती है। हिन्दी में ड़, ढ़ दोनों स्वन उत्क्षिप्त व्यंजन हैं। यहाँ इस बात का उल्लेख करना होगा कि दोनो स्वन हिन्दी के अपने हैं, संस्कृत भाषा में ये ध्वनियाँ नहीं हैं।

(vii) **अन्तःस्य या अर्द्धस्वर –** हिन्दी में कुछ व्यंजन ऐसे हैं, जिनकी प्रकृति स्वरों के समान है, लेकिन उनमें व्यंजनों की प्रकृति भी है। ऐसी ध्वनियों को अन्तःस्य या अर्द्ध व्यंजन कहते हैं। इन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा न तो व्यंजनों के उच्चारणों की भाँति तालु या मूर्घा का स्पर्श करती है और न ही स्वरों के उच्चारण के समान सर्वथा अलग ही रहती है लेकिन इनकी स्वरों के उच्चारण के समान कोई मात्रा नहीं है। इसीलिए इनको व्यंजनों में रखा जाता है। 'य' और 'व' दोनों ही अन्तःस्य अथवा अर्द्धःस्वर हैं।

(viii) **नासिक्य या अनुनासिक –** जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय वायु मुख बिवर से न निकलकर नासिका मार्ग से बाहर निकलती है, उन्हें नासिक्य अथवा अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। हिन्दी में पाँचों वर्गों के अंतिम वर्ण (ङ, ञ, ण, न, म) नासिक्य व्यंजन हैं।

3. **स्वर तंत्रियों के आधार पर –** व्यंजनों का उच्चारण करते समय स्वर तत्रियों की गतिशीलता अलग–अलग होती है। अत: स्वर तंत्रियों की गतिशीलता के कारण हिन्दी व्यंजनों के दो वर्ग हैं - घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन।

(i) **घोष –** जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वरतंत्रियाँ संकरी हो जाती हैं और उनमें कुछ तनाव भी हो जाता है, साथ ही प्रश्वास वायु के बाहर निकलने में संघर्ष करना पड़ता है जिससे स्वर–तंत्रियों में थोड़ा कंपन उत्पन्न होता है, ऐसे व्यंजनों को हम घोष कहते हैं। पाँचों वर्गों के अंतिम तीन वर्ण घोष व्यंजन हैं। ये हैं ग, घ, ङ, झ, ञ, द, ध, न, ब, भ, म घोष व्यंजन हैं।

(ii) **अघोष –** जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय स्वरतंत्रियाँ खुली होती हैं शिथिलता भी आ जाती है तथा प्रश्वास वायु का बाहर निकलने में कोई संघर्ष नहीं करना पड़ता और न ही स्वर तंत्रियों में कंपन उत्पन्न होता है, उन्हें अघोष व्यंजन कहते हैं। पाँचों वर्गों की प्रथम दो ध्वनियाँ अघोष हैं। ये हैं - क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ आदि।

4. **प्राणत्व के आधार पर –** प्राण को श्वास भी कहते हैं। बाहर निकलने वाली प्राण वायु को 'प्रश्वास' कहते हैं। प्राणत्व के आधार पर ध्वनियों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है - अल्पप्राण और महाप्राण।

(i) **अल्पप्राण –** वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय प्रश्वास वायु की कम मात्रा बाहर निकलती है, ऐसी ध्वनियों को उल्पप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। पांचों वर्गों के प्रथम और तृतीय ओर पंचम वर्ण अल्पप्राण हैं। ये हैं - क, ग, ङ, च, ज, ञ, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म आदि।

(ii) **महाप्राण –** वे ध्वनियाँ जिनके उच्चारण के समय प्रश्वास वायु की अधिक मात्रा बाहर निकलती है, ऐसी ध्वनियों को महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। पाँचों वर्गों के द्वितीय और चतुर्थ वर्ण महाप्राण हैं। ये हैं - ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, ध, फ, भ आदि।

5. **अनुनासिकता के आधार पर –** मुख–बिवर और नासिका–बिवर से निकलने वाली प्रश्वास वायु के आधार पर व्यंजनों के मौखिक और नासिक्य या अनुनासिक भेद है।

(i) **नास्किय अथवा अनुनासिक्य –** जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्रश्वास–वायु प्राय: नासिका बिवर से निकलती है, उन्हें हम नासिक्य या अनुनासिक्य व्यंजन कहते हैं - ङ, ञ, ण, न, म पांचों अनुनासिक्य व्यंजन हैं, लेकिन चन्द्र (ँ) अर्द्धनासिक्य हैं, जैसे हँस और इस में यह अन्तर स्पष्ट देखा जा सकता है।

(ii) **मौखिक –** जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय प्रश्वास–वायु केवल मुख बिवर से ही उत्पन्न होती है, उन्हें हम मौखिक व्यंजन कहते हैं। नासिका व्यंजनों को छोड़ कर बाकी सभी व्यंजन मौखिक व्यंजन कहलाते हैं।

6. **माँसपेशियों की दृढ़ता के आधार पर :–** हिन्दी के व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की माँसपेशियों में कुछ तो दृढ़ता होती है, कभी शिथिलता और कभी माँसपेशियाँ सामान्य होती है। इस आधार पर हिन्दी व्यंजनों के तीन हैं- दृढ़ व्यंजन, शिथिल व्यंजन और मध्यम व्यंजन।

(i) **दृढ़ व्यंजन –** जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की माँसपेशियाँ दृढ़ व्यंजन कहते हैं यथा - ट, भ, ढ, ड चारों दृढ़ व्यंजन हैं।

(ii) **शिथिल व्यंजन –** जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की माँसपेशियाँ शिथिल होती हैं, उन्हें हम शिथिल व्यंजन कहते हैं। क, न, म, प, र, ल आदि शिथिल व्यंजन हैं।

(iii) **मध्यम व्यंजन –** जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय मुख की माँसपेशियाँ न तो दृढ़ होती हैं और न ही शिथिल होती हैं, बल्कि सामान्य स्थिति में रहती है, उनको हम मध्यम व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में च, ब, श आदि मध्यम व्यंजन हैं।

7. **संयुक्तता के आधार पर** – संयुक्तता के आधार पर हिन्दी वर्णों को तीन वर्गों में विभक्त किया जा सकता है –

(i) **वियुक्त या स्वतंत्र** – जो व्यंजनों स्वतंत्र अथवा पृथक रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हें वियुक्त अथवा स्वतंत्र व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के रूप में क, च, ट, त, प, भ आदि वियुक्त या स्वतंत्र व्यंजन हैं। कमल, रमन, दमन आदि में वियुक्त व्यंजनों का प्रयोग किया जाता है।

(ii) **संयुक्त** – जब दो भिन्न ध्वनियों में से एक अपूर्ण हो, दूसरी पूर्ण हो तो दोनों मिल कर संयुक्त व्यंजन का निर्माण करते हैं। यथा– युद्ध (दूध), भिन्न (न्, न), चन्द्र (न् ट् र) आदि संयुक्त व्यंजन हैं। इनमें क्ष, ञ, ज्ञ, श्र, क्ष (क् + ष), त्र (त् + र), ज्ञ (ज्+ञ) श्र (श्+र) ये चारों परम्परागत संयुक्त व्यंजन हैं।

(iii) **द्वित्व** – जब किसी एक व्यंजन का अर्द्धांश उसी के पूर्ण रूप से संयुक्त हो जाता है उन द्विव्य की स्थिति उत्पन्न होती है। यथा – बच्चा, कच्चा, पक्का आदि में बच्चा (च् + चा, कच्चा (च् + च) पक्का (क् + क) आदि द्वित्य व्यंजन के उदाहरण हैं।

व्यंजन तालिका **उच्चारण स्थान के आधार पर**

	ओष्ठ्य	दत्त्योष्ठय	दन्त्य	वर्त्स्य	भूर्घत्य	तातन्य	काष्ठय	जिह्वा–	स्वर–
								मूतीय	तन्त्रीय
स्पर्श	प फ ब भ		त ध द ध		ट ठ ड ढ		क ख ग घ		
स्पर्श–संघर्षी संघर्षी		फ		ज		च छ श्		ग़ ख	ळ
		द्		स					
पश्विक			ल						
लुण्ठित					र				
उत्क्षिप्त					ड़ ढ़				
अनुनासिक	म		न		ण		ञ	ड.	
अर्धस्वर या		द्					य्		
अन्तस्य									

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 2

प्र. 1. 'ट' वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है ?

प्र. 2. 'ज्ञ' किस प्रकार का व्यंजन है ?

16.5 सारांश

स्वर बिना किसी अन्य वर्णो की सहायता से बोले जाते हैं जिनमें हत्स्व, दीर्घ तथा प्लुत हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते है जिनमें स्पर्शी, अंतस्थ एवं उष्म प्रमुख भेद हैं। व्यंजन वर्णो के उच्चारण में उच्चारा स्थान पर उत्पन्न अवरोध की प्रकृति भिन्न–भिन्न प्रकार की होती है।

16.6 कठिन शब्दावली

अकर्मण्य - आलसी

बर्दाश्त - सहना

प्रतिरूप - छाया

आवन - आगमन

मधुकर - भौंरा

16.7 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न – 1

उ. 1. ह्रस्व स्वर

उ. 2. प्लुत स्वर

अभ्यास प्रश्न – 2

उ. 1. मूर्धा

उ. 2. संयुक्त व्यंजन

16.8 संदर्भित पुस्तकें

(1) कामता प्रसाद गुरु, हिन्दी व्याकरण, पवन पॉकेट बुक्स, दिल्ली।

(2) प्रो. रामलखन मीणा, भाषिकी हिंदी व्याकरण, राजस्थान हिन्दी ग्रंथ अकादमी।

16.9 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. स्वर का परिचय देते हुए उसके भेदों का उदाहरणसहित वर्णन करें।

प्र. 2. व्यंजन से क्या अभिप्राय है? व्यंजन के भेदों का विस्तार से विवेचन कीजिए।

प्र. 3. उच्चारण के आधार पर व्यंजनों की विस्तृत व्याख्या कीजिए।

*****

इकाई – 17
वर्णों के उच्चारण स्थान

संरचना

17.1 भूमिका
17.2 उद्देश्य
17.3वर्णों का उच्चारण स्थान : कंठ तालव्य, मुर्धन्य, दन्तय, ओष्ठ्य तथा दंतोष्ठ्य।
स्वयं आकलन प्रश्न – 1
17.4 बलाघात
स्वयं आकलन प्रश्न – 2
17.5 संगम
स्वयं आकलन प्रश्न – 3
17.6 अनुतान
स्वयं आकलन प्रश्न – 4
17.7 सारांश
17.8 कठिन शब्दावली
17.9 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर
17.10 संदर्भित पुस्तकें
17.11 सात्रिक प्रश्न

17.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने स्वर एवं व्यंजन के प्रकारों का अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम वर्णों के उच्चारण स्थानों का अध्ध्ययन करेंगे। इसके साथ-साथ हम बलाघात, संगम तथा अनुतान का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

17.2 उद्देश्य

इकाई सत्रह का अध्ययन करने के पश्चात हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. वर्ण किसे कहते हैं ?
2. वर्णों के प्रमुख उच्चारण स्थान कौन-कौन से हैं ?
3. बलाघात क्या हैं ?
4. अनुतान क्या है ?

17.3 वर्णो का उच्चारण स्थान : कण्ठ, तालव्य, मुर्धन्य, दन्तय, ओष्ठ्य तथा दन्तोष्ठ्म।

ध्वनि उत्पादन में अनेक स्थानों की भूमिका होती है रहमान्यत: ध्वनि-उतपादक अचल अंग को स्थान कहते हैं। ध्वनि-गतपति के सन्दर्भ में नि:श्वास की वायु जहाँ परबाधित या विकृत हो जाए तो उसे स्थान की संज्ञा देते हैं। फेफड़े से चली हुई वायु स्वर यंत्र से लेकर ओष्ठ तक के विभिन्न स्थानों को पार करती है। श्वास लेते समय वायु को इसके विपरीत औष्ठ से स्वरयन्त्र तक के विभिन्न स्थानों से गुजरना होता है। स्थान के आधार पर वर्षो का वर्गीकरण निम्नलिखित है :-

1. **स्वर यंत्र मुरव :–** इसे काकल भी कहते हैं। य स्वर यन्त्र का ऊपरी भाग है, जो दो झिल्लियों से निर्मित होता है। स्वरयन्त्र मुख खुला रहने पर विश्वास की वायु तेजी से बाहर आती है। ऐसी ध्वनि की स्वरयंत्र मुखी का काकल ध्वनि कहते हैं।

2. **कण्ठ :–** कण्ठ से उच्चरित होने वाले वर्णों को कण्ठ्म कहा जाता है। इसके उच्चारण में जिह्वा का पश्च भाग कोमल तालु को स्पर्श करता है। जैसे क, ख, ग, घ आदि।
3. **तालव्य :–**मुख विवर के ऊपर के भाग को तालू कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण तालु से होता है, उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। जैसे इ, ई, च, छ, ज, झ आदि हिन्दी के तालष्य वर्ण हैं।
4. **मूर्धन्य :–** संस्कृत में इसे 'तर्स्व' कहते हैं। दस पक्तियों के उपरी भाग को वर्त्स की सज्ञा दी जाती है। जब नि:श्वास की वायु वर्त्स के स्पर्श के पश्चात् बाहर जाए, तो वत्सर्य ध्वनि का उत्पादन होता है। जैसे 'ह' ध्वनि।
5. **वर्त्स्य :–** सस्कृत में इसे 'तर्स्व' कहते हैं। दस पंक्तियों के उपरी भाग को वर्त्स की संज्ञा दी जाती है। जब नि:श्वास की वायु वर्त्स के स्पर्श के पश्चात् बाहर जाए, तो वात्सर्य ध्वनि का उत्पादन होता है। जैसे 'ह' ध्वनि।
6. **दन्त्य :–** जिन वर्णों का उच्चारण दन्तों की सहायता से होता है उन्हें दन्त्य ध्वनि कहते हैं। इनके उच्चारण में जिहवा की नोक दाँतों की उपरी पंक्ति का स्पर्श करती है। त, भ, द, ल, स आदि दन्त्य वर्ण है।
7. **औष्ठ :–** मुख का आह्य अंग-ओष्ठ ध्वनि उत्पत्ति में विशेष सहयोगी होता है। ओष्ठ की दोहरी भूमिका होती है। कभी तो ओष्ठ दाँत का स्पर्श कर ध्वनि उत्पन्न करते हैं, भूमिका में सामने आते हैं। जैसे उ, ऊ, प, फ, ब, भ, म आदि।
8. **दन्तोष्ठय :–** जिन वर्ण ध्वनियों का उत्पादन दन्त और ओष्ट से होता है, उन्हें दन्तोष्ठय वर्ण कहा जाता है इनके उच्चारण में दोनो ओष्ठों का परस्पर पूरा स्पर्श नहीं होता और जिह्वा का अग्र भाग कुछ ऊपर उठता हे परन्तु दन्त्य व्यंजनों के समान दोनों का पूरा स्पर्श नहीं करता जैसे – 'व' और फारसी का 'फ' वर्ण दन्तोष्ठय वर्ण है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न–1

प्र. 1. स्वर यंत्र मुख को क्या कहते हैं?

प्र. 2. 'क' वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है?

17.4 बलाघात

बोलने में प्राय: ऐसा देखा जाता है कि उच्चारण के हर भाग पर बराबर बल नहीं दिया जाता। वाक्य में कभी एक शब्द पर बल अधिक होता है, जो कभी दूसरे पर। बोलने में इस बल को ही 'बलाघात' कहते हैं। बलाघात से अभिव्यक्ति में बल बढ़ता है और सम्प्रेषण प्रभावपूर्ण रहता है। बलाघात वक्ता की मानसिकता से भी सम्बन्धित होता है। वह जितना भावों से भरा होता है, उसकी भाषा उतनी ही बलाघातयुक्त होती है। भाविक स्तर पर बलाघात ध्वनिगत, अक्षरगत, वदगत और वाक्यगत होते हैं।

ध्वनि–बलाघात

जब किसी एक अक्षर में एक से अधिक ध्वनियाँ हों तो प्राय: इन ध्वनियों में एक ध्वनि बलाघात-युक्त तथा मुखर होती है। उदाहरण के लिए 'घास' शब्द में एक ही अक्षर है जिसमें घ् + आ + स् तीन ध्वनियाँ हैं। स्पष्ट है इन तीनों में 'आ' बलाघात-युक्त है। अर्थात् 'घास' के 'आ' पर बलाघात-युक्त है। अर्थात् 'घास' के 'आ' पर बलाघात है। हिन्दी में एक अक्षर के भीतर ध्वनि बलाघात उस स्वर पर होता है, जो अक्षर में शीर्ष का काम करता है।

अक्षर–बलाघात

जब किसी शब्द में एक से अधिक अक्षर हों तो उनमें कोई एक बलाघात-युक्त होता है। उदाहरण के लिए 'मुसलमान' में 'मान' पर प्रथम या मुसल बलाघात है, 'सल' पर दूसरा तथा 'मु' पर तीसरा।

शब्दगत बलाघात

एक से अधिक शब्दों के वाक्यों में अर्थ सम्बन्धी विशेषता लाने के लिए या ज़ोर देने के लिए कभी-कभी एक शब्द पर बल देते हैं, जिसे शब्द-बलाघात कहा जा सकता है।

(क) मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए।

(ख) मुझे एक खिड़की वाला मकान चाहिए।

'क' में एक पर, ख मे खिड़की पर बलाधात है।

अपनी इच्छा के अनुसार वाक्य के किसी भी महत्त्वपूर्ण शब्द पर बल देकर अर्थ में विशिष्ता ला सकता है।

वाक्यगत बलाघात

जब बोलने वाला किसी एक विशेष वाक्य पर बल देता है, उसे वाक्यगत बलाघात कहते हैं।

तुम ने चोरी की और अब सीनाज़ोरी भी कर रहे हो। वाह रे नौकर! भाग जाओ यहाँ से।

स्पष्ट है यहाँ 'भाग जाओ यहाँ से' पर बल होगा और इसमें भी 'भाग जाओ' अंश पर और अधिक बल होगा।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 2

प्र. 1. किसी शब्द या अक्षर पर विशेष बल क्या कहलाता है?

प्र. 2. 'घास' शब्द में बलाघात बताइए।

17.5 संगम

संगम से आशय है यदीय सीमा। उच्चारण में केवल स्वरों और वयंजनों के उच्चारण, उनकी ह्रदय और दींघ गुण और उनके बलाघात का ही ध्यान नहीं रखा जाता बल्कि उनका उच्चारण के समय पदीय सीमाओं का भी ध्यान रखा जाता है। यही सीमा संकेत संगम कहलाता है। संगम दिखाने के लिए + चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। संगम हमेशा दो ध्वनियों के बीच में ही होता है। संगम की दृष्टि दो मोन-काल या विराग-काल है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 3

प्र. 1. संगम से क्या आशय है?

प्र. 2. संगम दिखाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है?

3.6 अनुतान

कोई वाक्य अथ्वा शब्द अर्थात् एकाधिक ध्वनियों की भाषिक इकाई का उच्चारण करते समय हमारा सुर कभी तो ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। पुर के इसी उतार-चढ़ाव को सुरलहर अथवा अनुतान कहते हैं। इस दृष्टि से विश्व में दो प्रकार की भाषाएँ हैं।

(1) तान भाषाएँ (जिनमें अनुतान से शब्द का अर्थ तथा व्याकरणार्थ भी बदल जाता है, जैसे चीनी, बर्मी भाषाओं में)

(2) अतान भाषाएँ (जिनमें अनुतत्व से केवल आश्चर्य, प्रश्न, अनिष्ठा, आज्ञा आदि का भाव व्यक्त होता है जैसे हिन्दी, अंग्रेजी आदि)

राम आ गया।

राम आ गया।

राम आ गया?

पहला वाक्य अपने विशेष अनुतान के कारण सामान्य कथन है, दूसरे वाक्य में विशेष अनुतान के द्वारा आश्चर्य व्यक्त किया जाता है। तीसरा वाक्य प्रश्नावाचक है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 4

प्र. 1. स्वर के उत्तार–चढ़ाव को क्या कहा जाता है?

प्र. 2. अनुतान को अन्य किस नाम से जाना जाता है?

17.7 सारांश

किसी वाक्य के उच्चारण में किसी एक शब्द पर बल अधिक होता है। उसे बलाघात कहते हैं। वाक्य से उच्चारण में जो उतार–चढ़ाव होता है वह अनुतान कहलाता है। यह व्यक्ति की भाषा तथा उसके शब्दों के उच्चारण में सहायक होते हैं तथा साथ ही उच्चारण तथा कथ्न को प्रभावशाली बनाते हैं।

17.8 कठिन शब्दावली

रिपु - शत्रु

प्रवचना - धोखा

निदाप - गर्मी

आभा - चमक

कीर - तोता

17.9 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न – 1

उ. 1. काकल

उ. 2. कण्ठ

अभ्यास प्रश्न – 2

उ. 1. बलाघात

उ. 2. आ पर

अभ्यास प्रश्न – 3

उ. 1. पदीय - सीमा

उ. 2. ‘ + ’ चिह्न

अभ्यास प्रश्न – 4

उ. 1. अनुतान

उ. 2. सुरलहर

17.10 संदर्भित पुस्तकें

(1) श्यामचन्द्र कपूर, सरल हिन्दी व्याकरण, प्रभात प्रकाशन, दिल्ली।

(2) ज.म. दीमशित्स, हिन्दी व्याकरण की रूपरेखा, राजकमल प्रकाशन दिल्ली।

17.11 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. वर्णो के उच्चारण स्थानों का विस्तार से वर्णन करें।

प्र. 2. बलाघात से क्या अभिप्राय है? उदाहरण सहित बताइए।

प्र. 3. संगम और अनुतान की परिभाषित कीजिए।

*****

इकाई – 18

संधि एवं संप्रेषण की अवधारणा

संरचना

18.1 भूमिका

18.2 उद्देश्य

18.3 संधि के भेद

स्वयं आकलन प्रश्न - 1

18.4 सम्प्रेषण की अवधारणा

18.4.1 सम्प्रेषण की परिभाषा

18.4.2 सम्प्रेषण की प्रकृति अथवा स्वरूप

18.4.3 सम्प्रेषण की विशेषताएँ

18.4.4 सम्प्रेषण के तत्व

स्वयं आकलन प्रश्न - 2

18.5 सारांश

18.6 कठिन शब्दावली

18.7 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

18.8 संदर्भित पुस्तकें

18.9 सात्रिक प्रश्न

18.1 भूमिका

पिछली इकाई में हमने वर्णों के उच्चारण स्थान का गहन अध्ययन किया है। प्रस्तुत इकाई में हम संधि एवं उसके भेद, भाषा सम्प्रेषण के चरण, सम्प्रेषण की अवधारणा, परिभाषा, प्रकृति अथवा स्वरूप, सम्प्रेषण की विशेषताएँ तथा सम्प्रेषण के तत्वों का विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे।

18.2 उद्देश्य

इकाई अठारह का अध्ययन करने के पश्चात् हम यह जानने में सक्षम होंगे कि -

1. संधि क्या है ?

2 संधि के कितने भेद हैं ?

3. भाषा सम्प्रेषण क्या है ?

4. सम्प्रेषण की अवधारणा एवं परिभाषा क्या है ?

5 सम्प्रेषण की विशेषताएँ क्या हैं ?

18.3 संधि

दो अत्यंत समीपवर्ती वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को सन्धि कहते हैं। संधि एक प्रक्रिया है। जैसे - विद्या + आलय

द् + इ + द् + य् + आ + आ + ल् + अ + य्:अ

द् + इ + द् + य् + आ + ल् + अ + + य् + ज = विद्यालय

उपरोक्त उदाहरण में प्रथम शब्द का अन्तिम वर्ण या के 'आ' तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ग 'आ' में संधि ही है, तथा यहाँ दोनो 'आ' का ही रूप धारण कर रहे हैं।

संधि – विच्छेद-संधि वाले शब्दों की व्याकरण के नियमों के अनुसार अलग-अलग का पूर्व अवस्था में लाना संधि-विच्छेद कहलाता है।

यथा –	विद्यालय	=	विद्या + आलय
	देवालय	=	देव + आलय
	जगदीश	=	जगत् + ईश
	मनोरथ	=	मन + रथ

संधि और संयोग में अन्तर

संधि और संयोग में बहुत बड़ा अन्तर होता है। संयोग में अक्षर या वर्ण ज्यों के त्यों रहते हैं, संधि में उच्चारण के नियमानुसार दो अक्षरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। अर्थात् संयोग में केवल मेल होता है, यथा-

यथा-	अधिक	+	ता	=	अधिकता
	सज्जन	+	ता	=	सज्जनता
संधि -	जगत्	+	नाथ	=	जगन्नाथ
	अधः	+	गति	=	अधोगति
	परि	+	छेद	=	परिच्छेद

18.3.1 सन्धि के भेद

स्वर के बाद स्वर तथा स्वर के बाद व्यंजन के विचार से संधि के तीन भेद होते हैं :-

1. स्वर संधि   2. व्यंजन संधि   3. विसर्ग संधि

● **स्वर संधि –** एक स्वर का दूसरे स्वर से मेल होने पर उनमें जो विकार उत्पन्न होता है, उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे - विद्या + आलय

= विद्य् + आ + आ + लय = विद्यालय

स्वर संधि के पाँच भेद होते हैं :-

(1) दीर्घ संधि – ह्रस्व या दीर्घ अ, इ, उ, ऋ से परे यदि ह्रस्व या दीर्घ - अ, इ, उ, ऋ आ जाएँ - तो दोनो मिलकर अ, ई, ऊ, ऋ हो जाते हैं। जैसे -

अ + अ	आ	=	मत	+	अनुसार	=	मतानुसार
आ + अ	आ	=	यथा	+	अर्थ	=	यथार्थ
आ + आ	आ	=	विद्या	+	आलय	=	विद्यालय
अ + आ	आ	=	पुस्तक	+	आलय	=	पुस्तकालय
इ + इ	ई	=	अभि	+	इष्ट	=	अभीष्ट
इ + इ	ई	=	मही	+	इन्द्र	=	महीन्द्र
ई + ई	ई	=	रजनी	+	ईश	=	रजनीश
इ + ई	ई	=	गिरि	+	ईश	=	गिरीश

उ+उ		=	स	+	उक्ति	=	सूक्ति
ऊ+उ		=	वधू	+	उत्सव	=	वधूत्सव
ऊ+ऊ	ऊ	=	भू	+	उर्जा	=	भूर्जा
उ+ऊ		=	अंबु	+	ऊर्मि	=	अंबुर्मि
ऋ+ऋ		=	मातृ	+	ऋण	=	मातृण
		=	पितृ	+	ऋण	=	पितृण

(2) गुण संधि – यदि अ वर्ग (अ, आ) के आगे इ वर्ग या 'क' वर्ण आ जाए तो दोनो के परस्पर मेल से क्रमश 'ए' 'ओ', 'अर्' हो जाते हैं – जैसे –

अ+इ		=	देव	+	इन्द्र	=	देवेन्द्र
आ+इ	ए	=	यथा	+	इष्ट	=	यथेष्ट
अ+ई		=	नर	+	ईश	=	नरेश
आ+ई		=	रमा	+	ईश	=	रमेश

आ+उ		=	वीर	+	उचित	=	वीरोचित
आ+उ	ओ	=	परीक्षा	+	उपयोगी	=	परीक्षोपयोगी
अ+ऊ		=	जल	+	ऊर्मि	=	जलोर्मि
आ+ऊ		=	गंगा	+	ऊर्मि	=	गगोर्मि

अ+ऋ	अर्	=	राज	+	ऋषि	=	राजर्षि
आ+ऋ		=	महा	+	ऋषि	=	महार्षि।

(3) वृद्धि संधि – अ वर्ग (अ, आ) के आगे यदि 'ए' वर्ग आ जाए तो दोनों मिलकर 'ए' तथा यहि 'ओ' वर्ग आ जाए तो दोनो किलकर 'औ' बन जाते हैं। जैसे –

अ+ए		=	एक	+	एक	=	एकैक
आ+ए	ऐ	=	तथा	+	एव	=	तथैव
अ+ऐ		=	मत	+	ऐक्य	=	मतैक्य
आ+ए		=	सुष्मिता	+	ऐश्वर्य	=	सुष्मितैश्वर्य
अ+ओ		=	दंत	+	ओष्ठ्य	=	दंतौष्ठ्य
आ+ओ	ओ	=	महा	+	औजस्वी	=	महोजस्वी
अ+ओ		=	परम	+	औदार्य	=	परमोदार्य
आ+ओ		=	महा	+	औदार्य	=	महौदार्य

(4) यण् संधि – यदि इ, उ और ऋ वर्ण के बाद भिन्न स्वर आए तो इ वर्ग 'स्' मे, उ वर्ग 'व्' में तथा ऋ व में बदल जाता है।

जैसे – इ/ई + भिन्न स्वर	=	य्				
	=	प्रति	+	उत्तर	=	प्रत्युत्तर
	=	उपरि	+	उक्त	=	उपर्युक्त

	=	वि	+	ऊह	=	व्यूह
	=	वि	+	अंजन	=	व्यंजन
	=	वि	+	अतिरेक	=	व्यतिरेक
उ/ऊ+भिन्न स्वर	=	द्				
	=	अनु	+	इति	=	अन्यिति
	=	अनु	+	एषण्	=	अन्वेषण
	=	गुरु	+	आदेश	=	गुवदिश
	=	सु	+	आगत	=	स्वागत
ऋ+भिन्न स्वर	=	द्				
	=	अनु	+	इति	=	अन्यिति
	=	पितृ	+	आदेश	=	पित्रादेश

(5) अयादि संधि – 'ए' वर्ग व 'ओ' वर्ग के बाद यदि भिन्न स्वर हो तो ए - 'अग्' में, ऐ-'आय' में, ओ-'अब्' तथा औ-'आय्' में बदल जाता है।

जैसे

ए+भिन्न स्वर = अय्	=	ने	+	अन	=	नयन
	=	शे	+	अन	=	शयन
ऐ+भिन्न स्वर = अय्	=	नै	+	इका	=	नायिका
	=	नै	+	यक	=	नायक
ओ+भिन्न स्वर = अय्	=	पो	+	अन	=	पवन
	=	हो	+	अन	=	हवन
औ+भिन्न स्वर = अय्	=	पौ	+	अन	=	पावन
	=	पौ	+	अक	=	पावक

(ख) व्यंजन संधि – व्यंजन के बाद व्यंजन या व्यंजन के बाद स्वर के आने से जो विकार उत्पन्न होता है, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे - जगत् + नाथ

जग + त् + न् + अय = जगन्नाथ

न् + न्

व्यंजन संधि के निम्नलिखत नियम हैं :-

(1) यदि किसी वर्ग (क्, च्, ट्, त्, प्) के पहले, दूसरे, तीसरे वर्ण के बाद किसी वर्ग का तीसरा, चौथा वर्ण हो अथवा य, र, ल, व हो या कोई स्वर हो, तो पहला वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है।

वाक्	+	ईश	=	वागीश	वाक्	+	ईश	=	वागीश
षट्	+	योग	=	षड्योग	सत्	+	आचार	=	सदाचार
अप्	+	पि	=	अब्धि।					

(2) वर्ग के प्रथम वर्ण के बाद यदि किसी भी वर्ग का पाँचवीं वर्ण (अनुस्वार) आा जाए, तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पाँचवे वर्ण में बदल जाता है। जैसे -

वाक्	+	मय	=	वाड्मय	उत्	+	नयन	=	उन्नयन
षट्	+	मास	=	षण्मास	जगत्	+	नाथ	=	जगन्नाथ

(3) त् के बाद 'च, छ' हो तो त् 'च्' में तथा त् के बाद 'त्' हो तो त् 'त्' में बदल जाता है।

शरत्	+	चन्द्र	=	शरच्चंद्र	तत्	+	छात्र	=	तच्छात्र
उत्	+	लास	=	उल्लास					

(4) त् या द् के बाद ज् या झ् हो तो त्, द् 'ज' में, त्, द् के बाद ट्, ठ् हो तो त्, द्, 'ट्' में तथा यदि त्, द् के बाद ड्, द् हो तो त्, द् 'ड्' में बदल जाता है; जैसे –

सत्	+	जन	=	सज्जन, विपद	उत्	+	ज्वल	=	उज्ज्वल
तत्	+	टीका	=	तट्टीका	उत्	+	डयन	=	उड्यन

(5) त् के बाद श् हो तो त् – 'चू' में तथा श् – 'छ्' में बदल जाता है। इसी प्रकार यदि त् के बाद ह् हो तो त् – 'द्' में तथा ह् – 'य्' में बदल जाता है; जैसे –

उत्	+	श्रृंखल	=	उत्छ्ंखल	श्रीमत्	+	शरच्चंद्र	=	श्री मच्छरचंद्र
तत्	+	हित	=	तद्घित्	उत्	+	हरण	=	उद्धरण।

(6) यदि पहला शब्द स्वरान्त हो अर्थात् पहले शब्द के अन्त में स्वर हो और दूसरे शब्द का आरंभ 'छू' से हो तो 'छ' के स्थान पर च्छ् हो जाता है। जैसे –

अनु	+	छेद	=	अनुच्छेद	परि	+	छेद	=	परिच्छेद
वि्	+	छेद	=	विच्छेद					

(7) 'अ' वर्ग के अतिरिक्त अन्य किसी वर्ग के स्वर के बाद यदि 'स्' हो तो 'स्' 'ष्' में बदल जाता है। जैसे–

नि	+	सेध	=	निषेध	अभि	+	सेक	=	अभिषेक
नि्	+	सिद्ध	=	निषिद्ध					

(8) म् के बाद यदि किसी वर्ग का कोई व्यंजन हो तो 'म्' या तो अनुस्वार हो जाता है या वर्ण के पंचम वर्ग में बदल जाता है। जैसे –

सम्	+	कल्प	=	संड्कल्प/संकल्प	सम्	+	घर्ष	=	संघर्ष
सम्	+	जीव	=	संजीव	सम्	+	तप्त	=	संतप्त

(9) म् के बाद य्, र, ल्, व् या श्, ष्, स्, ह् हो तो अनुस्वार हा जाता है। जैसे –

सम्	+	योग	=	संयोग	सम्	+	सार	=	संसार
सम्	+	हार	=	संहार	सम्	+	रक्षक	=	संरक्षक
सम्	+	सम	=	संयम					

(10) भ् के बाद यदि कोई स्वर, भ् या राज या राट हो तो भ् का 'म्' ही रहता है। जैसे –

सम्	+	आदर	=	समादर	सम्	+	मत	=	सम्मत
सम्	+	राट	=	सम्राट					

(11) ऋ, र्, ष् से परे यदि 'न' हो परन्तु द्वितीय शब्द में च्, ट्, व त् वर्ग का कोई वर्ण न हो तो 'न्' 'ण्' में बदल जाता है। जैसे –

परि	+	नाम	=	परिणाम	राम+	आयन	=	रामायण

● **विसर्ग संधि–** विसर्ग स के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं :

जैसे– मन: : रथ

विसर्ग संधि के निम्नलिखित नियम हैं –

(1) विसर्ग से पूर्व यदि 'अ' और बाद में भी 'अ' अथवा किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण या य, र, ल, व, ह हो तो विसर्ग 'ओ' में बदल जाते है। जैसे -

मनः	+	अनुकूल	=	मनोनुकूल	शिर	+	धार्य	=	शिरोधार्य
मनः	+	योग	=	मनोयोग	मनः	+	बल	=	मनोबल
मनः	+	रथ	=	मनोरथ					

(2) विसर्ग से पूर्व अ, आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो और बाद में कोई स्वर, किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा, चौथा, पाँचवाँ वर्ण या य, र, ल, व, ह में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का 'र्' हो जाता है। जैसे -

निः	+	बल	=	निर्बल	दुः	+	जन	=	दुर्जन
आशीः	+	वाद	=	आर्शीवाद	दुः	+	उपयोग	=	दुरुपयोग

(3) विसर्ग से पूर्व कोई स्वर हो और बाद में च्, छ्, या श् हो तो विसर्ग का 'छ्' हो जाता है। जैसे -

निः	+	चल	=	निश्चल	निः	+	छल	=	निश्छल
दुः	+	शासन	=	दुश्शासन					

(4) विसर्ग के बाद यदि त् या स् हो तो विसर्ग का 'स्' हो जाता है। जैसे -

नमः	+	ते	=	नमस्ते	निः	+	संतान	=	निस्तांन
दुः	+	साहसी	=	दुस्साहसी					

(5) विसर्ग से पूर्व इ/उ हो और बाद में क्, ख्, ट्, ठ्, प्, फ् में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग का 'ष्' में बदल जाते हैं। जैसे-

चतुः	+	पाद	=	चतुष्पाद	निः	+	कपट	=	निष्कपट
निः	+	पाप	=	निष्पाप					

(6) विसर्ग से पूर्व अ, आ हो तथा बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो विसर्गों का लोप हो जाता है। जैसे -

अतः	+	एव	=	अतएव	तः	+	एव	=	ततएव

(7) विसर्ग के बाद यदि 'र' हो तो विसर्ग लुप्त हो जाता है। तथा पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है। जैसे -

निः	+	रोग	=	नीरोग	निः	+	रस	=	नीरस।

(8) हिन्दी की विशेष संधियों - हिन्दी भाषा के कुछ अपने भी सन्धि नियम है। जो निम्नलिखित हैं -

(1) 'ह' का 'भ' होना - हिन्दी के 'जब', 'सब', 'सब', 'कब' शब्दों के पीछे यदि 'ही' आ जाए तो 'हो' के 'ह' का 'म' हो जाता है और पहले का 'ब' लुप्त हो जाता है; तथा -

जब	+	ही	=	जबही	तब	+	ही	=	तबही
कब	+	ही	=	कबही	सब	+	ही	=	सबही
अब	+	ही	=	अबही					

(2) 'ह' का लोप होना - हिन्दी भाषा में 'नहीं', 'कहीं', आदि शब्दों के पीछे 'ही' आने पर (स्वर सहित) लुप्त हो जाता है और आखरी 'इ' पर अनुस्वार लग जाता है; जैसे -

यहाँ	+	ही	=	यहीं	कहाँ	+	ही	=	कहीं
वहाँ	+	ही	=	वहीं	तहाँ	+	ही	=	तहीं

(3) 'र्' - लोप, दीर्घ, यणु आदि का विशेष - हिन्दी भाषा में मैं कहीं-कहीं 'र्' लोप, तथा यणु आदि सन्धियों के नियम लागू नहीं होते; यथा -

अन्तर	+	राष्ट्रीय	=	अन्तर्राष्ट्रीय	स्त्री	+	उपयोगी	=	स्त्रीयोपयोगी

(4) ह्स्वीकरण की प्रक्रिया –सामाजिक शब्दों में पूर्व पदके दीर्घ स्वर प्राय: ह्रस्व हो जाते हैं; जैसे –

हाथ	+	कड़ी	=	हथकड़ी	आम	+	चूर	=	अमचूर
लड़का	+	पन	=	लड़कपन	कान	+	कटा	=	कनकटा

(5) लोप की प्रक्रिया –कभी–कभी हिन्दी शब्दों की सन्धि में पूरे वर्ण का ही लोप हो जता है; जैसे –

घोड़ा	+	दोड़	=	घुड़दोड़	छोटा	+	पन	=	छुटपन
पानी	+	घट	=	पनघट					

स्वर संधियों का सन्धि–विच्छेद –

सन्धि		**सन्धि–विच्छेद**			**सन्धि**		**सन्धि–विच्छेद**		
धर्मार्थ	=	धर्म	+	अर्थ	कुशासन	=	कुश	+	आसन
दयानंद	=	दया	+	आनंद	सूर्यास्त	=	सूर्य	+	अस्त
विद्याध्यन	=	विद्या	+	अध्ययन	सायक	=	सै	+	अक
सदैव	=	सदा	+	एव	परमेश्वर	=	परम	+	ईश्वर
वीरांगना	=	वीर	+	अंगना	नवागत	=	नव	+	नवागत
कपीन्द्र	=	कपि	+	इन्द्र	भोजनालय	=	भोजन	+	आलय
प्रेरणार्थ	=	प्रेरणा	+	अर्थ	भानूदय	=	भानु	+	उदय
नाविक	=	नौ	+	इक	नरोचित	=	नर	+	उचित
महेन्द्र	=	महा	+	इन्द्र	राकेश	=	राका	+	ईश
गणेश	=	गण	+	ईश	वितैषणा	=	वित	+	एषणा
प्रत्युपकार	=	प्रति	+	उपकार	गायन	=	गै	+	अन
नरोतम	=	नर	+	उतम	आत्मोत्सर्ग	=	आत्मा	+	उत्सर्ग
लोकैषणा	=	लोक	+	एषणा	स्वल्प	=	सु	+	अल्प
व्यंजन	=	वि	+	अंजन	अन्वीक्षण	=	अनु	+	ईक्षण
चयन	=	चै	+	अन	यधैव	=	यधा	+	एव
उत्कर्षापकर्ष	=	उत्कर्ष	+	अपकर्ष	अन्वेषण	=	अनु	+	एषण
अत्यधिक	=	अति	+	अधिक	कवीश्वर	=	कवि	+	ईश्वर
कोषाध्यक्ष	=	कोष	+	अध्यक्ष	कालांतर	=	काल	+	अंतर
कुसुमायुध	=	कुसुम	+	आयुध	खगासन	=	खग	+	आसन
आाशोन्मुख	=	आशा	+	उन्मुख	उपर्युक्त	=	उपरि	+	उक्त
एकाकार	=	एक	+	आकार	कुशाग्र	=	कुश	+	अग्र
चन्द्रोदय	=	चन्द्र	+	उदय	चुड़ांत	=	चूड़ा	+	अंत
देवेश	=	देव	+	ईश	दावानल	=	दावा	+	अनल
नरेश	=	नर	+	ईश	नायक	=	नै	+	यक

निम्नलिखित व्यंजन संधियों का सन्धि–विच्छेद करें :

सन्धि		**सन्धि–विच्छेद**			**सन्धि**		**सन्धि–विच्छेद**		
सच्चरित्र	=	सत्	+	चरित्र	सद्वाणी	=	सत्	+	वाणी
उन्नति	=	उत्	+	नति	उल्लेख	=	उत्	+	लेख

जगदीश	=	जगत्	+	ईश	संभावना	=	सम्	+	भावना
भूषण	=	भूष	+	न	निर्बल	=	निर्	+	बल
संहार	=	सम्	+	हार	दिग्गज	=	दिक्	+	गज
उच्छवास	=	उत्	+	श्वास	संबंध	=	सम्	+	बंध
प्रणाम	=	प्र	+	नाम	किंचित्	=	किम्	+	चित्।
तल्लीन	=	तत्	+	लीन	वृक्षच्छाया	=	वृक्ष	+	छाया
संताप	=	सम्	+	ताप	उद्घाटन	=	उत्	+	घाटन
दिग्दर्शन	=	दिक्	+	दर्शन	निर्गुण	=	निर्	+	गुण
विच्छेद	=	वि	+	विच्छेद	संगम	=	सम्	+	गम
उज्झटिका	=	उद्	+	झटिका	संवाद	=	सम्	+	वाद
संतोष	=	सम्	+	तोष	उद्भिज	=	उत्	+	भिज
उन्मत	=	उत्	+	मत	उद्वेग	=	उत्	+	वेग
उद्योग	=	उत्	+	योग	उच्छिष्ट	=	उत्	+	शिष्ट
तन्मय	=	तत्	+	मय	तड्डमरू	=	तद्	+	डमरू
तत्व	=	तत्	+	त्व	तृष्णा	=	तृष्	+	ना
चिन्मय	=	चित्	+	मय					

निम्नलिखित विसर्ग संधियों का संधि–विच्छेद करें।

संन्धि		**सन्धि–विच्छेद**		**संन्धि**			**सन्धि–विच्छेद**		
अधोगति	=	अधः	+	गति	निर्धन	=	निः	+	धन
दुष्ट	=	दुः	+	ट	दुष्कार	=	दुः	+	कर
मनोकामना	=	मनः	+	कामना	वयोवृद्ध	=	वयः	+	वृद्ध
निराहार	=	निः	+	आहार	चतुष्पाद	=	चतुः	+	पाद
मनोविनोद	=	मनः	+	विनोद	निराशा	=	निः	+	आशा
निरामिष	=	निः	+	आमिष	निष्काम	=	निः	+	काम
निस्संतान	=	निः	+	संतान	दुराचार	=	दुः	+	आचार
प्रायश्चित	=	प्रायः	+	चित	निर्मल	=	निः	+	मल
निर्विघ्न	=	निः	+	विघ्न	दुर्बल	=	दुः	+	बल
दुरन्त	=	दुः	+	अंत	दुर्जन	=	दुः	+	जन
दुरुपयोग	=	दुः	+	उपयोग	दुश्शासन	=	दुः	+	शासन
दुःख	=	दुः	+	ख	दुःखान्त	=	दुः	+	अंत
दुस्तर	=	दुः	+	तर	दुर्निवार	=	दुः	+	निवार
धनुष्टंकार	=	धनुः	+	टंकार	नीरन्ध्र	=	निः	+	रन्ध्र
नीरस	=	निः	+	रस	निश्छल	=	निः	+	छल
निराधार	=	निः	+	आधार	निरक्षर	=	निः	+	अक्षर
निगमागम	=	निगम	+	आगम	नीरोग	=	निः	+	रोग
नीरव	**=**	**निः**	**+**	**रव**	**निष्काम**	**=**	**निः**	**+**	**काम**

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 1

प्र. 1. संधि के कितने भेद होते हैं?

प्र. 2. 'मतानुसार' में कौन सी संधि है?

18.4 सम्प्रेषण की अवधारणा

सम्प्रेषण शब्द को अंग्रेज़ी में 'Communication' कहा जाता है, यह शब्द लैटिन भाषा का शब्द 'Communis' या 'Communicore' से बना है, जिसका अर्थ जानना, समझना या ग्रहण करना होता है। सम्प्रेषण किसी भी दल के अनूकूल वातावरण बनाए रखने के लिए अति आवश्यक कड़ी का कार्य करता है। इस प्रकार से सम्प्रेषण का अर्थ – तथ्यों, सूचनाओं, संदेश और विचारों एवं आवश्यकताओं की सभी को उपलब्ध करवाता है। सम्प्रेषण का उद्देश्य विचारों, संदेशों एवम् सूचनाओं को भाषण, संकेतों या लेखन द्वारा ग्रहण करता है। इस प्रकार से सम्प्रेषण सूचनाओं का विनिमय और अर्थ का संचार है। वैश्वीकरण के युग और तकनीकी युग में एक अच्छी सम्प्रेषण दक्षता अनिवार्य है। सम्प्रेषण सभी सफल माना जा सकता है जब इंच्छित उद्देश्य प्राप्त हो जाते हैं। किसी भी व्यक्ति का प्रभावपूर्ण सम्प्रेषण का वार्तालाप करने को योग्यता उसके जीवन के कई क्रियाकलापों के लिये मूल्यवान सम्पदा हो सकती है।

सम्प्रेषण एक द्विपक्षीय क्रिया है, जिसमें एक पक्ष संदेश का संप्रेषण करता है, दूसरा पक्ष संदेश को ग्रहण करता है। सम्प्रेषण का चेतन प्राणी का गुण धर्म है। मधुमक्खियाँ अपने साथियों को 'नाच' के माध्यम से संदेश भेजती है। कुत्ता, घोड़ा, मेंढक, बिल्ली आदि जानवर ध्वनियों के माध्यम से सम्प्रेषण करते हैं।

फ्रैडेरिक विलियम्स के अनुसार हम सम्प्रेषण का अध्ययन निम्नलिखित अवधारणाओं के माध्यम से कर सकते हैं –

सम्प्रेषण व्यवस्था का सबसे प्रमुख उपभोक्त्ता मनुष्य है। इस संदर्भ में हम जान सकते हैं कि मानव की सम्प्रेषण व्यवस्था अर्थात् भाषा का स्वरूप क्या है? सम्प्रेषण का उद्देश्य क्या है? तथा इसके लिए हम किस साधन को अपनाते हैं?

हम सम्प्रेषण के सामाजिक संदर्भों की भी चर्चा कर सकते हैं, जैसे – चिंतन वार्तालाप, समूह, संगठन और सार्वजनिक स्तर पर सम्प्रेषण।

हम सम्प्रेषण के प्रकारों और प्रभाव की चर्चा कर सकते हैं।

हम सम्प्रेषण के व्यवहार की जीवित प्रक्रिया का अध्ययन कर सकते हैं।

18.4.1 सम्प्रेषण की परिभाषा

ऑक्सफोर्ड डिकशनरी के अनुसार – आम तौर पर संचार तब होता है, जब एक सिस्टम या स्त्रोत किसी दूसरे या गंतव्य को विभिन्न प्रकार के संकेतों के माध्यम से प्रभावित करे।

लुईस ए एलेन के अनुसार – सम्प्रेषण उन सभी क्रियाओं का योग है जिनके द्वारा एक व्यक्ति दूसरे के साथ समझदारी स्थापित करना चाहता है। सम्पेषण अर्थो का एक पुल है। इसमें कहने और सुनने, समझने की एक व्यवस्थित तथा नियमित प्रक्रिया शामिल है।

अनुतान

जब वक्ता बोलते समय अपने सुर में अलोह – अवरोह करता है, उसे अनुतान कहते हैं। सुर वैसे तो एक ध्वनि का होता है, किन्तु जब हम एक से अधिक ध्वनियों की कोई इकाई का उच्चारण करते हैं तो ध्वनि का सुर प्राय भिन्न – भिन्न होता है। लिखित भाषा में हम अनुतान को विराम चिन्हों के माध्यम से स्वर करते हैं।

सन्धि

दो ध्वनियों (वर्णो) के परस्पर मेल को सन्धि कहते हैं। अर्थात् जब दो शब्द मिलते हैं, तो प्रथम शब्द की अन्तिम ध्वनि (वर्ण) तथा मिलने वाले शब्द की प्रथम ध्वनि के मेल से जो विकार होता है, उसे सन्धि कहते हैं।

किशोरीदास वाजपेयी के अनुसार :– जब दो या दो से अधिक वर्ण पास–पास आते हैं तो कभी–कभी उसमें रूपांतर हो जाता है। इसी रूपांतर को संधि कहते हैं।

स्पष्ट है कि दो निर्दिष्ट अक्षरों के पास–पास आने के कारण उनके खेल से जो विकार होता है, उसे संधि कहते हैं। जैसे :-

महा + आत्मा = महात्मा, जहर + अग्नि = जहराग्नि,

भेद :– संधि तीन प्रका की होती है।

(1) स्वर सन्धि (2) व्यंजन सन्धि (3) विसर्ग

स्वर सन्धि

एक स्वर के जब दूसरे स्वर के मेल होने से जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर सन्धि कहते हैं। स्वर सन्धि पाँच प्रकार की होती है :-

(1) दीर्घ सन्धि (2) गुण सन्धि (3) वृद्धि सन्धि

(4) यण सन्धि (5) अयादि सन्धि।

दीर्घ सन्धि :– जब हृदय या दीर्घ स्वर के बाद हृदय या दीर्घ स्वर आते हैं, तब दोनों स्थानों पर दीर्घ स्वर हो जाता है।

प्रसंग + अनुकूल = प्रसंगानुकूल　　राम + आयन = रामायण

अस्त + आंचल = अस्तांचल　　कीट + आणु = कीटाणु

दीप + आवली = दीपावली

3. कैश डैनिस के अनुसार – यह एक व्यक्त्ति से दूसरे व्यक्त्ति को सूचना भेजना तथा समझने की विधि है। यह आवश्यक तौर पर लोगों में अर्थ का क पुल है। पुल का प्रयोग करके एक व्यक्ति आराम से भाषा समझने की नदी को पार करता है। उपरोक्त्त परिभाषाओं के अनुसार संचार पहलू स्पष्ट होते हैं।

(क) संदेश (जो सम्प्रेषित किया जा सके)

(ख) संदेश प्रेषक (जो संदेश भेजता है)

(ग) संदेश प्राप्तकर्ता (जो संदेश प्राप्त करता है)

(घ) प्राप्तकर्ता जो संदेश की प्रतिपुष्टि करता है।

वास्तव में जीवन के प्रत्येक पक्ष में चाहे वह व्यक्तिगत, समाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, राष्ट्रीय अथवा अन्तर्राष्ट्रीय पक्ष है। सभी पक्षों में कुशल सम्प्रेषण की आवश्यकता होती है।

18.4.2 संप्रेषण की प्रकृति अथवा स्वरूप

सम्प्रेषण एक साधारण प्रक्रिया है। यह एक ऐसा साधन है जिससे व्यक्त्तियों, समूहों और विभागों के बीच सूचनाओं का आदान–प्रदान होता है। इस प्रक्रिया में वर्तमान और भूतकाल की दोनों सूचनाओं को सम्मिलित किया जा सकता है। सम्प्रेषण की प्रकृति सन्देशों एवं अन्तसम्बधों के आदान–प्रदान करने की होती है। सम्प्रेषण का उद्देश्य केवल इतना ही होता है कि संदेश प्राप्तकर्ता सन्देश को मूल रूप से तथा उसी दृष्टिकोण से ग्रहण करे जैसे कि प्रेषक ने प्रेरित किया है। सम्प्रेषण की प्रकृति को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से जाना जा सकता है।

सम्प्रेषण विज्ञान एवं कला दोनों हैं – सम्प्रेषण प्रक्रिया में विज्ञान और कला दोनों के तत्त्व पाए जाते हैं। इसीलिए सम्प्रेषण को विज्ञान एवं कला दोनों कहा जाता है।

सम्प्रेषण एक जन्मजात प्रक्रिया है – सम्प्रेषण एक स्वाभाविक या प्राकृतिक गुण हेाता है। प्रकृति में संचार, जन्म, मृत्यु, सांस लेना, भोजन करना आदि क्रियाएं सभी प्राणी करते हैं। परन्तु शाब्दिक सम्प्रेषण का गुण केवल मनुष्य के पास है। इस प्रकार इस गुण के कारण वह अन्य प्राणियों में भिन्न हैं और यह गुण मनुष्य को जन्म से ही प्राप्त होता है।

सम्प्रेषण एक मानवीय प्रक्रिया है – वास्त्व में सम्प्रेषण, एक मानवीय क्रिया है क्योंकि सम्प्रेषण के दोनों पक्ष – प्रेषक एवं प्राप्तकर्ता सामाजिक प्राणी होते हैं और सम्प्रेषण की सम्पूर्ण प्रक्रिया व्यक्ति या व्यक्तियों के समूहों के मध्य सम्पन्न होती है। इसलिए सम्प्रेषण को मानवीय प्रक्रिपरिपूर्ण या भी कहा जा सकता है।

सम्प्रेषण सामाजिक प्रक्रिया है – सम्प्रेषण का प्रयोग केवल व्यवसाय के क्षेत्र में ही नहीं होता बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति की अनिवार्य आवश्यकताओं एवं इच्छाओं की पूर्ति के लिए सम्प्रेषण एक साधन के तौर पर कार्य करता है। इस प्रकार से यह प्रक्रिया समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित और लाभान्वित करती है। इसलिए इसे सामाजिक प्रक्रिया भी कहा जाता है।

सम्प्रेषण एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है – सम्प्रेषण की सार्वभोमकता या सर्वव्यापकता का सिद्धान्त सम्प्रेषण की विशेष विशेषता है। वास्तव में, प्रभावी सम्प्रेषण की मस्या हर जगह व्याप्त है। जैसे व्यक्तिगत, सामूहिक, संस्थाचार, पारिवारिक, यूनियनों आदि। इसलिए सम्प्रेषण को प्रभावी बनाने की विधियाँ या तकनीक केवल एक विशेष क्षेत्र मे नहीं बल्कि सर्वव्यापक रूप से अपनाई जानी चाहिए।

निष्कर्ष स्वरूप यह कहा जा सकता है कि सम्प्रेषण विज्ञान अथवा कला दोनों हैं और यह एक जन्मजात, मानवीय और सामाजिक प्रक्रिया है।

सम्प्रेषण

सम्प्रेषण के परम्परागत रूप मे पाँच तत्व मिलते हैं – 1. वक्त्ता, लेखक या संदेशवाहक 2. विचार या संदेश 3. रूप 4. अधिगमकर्ता 5. प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया। आधुनिक युग में सम्प्रेषण के पारम्परिक रूप में परिवर्तन आ गया है। आधुनिक विश्लेषण करने के उपरांत सम्प्रेषण की निम्नलिखित विशेषताएँ हो सकती हैं।

18.4.3 सम्प्रेषण की विशेषताएँ

सम्प्रेषण एक लगातार जारी रहने वाली प्रक्रिया है – सम्प्रेषण एक सतत् प्रक्रिया है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, ग्राहकों, कर्मचारियों, सरकार आदि बाह्य और आंतरिक पक्षों के माध्यम से सन्देशों के आदान-प्रदान की प्रक्रिया निरन्तर जारी रहती है। इस प्रक्रिया में सूचना, आदेश, निर्देश, सुझाव, सलाह, शिक्षा तथा चेतावनी अभिप्रेरण आदि सन्देशों का आदान-प्रदान सतत् प्रक्रिया में जारी रहता है।

सम्प्रेषण अर्थ सम्प्रेषित करने का माध्यम – सम्प्रेषण का उद्देश्य सूचनाओं और संन्देशों को एक व्यक्ति या समूह से दूसरे पक्ष या समूह को केवल प्रेषित मात्र करना नहीं होता बल्कि इसके लिए वह भी आवश्यक है कि सूचना अथवा संदेश प्राप्तकर्ता उसे उसी भाव या अर्थ में समझे जिस भाव से उसे सूचना दी गई है। इस प्रकार से इस प्रक्रिया में सूचना प्रषित करने वाले को 'Encoder' तथा सूचना प्राप्त करने वाले को 'Decoder' कहा जाता है। इस प्रक्रिया को निम्नलिखित आरेख के माध्यम से समझा जा सकता है।

विचार	-	(Idea)
संदेश	-	(Encoding)
संदेश प्राप्ति	-	(Medium)
विचार	-	(Decoding)

एक द्विभागी प्रक्रिया – सम्प्रेषण द्विभागी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में संलाम अथवा दो मनुष्यों या समूहों के मध्य सन्देश का आदान-प्रदान होता है। इसमें सन्देश प्राप्तकर्ता सन्देश भेजने वाले के भाव और अर्थ को सही प्रकार से समझता है। तथा अपनी प्रतिपुष्टि अथवा प्रतिक्रिया दर्ज करवाता है। इस प्रकार से यह एक द्विभागी प्रक्रिया है। सन्देश प्राप्त करने पर भी यह तब तक पूर्ण नहीं होती जब तक प्राप्त करने वाला सम्बन्धित वांछित प्रतिपुष्टि न करे। द्विभागी प्रक्रिया को निम्न आरेख से समझा जा सकता है।

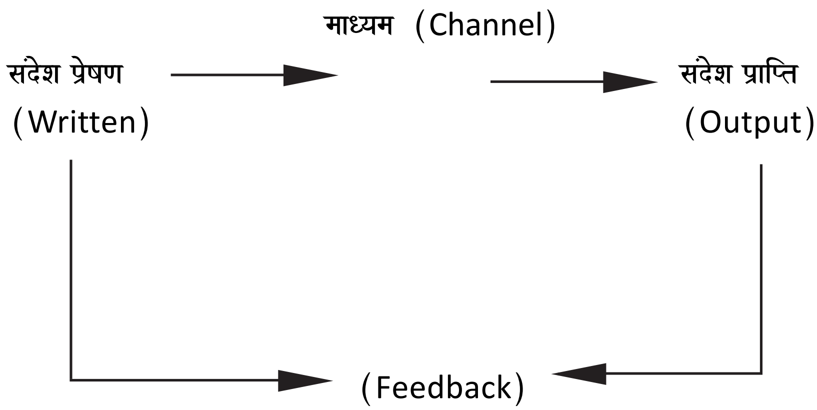

एक प्रबन्धकीय प्रक्रिया – सम्प्रेषण एक प्रबन्धकीय प्रक्रिया है। किसी भी समूह या संस्था के संगठित समूह के व्यक्त्तियों, कर्मचारियों के मध्य समन्वय, नेतृत्व, निर्देशन का कार्य एक प्रबन्धन के माध्यम से किया जाता है। कर्मचारियों के मध्य सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रभावी संचार के द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि संचार एक प्रबन्धकीय कार्य एवं प्रबन्धकीय कार्यों के सम्पादन के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपकरण है।

इस प्रकार से सम्प्रेषण निरन्तर जारी रहने वाली प्रक्रिया है। यह अर्थ संचारित करने का महत्त्वपूर्ण माध्यम है। यह प्रक्रिया एक कुशल प्रबन्धन के लिए अनिवार्य तथा संलाप (Two way process) के मार्ग से पूर्ण होती है।

सम्प्रेषण मौखिक या लिखित संवाद को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने को तथा प्राप्त करने की प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया प्रभावी तभी मानी जा सकती है, जब सूचना प्राप्त करने वाला सन्देश की इच्छित प्रतिपुष्टि या प्रतिक्रिया करे। साधारण शब्दों में सम्प्रेषण सूचना, तथ्यों एवं विचारों के विनिमय की प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के विभिन्न अंग हैं और सभी संघटित होकर एक मॉडल का निर्माण करते हैं। ये सभी मॉडल संघटित होकर सम्प्रेषण के विभिन्न अंगों के आपसी सम्बन्धों को व्याख्यायित करते हैं। सम्प्रेषण प्रक्रिया के मुख घटक या तत्व निम्नलिखित है।

सम्प्रेषण प्रक्रिया के मुख घटक या तत्व

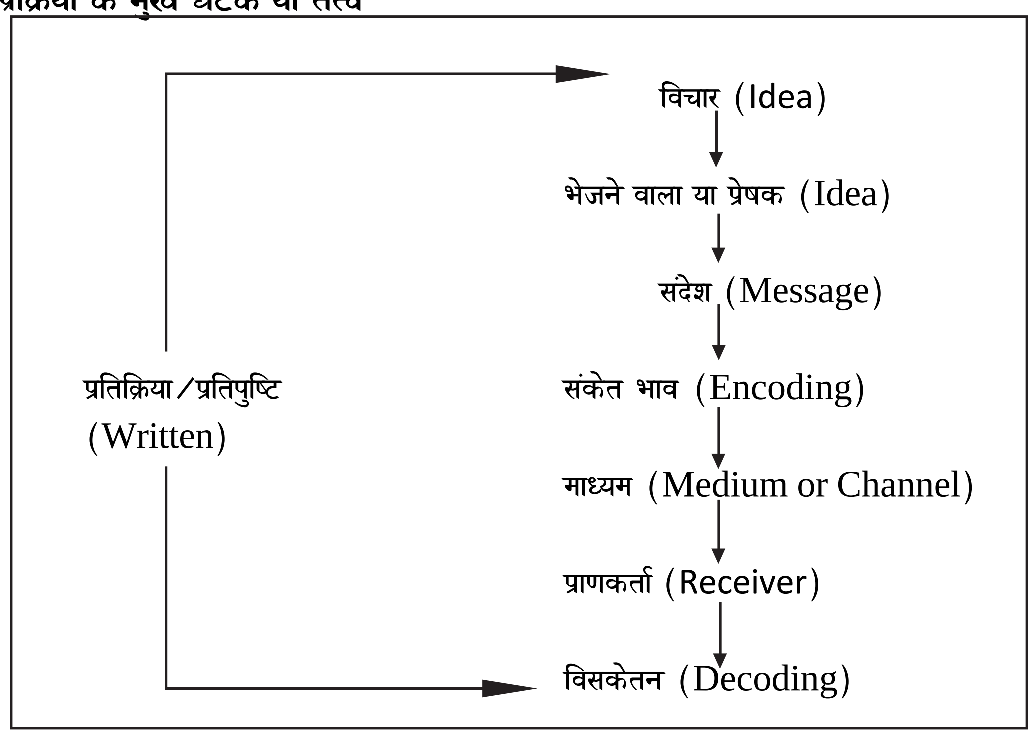

18.4.4 संप्रेषण के तत्व

विचार – किसी व्यक्ति के मस्तिष्क में उत्पन्न वास्तविक्ता का सरल एवं संक्षिप्त रूप है। प्रत्येक संवाद चाहे मौखिक हो या लिखित प्रारम्भ विचार से ही होता है और यही संदेश के तौर पर प्राप्तकर्ता तक पहुँचता है। इसमें सूचना, संकेत, दृष्टिकोण, निर्देश, आदेश, सुझाव, सलाह शामिल हो सकते हैं।

प्रेषक – संदेश भेजने वाला प्रेषक कहलाता है जो कि संदेश प्रदान करता है। उपकरणों के माध्यम से यदि संदेश भेजा जाता है तो संदेश भेजने वाले को संचारक तथा उपकरण के प्रयोगकर्ता को सहायक कहा जाता है।

संदेश – भेजी गई सूचना, राय, आदेश, भावना को संदेश कहते हैं। संदेश एक विचार है, जो भाषा चिन्हों, शब्दों या संकेतों के माध्यम से प्राप्तकर्ता ग्रहण करता है।

संकेत भाव – किसी भी भाषा के संकेत के भाव को ग्रहण करने की विधि को संकेत भाव कहते हैं। सम्प्रेषण की विषय वस्तु अथवा संदेश सदैव भावनात्मक एवं अपूर्व होती है। इन अमूर्त भावों को अभिव्यक्ति के लिए प्रेषक सदैव शब्द, संकेत, ध्वनि, दृश्य आदि का सहारा लेता है। वह अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए वांछित संकेतों या शब्द समूह का सहारा लेता है और यह संदेश भेजने वाले पर निर्भर करता है कि वह इस कौशल में कितना निपुण है।

माध्यम – माध्यम का आशय साधन है जिसके द्वारा संदेश प्रेषित किया जाता है। उदाहरण के लिए, हम, अपना संदेश पहुँचाने के लिए डाक, कुरियर, मेंल, मैसेंजर, टैलीफोन माध्यमों का प्रयोग करते हैं।

प्राप्तकर्ता – सम्प्रेषण का यह दूसरा महत्त्वपूर्ण पक्ष है। प्राप्तकर्ता वह होता है जो संदेश ग्रहण करता है। इस पक्ष के बिना यह प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। यह संदेश को केवल प्राप्त ही नहीं करता अपितु उस पर उचित प्रक्रिया भी दर्ज करता है।

संदेश में निहित भाव को समझना – संदेश के भाव को समझने की प्रक्रिया को विसंकेतन (Decoding) कहते हैं। वास्तव में यह भाषा या प्रेषित संदेश का अर्थ जानने की प्रक्रिया है। जिससे वह इसमें निष्टित सही अर्थ को समझना है।

प्रतिपुष्टि या क्रियान्वयन – प्राप्तकर्ता संदेश के अर्थ को ग्रहण करके भावानुसार अपनी भूमिका का निर्वाहन करता या अपनी कोई प्रतिक्रिया दर्ज करता है। जिससे प्रेषक को यह मालूम होता है कि प्राप्तकर्ता को उसका सन्देश मिल चुका है।

इस प्रकार से सम्प्रेषण – प्रक्रिया को तथा इसके संघटकों को उपर्युक्त बिन्दुओं के आधार पर समझा जा सकता है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 2

प्र. 1. सम्प्रेषण का दूसरा नाम क्या है?

प्र. 2. भाषा सम्प्रेषण के कितने चरण होते हैं?

18.5 सारांश

संधि संस्कृत भाषा का एक शब्द है, जिसका सामान्य अर्थ होता है जोड़ , जुड़ाव, योजन इत्यादि। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, वह संधि कहलाता है। संधि के तीन भेद होते हैं- स्वर संधि, व्यंजन संधि तथा विसर्ग संधि।

भाषा संप्रेषण का साधन है अर्थात दो व्यक्तियों में भाषा के माध्यम से विचारों का आदान-प्रदान होता है। जब व्यक्ति माइक का इस्तेमाल करता है, तो संप्रेषण का क्षेत्र बढ़ जाता है। जब व्यक्ति लेखन का प्रयोग करता है, तो उसका पाठक वर्ग और काल की दृष्टि से विस्तृत हो जाता है।

18.6 कठिन शब्दावली

निर्निमेष - अपलक देखना

क्षीणवणु - कमजोर

वात्याचक्र - भंवर

सुमुत्सक - उत्साहित

यत्किंचित - थोड़ा बहुत

स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभयाम प्रश्न 1

उ. 1. -तीन

उ. 2. दीर्घ संधि

अभ्यास प्रश्न – 2

उ. 1. संचार

उ. 2. चार

18.8 संदर्भित पुस्तकें

(1) डॉ. अनिरुद्ध कुमार 'सुधांशु', डॉ. महन्यी प्रसाद यादव, हिन्दी भाषा सम्प्रेषण और संचार, श्री नटराज प्रकाशन, दिल्ली।

(2) डॉ. उन्मेष मिश्र, संचार माध्यम की हिन्दी और हिंदी भाषा, हंस प्रकाशन, नई दिल्ली।

18.9 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. संधि से क्या अभिप्राय है, संधि के भेदों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए ?

प्र. 2. भाषा संप्रेषण का अर्थ स्पष्ट करते हुए, उसके महत्त्व तथा प्रकृति पर प्रकाश डालिए।

प्र. 3. संप्रेषण की विशेषताओं का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिए।

*****

इकाई – 19
श्रवण, वाचन एवं लेखन

संरचना

19.1 भूमिका
19.2 उद्देश्य
19.3 श्रवण
19.3.1 श्रवण कौशल का महत्त्व
19.3.2 भाषा सम्प्रेषण हेतु विद्यार्थियों में श्रवण संबंधी समस्या
स्वयं आकलन प्रश्न – 1
19.4 अभिव्यक्ति (मौखिक)
19.4.1 मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएँ अथवा गुण
19.4.2 अभिव्यक्ति शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य
स्वयं आकलन प्रश्न – 2
19.5 वाचन
19.5.1 वाचन प्रक्रिया के प्रकार
19.5.2 वाचन अथवा पठन संबंधी अशुद्धियाँ
स्वयं आकलन प्रश्न – 3
19.6 लेखन
19.6.1 लेखन के प्रकार
स्वयं आकलन प्रश्न – 4
19.7 सारांश
19.8 कठिन शब्दावली
19.9 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर
19.10 संदर्भित पुस्तकें
19.11 सात्रिक प्रश्न

19.1 भूमिका

इकाई अठारह में हमने संधि, संधि के भेद, सम्प्रेषण की अवधारणा एवं परिभाषा तथा सम्प्रेषण की विशेषताओं का गहन अध्ययन किया है। इकाई उन्नीस में हम श्रवण, श्रवण कौशल का महत्व अभिव्यक्ति, वाचन प्रक्रिया तथा लेखन के विभिन्न प्रकारों का गहनता से अध्ययन करेंगे।

19.2 उद्देश्य

इकाई उन्नीस का अध्ययन करने के पश्चात् हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. श्रवण क्या है ?
2. श्रवण कौशल का महत्व क्या है ?
3. श्रवण संबंधी प्रमुख समस्या क्या है ?
4. अभिव्यक्ति क्या होती है ?

5. वाचन क्या होता है ?

6. लेखन के प्रमुख प्रकार कौन-कौन से हैं ?

19.3 श्रवण

किसी व्यक्ति द्वारा मौखिक रूप से निकली सार्थक ध्वनि और भावों को सुनकर उसमें अभिव्यक्त अर्थ को जैसे का तैसे बिना परिवर्तन के ग्रहण करना श्रवण कौशल कहलाता है। विद्यार्थी अल्पायु में उच्चरित ध्वनियों को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया देना प्रारम्भ कर देता है। श्रवण की कुशलता अन्य भाषायी सम्प्रेषण के चरणों की आधारशिल्प माना जाता है। श्रवण कौशल भाषा सीखने का पहला सोपान है।

श्रवण की परिभाषा : किसी भी व्यक्ति द्वारा उच्चरित तथा प्रयुक्त सार्थक ध्वनियों, शब्दों, भावों आदि को कानों के माध्यम से ग्रहण कर उसमें निहित अर्थों, मनोदशा एवं भावों आदि को समझने को योग्यता ही श्रवण- कौशल है।''

19.3.1 श्रवण कौशल का महत्त्व

विद्यार्थियों के व्यक्तिगत के निकास में श्रवण कौशल की महत्त्वपूर्ण भूमिका होती है। जब वक्ता क्रमबद्ध ध्वनियों से बने शब्दों का उच्चारण करता है, तब से ध्वनियाँ तरंगों में परिवर्जित होकर वायु के माध्यम से अन्य व्यक्ति के कार्य तक पहुँचती है। श्रोता अपने कानों से सहायता से उन ध्वनि तरंगों को ग्रहण करता है और उसके कर्ण-पटल उन ध्वनि तरंगों को विशेष संकेतों में बदलकर मस्तिष्क तक पहुँचाते हैं। इस प्रकार मस्तिष्क उन संकेतों का उन बिम्बों से मिलान करता है, जो उसके श्रुति बिम्ब का दृश्य बिम्ब के रूप में अंकित होते हैं। अत: शब्द अथवा वाक्य के संकेतों अथवा बिम्ब या दृश्य बिम्ब का मिलान यही होने पर श्रवण प्रक्रिया सफलता-पूर्वक पूर्ण मानी जाती है। सम्प्रेषण के विभिन्न चरणों में श्रवण का महत्त्व निम्न बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है।

श्रवण कौशल लेखन के लिए नितान्त आवश्यक : विद्यार्थी अध्यापक द्वारा उच्चारित शब्दों को सुनकार पूर्ण अर्थ ग्रहण करते हैं। उन ध्वनियों का अनुकरण करते हैं जिसका अध्यापक पुस्तक की सहायता से उच्चारण करता है। सम्प्रेषण प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात विद्यार्थी लिखते हैं। यदि विद्यार्थी उन ध्वनियों का श्रवण करने से सफल नहीं हो पाता जो अध्यापक द्वारा क्रमबद्ध रूप में उच्चारित की गई हैं तो उसके लिए लिखना कठिन ही नहीं असम्भव होगा। अत: लेखन के लिए श्रवण नितान्त आवश्यक है।

बर्तनों का अभ्यास : अध्यापक द्वारा सम्प्रेषित वाक्य सामग्री का विद्यार्थी श्रवण करते हैं और उसी अनुरूप लेखन क्रिया करते हैं। इस लेखन क्रिया के परिणमस्वरूप विद्यार्थियों को बर्तनी सम्बन्धी त्रुटियाँ धीरे-धीरे कम और लेखन त्रुटिरहित बन जाता है। प्राय: लेखन क्रिया में वर्तनों की त्रुटियाँ होती हैं, लेकिन लिखने के अभ्यास के द्वारा बर्तनी का अभ्यास लाभदायक सिद्ध होता है।

साहित्यिक क्रिया – कलापों में महत्ता : श्रवण कौशल के माध्यम से ही साहित्यिक क्रिया-कलापों का आन्नद प्राप्त किया जा सकता है। कविता धारा साहित अनेक साहित्यिक प्रतियोगिताओं का आयोजन विद्यालयों, महाविद्यालयों व श्विविद्यालयों में किया जाता है। कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। श्रवण क्रिया ही एक ऐसा माध्यम है, जिसके द्वारा सभी इन कार्यक्रमों का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। समझ सकते हैं और फिर अपने विचार अभिव्यक्त कर सकते हैं। आकाशवाणी के कार्यक्रम सुनकर सभी का मनोरंजन होता है।

श्रवण क्रिया भाषा के ज्ञान अर्जन का प्रथम सोपान : जन्म से ही बच्चा विभिन्न प्रकार की ध्वनियों का सुनने और पहचानने लगता है। समय परिवर्तन के साथ ये ध्वनियाँ उसके मस्तिष्क पर अंकित होती रहती है। यही ध्वनियाँ विद्यार्थी के भाषा के ज्ञान का आधार बन जाती है। इस दृष्टि से श्रवण कौशल अन्य भाषाओं के सीखने व विकास हेतु सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण है। स्पष्ट: कहा जा सकता है कि भाषा का ज्ञान अर्जित करने के लिए श्रवण प्रथम सशक्त चरण है। भाषा सम्प्रेषण के अन्य चरणों अभिव्यक्ति, वाचन व लेखन तक श्रवण कौशल के द्वारा ही पहुँचा जा सकता है।

सामाजिक तथा पारिवारिक कार्यों की समानता : व्यावहारिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो किसी भी प्रकार के सामाजिक अथवा पारिवारिक कार्यों की सम्पन्नता कौशल पर निर्भर करती है। समाज में अथवा परिवार में रहते हुए जब तक हम किसी व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त ध्वनि संकेतों को पूर्णत: ग्रहण नहीं कर लेते उस पर किसी प्रकार को अपनी क्रिया प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकते अत: कार्य अपूर्ण ही रहेगा। इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक एवं पारिवारिक कार्यों की सम्पन्नता में श्रवण का महत्त्वपूर्ण स्थान है।

शब्द – ज्ञान भण्डार में वृद्धि : बचपन से ही परिवार में रहते हुए बच्चा अपने माता – पिता, भाई – बहन, दादा – दादी इत्यादि को बोलते हुए सुनता है। बच्चा अनुकरण करता हुआ विभिन्न ध्वनि संकेतों का उच्चारण करने का प्रयास करता है। दैनिक – जीवन में उसे प्रतिदिन नए – नए शब्द सुनने को मिलते हैं। इस प्रकार से नए शब्दों को सुनने से उसके शब्द – ज्ञान के भण्डार में अभूतपूर्व बृद्धि होती है। यही बालक बड़ा होकर शिक्षक के सम्पर्क में आता है। शिक्षक के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण करने से उसके उच्चारण में भी शुद्धता का विकास होता है, क्योंकि यह विद्यार्थी जैसे सुनता है वैसे ही बोलने का प्रयास करता है। इसी अनुरूप वह समाज के अन्य लोगों के सम्पर्क में आकर भी नए शब्दों का श्रवण करता है, जिससे निश्चित रूप से उसके शब्द – ज्ञान भण्डार में वृद्धि होती है।

बौद्धिक व मानसिक विकास : भाषा सम्प्रेषण के चरणों में श्रवण विद्यार्थी के बौद्धिक व मानसिक विकास के लिए श्रेष्ठ सहायक है। परिवार, समाज, शैक्षिक संस्थानों व अन्य महत्त्वपूर्ण स्थलों पर विभिन्न गतिविधयों का आयोजन किया जाता है, जिसमें सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, शैक्षिक इत्यादि प्रमुख माने जाते हैं। इन कार्यक्रमों में विद्यार्थियों की प्रतिभागिता से उनमें बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक विकास निश्चित रूप में होता है।

अनुशासन की प्रवृति : विद्यार्थी जब एकाग्रचित होकर दूसरों के उच्चारण का ध्यानपूर्वक श्रवण करता है तो इस प्रकार निरंतर अभ्यास से उसमें अनुशासन की प्रवृति जन्म लेती है। यह प्रवृति उसके व्यक्तित्त्व के विकास का आध ार कहीं जा सकती है। अनुशासित व्यक्ति ही अपने जीवन के लक्ष्य को पाने में सफलता आसानी से प्राप्त कर सकता है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि सम्प्रेषण क्रिया के दौरान श्रवण कौशल प्रत्येक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण है। श्रवण क्रिया सम्प्रेषण के अन्य चरणों के विकास में सहायक है। मनुष्य के व्यक्तित्व के विकास सहित विभिन्न मानवीय गुणों के विकास में श्रवण को अहम भूमिका है। निश्चित रूप से शब्द – ज्ञान भण्डार व भाषा के ज्ञान में वृद्धि श्रवण क्रिया पर निर्भर करता है। किसी भी कार्य की असभ्यता का मूल श्रवण को पूर्णता है।

भाषा सम्प्रेषण हेतु विद्यार्थियों में श्रवण सम्बन्धी समस्या

श्रवण कौशल विद्यार्थी के सम्पूर्ण क्रिया – कलापों और उसके व्यक्तित्त्व के विकास का अधार कहा जा सकता है। श्रवण की समस्या होने पर व्यक्ति को उपेक्षा का शिकार होना पड़ता है भले ही परिवार ही अथवा उसके जीवन – यापन का कोई और स्थान। जब तक सुना नहीं जाएगा तब तक बोलना, लिखना, व सीखना कठिन है। इस दृष्टि से विद्यार्थी वर्ग में श्रवण कौशल के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाने परमावश्यक है, जिनका विचरण निम्न प्रकार से है।

श्रवण कौशल के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण कदम – विद्यार्थियों में श्रवण कौशल के विकास के लिए महत्त्वपूर्ण कदम उठाए जाने नितांत आश्वयक हैं, ताकि उन्हें प्रत्येक दृष्टि से सक्षम बनाया जा सके। इनका वर्णन इस प्रकार से है।

स्वास्थ्य की दृष्टि से परीक्षण की आश्वयकता : सर्वप्रथम ऐसे विद्यार्थियों को पहचान करना अति आवश्यक है, जो सुनने में सक्षम नहीं है अथवा जिनकी श्रवण शक्ति कमजोर है। ऐसे छात्र – छात्राओं के कार्यों की जाँच कान – विशेषज्ञ चिकित्सक से करवाना आश्वयक है ताकि उन्हें श्रवण हेतु सक्षम बनाया जा सके। यह भी हो सकता है कि श्रवण के लिए पूर्णत: अक्षय विद्यार्थी भी उपस्थित हो। ऐसी स्थिति में विशेषज्ञ चिकित्सक की सलाह से श्रवण उपलब्ध अत्याधुनिक मशीन भी ली जा सकती है। अत: यह महत्त्वपूर्ण कदम अवश्य उठाना चाहिए।

शुद्ध उच्चारण की आवश्यकता : भाषा के सफल सम्प्रेषण हेतु वक्ता का दायित्व है कि उसका उच्चारण शुद्ध हो। बड़ी कक्षाओं में आध्यापक के लिए और भी आवश्क हो जाता है, यह यकीन करना है कक्षा में उपस्थित सभी छात्र उसके वकत्व्य को सुगमतापूर्वक सुने सकते हैं। हिन्दी भाषा में अनेक शब्दों के उच्चारण में सूक्ष्म परिवर्तन से अर्थ में बड़े स्तर पर बदलाव हो जाता है। जैसे, क्रम-कर्म, 'समान' - 'सामान' इत्यादि। इसलिए श्रवण कौशल के विकास हेतु वक्ता को अपने उच्चारण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। उच्चारण में अशुद्धि होने से उसके परिणाम भी नकारात्मक हो जाएँगे।

वक्ता द्वारा उच्च स्वर में वाचन : अध्यापक को पातय सामग्री का सस्वर वाचन आवश्यकतानुसार उच्च स्वर में करना चाहिए ताकि सभी उपस्थित विद्यार्थी (विशेषकर दूर बैठने वाले) सामग्री का श्रवण कर भली-भांति समझ सके। वे कक्षाएँ जिनमें छात्र संख्या अधिक है, वहाँ पर भी इन बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है, ताकि छात्रों में श्रवण दोष की समस्या उत्पन्न न हो। धीमें स्वर में उच्चारण करने वाले वक्ताओं के लिए विशेषकर ध्यान देने योग्य है।

उचित एवं शांत वातावरण का निर्माण : प्राय: सड़क के किनारे स्थित शैक्षिक संस्थानों में ऐसी समस्या श्रवण कौशल के विकास में बाधक सिद्ध होती है। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या अधिक होने से भी वातावरण अशांत हो जाता है। कुछ छात्र गंभीर नहीं होते। ऐसे अध्यापक को चाहिए कि सस्वर वासन से पूर्ण कक्षा में वातावरण शांत हो। कक्षा के भीतर व बाहर वातावरण उचित हो। सस्वर वाचन से पहले विद्यार्थियों को यह निर्देश दिया जा सकता है कि वाचन के पश्चात इस सामग्री से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएँगे। इससे सभी विद्यार्थी गंभीरता से श्रवण करेंगे, जिससे उनके श्रवण कौशल में विकास होगा।

शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का निरन्तर आयोजन : श्रवण की समस्या या दोष दूर करने के लिए शैक्षिक व सांस्कृतिक गतिविधियों जैसे वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, लघु भाषण, सुश्रेष्ठ तथा सांस्कृतिक गतिविधियों का आयोजन निरंन्तर करते रहना चाहिए। विद्यार्थियों में श्रवण दोष दूर करने का वह श्रेष्ट माध्यम है। निरंतर अभ्यास करने से श्रवण दोष दूर करने में सहायता अवश्य मिलती है। इस संदर्भ में यह उक्ति स्टीक बैठती है 'करत-करत अभ्यास के, जड़मति होत सुजान।'

सस्वर वाचन को उचित गति : कक्षा में भाषा सम्प्रेषण हेतु अध्यापक के लिए या वक्ता के लिए आवश्यक है कि उसके बोलने की गति उचित है। उसे वाचन में गति पर विशेष ध्यान देना चाहिए। स्वराघात, बलाघात तथा आरोह-अवरोह को ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। यथा - 'रोको, मत जाने दो।' और 'रोको मत, जाने दो।' इन दोनों वाक्यों के उच्चारण में विराम चिन्ह को अगर ध्यान में न रखा जाए तो अर्थ पूर्णत: विपरीत हो जाएगा। सस्वर वाचन बहुत तेजी से भी न किया जाए। इसकी गति विद्यार्थियों या श्रोताओं के स्तरानुकूल होनी चाहिए ताकि उसके श्रवण कौशल के विकास में उचित ढ़ग से सहायता हो।

आधुनिक दृश्य-श्रव्य सामग्री का उपयोग : विद्यार्थियों का श्रवण दोष दूर करने हेतु अध्यापक अध्यापक द्वारा सरल व बोधगम्य दृश्य-श्रव्य सामग्री का उपयोग नितांत आवश्यक है। यह समाधी छात्रों के मानसिक व बौद्धिक स्तर के अनुकूल होनी चाहिए। वर्तमान में शिक्षा के क्षेत्र में श्रवण दोष दूर करने हेतु आधुनिक दृष्य-श्रव्य यंत्रों अथवा उपकरणों के उपयोग पर भी बल दिया जा रहा है। जैसे - दूरदर्शन, रेडियो, वीडियो या आय साधनों के माध्यम से विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं, ताकि छात्रों मे श्रवण दोष की समस्या को दूर किया जा सके और भाष सम्प्रेषण को सुगम बनाया जा सके। विद्यार्थी शिक्षकों का मार्गर्शन पाकर घ बैठे भी इन कार्यक्रमों को सुन सकत हैं।

आत्मविश्वास युक्त अभिव्यक्ति : श्रवण कौशल के विकास हेतु यह महत्त्वपूर्ण है कि वक्ता आत्मविश्वास के साथ मौखिक भाषा का प्रयोग करे। उसका स्वर न अधिक ऊँचा और न अधिक धधीमा हो, बल्कि सन्तुलित स्वर हो। भाषा पूर्णत: शुद्ध हो। भावों एवं विचारों की अभिव्यक्ति सुगम, स्पष्ट और विद्यार्थियों के स्वरानुरूप होनी चाहिए ताकि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक और एकाग्रचित होकर सुन सके। स्पष्ट अर्थ ग्रहण कर सके। कहने का तात्पर्य यह है कि वक्ता की अभिव्यक्ति में आत्मविश्वास की झलक स्पष्ट दिखाई दे।

अतः भाषा सम्प्रेषण की सफलता हेतु विद्यार्थियों में दोष दूर करने के लिए अथवा श्रवण कौशल विकास करने की दृष्टि से ऊपरलिखित महत्त्वपूर्ण कदम उठाना आवश्यक है। अध्यापक का कर्तव्य है कि विद्यार्थियों की व्यक्तिगत कठिनाईयों की और विशेष ध्यान दें। कक्षा के अन्दर और बाहर का वातावरण शांत हो। उसे चाहिए कि अपना मूल्यांकन स्वयं करे और भाषा सम्प्रेषण में किसी भी प्रकार की त्रुटि की संभावना न हो। शैक्षिक गतिविधियों का आयोजन कक्षा में निरंतर न सिर्फ किया जाए बल्कि विद्यार्थियों को भी उनमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। ये कदम निश्चित रूप से भाषा सम्प्रेषण हेतु तथा विद्यार्थी के श्रवण कौशल को विकसित करने में सहायक सिद्ध होंगे।

'श्रवण' प्रक्रिया अनेक चरणों में पूर्ण होती है। इसे भाषा सम्प्रेषण का प्रथम एवं महत्त्वपूर्ण चरण माना जाता है। यह स्पष्ट है कि जब तक श्रवण की प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण न हों। अन्य चरणों को (अभिव्यक्ति या बोलना, समझना व लेखन क्रिया) पूर्व करना कठिन होता है। अतः विद्यार्थी में श्रवणकौशल का विकास भाषा सम्प्रेषण हेतु अति आवश्यक है। श्रवण प्रक्रिया को निम्न चित्र क माध्यम से स्पष्ट रूप से समझाा जा सकता है।

वक्ता द्वारा उच्चारित शब्द	ध्वनि तरंगे	वायु द्वारा ध्वनि तरंगों का सम्प्रेषण	कानों द्वारा (कर्णपटल) ध्वनि-तरंगें ग्रहण करना व उन्हें संकेतों द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचाना	मस्तिष्क में चिन्हित श्रुत बिम्बों से मिलान	दृश्य बिम्ब सहायता से अर्थ ग्रहण

श्रवण प्रक्रिया

भाषा संम्प्रेषण के चार-चरण अथवा चार-कौशल

भाषाविदों विद्वानों और शिक्षाविदों द्वारा भाषा-सम्प्रेषण अथवा भाषा-विज्ञान के चार-चरण या कौशल स्वीकार किए जाते हैं। भाषा शिक्षण में इन चार चरणों का महत्त्वपूर्ण स्थान हैं। भाषा से सम्बन्धित मुख्यतः दो कौशल है। जिनका उपविभाजन किया गया है भाषा सीखने हेतु दो कौशल है पहला 'ग्रहण करना' और दूसरा 'अभिव्यक्ति'।

1. **ग्रहण :** ग्रहण का उपविभाजन दो भागों में किया गया है। यानि ग्रहण के दो निम्न ढंग है।

(क) सुनकर (श्रवण) (ख) पढ़कर (वाचन)

2. **अभिव्यक्ति :** ग्रहण की ही भाँति अभिव्यक्ति के दो माध्यम है।

स्पष्ट रूप में भाषा सम्प्रेषण हेतु चार-कौशल अथवा चरणों का वर्णन निम्न प्रकार से है:-

1. वक्ता द्वारा उच्चरित भावों एवं विचारों को सुनकर ग्रहण करना श्रवण-कौशल कहलाता है।
2. किसी रचना को पढ़कर भाव व विचार ग्रहण करना वाचन-कौशल कहा जाता है।
3. बोलकर अपने हृदय के भावों एवं विचारों को अभिव्यक्त करना मौखिक कौशल (अभिव्यक्ति) की श्रेणी में आता है।
4. जब कोई व्यक्ति अपने मन के भाव व विचार लिखकर व्यक्त करता है तो वह लेखन की श्रेणी में आता है। इस प्रकार भाषा सम्प्रेषण के इन चार चरणों को हम निम्नलिखित चित्र (1.1) के द्वारा आसानी से समझ सकते हैं -

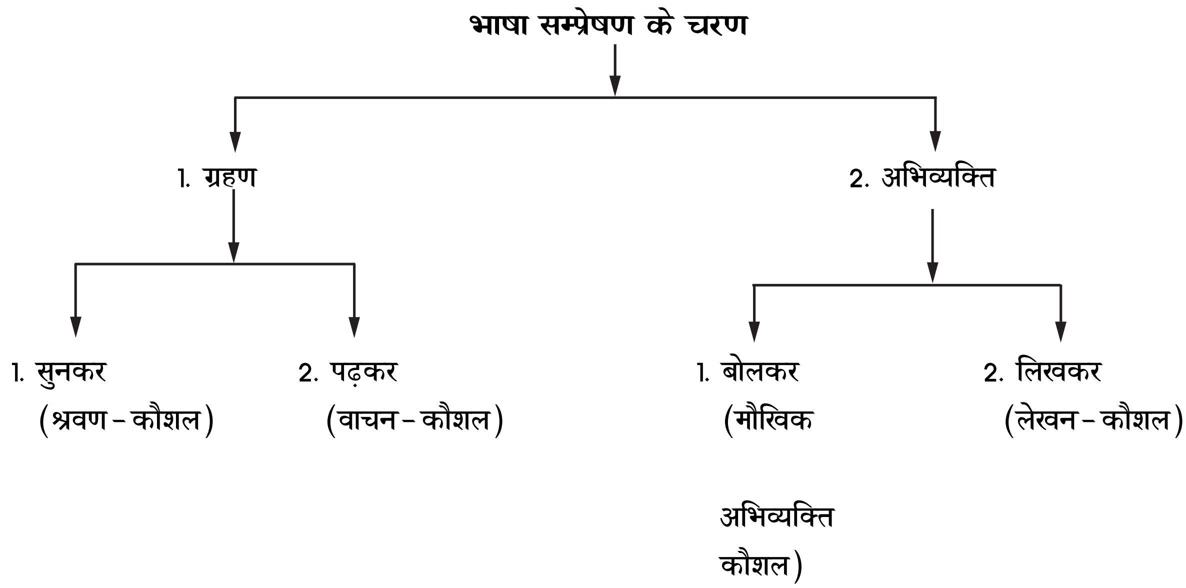

इस प्रकार से हम देखते हैं कि भाषा सीखने के लिए इन चरणों का विशेष महत्त्व है। किसी भी भाषा में पारंगत होने के लिए भाषा के इन चारों कोशलों का विकसित हाना नितांत आवययक है। भाषाओं दृष्टि से सक्षम बनने हेतु अथवा एक श्रेष्ठ वक्ता बनने हेतु इन चरणों का सतत् अभ्यास मुख्य भूमिका का निर्वाह करता है। इसी दृष्टि से अध्यापक की भूमिका भी अहम है।

भाषा सम्प्रेषण की सफलता के लिए श्रवण शिक्षण विधियाँ

भाषा शिक्षण के सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए श्रवण कौशल का विशेष महत्त्व है 'श्रवण' का प्रत्यक्ष रूप से कान व मस्तिष्क से सम्बन्ध होता है। हिन्दी शिक्षण में 'श्रवण-कौशल' से तात्पर्य विद्यार्थियों को इस योग्य बनाने में है कि वे किसी भी व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त भावों विचारों व अनुभवों को ध्यानपूर्वक सुनकर उनका सही अर्थ ग्रहण कर सकने में सक्षम हों। श्रवण-शिक्षण हेतु विभिन्न विधियों का उपयोग किया जाता है। इनका वर्णन निम्न प्रकार से हैं:-

श्रवण-शिक्षण हेतु महत्त्वपूर्ण विधियाँ : श्रवण-कौशल के विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्त्वपूर्ण विधियाँ उपयोग में लाई जाती हैं जिनका संक्षेप वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है।

सस्वर वाचन विधि : श्रवण शिक्षण की इस विधि के अन्तर्गत शिक्षक के लिए अनिवार्य है कि कक्षा में सर्वप्रथम गद्य या पक्ष के किसी अंश का आदर्श वाचन विद्यार्थियों के सम्मुख प्रस्तुत करें। इसी अनुसार शिक्षक का अनुकरण करते हुए, क्रमानुसार सभी विद्यार्थी सस्वर वाचन करें। सस्वर वाचन क्रिया के दौरान उनकी उच्चारण सम्बन्धी त्रुटि का ठीक किया जाना चाहिए। इस विधि के माध्यम से छात्रों को शुद्ध उच्चारण के साथ बलाघात, यति व गति आदि से सम्बन्धित ज्ञान प्राप्त होता है। उपस्थित विद्यार्थियों द्वारा सस्वर वाचन के पश्चात शिक्षक यह जानने में सफल हो जाता है कि छात्रों में श्रवण-कौशल का विकास कितना हो रहा है।

श्रुत-लेखन विधि : श्रुत-लेख श्रवण शिक्षण के लिए उपयुक्त विधि है। यह शुद्ध लेखन हेतु एक सशक्त माध्यम भी है। श्रुत-लेख के लिए आवश्यक है कि पातय-सामग्री विद्यार्थियों के बौद्धिक व मानसिक स्तर के अनुरूप हो। इस विधि के लिए आवश्यक है कि पातन-सामग्री विद्यार्थियों के बौद्धिक व मानसिक स्तर के अनुरूप हो। इस विधि में शिक्षण पाठ का शुद्ध उच्चारण करता है और विद्यार्थी वर्ग शिक्षक को ध्यान पूर्वक सुरकर उन विचारों को लिखित रूप प्रदान करता है। शिक्षक का उच्चारण व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होना अपेक्षित है। इस विधि के द्वारा जो छात्र अध्यापक के वाचन को ध्यानपूर्वक सुनकर लिखता है, उसमें त्रुटि की सम्भावना कम रहती है, दूसरी ओर बिना एकाग्रचित श्रवण करने से श्रुत-लेख में अनेक प्रकार की 'त्रुटियाँ हो सकती हैं। वे चाहे व्याकरण, भाषा या शब्दों इत्यादि से ही सम्बन्धित क्यों न हो।

लघु भाषण एवं वाद – विवाद विधि : लघु भाषण और वाद-विवाद यद्यपि मौखिक अभिव्यक्ति के विकास की वृद्धि से सर्वश्रेष्ठ और प्रभावशाली साधन माने जाते हैं, फिर भी भाषा-शिक्षण व श्रवण कौशल के विकास के लिए गतिविधियाँ महत्त्वपूर्ण मानी जाती है। भाषण और वाद-विवाद के आयोजन से पूर्व यदि विद्यार्थियों की यह निर्देश दे दिया जाए कि इन गतिविधियों को समाप्ति पर आप समाप्ति से आप सभी से इन विषयों से सम्बन्धित प्रश्न पूछे जाएँगे तो सभी छात्र निश्चित रूप से एकाग्रचित होकर श्रवण करेंगे। विद्यार्थी भाषण ध्यानपूर्वक सुनेंगे वे प्रश्नों के उत्तर भी अन्य की तुलना में सही देंगे। इस प्रकार श्रवण-कौशल के विकास हेतु शिक्षक अपनी महत्त्पूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है।

कथा या कहानी उच्चारण एवं श्रवण विधि : प्राय कहानी सुनना विद्यार्थी वर्ग को रुचिकर लगता है। कक्षा में अध्यापक को चाहिए कि छात्रों को एक कहानी सस्वर सुनाए। इसके पश्चात उपस्थित बच्चों से वह कहानी दोहराने हेतु निर्देश दे। जो विद्यार्थी श्रवण के समय सचेत रहे होंगे व तुरन्त कहानी सुना देंगे। इससे शिक्षक को यह जानने में देर नहीं लगेगी कितने विद्यार्थी कितनी सामग्री ग्रहण का सके हैं या नहीं। इस प्रकार कहानी उच्चारण व श्रवण विधि श्रवण-कौशल के विकास हेतु महत्त्वपूर्ण विधि मानी जाती है।

दृश्य एवं दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग : शिक्षण हेतु सहायक सामग्री में मुख्य रूप से दृश्य, श्रव्य और दृश्य-श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है यह शिक्षक पर निर्भर करता है कि भाषा सम्प्रेषण हेतु कक्षा में किस प्रकार की सामग्री का प्रयोग करें। दृश्य सामग्री में चार्ट, श्याम पट्ट, श्रव्य में रेडियो, टेपरिकार्डर तथा दृश्य-श्रव्य सामग्री में टेलीविजन और चलचित्र को सम्मिलित किया जाता है। आधुनिक युग विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति का युग है। आज ऐसे यन्त्र उपलब्ध हो रहे हैं, जो श्रवण-कौशल के विकास का आधार सिद्ध हो रहे हैं। शिक्षक प्राय: श्रवण-कौशल के विकास हेतु ऐसी सहायक सामग्री का प्रयोग कक्षा में अध्यापन के दौरान करता है, ताकि विद्यार्थी पातम-सामग्री को पूर्णत: समझ सके व अर्थ ग्रहण कर सके। अत: भाषा शिक्षण के लिए श्रवण-कौशल के विकास में सहायक सामग्री महत्त्वपूर्ण मानी जाती है।

निष्कर्षस्वरूप कह सकते हैं कि श्रवण तथा भाषा सम्प्रेषण के लिए सस्वर वाचन, श्रुत-लेख, भाषण एवं वाद-विवाद का आयोजन व विभिन्न प्रकार की दृश्य व दृश्य-सामग्री की अहम भूमिका है। नि:संदेह इन विधियों के प्रयोग से श्रवण-कौशल के विकास में सहायता मिलती है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास – 1

प्र. 1. श्रवण से क्या अभिप्राय है?

प्र. 2. भाषा संप्रेषण का सबसे महत्त्वपूर्ण चरण कौन सा है?

19.4 अभिव्यक्ति (मौखिक)

मनुष्य अपने हृदय के भावों, विचारों और अनुभवों को अभिव्यक्त करने हेतु भाषा का प्रयोग करता है। भाषा के प्राय: दो रूप अभिव्यक्ति हेतु प्रयोग किए जाते हैं। पली उच्चरित अथवा मौखिक अभिव्यक्ति तथा दूसरी लिखित अभिव्यक्ति। अत: मुँह से अभिव्यक्त होने वाली भाषा 'मौखिक भाषा' कहलाती है। यही मौखिक अभिव्यक्ति के रूप में जाना जाता है।

मौखिक अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ : 'अभिव्यक्ति' का शाब्दिक अर्थ है 'प्रकटीकरण' अथवा 'प्रकट किया हुआ'। मनुष्य परिवार व समाज में रहते हुए अपने हृदय के भावों, विचारों और अनुभवों को दूसरो के समक्ष प्रकट करता है। भावों व विचारों का 'प्रकटीकरण' अथवा उन्हें प्रकट करना 'अभिव्यक्ति' के रूप में जाना जाता है। 'मौखिक' अर्थात 'मुख सम्बन्धी' या बोला जाने वाला।

'अभिव्यक्ति' की परिभाषा : अनेक विद्वानों, भाषाविदों व भाषा वैज्ञानिकों ने 'अभिव्यक्ति' को अपने- अपने शोध के आधार पर परिभाषित किया है। वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो यह माना जाता है कि जिस व्यक्ति की अभिव्यक्ति जिनती स्पष्ट है। वह जीवन में उतनी ही सफलता अर्जित करेगा।

श्रीराम बिहारी लाल के अनुसार, ''मानव अपने हृदय अपने हृदय के भावों को व्यक्त करने के लिए जिन ध्वन्यात्मक संकेत-साधन का प्रयोग करता है, उसे उसकी मौखिक भाषा कहा जाता है।''

डॉ. विजस सूद के शब्दों में, ''मुँह से बोलकर अपने भावों, विचारों तथा अनुभवों को व्यक्त करना मौखिक अभिव्यक्त कहलाती है।''

19.4.1 मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएँ अथवा गुण

मौखिक अभिव्यक्ति की एक ऐसी विद्या है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने दैनिक जीवन में अपने भाव प्रकट करता है, दूसरों से आचार-व्यवहार व सम्बन्ध स्थापित करता है। विद्यार्थी जीवन के लिए 'अभिव्यक्ति' का विशेष महत्त्व है। जो छात्र-छात्राएँ अपने जीवन में मौखिक अभिव्यक्ति में कुशलता लाने हेतु प्रयास करते हैं, स्पष्ट है वे दूसरे विद्यार्थियों की अपेक्ष अपने भावों एवं विचारों को कुशलतापूर्वक एवं स्पष्ट अभिव्यक्त कर सकते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति को श्रेष्ठता हेतु इसमें अनेक विशेषताओं व गुणों का होना आवश्यक माना जाता है, जिनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है।

उच्चारण की शुद्धता : शुद्धता मौखिक अभिव्यक्ति की प्रमुख विशेषता है। जिस विद्यार्थी की मौखिक अभिव्यक्ति जितनी स्पष्ट होगी, वह उतनी ही उत्कृष्ट मानी जाएगी। शुद्ध उच्चारण अभिव्यक्ति का आधार माना जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति का उच्चारण अशिक्षित अथवा अल्पशिक्षित व्यक्ति की अपेक्षा शुद्ध होता है, क्योंकि पढ़ा-लिखा व्यक्ति प्रत्येक शब्द अथवा वाक्य का प्रयोग आवश्यकता के अनुरूप जाँच-परख करके करता है। उसमें भाषायी कुशलता स्पष्ट झलकती है, जबकि अनपढ़ व्यक्ति के उच्चारण में कई त्रुटियाँ प्राय: देखी जा सकती है। अत: उच्चारण की शुद्धता अभिव्यक्ति का प्रमुख गुण है।

स्वाभाविकता : मौखिक अभिव्यक्ति में स्वाभाविकता की झलक स्पष्ट देनी चाहिए। उच्चारण की दृष्टि से अनावश्यक शब्दों, वाक्यों तथा मुहावरों के प्रयोग से बचना चाहिए। भाषा के प्रयोग में स्वाभाविक होनी चाहिए। उच्चारण स्वाभाविक न होने की स्थिति में अभिव्यक्ति हास्यस्पद बनने का भव रहता है। वक्ता कृत्रिम भाषा का प्रयोग करते समय उच्चारण में अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करता है। अत: सफल और श्रेष्ठ वक्ता बनने हेतु उसके उच्चारण में स्वाभाविकता का गुण पाया जाना परमावश्यक है।

स्पष्ट अभिव्यक्ति : एक श्रेष्ठ वक्ता के पास विपुल शब्द-भण्डार होता है। वह अपने विचारों के स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करने में में पूर्णत: सक्षम होता है। उसका शब्द-वाक्य प्रयोग अर्थ स्पष्ट करने में भी सक्षम होता है। उदाहरण के लिए :-

मास्टर साहब, लाईबरेली तो बन्द है।

श्री मान जी, लाइबेरी आज बन्द है।

अभिव्यक्ति की दृष्टि से पहला वाक्य अशुद्ध है, जबकि दूसरे वाक्य का अर्थ स्पष्ट है।

प्रवाहमयता अथवा गतिशीलता : वक्ता का उच्चारण प्रवासयुक्त होना चाहिए। जो व्यक्ति मौखिक अभिव्यक्ति के मामले में कुशल होते हैं, वे शब्द चयन हेतु बोलते समय रूककर सेाचते नहीं हैं। उनका उच्चारण धारा प्रवाह रूप में होता है। ऐसे वक्ताओं की अभिव्यक्ति उच्च दर्जे का मानी जाती है, जो अपने भावों, विचारों और अनुभवों का तथ्यों को प्रवाहमय ढंग से प्रकट करते हैं। इस प्रकार प्रवाहमयता मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताओं में से हैं।

भाषा की अनुकूलता : मौखिक अभिव्यक्ति में भाषा का विशेष महत्व होता है, साधारणत: भाषा का स्तर श्रोताओं के स्तरानुकूल होता है। एक अच्छा वक्ता साधारण परिस्थितियों में सरल भाषा का प्रयोग करता है। श्रोता वर्ग के लिए अगर शिक्षक अत्यधिक कलिष्ठ शब्दों का प्रयोग अपने उच्चारण में करें, तो विद्यार्थी उसका अर्थ ग्रहण करने में सक्षम नहीं होंगे। अत: वक्ता को चाहिए कि भाषा का प्रयोग समयानूकूल तथा स्तरानुसार किया जाना चाहिए।

सुबोधगम्यता : एक शिक्षक का उच्चारण अथवा अभिव्यक्ति को विद्यार्थी समझने में अगर सक्षम हैं तो वह सार्थक नहीं माना जा सकता। एक अच्छा वक्ता माना जाता है जिस की बात को श्रोता पूर्ण रूप से ग्रहण कर लेते हैं। इसका

आधार यह है कि वह वक्ता अपनी बात को सरल, सहज और बोधात्व भाषा में उच्चरित करता है। अत: भाषा की बोध ागम्यता अभिव्यक्ति का विशिष्ट गुण माना जाता है।

शिष्टतापूर्ण व्यवहार : किसी भी समय अथवा स्थान पर शिष्टतापूर्ण व्यवहार की अपेक्षा की जाती है। उच्चारण में किसी व्यक्ति की मान–मर्यादा का खंडन, असभ्य भाषा का प्रयोग इत्यादि की मान्यता कोई भी समाज या वर्ग नहीं देता। भाषा–प्रयोग में शिष्टता का अभाव होने से कई बार स्थिति असमान्य हो जाती है। इसका नकारात्मक प्रभाव श्रोता व वक्ता दोनों पर पढ़ता हैं अत: किसी भी वक्ता के लिए आवश्यक है कि बोलते समय शिष्टाचार की भाषा को न भूलें। जैसे – जो, महोदय, श्रीमान जी, स्वागत, आधार शब्दों का प्रयोग भूलना नहीं चाहिए।

मधुर भाषा का प्रयोग : उच्चारण में मधुर भाषा का प्रयोग विशिष्ट गुण माना जाता है। कुशल वक्ता अपने–भावों को सदैव मधुर वाणी के माध्यम से अभिव्यक्त करता है। श्रोता द्वारा अनायास ही प्रश्न पूछे जाने पर वह अत्यधि क संयम से व शांतिपूर्वक उत्तर देता है। वह अपनी भाषा पर सदैव नियंत्रण रखता है। अत: मौखिक अभिव्यक्ति में मधुर भाषा का प्रयोग सराहनीय गुण माना जाता है।

प्रभावोत्पादकता : प्रभावोत्पादकता मौखिक अभिव्यक्ति का अनिवार्य गुण माना जाता है। अभिव्यक्ति तभी प्रभावपूर्ण हो सकती है जब उच्चारण प्रभावोत्पादक है। स्पष्ट है कि वक्ता अपने उच्चारण में उन सभी गुणों को समाहित करे जो उसके द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पाने में सहासक है।

मौखिक अभिव्यकित की कुशलता हेतु उपर्युक्त विशेषताओं का महत्त्वपूर्ण स्थान है। एक श्रेष्ठ वक्ता की मौखिक अभिव्यक्ति अगर इन गुणों से युक्त है तो नि:संदेह वह अपने उद्देश्यों को आसानी से प्राप्त कर सकता है। उच्चारण के लिए वे गुण सफल अभिव्यक्ति का आधार माने जा सकते हैं।

अभिव्यक्ति

अभिव्यक्ति मानव जीवन की अनेक अनिवार्यताओं में से एक महत्त्वपूर्ण अंग माना जाता है । मनुष्य जीवन में खाना–पीना, सोना–जागना, चलना–फिरना, उठना–बैठना अनिवार्य है। इसके बिना जीवन–यापन सम्भव नहीं। ठीक इसी भाँति मनुष्य जीवन में अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। मौन रूप में जीवन व्यतीत करना सम्भव नहीं। अत: अभिव्यक्ति के महत्त्व को समझना अति आवश्यक हो जाता है । यह स्पष्ट है कि अभिव्यक्ति के दो रूप हैं। मौखिक अभिव्यक्ति एवं लिखित अभिव्यक्ति। मौखिक अभिव्यक्ति को साधारण 'अभिव्यक्ति' और 'लिखित अभिव्यक्ति' लेखन कहलाती है। अभिव्यक्ति का महत्त्व निम्नलिखित प्रकार से विवेचित किया जा सकता है।

अभिव्यक्ति के महत्त्व को निम्नलिखित बिन्दुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। दैनिक जीवन मे विचार व्यक्त करने का आधार। मनुष्य अपने दैनिक जीवन में परिवार व समाज में रहते हुए विभिन्न सदस्यों से मिलकर विचार–विमर्श करता है। वार्तालाप करता है। दूसरों की बात समझना व उन्हें अपनी बात समझना आवश्यक होता है। मौन रहकर जीवन–यापन करना असम्भव है। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति का मनुष्य जीवन में सर्वाधिक महत्त्व है।

मौखिक अभिव्यक्ति एक व्यवसाय के रूप में : आधुनिक जीवन में अभिव्यक्ति एक व्यवसाय का रूप ले चुका है। दैनिक जीवन में निर्माता कंपनियों के रेडियो तथा टेलीविजन के माध्यम से प्रसारित विज्ञापन महत्त्वपूर्ण उदाहरण है। मौखिक अभिव्यक्ति में कुशल व्यक्तियों को हर व्यवसाय में सदैव माँग रहती है। फिल्म उद्योग हो अथवा दूरदर्शन, इनकी सफलता का आधार मौखिक अभिव्यक्ति ही है। मौखिक अभिव्यक्ति में पारंगत व्यवसायी अन्य दुकानदारों की तुलना में अधिक ग्राहकों को अपनी और आकर्षित कर लेता है।

ज्ञान प्राप्ति का महत्त्वपूर्ण माध्यम : साधारणत : ज्ञान प्राप्ति के लिए विभिन्न ग्रन्थों का अध्ययन करना पड़ता है। अभिव्यक्ति भी ज्ञान प्राप्ति का साधन माना जाता है। विद्यार्थियों में प्राय: दूसरी चीजों के विषय में जानकारी प्राप्त करने हेतु शिक्षकों से प्रश्न पूछने की उत्सुकता बनी रहती है। प्रश्नों के उत्तर से मिलने वाली जानकारी छात्रों के ज्ञान में वृद्धि करने में सहायक होती है। उदाहरण के लिए, कबीर दास की निरक्षर थे, परन्तु ज्ञानी थे। उनके ज्ञानोपार्जन का आधार मात्र मौखिक अभिव्यक्ति ही माना जाता है। वे जिस भी स्थान पर जाते थे, उन्हीं की भाषा में बात करते थे। सत्संग सुनते थे और ज्ञान का प्रचार करते थे। इस प्रकार से मौखिक अभिव्यक्ति ज्ञान प्राप्ति हेतु महत्त्वपूर्ण साधन है।

भाषा शिक्षण का उद्देश्य : भाषा शिक्षण के मुख्यत: चार उद्देश्य माने जाते हैं। श्रवण कौशल, अभिव्यक्ति कौशल, वाचन कौशल और लेखन कौशल। अन्य शब्दों में सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। बच्चा जन्म के पश्चात परिवार ये जैसे-जैसे बढ़ा होता है, माता-पिता या अन्य सदस्यों की वार्तालाप सुनता है। अनुकरण के द्वारा बोलने का प्रयास करता है। अपने भावों को प्रकट करता है । इसी प्रकार बाद में पढ़ना और लिखना सीखता है। वह भाषा में पारंगत तभी माना जाता है, जब इन चारों उद्देश्यों को प्राप्त कर ले। अत: भाषा शिक्षण के उद्देश्य के रूप में अभिव्यक्ति का विश्ष्टि महत्त्व है।

व्यक्तित्व के विकास का महत्त्वपूर्ण अंग : मौखिक अभिव्यक्ति व्यक्तित्व के विकास का आवश्यक अंग माना जाता है। अभिव्यक्ति के माध्यम से ही मनुष्य का आन्तरिक एवं बाह्य विकास सम्भव है। विद्यार्थी जब विभिन्न विषयों से सम्बन्धित अपने भावों और विचारों को सभी के समक्ष प्रकट करता है, तो उससे आत्मविश्वास बढ़ता है। मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। अपने विषय में दूसरों को लिखकर भी बताया जा सकता है, परन्तु मौखिक अभिव्यक्ति लेखन की अपेक्षा सशक्त माध्यम है। लिखकर अपने आप को अभिव्यक्त करना प्रत्येक व्यक्ति के लिए सम्भव नहीं। अत: कुशल अभिव्यक्ति के सम्पूर्ण विकास में सहायक सिद्ध होती है। मौखिक अभिव्यक्ति एक कला है। किसी भी साक्षात्कार के समय अभिव्यक्ति कौशल ही प्रार्थियों के चयन का सहायक तत्व बनता है। बड़े-बड़े लेखक व रचनाकार श्रोताओं को सम्बोधि त करते समय अपनी बात उचित ढ़ग से रखने में असफल हो जाते हैं।

शैक्षिक व सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में सहायक : विभिन्न शैक्षिक व सांस्कृतिक क्रिया-कलापों में अभिव्यक्ति का अत्यधिक महत्व है। हालांकि उन क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न विषयों से सम्बन्धित असंख्य पुस्तके प्रकाशित हो चुकी हैं लेकिन फिर भी अभिव्यक्ति की महत्ता को कम नहीं आँका जा सकता। दैनिक कक्षाओं में शिक्षक पुस्तकें पढ़कर ही शिक्षण कार्य नहीं करता। इसी प्रकार विभिन्न सांस्कृतिक कार्यो के संचालन में मौखिक अभिव्यक्ति ही प्रमुख साधन रहता है। शिक्षक मौखिक रूप से भी विचारों को व्यक्त करता है। शिक्षण कार्य करता है। अत: शैक्षिक व सांस्कृतिक दृष्टि से अभिव्यक्ति की भूमिका अग्रगण्य है।

विद्यार्थियों के सर्वागीण विकास में सहायक : विद्यार्थी जीवन मे अभिव्यक्ति की अहम भूमिका है, शिक्षा का उद्देश्य है 'विद्यार्थी के व्यक्तित्व का सर्वागीण विकास।' विद्यार्थी कविता पाठ व कहानी सुनने हेतु अकसर उत्सुक पाए जाते हैं। शिक्षक को चाहिए कि छात्रों का पाठ्यक्रम से सम्बन्धित कविता पाठ व कहानी आदर्श रूप में सुनाए। बच्चे कविता-पाठ को कण्ठस्थ कर शिक्षक को सुनाते हैं। इसी प्रकार कक्षा में भी कविता-पाठ से सम्बन्धित प्रतियोगिता का आयोजन भी करवाया जा सकता है, जिसमें विद्यार्थी मौखिक अभिव्यक्ति के माध्यम से इन विषयों से सम्बन्धित प्रतियोगिताओं में न सिर्फ भाग लेते हैं, बल्कि श्रेष्ठ प्रदर्शन भी करते हैं। वे क्रिया-कलाप उनके सर्वांगीण विकास में सहायक होती है।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि मनुष्य जीवन में बचपन स लकर बुढ़ापे तक मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्त्व है। एक और अभिव्यक्ति विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में महत्त्वपूर्ण है और दूसरी ओर एक व्यवसाय के रूप में भी आप का सशक्त माध्यम बनता जा रहा है। आज अभिव्यक्ति मे कुशलता शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के अध्यार्थियों के लिए सोने पे सुहागे का काम कर रही हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अभिव्यक्ति का विशिष्ट महत्त्व है।

19.4.2 अभिव्यक्ति शिक्षण के विभिन्न उददेश्य

मानव जीवन में अभिव्यक्ति के महत्त्व को देखते हुए छात्रों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास करता नितांत आवश्यक माना जाता है। हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में व्यक्ति अपने कार्य-कलापों में मौखिक भाषा का प्रयोग करता है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रशासकीय कार्यों व सांस्कृतिक दृष्टि से भी लिखित रूप के साथ-साथ मौखिक भाषा का प्रयोग भी किया जाता है। अभिव्यक्ति-कौशल विकास हेतु शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षण कार्य किया जाता है, ताकि इसके उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन। निम्नलिखित प्रकार से है :

छात्र-छात्रों को श्रुत सामग्री पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने हेतु सक्षम बनाना।

विद्यार्थियों को अपने हृदय के भावों, विचारों को शुद्धता व सपष्टता सहित दूसरों के समक्ष अभिव्यक्त करने हेतु समर्थ बनाना।

प्रभावोत्पादक वार्तालाप हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाना।

विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति के गुणों का विकास करने हेतु सतत् अभ्यास करना।

छात्रों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास हेतु गुणों का विकास करना।

छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति के विकास के लिए शिष्टाचार की सामान्य बातों से परिचय करवाना, ताकि बड़े अथवा छोटे लोगों से उचित व्यवहार करने के योग्य बन सके।

शैक्षिक व सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में सफल वक्ता बनाने हेतु विद्यार्थियों को तर्कपूर्ण ढंग से अपनी बात के लिए समर्थ बनाना।

समाज में रहते हुए दूसरे लोगों के विचारों को सुनना, समझना व उसका अर्थ ग्रहण करना। इसके पश्चात् उन्हें सुस्पष्ट रूप से अपना पक्ष दूसरों के समक्ष रखने के योग्य बनाना।

विद्यार्थियों को एकाग्रचित होकर श्रवण व तर्कपूर्ण ढ़ग से स्मरण शक्ति को विकसित करना।

विद्यार्थियों को सफल वक्ता बनाने हेतु गुणों का विकास करना।

विद्यार्थियों की वाक्य रचना तथा विराम चिन्हों की अशुद्धियाँ को दूर करना।

इस प्रकार मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के विभिन्न उद्देश्य हैं, जिनकी प्राप्ति व उससे सम्बन्धित सभी गुणों को विकसित करने के बाद ही एक विद्यार्थी श्रेष्ठ वक्ता बन सकता है। इसी उद्देश्य से भाषा व अभिव्यक्ति कौशल के विकास हेतु शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाता है विद्यार्थियों में अभिव्यक्ति कौशल का विकास करना ही विद्यालयों में शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है।

मौखिक अभिव्यक्ति में अशुद्धि के कारण

जन्म के पश्चात बच्चा जैसे-जैसे शारीरिक व मानसिक दृष्टि से विकास करता है, भाषाओं दृष्टि से भी वह पारिवारिक सदस्यों की सुनता है। उनका अनुकरण करते हुए भाषा सम्बन्धी ज्ञान अर्जित करते हुए धीरे-धीरे बोलना सीख जाता है। परन्तु उसके उच्चारण में प्राय: अशुद्धियाँ होती हैं, जिन्हें वह अभ्यास से करने का प्रयास करता है। विद्यालय में छात्रों का उच्चारण दोषपूर्ण अथा अशुद्ध होता है जिसे मौखिक अभिव्यक्ति शिक्षण के माध्यम से दूर करने हेतु शिक्षक इस विधि का प्रयोग करता है। उच्चारण में अशुद्धि के अथवा दोषपूर्ण उच्चारण के भिन्न-भिन्न कारण हो सकते हैं, जिनकी पहचान करना शिक्षक के लिए आवश्यक हो जाता है। किसी भी समस्या का निराकरण सभी सम्भव हो सकता है, जब उसकी पहचान कर ली जाए। विद्यार्थियों में मौखिक अभिव्यक्ति के दोषपूर्ण अथवा अशुद्धि के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं, जिनका अध्ययन करना शिक्षक के लिए विशेष महत्त्व रखता है।

दोषपूर्ण उच्चारण अथवा अभिव्यक्ति में अशुद्धि के कारण : छात्रों के उच्चारण में अशुद्धि के कारण निम्नलिखित हो सकते हैं :

मुख अव्यवों का विकृत होना : प्राय कुछ विद्यार्थी कक्षा में उच्चारण के समय किसी ध्वनि विशेष को बोलने में असमर्थ होते हैं। कुछ छात्र स्वाभाविक रूप से तोतला बोलते हैं जैसे 'नीला' को 'लीला', 'नमक' को 'लमक' आदि। उच्चारण की इस अशुद्धि का मुख्य कारण विद्यार्थी के मुख के अवयवों में विकार अथवा उनका विकृत होना है। यह विकृति उनमें जन्मजात होती है। जिसकी वहज से उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। शिक्षक का दोषपूर्ण अथवा अशुद्ध उच्चारण : स्थानीय व क्षेत्रीय बोली के प्रभाव के कारण कई बार शिक्षक के उच्चारण में अशुद्धि देखने को मिलती है। छात्र भी शिक्षक के अशुद्ध उच्चारण का अनुकरण करते हैं और इस प्रकार विद्यार्थी दोषपूर्ण उच्चारण करने लग जाते हैं। ऐसा प्राथमिक पाठशालाओं में देखा गया है। शिक्षक को अपने उच्चारण का मूल्यांकन स्वयं करते हुए उच्चारण दोष की समस्या का निराकरण करना चाहिए।

सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण का प्रभाव : विद्यार्थी पाठशाला की तुलना में समाज व परिवार में अधिक समय तक आचार व्यवहार करता है। अपने विचार अभिव्यक्त करता है। समाज या परिवार में अल्पशिक्षित या

अशिक्षित व्यक्ति प्रायः अशुद्ध उच्चारण करते हैं। 'छतरी' को 'शतरी', 'शिमला' को 'सिमला', 'क्रम' को 'काम' और 'कर्म' को 'क्रम' इत्यादि जैसे दोषपूर्ण उच्चारण के अंसख्य उदाहरण है। समाज में इन्हीं शब्दों के दोषपूर्ण उच्चारण का अनुकरण विद्यार्थी करते हैं। इस प्रकार छात्रों के अशुद्ध उच्चारण का मुख्य कारण उन पर सामाजिक व पारिवारिक वातावरण का प्रभाव माना जाता है। इस वातावरण का परिणाम यह होता है कि विद्यार्थी पाठशाला में भी उन शब्दों का दोषपूर्ण उच्चारण कारण है।

ध्वनि यंत्र में विकृति : ध्वनि यंत्र को समस्य जन्मजात होती है। इस विकृति के कारण विद्यार्थी कुछ विशिष्ट ध्वनियों को शुद्ध रूप से व्यक्त करने में असमर्थ रहते हैं और उनका उच्चारण दोषपूर्ण होता है। इसका एक नकारात्मक प्रभाव वह होता है कि कुछ अन्य छात्र भी इन अशुद्ध ध्वनियों का अनुकरण करते हैं और वे भी अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। यह भी दोषपूर्ण उच्चारण का एक महत्त्वपूर्ण कारण बन जाता है।

भौगोलिक परिस्थितियाँ : दोषपूर्ण मौखिक अभिव्यक्ति के लिए भौगोजिक परिस्थितियों को भी मुख्य कारण माना है। गर्म क्षेत्र में रहने वाले और ठण्डे वातावरण में जीवन-व्यक्त करने वाले लोगों के स्तर-यंत्रों इत्यादि के आकार या प्रकृति में भिन्नता पाई जाती है। इसके अतिरिक्त मैदानी और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाल लोगों में भाषायी समानता हाने के बावजूद भी मौखिक अभिव्यक्ति मं पर्याप्त भेद पाया जाता है। यह परिस्थितियों को असमानता का परिणाम है। इस प्रकार वह भी दोषपूर्ण अथवा अशुद्ध उच्चारण का कारण सिद्ध होता है।

अज्ञानतावश उच्चारण दोष : दैनिक-जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जब वक्ता अज्ञानता के कारण विभिन्न शब्दों का उच्चारण दोषपूर्ण करते हैं। यही स्थिति कक्षाओं में भी स्पष्ट रूप से देखने को मिलती है। शब्द-ज्ञान के अभाव मे कुछ विद्यार्थी 'मतलब' और 'प्रकृति' को 'प्राकृति' 'समान' के स्थान पर 'सामान' इत्यादि अशुद्ध उच्चारण करते हैं। इस दोषपूर्ण अभिव्यक्ति का मुख्य कारण अज्ञान माना जाता है। जिन शब्दों के संकेतों में सूक्ष्म अन्तर होता है, परन्तु अर्थ में पूर्णतः भेद होता है, वहाँ उच्चारण अशुद्ध होने पर 'अर्थ' का 'अनर्थ' हो जाने की संभावना रहती है।

विदेशी शब्दों का प्रभाव :- हिन्दी भाषा का विशाल शब्द-भण्डार है। इसमें मुख्यतः तत्सम्, तद्भव, देशज और विदेशी (आगत) शब्दों को अपनाया गया है। विदेशी शब्दों में अंग्रेज़ी, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, जापानी इत्यादि भाषाओं के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इन विदेशी भाषाओं का प्रभाव हिन्दी शब्दों के उच्चारण पर निःसंदेह पड़ता है। यथा-हिन्दी में 'कृष्ण' शब्द का अंग्रेजी में उच्चारण 'कृष्णा' ओर 'राम' शब्द की ध्वनि अंग्रेजी भाषा में 'रामा' के रूप में उच्चरित की जाती है। इस परिस्थिति में शिक्षक द्वारा अंग्रेजी में उच्चरित 'कृष्णा' या 'रामा' शब्द को विद्यार्थी अध्यापक का अनुकरण करते हुए हिन्दी भाषा में भी 'रामा' शब्द की ध्वनि अंग्रेजी भाषा में 'रामा' के रूप में उच्चरित की जाती है। इस परिस्थिति में शिक्षक द्वारा अंग्रेजी में उच्चरित 'कृष्णा' उच्चरित करते हैं। इससे मौखिक अभिव्यक्ति में उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। अतः अशुद्ध अभिव्यक्ति के लिए विदेशी शब्दों का उच्चारण भी एक महत्त्वपूर्ण कारण माना जाता है।

प्रयत्न लाघव दोषपूर्ण उच्चारण का कारण : मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। इसकी प्रकृति है कर्म-प्रधान के द्वारा अपना काम का लेना। वह स्वभाव प्रयत्न लाघव कहलाता है। अधिकरतर शब्दों क उच्चारण (ध्वनि चिन्हों के अनुसार) प्रयत्न लाघव के कारण अशुद्ध हो जाता है, जैसे - 'सामान' को 'समान' कहना, 'सामाजिक' को 'समाजिक' कहना इत्यादि। अतः प्रधान लाघव दोषपूर्ण अभिव्यक्ति का कारण है।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि दोषपूर्ण उच्चारण का मौखिक अभिव्यक्ति की अशुद्धि के विभिन्न कारण है। दोषरहित उच्चारण अथवा अभिव्यक्ति के लिए हमं इन कारणों का निवारण करने चाहिए ताकि उच्चारण शुद्ध व स्पष्ट हो।

दोषपूर्ण उच्चारण में सुधार हेतु उपाय

उत्तर-छात्रों में उच्चारण दोष होना स्वाभाविक है, क्योंकि भाषा शिक्षण प्रक्रिया में इसके लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। इनका अध्ययन हम कर चुके हैं। शिक्षक के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थियों में अशुद्ध उच्चारण के कारणों को पहचान कर उनके निराकरण हेतु ठोस प्रयास करें। छात्रों के उच्चारण दोष को समाप्त करना अत्यंत आवश्यक है। मौखिक अभिव्यक्ति को अशुद्धियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित प्रयास लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं।

शिक्षक का उच्चारण : कक्षा में शिक्षण प्रक्रिया के दौरान शिक्षक का उच्चारण पूर्णत: शुद्ध होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी को दोषपूर्ण उच्चारण का अनुकरण करने का अवसर ही न मिल सके।

ध्वनि चिन्हों का ज्ञान :– छात्रों का उच्चारण दोष दूर करने के लिए उन्हें ध्वनि चिन्हों का ज्ञान प्रदान किया जाना अति आवश्यक है। इस से उच्चारण की समस्या को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार का उच्चारण दोष विद्यार्थियों में स्वर यंत्र की विकृति अभिव्यक्ति दोष का मुख्य कारण है । यह विकार जन्म जात माना जाता है। इस समस्या के निराकरण हेतु शिक्षक को छात्रों के माता पिता का मार्गदर्शन कर उन्हें प्रेरित करना चाहिए। विशेषज्ञ चिकित्सक से सहायता ली जा सकती है। ऐसी समस्या के निराकरण हेतु आधुनिक समय में अनेक साधन उपलब्ध है। इनका उपयोग परार्मशानुसार किया जा सकता है। हर समस्या का समाधान साधन है।

विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन :– उच्चारण दोष दूर करने के लिए विद्यालयों में भाषण वाद–विवाद, प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता, कविता पाठ इत्यादि गतिविधियों का आयोजन किया जाना चाहिए। इनमें भाग लेने से विद्यालयों के उच्चारण दोष सम्बन्धी समस्या का निराकरण किया जा सकता है। ये वे साधन हैं, जिनमें मौखिक अभिव्यक्ति का विशेष महत्त्व है। प्रतिभाषियों को पुरस्कृत करने हेतु शुद्ध उच्चारण को विशेष विरोधता दी जानी चाहिए, ताकि इससे अन्य छात्र भी प्रेरित हो सके, ऐसी परिस्थितियों में बढ़ चढ़कर भाग ले सकें।

हिन्दी वर्णमाला का शिक्षण व अभ्यास : हिन्दी वर्णमाला का शिक्षण विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है। उन्हें स्वरों और व्यंजनों का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए। वर्णमाला का अभ्यास नितांत आवश्यक है। यह विधि निश्चित रूप से उच्चारण दोष दूर करने में सहायक सिद्ध होगी।

विराम चिन्हों का सावधानीपूर्वक उपयोग :– उच्चारण में विराम चिन्हों का उपयोग प्राय: अज्ञानता के कारण, अशुद्धि क कारण बन जाता है। लेखन में ही नहीं उच्चारण में भी यति, गति, शब्दघात, बलाघात इत्यादि के कारण मौखिक अभिव्यक्ति के अर्थ में परिवर्तन सम्भव है जैसे– 'रोको, मत जाने दो' और 'रोको मत, जाने दो' के उच्चारण में थोड़ी सी लापरवाही से अर्थ बदल जाएगा और जिसको रोकना है, वह रोका नहीं जा सकेगा। अत: इससे भी उच्चारण दोष को समाप्त किया जा सकता है।

पाठ्य–सामग्री का सस्वर वाचन : कक्षा में छात्रों को कथानुसार सस्वर वाचन करने का निर्देश दिया जाना चाहिए शिक्षक को इस प्रक्रिया के दौरान छात्रों के उच्चारण की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि किसी छात्र में उच्चारण दोष को सुधारा जा सके। इस विधि से छात्र भी ध्यान से सस्वर वाचन करेंगे। इस प्रकार उच्चारण की अशुद्धि को दूर करने में सहायता मिलेगी।

समान ध्वनियों वाले शब्दों के शुद्ध उच्चारण पर बल : हिन्दी भाषा में ऐसे अनेक शब्द हैं, जिनकी ध्वनियाँ अति सूक्ष्म अन्तर पाया जाता है। जैसे – समान–सामान, अपेक्षा–उपेक्षा, कर्म–क्रम इत्यादि। इन शब्दों की ध्वनियाँ प्राय: सुनने में एक जैसी प्रतीत होती हैं, परन्तु अर्थ की दृष्टि से इनमें पर्याप्त भिन्नता पाई जाती है। शिक्षक के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे शब्द युग्मों का अन्तर विद्यार्थियों को समझाया जाए। शब्दों के अर्थ में अन्तर का ज्ञान प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि छात्र 'समान' और 'सामान' में भेद समक्ष कर उच्चारण दोष का निराकरण कर सके।

अभिव्यक्ति कौशल का परीक्षण: उच्चारण–दोष समाप्त करने हेतु समय–समय पर कक्षा में अथवा महाविद्यालय स्तर पर बच्चों की मौखिक परीक्षा आयोजित करना आवश्यक है। इससे विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित होने से पूर्व मौखिक उच्चारण का अभ्यास करेंगे, जोकि उच्चरण करे शुद्ध एवं दोष रहित बनाने हेतु लाभदायक उपाय माना जा सकता है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न–2

प्र. 1. अभिव्यक्ति का शाब्दिक अर्थ क्या है?

प्र. 2. स्वर यंत्र में विकृति अभिव्यक्ति के किस चरण की बाधा है?

19.5 वाचन

भाषा शिक्षण के चार कौशल माने जाते हैं। वाचन, लेखन, श्रवण और अभिव्यक्ति। जब तक विद्यार्थी के चारों कौशल विकसित नहीं हो जाते, तब तक वह भाषा का ज्ञाता नहीं माना जाता। सामान्यत: जब कोई व्यक्ति लिपिबद्ध अक्षरों को अपने मुख में व्यक्त करता है, तब वह 'वाचन' अथवा पठन कहलाता है।

मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में वाचन की आवश्यकता रहती है। जो व्यक्ति निरक्षर है, उसके लिए समस्त पुस्तकें निरर्थक है। जो व्यक्ति पढ़ने में अक्षय है, उसे दूसरों पर आश्रित होकर अपने पढ़ने-लिखने सम्बन्धी कार्य करवाने पड़ते हैं। ऐसा व्यक्ति कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो। उसकी गिनती अनपढ़ लोगों की श्रेणाी में ही होती है। इस दृष्टि से 'वाचन' अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।

'वाचन' की परिभाषा : विभिन्न विद्वानों व भाषाविदों ने 'वाचन' को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है।

श्री रमन बिहारी के मतानुसार, ''शब्दों क उच्चारण मात्र की 'वाचन' या 'पतन' नहीं कह सकते, क्योंकि उच्चारण के साथ उनके अर्थ और भाव को समझना भी आवश्यक होता है।''

डॉ. उषा मंगल केक शब्दों में, ''वास्तव में लिखित सामग्री को पढ़ने हुए अर्थ ग्रहण क्रिया का 'वाचन' या 'पठन' कहते हैं।''

वाचन को उपर्युक्त परिभाषाओं के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि वाचन में दो आवश्यक तत्व विद्यमान होते हैं। पहला किसी भाव या विचार का लिखित रूप तथा दूसरा वाचक द्वारा उस मूल सामग्री की ध्वनियों, लिपि चिन्हों में निहित अर्थ को उसी रूप से ग्रहण करना।

19.5.1 वाचन प्रक्रिया के प्रकार :- वाचन के मुख्यत: तीन प्रकार है :-

सस्वर वाचन।

मौन वाचन।

अध्ययन।

सस्वर वाचन :- जब छात्र अथवा वाचक लिखित पाठ्य-सामग्री को ऊँचे स्तर पढ़ता है, तब वह सस्वर वाचन कहलाता है। सस्वर वाचन में पाठक पाठ्-सामग्री में प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों को पहचानकर उसका अर्थ ग्रहण करता है। इससे छात्रों का उच्चारण दोष रहित होता है। अध्याय द्वारा स्वरों से सम्बन्धित अन्य बातों का भी ज्ञान होता है। सस्वर वाचन का उपविभाजन दो वर्गों मे किया जाता है।

व्यक्तिगत सस्वर वाचन।

सामूहिक (समवेत) वाचन।

व्यक्तिगत सस्वर वाचन :- इस सस्वर-प्रक्रिया के अन्तर्गत एक व्यक्ति या विद्यार्थी द्वारा लिखित पाठ्य सामग्री का सस्वर वाचन अथवा पाठन कराया जाता है। वह दो प्रकार का होता है।

अध्यापक द्वारा आदर्श वाचन।

छात्र द्वारा सस्वर वाचन (अनुकरण करना)।

अध्यापक द्वारा आर्दश वाचन : जब शिक्षण पाठ्य-साम्रगी का छात्रों के समक्ष वाचन प्रस्तुत कराता है तो इसे आदर्श वाचन या पठन की संज्ञा दी जाती है। इसके विभिन्न उद्देश्य हैं। छात्रों के समक्ष आदर्श सस्वर वाचन करते समय शिक्षक को निम्नलिखित बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए:-

छात्रों के लिए यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि अपरिचित पाठ्य-सामग्री का पतन का वाचन करेंगे।

अध्यापक द्वारा किया जाने वाला सस्वर वाचन शुद्ध व स्पष्ट होना चाहिए।

छात्रों को उचित यति, गति, लय, बलाघात, इत्यादि की जानकारी देते हुए इसके आर्दश वाचन हेतु प्रेरित करना।

छात्रों द्वारा सस्वर वाचन (अनुकरण करना) : शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन करने के पश्चात छात्र अनुकरण द्वारा सस्वर वाचन करते हैं। छात्र जब इस प्रकार अध्यापक के आदर्श वाचन का अनुकरण करते हुए वाचन करता है, तो वह छात्रों द्वारा सस्वर वाचन कहलाता है। इसके निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

छात्रों द्वारा शिक्षक के आदर्श वाचन का अनुकरण करना।

विद्यार्थियों का उच्चारण शुद्ध करना।

छात्रों की उच्चारण प्रक्रिया के दौरान उनके वाचन की गति की और विशेष ध्यान देना।

पठन करते समय छात्रों में अर्थ ग्रहण करने की योग्यता का विकास करना।

छात्रों के वाचन के समय किसी भी प्रकार को व्यक्त शंका, शिक्षक अथवा संकोच को दूर करना। इस प्रकार व्यक्तिगत अथवा वैयक्तिक सस्वर वाचन में शिक्षक पाठ्य- सामग्री का छात्रों की उपस्थिति में आदर्श वाचन प्रस्तुत करता है और विद्यार्थी उसका अनुकरण करते हैं। इस अवसर पर अध्यापक का यह उतरदायित्व बन जाता है कि स्वयं वाचन करते समय छात्रों की ओर विशेष ध्यान दें। छात्रों का कक्षा में खड़े होने का ढंग, पुस्तक पकड़ने का तरीका उचित हो। छात्रों के अशुद्ध उच्चारण पर उन्हें वाचन क्रिया समाप्त करने के पश्चात शब्दों के अशुद्ध उच्चारण को स्वयं शुद्ध वाचन करके उनका अभ्यास करवाना चाहिए ताकि उनका उच्चारण पूर्णत: शुद्ध अथवा त्रुटि रहित हो।

सामूहिक अथवा समवेत वाचन :- एक से अधिक छात्रों द्वारा मिलकर सामूहिक रूप से ऊँचे स्वर में पठन करना सामूहिक वाचन कहलाता है। इसे समर्थन वाचन भी कहा जाता है। इस विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है। सामूहिक वाचन सर्वाधिक लाभदायक और उपयोगी माना जाता है, क्योंकि जब छात्र शिक्षक के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर वाचन करता है, तो उसमें जो संकेत, भय, झिझक का अनुभव होता है, वह सामूहिक वाचन क्रिया के समय दूर हो जाता है। इसके परिणामस्वरूप छात्रों का उच्चारण शुद्ध हो जाता है और उन्हें गति एवं लय सहित वाचन का अवसर मिलता है।

मौन वाचन

इस प्रकार मौन वाचन का अर्थ है 'मन ही मन' पढ़ना। इसका आशय है कि बिना होठ हिलाये चुपचाप 'मन ही मन' पढ़कर पाठ्य-सामग्री का पूर्ण रूप से अर्थ ग्रहण करना। दैनिक जीवन में ऐसे अनेक अवसर आते हैं, जहाँ सस्वर वाचन की आवश्यकता नहीं होती। वहां मौन रहकर पढ़ना आवश्यक होता है। जैसे, समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ पढ़ना, पुस्तकालय में बैठकर पढ़ना आदि। मौन वाचन क्रिया में सस्वर वाचन की अपेक्षा गति तीव्र होती है। इससे बोध शक्ति का भी विकास होता है। श्रम की आवश्यकता कम होती है। इसीलिए विद्यार्थी जैसे-जैसे बड़ी कक्षाओं में जाते हैं, उनमें मौन वाचन प्रवृति का विकास होता जाता है।

मौन वाचन के प्रकार :- वाचन के उद्देश्यों के आधार पर मौन वाचन के दो भेद हो सकते हैं:-

क) त्वरित मौन वाचन अथवा पठन।

ख) गंभीर मौन वाचन या पठन।

त्वरित मौन वाचन या पठन :- त्वरित मौन वाचन का प्रयोग प्राय : पाठ्य-सामग्री का मनोरंजन प्राप्त करने की दृष्टि से है। त्वरित का अर्थ है 'शीघ्र' अथवा 'तेज गति से'। हम देखते हैं कि परीक्षा के दिनों में विद्यार्थी याद किए हुए विषयों या सम्बन्धित प्रश्नों का त्वरित मौन वाचन करते हैं। यात्रा इत्यादि के अन्तर्गत भी पत्र पत्रिकाएं पढ़ने हेतु त्वरित मौन वाचन विधि का प्रयोग किया जाता है।

गंभीर मौन वाचन : इस विधि के अर्न्तगत पाठक पाठ्य-सामग्री के प्रत्येक शब्द एवं वाक्य आदि का गंभीरता पूर्वक विचार, चिंतन या मनन करता है। भाव एवं विचार का चिंतन करता है। गंभीर मौन वाचन हेतु कुछ विषम भी निर्धारित किए गए हैं। शिक्षक को चाहिए कि सभी छात्रों को गंभीर मौन वाचन के नियमों की जानकारी आवश्यक रूप से दे। इन का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से है:-

प्रत्येक अनुच्छेद का मूल अर्थ ग्रहण करना चाहिए।

वाचन का मूल उद्देश्य ध्यान में रखना चाहिए।

पतन क्रिया के दौरान छात्र की चिन्तन प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए और नए अर्जित ज्ञान की प्राचीन जानकारी के साथ जोड़ते हुए, उससे मिलने वाले परिणाम का आंकलन करते रहना चाहिए।

पाठय-सामग्री के वाचन के पश्चात उसकी एक रूपरेखा मानसिक दृष्टि से बना लेनी चाहिए। अनुच्छेद के केन्द्रीय विचार को दृढ़ता से ग्रहण करना चाहिए।

पठित सामग्री पर टिप्पणी अवश्य लिखते रहना चाहिए।

अध्ययन : किसी विषय के सब अंगों या गूढ़ तत्वों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसे देखना, समझना व पढ़ना 'अध्ययन' कहलाता है। अध्ययन मौन वाचन का ही विकसित रूप है। इस विधि के द्वारा पाठय सामग्री का अध्ययन गम्भीरतापूर्वक किया जाता है। पाठ्य-सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात् पाठक उसमें व्यक्त भावों एवं विचारों का विश्लेषण करता है। अध्यापक को चाहिए कि मौन वाचन का अभ्यास करने के पश्चात छात्रों को अध्ययन के लिए प्रेरित करें। अध्ययन का वास्तविक उद्देश्य विषय-वस्तु का विस्तृत एवं सूक्ष्म अध्ययन करता है।

अशुद्ध वाचन विद्यार्थी वर्ग की आम समस्या है और इसका मुख्य कारण अज्ञानता माना जाता है। छात्रों का सस्वर वाचन शुद्ध हो इसके लिए शिक्षक को अनेक महत्त्वपूर्ण बातों की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

1. सर्वप्रथम शिक्षक को स्वयं छात्रों के सम्मुख आदर्श वाचन प्रस्तुत करना चाहिए।
2. सस्वर वाचन हेतु विद्यार्थियों को क्रमानुसार कहने की अपेक्षा कक्षा में किसी भी छात्र को वाचन के लिए कहा जाना चाहिए।
3. वाचन के दौरान पाठय-सामग्री से सम्बन्धित प्रश्न पूछना भी आवश्यक है, ताकि छात्र अर्थ ग्रहण भी कर रहे हैं अथवा नहीं, इसकी जानकारी मिलती थी।
4. छात्रों की ध्वनि तथा शब्दों का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए।
5. सस्वर वाचन खड़े होकर व उचित ध्वनि में किया जाये ताकि सभी विद्यार्थी पाठय-सामग्री का श्रवण सरलता से कर सके।
6. सभी छात्रों को एकग्रचित होकर शुद्धता के साथ सस्वर वाचन हेतु प्रेरित किया जाना महत्त्वपूर्ण है।
7. सस्वर वाचन क्रिया के दौरान भाव एवं विचारों में परिस्थिती अनुसार बलाघात, गति, आरोह-अवरोह होना आवश्यक है।

इस प्रकार सस्वर वाचन हेतु शिक्षक को अनेक सावधानियों की और विशेष ध्यान चाहिए।

19.5.2 वाचन अथवा पठन सम्बन्धी अशुद्धियाँ

वाचन का मनुष्य जीवन में विशेष महत्त्व है। यह एक ऐसी कला है जिसे सीखने के लिए सतत् अध्यक्ष तथा परिश्रम की आवश्यकता होती है। छात्रों में वाचन के गुण विकसित करने हेतु वह भी आवश्यक है कि शिक्षक छात्रों की वाचन सम्बन्धी त्रुटियों के प्रति होशियार रहें और उस सम्मानित त्रुटियों को दूर करने हेतु पूव प्रयास करे। छात्रों को वाचन सम्बन्धी समस्याओं का सफलतापूर्वक निराकरण तभी सम्भव है, जब अध्यापक इनकी पहचान कर उनके कारणों का पता लगाए। सामान्यत: विद्यार्थियों में वाचन सम्बन्धित त्रुटियों के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं।

अशुद्ध उच्चारण :– प्राय: देखा जाता है कि छात्र वाचन क्रिया के दोरान पाठय सामग्री का उच्चारण शुद्ध नहीं करते या करने में सक्षम नहीं होते। इसके विभिन्न कारण इो सकते हैं जैसे - वर्णों की अज्ञानता, शिक्षक द्वारा दोष पूर्ण उच्चारण करना, ध्वनियों का ज्ञान न होना, उच्चारण अवयवों का व्यस्थ होना और पाठय सामग्री का स्तर छात्रों का मानसिक स्वर के अनुकूल न होना इत्यादि। अत: शिक्षक का कर्तव्य है कि त्रुटियों के इन कारणों को ओर विशेष ध्यान दे और ज्ञान होने पर उचित कदम उठाएं।

कमजोर दृष्टि :– कई बार कक्षा में छात्र सस्वर वाचन क्रिया के दौरान शब्दों की सही पहचान नहीं कर पाते। इसका मुख्य कारण दृष्टि कमजोर होना माना जाता है। इस शारीरिक समस्या से प्राय: छात्र को शब्दों की पहचान नहीं कर पाता उसकी इस समस्या से सम्बन्धित छात्र के माता–पिता के साथ बात करें। उसकी आँखों की जाँच नेत्र रोग विशेषज्ञ से अवश्य करवाई जाए। इससे कमजोर दृष्टि हेतु उपचार करवाया जाना आवश्यक है, ताकि सस्वर वाचन सम्बन्धी दृष्टि की समस्या का निराकरण किया जा सके।

बिना अर्थ ग्रहण किए वाचन :– सस्वर वाचन में अर्थ ग्रहण करने पर विशेष बल दिया जाता है। आमतौर पर देखा जाता है कि सभी विद्यार्थी सस्वर वाचन के समय पाठय–सामग्री का अर्थ ग्रहण करने में समर्थ नहीं हो पाते। अत: बिना अर्थ समझे वाचन वास्तव में दोषपूर्ण माना जाता है। पाठय–सामग्री का वाचन समय उसके अर्थ को ग्रहण करना इस दृष्टि से अति महत्त्वपूर्ण है।

वाचन की अनुचित गति न लय रहित होना :– कुछ छात्र वाचन क्रिया के दौरान या तो अधिक मन्द गति से पतन करते हैं या अधिक तीव्र गति से। इससे वे पठन सामग्री का अर्थ ग्रहण करने में भी पूर्णत: सफल नहीं हो पाते। सस्वर वाचन में उचित गति का होना आवश्यक है।

अनुचित शारीरिक हाव–भाव :– वाचन क्रिया के दौरान शरीर का एक विशेष मुद्रा में रहना आवश्यक माना जाता है। आँखों से पुस्तक की दूरी बहुत कम या अधिक होने से अक्षरों का अस्पष्ट दिखाई देना स्वाभाविक है। लेट कर पढ़ना व चलती बस अथवा गाड़ी में पठन क्रिया से दोष उत्पन्न हो सकता है। अत: वाचन की मुद्रा उचित होनी चाहिए ताकि किसी भी प्रकार के दोष से बचा जा सके।

अपरिचित अथवा नए शब्दों के उच्चारण में त्रुटि :– पाठ्य–सामग्री में शब्द साधारणत: प्रचलित होते हैं जो दैनिक जीवन में भी प्रयोग किए जाते हैं। अनेक बार पाठ्य–सामग्री में ऐसे अप्रचलित व नए शब्द आ जाते है; जिनका उच्चारण कठिन होता है, ऐसी स्थिति में पाठक पढ़ते समय इन कठिन शब्दों का उच्चारण करने में भी गलती करता है और उन शब्दों का अर्थ भी ग्रहण करने में भी कठिनाई का अनुभव करता है, जो कि अशुद्ध उच्चारण का कारण बन जाता है। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि इन नए व कठिन शब्दों का आदर्श सस्वर वाचन कक्षा में विद्यार्थियों के समक्ष प्रस्तुत करे। इनका अभ्यास करवाया जाना शुद्ध उच्चारण अथवा अर्थ ग्रहण करने के उद्देश्य से अति महत्त्वपूर्ण है।

छात्र–वर्ग का सीमित शब्द भण्डार :– छात्रों का शब्द भण्डार अन्य शिक्षित व्यक्तियों की तुलना में कम होता है। उनका भाषायी अनुभव कम होता है। नए शब्दों की वर्तनी का उन्हें पर्याप्त ज्ञान नहीं होता इसलिए उच्चारण में त्रुटि का कारण बन जाता है।

शिक्षक का नकारात्मक दृष्टिकोण :– प्राय: सभी शिक्षक व्यावहारिक दृष्टि से एक सममन नहीं होते। कुछ शिक्षक समय निष्ठ नहीं होते। उनका उच्चारण भी अशुद्ध हो सकता है। वे कुछ छात्रों को ही पसन्द करते हैं। उनका रवैया नकारात्मक होता है। वे सभी कारण उच्चारण की त्रुटि हेतु उत्तरदायी माने जाते हैं।

अत: हम देखते हैं कि वाचन सम्बन्धी त्रुटियों के लिए कोई एक विशेष कारण उत्तरदायी नहीं हैं। ऐसे अनेक कारण है जो वाचन में त्रुटि के कारण बनते हैं। इन त्रुटियों से बचने के लिए जहाँ एक ओर विद्यार्थी वर्ग की विशेष प्रयास करना चाहिए, वहीं दूसरी ओर शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वाचन सम्बन्धी इन त्रुटियों को पहचान कर इनका निराकरण करें ताकि वाचन सर्वगुण सम्पन्न बन सके। पूर्णत: दोषरहित हो सके। वाचन सम्बन्धी विसंगतियों का उपचार तभी सम्भव हो सकेगा जब उनकी पहचान की जाए और कारणों की जाँच समय पर की जाए। अन्यथा वाचन दोष सदैव उच्चरण में बाधा बनेगा।

सस्वर वाचन और मौन अन्तर

उत्तर –स्वर वाचन और मौन वाचन का अपना–अपना विशेष महत्त्व है। उपयोग की दृष्टि दोनों में भिन्नता है। आशय यह है कि अनेक भिन्नताएं होने के कारण दोनों का तुलनात्मक अध्ययन करना अथवा इनकी समानताओं और असमानताओं का अध्ययन करना अति आवश्यक है।

सस्वर वाचन		मौन वाचन	
1.	सस्वर वाचन में ध्वनियों का उच्चारण, वाचन प्रवाह, बलाघात तथा आरोह–अवरोह की प्रधानता रहती है।	1.	मौन वाचन से छात्रों में स्वाध्याय की प्रवृति का विकास होता है। मौन वाचन में सस्वर वाचन की तुलना में उच्चारण नहीं किया जाता ।
2.	इस विधि में उच्चारण की शुद्धता का विशेष महत्त्व होता है।	2.	मौन वाचन में उच्चारण के लिए प्राय: अवसर नहीं होता।
3.	सस्वर वाचन व्यक्तिगत और सामूहिक विधियों के माध्यम से किया जाता है।	3.	मौन वाचन हेतु त्वरित मौन और गम्भीर मौन मुख्य विधियां हैं।
4.	सस्वर वाचन विधि छोटी कक्षाओं (प्राथमिक स्तर) के लिए उपयोगी है।	4.	भाषा शिक्षण के चारो चरणों श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन में पारंगत होने के पश्चात अधिक उपयोगी है।
5.	सस्वर वाचन में सतत् अभ्यास करने से छात्रों में थकान हो सकती है।	5.	इसमें ध्वनि रहित पतन होता है जिसके माध्यम से छात्रों में चितन व मनन की भावना का विकास होता है।
6.	सस्वर वाचन में शारीरिक हाव–भाव और मुद्रा का विशेष महत्त्व होता है।	6.	मौन वाचन में पाठ्य–सामग्री में प्रतिबाधित अर्थ ग्रहण करना महत्त्वपूर्ण होता है। इसमें पठन सामग्री का केन्द्रीय भाव जानना परम आवश्यक है।
7.	सस्वर वाचन भाषा शिक्षण का महत्त्वपूर्ण चरण व उद्देश्य है।	7.	यह सामूहिक वाचन का एक भेद है।
8.	शिक्षक द्वारा आदर्श वाचन प्रस्तुत करते के पश्चात विद्यार्थी उसका अनुकरण कर सस्वर वाचन करते हैं	8.	मौन वाचन म प्राय: यह विधि प्रयोग में नहीं लाई जाती।
9.	इसमें अध्यापक छात्रों के अशुद्ध उच्चारण को सुनकर उसमें सुधार हेतु प्रेरित करता है। शुद्ध उच्चारण हेतु अभ्यास करवाता है।	9.	इस विधि द्वारा छात्र एकाग्रचित होकर पाठन करते हैं ताकि शिक्षक द्वारा मूल्यांकन करते समय प्रश्नों का उत्तर देने में समर्थ हो सके।

इस प्रकार से उपरोक्त तथ्यों के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि सस्वर वाचन एवं मौन वाचन में पर्याप्त अन्तर है। उद्देश्य की दृष्टि से देखा जाए तो वाचन को दोनेां विधियों का अपना विशेष महत्त्व है। एक और जहाँ छात्रों की सस्वर वाचन में उच्चारण की त्रुटियों को पहचान करना उनके कारणों का पता लगा कर उनका निवारण करना एक शिक्षक के लिए सुगम होता है वहीं दूसरी और दोषपूर्ण वाचन के सुधार हेतु मौन वाचन प्रक्रिया में समय अधिक लगता है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 3

प्र. 1. वाचन प्रक्रिया कितने प्रकार होते है।

प्र. 2. मौन वाचन का क्या अर्थ है?

19.6 लेखन

जन्म से ही बच्चा अपने माँ-बाप, भाई-बहन आदि का अनुकरण करते हुए भाषा बोलना सीखता है। वह जैसे-जैसे शारीरिक व मानसिक रूप से विकसित होता जाता है, वैसे-वैसे वह अपने मन के भावों व विचारों को व्यक्त करता है। यह भाषा का मौखिक रूप है। मानव सभ्यता के विकास के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है कि सर्वप्रथम मौखिक भाषा का विकास हुआ। धीरे-धीरे लिपि का विकास हुआ। लिपि चिन्हों की ध्वनियों का प्रयोग का जब मनुष्य अपने विचार मौखिक रूप से अभिव्यक्त करता है, तो उसे मौखिक भाषा करते हैं। इसमे ध्वनियों को प्रधानता दी जाती है।

जब मनुष्य अपने भावों व विचारों को ध्वनि चिन्हों के लिखित रूप द्वारा लिपिबद्ध करके व्यक्त करता है तो यह भाषा का लिखित रूप होता है। विचारों को लिपिबद्ध करने से भाषा को अथवा वाणी को स्थायित्व मिलता है। ध्वनि को लिपिबद्ध करना ही लेखन कहलाता है। अन्य शब्दों में, विचारों की मौखिक अभिव्यक्ति को, जब लिपि चिन्हों के माध्यम में लिखकर प्रकट किया जाता है तो उसे 'लेखन' की संज्ञा दी जाती है। लेखन में वर्तनी का विशेष महत्त्व है, जबकि वाचन में ध्वनि का। लेखन के विभिन्न प्रकार है, जिनका ज्ञान होना पाठक और लेखक के लिए आवश्यक होता है।

19.6.1 लेखन के प्रकार

लेखन का भाषा शिक्षण के चार उद्देश्यों में प्रमुख स्थान है। लेखन कौशल के विकास हेतु छात्र एवं शिक्षक दोनों को कड़ा परिश्रम करना पड़ता है। अध्यापक विद्यार्थियों से लेखन अभ्यास कराता है, ताकि उनके लेखन में वर्णो व शब्दों की लिखाई सुन्दर, स्पष्ट और सुडोल हो। इस दृष्टि से लेखन के तीन भेद किए जा सकते हैं, जिनका वर्णन इस प्रकार से है:

1. सुलेख विधि।
2. श्रुत-लेख विधि।
3. अनुलेख विधि।

सुलेख विधि :- शब्दकोश के अनुसार सुलेख का शाब्दिक अर्थ है 'अच्छी लिखावट' अथवा 'सुन्दर हस्तलेख'। अन्य शब्दों में ऐसा हस्तलेख जो सरलता से पढ़ा जा सके और वर्णमाला के अनुरूप सुन्दर लिखा हुआ हो सुलेख कहलाता है।

सुलेख के नियम :- सुलेख का उद्देश्य सुन्दर एवं आर्कषक अक्षर व शब्द लिखने के लिए छात्रों को प्रेरित करना है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अध्यापक को सुलेख सम्बन्धी समस्त नियमों की जानकारी होना परम आवश्यक है। सुलेख का अभ्यास करते समय इन नियमों के उपयोग की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सदैव रहती है। अत: सुलेख के सामान्य नियमों का अध्ययन आवश्यक है। वे इस प्रकार हैं।

क) छात्रों के बैठने का उचित ढंग :- लेखन क्रिया के समय छात्रों के बैठने का तरीका उचित होना चाहिए। लिखते समय रीड़ की हडडी व कमर सीधी होना अपेक्षित है। भले ही विद्यार्थी बैंच अथवा कुर्सी या टाट पर बैठकर लिखें, तख्ती और आँखों के बीच की दूरी एक फुट अवश्य होनी चाहिए।

लेखन से पहले पढ़ना :- विद्यार्थी कक्षा में भाषा सम्प्रेषण के उद्देश्यों को चरणवद्ध ढंग से सीखता है। जैसे श्रवण, अभिव्यक्ति, वाचन और लेखन। लिखने से पहले पढ़कर अक्षरों व शब्दों को सुगमतापूर्वक लिखता है। अत: लेखन से पहले पढ़ना उपयोगी है।

वर्णों व शब्दों को उचित बनावट :- अध्यापक को चाहिए कि लेखन का अभ्यास कराते समय शब्दों और वर्णो की बनावट सही हो। शिरोरेखा वर्णो की मात्र खड़ी पाई पर ही लगाई जाए। शब्दों के बीच की दूरी एक समान हो। लिखित वर्णो का आकार उचित हो और उन पर लगी शिरोरेखा सीधी होनी चाहिए।

लेखनी पकड़ने का ढंग उचित हो :- लेखन हेतु महत्त्वपूर्ण साधन लेखनी है। प्रारम्भ में सरकण्डे को लेखनी का प्रयोग वर्णो व शब्दों को आकृति सुड़ौल बनाने हेतु अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है। लेखनी की लम्बाई उचित होनी चाहिए।

लिखने की उचित गति :– लिखते समय गति की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रारम्भिक कक्षाओं में गति की अपेक्षा वर्णों को लिखावट पर बल देना चाहिए। लेखन की गति को धीरे–धीरे विकसित किया जा सकता है

अशुद्धियों का तत्काल निराकरण :– शिक्षक के लिए आवश्यक है कि लेखन क्रिया के दौरान अगर कोई छात्र त्रुटि करता है तो उसका तत्काल निराकरण कर देना चाहिए। अशुद्धि को ठीक करते समय विद्यार्थी को इसका कारण भी बताना आवश्यक है ताकि पुनः उसकी दोहराई न हो।

लेखन हेतु उचित आयु :– प्राय: देखा जाता है घरों में माँ–बाप बहुत छोटी आयु में ही बच्चे के हाथ में लेखनी पकड़ा देते हैं। यह अनुचित व हानिकारक हो सकता है। जब तक बच्चे को अंगुलियों का विकास भलि–भाँति न हो जाए और वह स्वयं लेखनी पकड़ने के योग्य न हो जाए तब तक उस पर लिखने हेतु दबाव नहीं बनाना चाहिए।

लेखन कौशल के लिए सतत् अभ्यास :– लेखन एक श्रम–साध्य क्रिया है। इसमें कुशलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है, विद्यार्थी निरन्तर अभ्यास करे। कभी–कभी लम्बे अन्तराल के पश्चात लिखना, इसके विकास को प्रभावित कर सकता है। अशुद्धियों का कारण कर सकता है। अत: इस क्रिया में सतत् अभ्यास उपयोगी है।

लेखन के लिए प्रोत्साहन आवश्यक :– लेखन हेतु विद्यार्थी वर्ग को प्रोत्साहित करना शिक्षक का दायित्व है। महाविद्यालयों में भी लेखन क प्रोत्साहन के लिए विद्यार्थियों में प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना चाहिए। उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया जाना इस दिशा में महत्त्वपूर्ण एवं सराहनीय कदम होगा। इस दृष्टि से निबन्ध लेखन, सुलेख आदि प्रतियोगिताओं आयोजित की जा सकती है।

श्रुत–लेख विधि :– हिन्दी शब्दकोश के अनुसार 'श्रुतलेख' का अर्थ सुरकर लिखने की क्रिया'। इससे आशय यह है कि जब एक व्यक्ति किन्हीं शब्दों अथवा वाक्यों को सुनकर लिखता है या लिखित रूप प्रदान करता है तो वह श्रुतलेख कहलाता है। इस क्रिया में शिक्षक पाठय–सामग्री का आदर्श सस्वर वाचन करता है और विद्यार्थी उसका श्रवण करे उसे उत्तर पुस्तिका आदि पर लिखते हैं। सुलेख की भांति श्रुतलेख विधि के लिए भी कुछ नियम बनाए गए हैं, जिनका छात्रों को श्रुतलेख का अभ्यास करते समय अवश्य ध्यान रखना चाहिए।

श्रुतलेख के विषय :–

श्रुतलेख का अभ्यास करने से पूर्व छात्रों के लिए यह आवश्यक है कि वे भाषा की ध्वनियों व ध्वनि–चिन्हों का ज्ञान रखते हों।

श्रुतलेख हेतु पाठय–सामग्री कक्षा के मानसिक व बौद्धिक स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अध्यापक द्वारा सस्वर वाचन शुद्ध एवं स्पष्ट हों।

कक्षा का वातावरण शांत हो। शिक्षक द्वारा छात्रों के बीच में खड़े होकर सस्वर वाचन करना और भी उपयोगी हो सकता है।

सस्वर वाचन हेतु पाठय–सामग्री में शब्दों का मिश्रण हो। शब्द में तो अधिक कठिन और न ही ज्यादा सरल हो।

श्रुतलेख क्रिया के दौरान छात्रों की बैठने की मुद्रा उचित हो।

अनुलेख विधि :– अनुलेख दो शब्दों के मेल से बना है। 'अनु' का अर्थ है 'पीछे' या 'बाद में' और 'लेख' से अभिप्राय है 'लिखना'। इससे तात्पर्य है विद्यार्थी द्वारा शिक्षक के लेख का अनुकरण करते हुए उसी अनुरूप लेख लिखने की क्रिया। आरम्भिक कक्षाओं के लिए अध्यापक प्राय: उत्तर पुस्तिका अथवा श्याम पट्ट पर आदर्श लेख लिखता है और जब छात्र उसी का अनुकरण करते हुए पुन: अपनी उत्तर पुस्तिका पर उसे लेख की दौहराई करते हैं, तो वह अनुलेख कहलाता है। इस विधि के माध्यम से भी लेखन क्रिया हेतु कुछ महत्त्वपूर्ण नियम हैं जिसका अपना विशेष महत्त्व है।

अनुलेख विधि हेतु नियम :–

क) अनुलेख का अभ्यास करते समय वर्णों एवं शब्दों का अर्थ व आकृति स्पष्ट होनी चाहिए।

ख) लेखन की गति उचित हो।

ग) छात्रों के बैठने की मुद्रा उचित हो।

घ) अनुलेख हेतु लिखित सामग्री अधिक दूर न हो। श्यामपट्ट इत्यादि स्पष्ट दिखाई देने चाहिए।

ड.) कक्षा का वातावरण स्पष्ट हो।

च) अध्यापक द्वारा किया गया लेखन शुद्ध एवं स्पष्ट हो।

इस प्रकार से हम देखते है कि भाषा सम्प्रेषण के चरणों में लेखन का विशेष महत्त्व है। 'लेखन' में कुशलता प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी के लिए निरन्तर श्रम करने की आवश्यकता है। अतः अभ्यास की आवश्यकता है। इसके लिए सुलेख, श्रुतलेख व अनुलेख विधियों का प्रयोग उपयोगी है। अध्यापक के लिए आवश्यक है कि उनका अभ्यास कराते समय लेखन के नियमों को और विशेष ध्यान दे ताकि लेखन शुद्ध और स्पष्ट हो।

लेखन – कौशल

उत्तर – भाषा सम्प्रेषण के मुख्यतः दो रूप हैं। मौखिक रूप और लिखित रूप। मनुष्य जीवन – पर्यन्त अपने मन के भावों व विचारों को मौखिक रूप से ही अभिव्यक्त करे, यह सम्भव नहीं है। दैनिक जीवन में ऐसे अनेक अवसर उपस्थित होते हैं जब मौखिक रूप से विचार व्यक्त करने के साथ – साथ लेखन भी अनिवार्य होता है। इसलिए लेखन की अपनी उपयोगिता व अपना महत्त्व है। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना भाषा शिक्षण के सार मुख्य उद्देश्य है। विद्यार्थी के व्यक्तित्त्व के सर्वागौण विकास की दृष्टि से भी लेखन – कौशल महत्त्वपूर्ण गुण माना जाता है। निम्नखिखित तथ्यों के माध्यम से लेखन की आवश्यकता अथवा महत्त्व को आंका जा सकता है।

लेखन प्राचीन सभ्यता और संस्कृति का आधार :– हमारी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति लिखित भाषा के रूप में आधुनिक पीढ़ी तक पहुँची है। इसी प्रकार लिखित रचनाओं के माध्यम से आने वाली पीढ़ी तक सम्प्रेषित होगी। समाचार – पत्र, पत्रिकाएँ लिखित रूप में उपलब्ध होने के कारण हमारे जीवन में अहम भूमिका निभाती है। पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री का लिखित रूप इसका सुन्दर उदाहरण है। प्राचीन सभ्यता संस्कृति का उध्ययन का एक मात्र साधन रचनाओं का लिखित रूप में उपलब्ध होता है। अतः लेखन का महत्त्व स्पष्ट है।

शैक्षिक गतिविधियों में महत्त्व : शैक्षिक दृष्टि से लेखन की आवश्यकता को नकारा नहीं जा सकता । विद्यार्थी निधार्रित पाठ्यक्रम का अध्ययन करते हैं और लिखते हैं। लेखन भाषा शिक्षण का मुख्य अंग है। विभिन्न परीक्षाओं का आयोजन और छात्रों के मूल्यांकन का आधार लिखित परीक्षाएँ हैं। लेखन में कमजोर विद्यार्थी के लिए शुद्ध और स्पष्ट लिखना कठिन हो जाता है। अतः लिखित रूप में भाषा का ज्ञान विद्यार्थी वर्ग के लिए आवश्यक है।

लिखित सामग्री चिरकाल तक सुरक्षित :– मनुष्य केवल मौखिक भाष पर निर्भर नही रह सकता। वह विभिन्न विचारों को अपनी समृति में लम्बे समय तक सुरक्षित रखने में समर्थ नहीं होता । कुछ व्यक्ति मानसिक दृष्टि से हर बात को याद रखने में सक्षम नहीं होते। दूसरी ओर लिखित सामग्री को चिरकाल समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उस लिखित सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है। अतः लेखन कौशल की आवश्यकता का विशेष महत्त्व है।

भाषा का अधिकार :– भाषा में पारंगत होने के लिए वर्णो की ध्वनियों के लिखित रूप का ज्ञान आवश्यक है। हिन्दी भाषा की लिपि देवनागरी है। देवनागरी की यह विशेषता है कि जैसे लिखी जाती है, वैसे ही बोली जाती है। अगर लेखन शुद्ध और त्रुटिरहित है तो स्वाभाविक है कि मौखिक अभिव्यक्ति भी शुद्ध होगी। इसलिए लेखन में पारंगत विद्यार्थी का भाषा पर अधिकार सहज ही हो जाता है। इस दृष्टि से लेखन कौशल महत्त्वपूर्ण है।

प्रशासनिक कार्यो में महत्ता :– आधुनिक युग में मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लेखन – कौशल की महत्ता है। जीवन की व्यापकता को देखते हुए दैनिक जीवन के सारे कार्य मौखिक भाषा के द्वारा सम्भव नहीं है। किसी भी प्रशसनिक कार्य के लिए कार्यालयों में परस्पर लिखित कार्य व्यापार हेतु लिखित भाषा का प्रयोग करना आवश्यक है। कार्यालयों में पत्राचार का माध्यम लिखित भाषा ही है, मौखिक नहीं।

व्यापारिक क्रिया – कलापों में लेखन की आवश्यकता :– विभिन्न प्रकार के व्यापारिक क्रिया कलापों तथा बैक से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियों में लिखित भाषा का प्रयोग प्रमुखतः किया जाता है।

ज्ञान की वृद्धि :– विभिन्न देशों से सम्बन्धित परम्पराओं, रीति–रिवाजों, मान्यताओं एवं उनकी संस्कृति का ज्ञान अर्जित करने का श्रेष्ठ आधार लिखित भाषा ही माना जाता है।

लोकतांत्रिक युग में लेखन–कौशल की आवश्यकता :– भारत विश्व का एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। मात्र मौखिक अभिव्यक्ति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। इसलिए मौखिक अभिव्यक्ति के साथ–साथ लेखन–कौशल में पारंगत होना भी आवश्यक है।

साहित्यिक रचनाओं का आधार :– लेखन–कौशल के बिना साहित्यिक रचनाओं का निर्माण सम्भव नहीं। जब तक छात्र लेखन–कौशल की दृष्टि से पूर्णत: शिक्षित नहीं हो जाते, उन्हें साहित्यिक लेखन के लिए प्रोत्साहन नहीं किया जा सकता। साहित्यिक सृजन का मूलाधार लेखन ही माना जाता है।

अत: स्पष्ट है कि मौखिक भाषा भावों व विचारों को व्यक्त करने का माध्यम है, परन्तु इसके ऊपर पूर्णत: निर्भर नहीं रहा जा सकता। मानव जीवन की दैनिक गतिविधियों के लिए लेखन कौशल को अत्यधिक आवश्यकता रहती है, क्योंकि अगर किसी भाषा पर पूर्णत: अधिकार प्राप्त करना है, तो उसके लिए अभिव्यक्ति और वाचन ही काफी नहीं है। लेखन भाषा शिक्षण का प्रमुख तत्त्व है।

लेखन कौशल विकसित करने हेतु उद्देश्य

'लेखन' भाषा सम्प्रेषण का प्रमुख तत्त्व है। शिक्षक जब कक्षा में विद्यार्थियों को लेखन का अभ्यास करने के लिए प्रेरित करता है और अभ्यास कहलाता है तो उसके कई उद्देश्य हो सकते हैं। ये इस प्रकार से हैं :-

लेखन के उद्देश्य :– छात्रों में लेखन–कौशल के लिए निम्नलिखित उद्देश्य माने जाते हैं।

छात्रों को ध्वनि चिन्हों, विराम चिन्हों तथा वाक्य रचना के नियमों का व्यावहारिक एवं वास्तविक प्रयोग सिखाना।

भाषानुकूल और प्रसंगानुकूल भाषा–शैली के प्रयोग हेतु छात्रों को समर्थ बनाना।

छात्रों को लेखन–कौशल में पारंगत बनाकर उन्हें मौखिक लेखन के लिए प्रोत्साहित करना ।

विद्यार्थियों को वर्णों की बनावट सहित शुद्ध, स्पष्ट और सुन्दर लेखन हेतु कक्षा में निरंतर अभ्यास कराना।

भावों, विचारों और विभिन्न अनुभवों को अभिव्यक्ति करने के लिए उनमें लेखन हेतु रूचि का विकास करना।

विद्यार्थियों को लेखन की विभिन्न विधियों से अवगत कराना और उनका सतत् अभ्यास कराना।

लेखन की विभिन्न विद्याओं, अभिव्यक्ति रूपों, मुहावरों तथा लोकोक्तियों के व्यावहारिक प्रयोग का अभ्यास करवाना। इनका उचित प्रयोग करना सिखाना।

इस वर्णित उद्देश्यों का अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि लेखन अभिव्यक्ति का महत्त्वपूर्ण एवं स्थाई साधन है, अपेक्षाकृत कठिन है जिसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक लेखन के उन उद्देश्यों को सम्मुख रखकर शिक्षण कार्य करें। छात्रों को लेखन की विभिन्न विधियों में अवगत करवाएं। उनमें लेखन के प्रति रूचि पैदा करें ताकि इन उद्देश्यों की पूर्ति की जा सके।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 4

प्र. 1. सुलेख का शाब्दिक अर्थ क्या है ?

प्र. 2. लेखन के कितने भेद होते हैं ?

19.7 सारांश

सक्रिय होकर सुनना प्रभावशाली संप्रेषण का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सुनने वाला बिना बीच में व्यवधान पैदा किए बोलने वाले की पूरी बातें ध्यान से सुने और आपके पश्चात अपनी प्रतिक्रिया अभिव्यक्त करें। वाचन करने से हमारे अन्दर एक दृष्टिकोण पैदा होता है तथा तनाव और चिंता से राहत मिलती है। वाचन करना समय का सदुपयोग का सबसे बेहतरीन उपाय है।

19.8 कठिन शब्दावली

अकल्पित कल्पना से परे

इल्जाम - आरोप

विपत्ति - संकट

संचित - इकट्ठा करना

चरामंध - दुर्गंध

19.9 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न – 1

उ. 1. सुनना

उ. 2. श्रवण कौशल

अभ्यास प्रश्न – 2

उ. 1. प्रकटीकरण

उ. 2. मौखिक अभिव्यक्ति

अभ्यास प्रश्न – 3

उ. 1. तीन

उ. 2. मन ही मन पढ़ना

अभ्यास प्रश्न – 5

उ. 1. अच्छी लिखावट

उ. 2. तीन

19.10 संदर्भित पुस्तकें

(1) सूर्यप्रसाद दीक्षित, संचार भाषा हिन्दी, लोक भारती प्रकाशन, दिल्ली।

(2) डॉ. उन्मेष मिश्र, संचार माध्यम की हिन्दी और हिन्दी भाषा, हँस प्रकाशन, दिल्ली।

19.11 सात्रिक प्रश्न

प्र. .1. श्रवण संप्रेषण की परिभाषा देते इसके महत्व पर प्रकाश डालिए।

प्र. 2. लेखन अभिव्यक्ति का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसकी विशेषताएं लिखिए।

प्र. 3. अभिव्यक्ति शिक्षण के विभिन्न उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन करें।

*****

इकाई – 20
वाक्य की अवधारणा

संरचना

20.1 भूमिका

20.2 उद्देश्य

20.3 वाक्य

20.3.1 वाक्य रचना के तत्व अथवा आवश्यकताएँ

20.3.2 वाक्य के भेद

20.3.3 उपवाक्य

20.3.4 वाक्य रूपान्तर

स्वयं आकलन प्रश्न – 1

20.4 भावार्थ और व्याख्या

स्वयं आकलन प्रश्न – 2

20.5 आशय लेखन

स्वयं आकलन प्रश्न – 3

20.6 विविध प्रकार के पत्र लेखन

स्वयं आकलन प्रश्न – 4

20.7 सारांश

20.8 कठिन शब्दावली

20.9 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

20.10 संदर्भित पुस्तकें

20.11 सात्रिक प्रश्न

20.1 भूमिका

इकाई उन्नीस में हमने श्रवण, श्रवण कौशल का महत्व, अभिव्यक्ति, मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएँ, वाचन तथा लेखन का गहन अध्ययन किया है। इकाई बीस में हम वाक्य, वाक्य रचना के तत्व, वाक्य के भेद, उपवाक्य, आशय लेखन तथा विविध प्रकार के पत्र लेखन का गहनता से अध्ययन करेंगे।

20.2 उद्देश्य

इकाई बीस का अध्ययन करने के पश्चात् हम यह जानने में सक्षम होंगे कि –

1. वाक्य क्या है ?
2. वाक्य रचना के तत्व क्या हैं ?
3. उपवाक्य क्या है ?
4. भावार्थ और व्याख्या से आप क्या समझते हैं ?
5. आशय लेखन क्या है ?
6. विविध प्रकार के पत्र लेखन से आप क्या समझते हैं ?

20.3 वाक्य

वाक्य विज्ञान में वाक्य रचना अथवा गठन की प्रक्रिया का वर्णात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक दृष्टि से वर्णन किया जाता है। वर्णात्मक दृष्टि से प्राय: किसी भाषा के काल विशेष में प्रचलित वाक्य रचना का अध्ययन किया जाता है। किन्ही दो या अधिक भाषाओं के वाक्य रचना की दृष्टि से अध्ययन तुलनात्मक अध्ययन की श्रेणी में आता है। एक भाषा के विभिन्न कालों के वाक्य रचना की दृष्टि से अध्ययन ऐतिहासिक अध्ययन माना जाता है।

संरचना की दृष्टि से किसी भी भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य मानी जाती है, परन्तु भावों की अभिव्यक्ति की दृष्टि में वाक्य भाषा की सबसे छोटी इकाई सामग्री जाती है। इसलिए वाक्य के तत्त्वों का अध्ययन करने में पहले इसकी भाषा को जानना विद्यार्थी वर्ग के लिए विशेषकर उपयोगी है।

वाक्य की परिभाषा :– प्राय: भाव को व्यक्त करने की दृष्टि से अपने आप में पूर्ण सार्थक शब्दों का समूह वाक्य माना जाता है। विभिन्न व्याकरण और शब्दकोश भी वाक्य की प्रकृति को इसी प्रकार स्पष्ट करते हैं:–

हिन्दी शब्दकोश के अनुसार, ''सार्थक शब्द समूह'' वाक्य है।

आचार्य पतंजलि, ''पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाले शब्द–समूह को वाक्य'' मानते हैं।

हिन्दी व्याकरण के अनुसार, ''वक्ता के कथन की पूर्णत: व्यक्त करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है।''

वाक्य की विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से ये स्पष्ट ज्ञात होता है कि वाक्य भाषा की वह सहज इकाई है, जिसमें एक अथवा अधिक शब्द होते हैं। जो अथ और व्याकरण की दृष्टि से पूर्णत: अर्थ युक्त होते हैं। वाक्य में पूर्णता तभी आती है, जब (पद) शब्द सुनिश्चित क्रम में हो और इन पदों में परस्पर समन्वय स्थापित हो। वाक्य की शुद्धता शब्दों के क्रम और समन्वय से सम्बधित होती है।

20.3.1 वाक्य–रचना के तत्व अथवा आवश्यकताएँ

हिन्दी वाक्य गठन की दृष्टि से इसको विभिन्न आवश्यकताएँ मानी जाती है। इन्हें वाक्य रचना के तत्त्व भी कहा जाता है। साधारणत: किसी भी वाक्य में सार्थक शब्दों में कुछ तत्त्वों की आवश्यकता रहती है, इनका वर्णन निम्न प्रकार से है :–

सार्थकता

योग्यता

आकांक्षा

अन्विति

सन्निथिअथवा आसाति

पद क्रम

1. **सार्थकता :–** वाक्य में हमेंशा सार्थक शब्दों का महत्त्व रहता है। निरर्थक शब्दों के लिए वाक्य–रचना में कोई स्थान नहीं रहता, क्योंकि इन शब्दों के प्रयोग से भाषा की अभिव्यक्ति दोषपूर्ण हो जाती है और अर्थ का अनर्थ होने की स्थिति बन जाती है। अत: वाक्य–रचना हेतु सार्थक शब्दों का प्रयोग करना इसकी पहली आवश्यकता है।
2. **योग्यता :–** इससे तात्पर्य यह है कि वाक्य में प्रसंगानुकूल भाव का बोध कराने की योग्यता हो। वाक्य के अर्थ से किसी भी प्रकार की अयोग्य बात परिलक्षित नहीं होनी चाहिए। जैसे 'राम पत्थरों से फूलों को सोच रहा है।' इस वाक्य में शब्दों में योग्यता की कमी है, क्योंकि फूलों को पानी से सींचा जाता है, पत्थरों से नहीं। अत: वाक्य में शब्दों का प्रयोग अर्थ के अनुरूप होना आवश्यक है।
3. **आकांक्षा :–** वाक्य के पूर्ण भाव को समझने के लिए एक पद को सुनने के पश्चात वाक्य के अन्य शब्दों को सुनने की इच्छा 'आकांक्षा' कहलाती है। वाक्य में इतनी शक्ति होनी चाहिए कि उसको पढ़ने से पूरा अर्थ समझ में आ जाए। उदाहरण के लिए 'बैठ रहा था' वाक्य 'वाक्य में यह आकांक्षा रहती है कि 'कौन'–? इस वाक्य में 'वह' शब्द का प्रयोग करने से आकांक्षा की पूर्ति हो जाती है।

4. **अन्विति :–** अन्विति से आशय है, व्याकरणिक दृष्टि से वाक्य में शब्दों का उचित क्रम अथवा एकरूपता। वाक्य में वचन, कारक, लिंग और पुरुष इत्यादि की दृष्टि से एकरूपता होनी चाहिए। वाक्य में इन्हीं के अनुसार कारक और क्रिया का प्रयोग होता है। 'राम गई' वाक्य त्रुटिपूर्ण है। इसी प्रकार से 'सीता गर्व'। 'सीता गई' और 'राम गये' में अन्विति अर्थात् व्याकरणिक दृष्टि से समानता है।

5. **आसत्ति :–** विभिन्न वाक्यों में लिखित शब्दों या पदों में आसति होना आवश्यक है। आसति का अर्थ है 'निकटता'। यदि व्यक्ति एक शब्द सुबह कहे, दूसरा शब्द रात को और तीसरा अगले दिन, तो उन शब्दों में निकटता नहीं रहने से वाक्य-रचना उचित नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए पुस्तक के आरम्भिक पृष्ठ पर 'अब्दुल कलाम भारत' और अगले पृष्ठ पर' के राष्ट्रपति में' लिख दिया जाये, तो शब्दों में निकटता का अभाव होने के कारण यह वाक्य संगत नहीं माना जाएगा।

6. **पदक्रम :–** वाक्य में शब्दों को उनके अर्थ और कारक आदि के सम्बन्ध को केन्द्र में रहकर यथा उचित स्थान पर प्रयोग करने से वाक्य-रचना शुद्ध हो जाती है। जैसे -

'मंत्री जी को एक फूल की माला पहनाई'

इस वाक्य में शब्दों के उचित क्रमानुसार 'एक' शब्द 'माला' से पहले प्रयुक्त किया जाए, तो अर्थ स्पष्ट हो जाता है।' एक फूल की माला 'वाक्य में पदक्रम की दृष्टि से त्रुटि मानी जाएगी।

इस प्रकार से शब्द-रचना के लिए तत्त्व महत्त्वपूर्ण है। सार्थक वाक्य-रचना के लिए इन तत्त्वों का समावेश वाक्य की त्रुटिरहित बनाने हेतु उपयोगी है।

रचना की दृष्टि से वाक्य के भेद

रचना की दृष्टि से वाक्य के निम्नलिखित तीन भेद माने जाते हैं:-

1. सरल अथवा साधारण वाक्य।
2. जटिल अथवा मिश्र वाक्य।
3. संयुक्त अथवा यौगिक वाक्य।

सरल अथवा साधारण वाक्य :– जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उसे सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे :-

क) राम पढ़ता है।

ख) वह अपने घर जाता है।

इस वाक्य में 'राम' और 'वह' उद्देश्य तथा 'पढ़ता' और 'जाता' विभेद है।

जटिल या मिश्र वाक्य :– जिस वाक्य में एक मुख्य उपवाक्य तथा एक से अधिक आश्रित उपवाक्य हो, वह जटिल या मिश्र वाक्य कहलाते हैं । जैसे :

'कमला राकेश की छोटी बहन है जो सरस्वती विद्या निकेतन में पढ़ती है।'

इस वाक्य में 'कमला राकेश' की छोटी बहन है 'मुख्य वाक्य है। 'जो सरस्वती विद्या निकेतन में पढ़ती है' आश्रित उपवाक्य है। अतः इस प्रकार क वाक्य मिश्र वाक्य की श्रेणी में आते हैं।

संयुक्त या यौगिक वाक्य :– जिस वाक्य में कोई भी उपवाक्य प्रधान अथवा आश्रित न हो और एक से अधिक साधारण और मिश्र वाक्य हों, ऐसे वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। ये वाक्य प्रायः किन्तु, परन्तु, बल्कि और अथवा, तथा इत्यादि शब्दों से जुड़े होते हैं। यथा -

क) 'मैं घर गया और गणेश बाजार गया।'

ख) 'रमेश आपकी प्रतीक्षा करता रहा किन्तु आप नहीं पहुँचे।'

इन दोनों वाक्यों को 'और' तथा 'किन्तु' शब्दों के द्वारा जोड़ा गया है, अतः दोनों संयुक्त वाक्य है।

वाक्य से अभिप्राय

संरचना की दृष्टि से वाक्य भाषा की सबसे बड़ी इकाई है।

वाक्य से अभिप्राय :– ऐसा पद समूह जिससे लेखक अथवा वक्ता का पूरा–पूरा आशय प्रकट हो 'वाक्य' कहलाता है। कोटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार, ''पद–समूहों वाक्यमर्थ परिस्माप्ती'' अर्थात ''पदों का वह समूह जिसमें अर्थ अच्छी प्रकार अभिव्यक्त (समाप्त) हो वाक्य कहलाता है।''

20.3.2 वाक्य के भेद

अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार :– वाक्य का अध्ययन विभिन्न आधारों पर किया जाता है। इसी प्रकार भिन्न–भिन्न दृष्टि से वाक्य के भेद भी अलग–अलग हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं:–

विधानार्थक वाक्य :– ऐसे वाक्य जिनको पढ़कर किसी बात के होने का बोध होता है, भिन्नार्थक वाक्य कहलाते हैं। इन्हें विधानवाचक वाक्य भी कहते हैं। उदाहरण के लिए :–

'मोहन पढ़ता है' या 'राधा खेलती है' आदि।

इन वाक्यों से मोहन के पढ़ने और राधा के बोलने का बोध होता है। अत: विधानार्थक वाक्य है

निषेधवाचक वाक्य :– ये वाक्य जिनसे किसी बात के न होने का बोध होता है, निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे – 'मोहन बाज़ार नहीं गया है'। इसे निषेधसूचक भी कहा जाता है।

आज्ञार्थक वाक्य :– इन्हें आज्ञासूचक वाक्य भी कहा जाता है । साधारणत: वे वाक्य जिनको पढ़कर आज्ञा का बोध होता है, आज्ञार्थक वाक्य की श्रेणी में आते है। यथा – 'सभी विद्यार्थी बैठ जाएँ'।

विस्मयादि वोधक :– ऐसे वाक्य जिनके अध्ययन से किसी प्रकार की चिन्ता, आश्चर्य, भय, हर्ष आदि का बोध हो, विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। 'विस्मय' का शाब्दिक अर्थ है 'हैरानी'। इन्हें विस्मयसूचक वाक्य भी कहते है।

प्रश्नवाचक वाक्य :– 'प्रश्न का बोध कराने वाले वाक्य' प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ऐसे वाक्यों में प्राय: कौन, कहां, क्या, कब, कैसे आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे :–

(क) आपका क्या नाम है ?

(ख) 'मैला आँचल' उपन्यास के लेखक कौन हैं ?

(ग) आप कहाँ जा रहे हैं ? इत्यादि।

प्रश्नवाचक वाक्यों के अन्त में प्रश्नवाचक चिन्ह (?) का प्रयोग किया जाता है।

सन्देहवाचक वाक्य :– जिन वाक्येां को पढ़ने से सन्देह व्यक्त हो अथवा सन्देह का आभास हो, वे सन्देहवाचक वाक्य कहलाते हैं। उदाहरण के लिए –

(क) राम ने टिकट खरीद ली होगी।

(ख) शायद विजय सो गया होगा।

इन वाक्यों के माध्यम से 'राम के टिकट खरीदने' और 'विजय के सोने' में सन्देह व्यक्त होता है। अत: सन्देहसूचक वाक्य है।

इच्छाबोधक अथवा इच्छासूचक वाक्य :– जिन वाक्यों से इच्छा व्यक्त करने का बोध हो, वे वाक्य इच्छा बोधक के रूप में जाने जाते हैं। यथा –

(क) भगवान आपको सफलता दे।

(ख) प्रभु आपकी मनोकामना पूर्ण करे। इत्यादि।

इन वाक्यों में किसी के 'सफल होने' और 'मनोकामना पूर्ण करने' हेतु इच्छा व्यक्त की गई है, इसलिए ये इच्छा बोधक वाक्य है।

संकेतसूचक अथवा सांकेतिक वाक्य :– जिन वाक्यों में किसी शर्त की और संकेत किए जाने का बोध हो, वे वाक्य संकेतवाचक अथवा सांकेतिक वाक्य कहलाते हैं – उदाहरण हेतु –

(क) यदि आप मेहनत करते तो सफल हो जाते।

(ख) यदि डॉक्टर समय पर आ जाता तो शायद रोगी बच जाता।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर वाक्य के मुख्यत: आठ भेद हैं। वाक्य सम्बन्धी ज्ञान हेतु इनका अध्ययन विद्यार्थी वर्ग के लिए अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है।

वाक्य के अंग

मनुष्य अपनी लिखित अथवा मौखिक अभिव्यक्ति को सुन्दर, स्पष्ट, शुद्ध कई प्रकार की वाक्य रचना करता है। इस उद्देश्य से वाक्य के अंगों की जानकारी होना विद्यार्थी, शिक्षक, वक्ता अथवा लेखक के लिए अत्यधिक उपयोगी मानी जाती है।

वाक्य के दो अंग होते हैं। ये इस प्रकार से हैं:–

1. उद्देश्य (Subject) 2. विधेय (Predicate)

उद्देश्य :– वाक्य का वह अंग अथवा अंश जिसके विषय में वाक्य में कुछ कहा गया हो, वह उद्देश्य कहलाता है अन्य शब्दों में, वाक्य में जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के सम्बन्ध में कुछ कहा जाता है, उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे – 'छात्र अनुशासन प्रिय होना चाहिए'। इस वाक्य में 'होना चाहिए' छात्र के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए 'छात्र' उद्देश्य है। वाक्य में प्राय: कर्ता उद्देश्य होता है। जबकि इन्हीं का हिन्दी रूपान्तर 'शाम जाता है' और 'गीता जाती है' हो जाता है। इस प्रकार वाक्य रचना में परिवर्तन हो जाता है।

शब्दों की नवीनता (आगम) :– वाक्य–रचना के लिए भाषा में नए–नए शब्दों का प्रयोग उसकी पद्धति में परिवर्तन का कारण बनता है। उदाहरण के लिए, वाक्यों में 'मात्र', 'सिर्फ', 'केवल', 'महज' इत्यादि शब्दों का प्रयोग संज्ञा के पश्चात् किया जाता रहा है, परन्तु वर्तमान में इन शब्दों सज्ञा शब्दों से पहल किया जाने लगा है। यथा :–

(क) हमें आठ सौ रूपये मात्र चाहिए।

(ख) हमें मात्र आठ सौ रूपये चाहिए।

(ग) आप चाय पीकर सिर्फ बैठिए।

(घ) आप सिर्फ चाय पीकर बैठिए।

इस प्रकार वाक्य–रचना में ऐसे शब्दों केक पदक्रम में परिवर्तन से वाक्य–रचना में परिवर्तन होता है।

शब्दों का लुप्त (अदृश्य) हो जाना :– वाक्यों में सभी शब्दों का प्रयोग सदैव एक जैसा नहीं किया जाता। प्राय: कभी–कभी कुछ शब्द वाक्य–रचना से लुप्त या अदृश्य हो जाते हैं। अभिव्यक्ति को संक्षिप्त करने हेतु ऐसे शब्दों को अनावश्यक समझकर इनके बिना काम चला लिया जाता है। जैसे – गीता पाठशाला जाती है। यह साधारण वाक्य है। परन्तु जब इसका रूपान्तर सकारात्मक वाक्य में किया जाता है, तो इसका रूप हो जाता है – 'गीता पाठशाला नहीं जाती'।

इस वाक्य में 'है' का लोप हो गया।

(ख) पिता पुत्र से – आप कहाँ गए थे ?

पुत्र – 'घर'।

यहां 'गया था' शब्द लुप्त या अदृश्य हो गए।

पिता – 'बाजार कब जाओगे ?'

पुत्र – कल।

यहां फिर 'बाजार जाँऊगा' शब्द लुप्त हो गए

इस प्रकार शब्द रचना में से कुछ शब्दों के लुप्त या अदृश्य हो जाने से वाक्य रचना में परिवर्तन होने की सम्भावना बनी रहती है। उपर्युक्त कारणों के अतिरिक्त प्रयत्न लाघव, अनुकरण, बलाघात आदि भी वाक्य-रचना में परिवर्तन के कारण माने जाते हैं।

अत: निष्कर्षस्वरूप कह सकते हैं कि वाक्य-रचना में परिवर्तन के अनेक कारण हैं, जिसका अध्ययन हर दृष्टि से आवश्यक है। शिक्षक के लिए भी आवश्यक है कि भाषा शिक्षण के समय वाक्य-रचना में परिवर्तन के कारणों से छात्रों को परिचित करवाए।

20.3.3 उपवाक्य

किसी भी वाक्य में उपवाक्य की आकृति को समझना आवश्यक है, क्योंकि एक वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य हो सकते हैं। सर्वप्रथम उपवाक्य के विषय में समग्र होना जरूरी है।

उपवाक्य से अभिप्राय :– जब दो या दो से अधिक सरल वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बना दिया जाता है, तो उस एक वाक्य में जो वाक्य प्रयुक्त होते हैं, वे उपवाक्य कहे जाते हैं।

उपवाक्य का तत्त्व। उपवाक्य के मुख्यत: पाँच तत्त्व हैं।

1. कर्ता: 2. क्रिया 3. कर्म। 4. पूरक। 5. क्रिया विशेषण

उपवाक्य के प्रकार :– उपवाक्य के दो प्रकार निम्नलिखित है:-

1. प्रधान उपवाक्य। 2. आश्रित उपवाक्य।

1. **प्रधान उपवाक्य :–** जब किसी वाक्य में जो उपवाक्य आश्रित अथवा गौण न होकर प्रधान हो, वह प्रधान उपवाक्य कहलाता है। यथा – 'वह विद्यार्थी सफल हो जाएगा जो मेहनत करेगा।'
2. **आश्रित या गौण उपवाक्य :–** जो उपवाक्य प्रधान न होकर दूसरे उपवाक्य पर आश्रित हो, वह आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इसे गौण उपवाक्य भी कहते हैं। जैसे- 'वह खिलाड़ी चला गया जो सर्वश्रेष्ठ था।' इस वाक्य 'वह खिलाड़ी चला गया' प्रभात उपवाक्य तथा 'जो सर्वश्रेष्ठ था' आश्रित उपलब्ध है। आश्रित उपवाक्य तीन प्रकार के हैं। इनका वर्णन निम्नलिखित प्रकार से हैं –

(क) **संज्ञा उपवाक्य :–** वे उपवाक्य जो वाक्य में संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त हो सकते हैं। इन उपवाक्यों के प्रारम्भ में 'कि' का प्रयोग होता है। कुछ वाक्यों में इसका प्रयोग ऐच्छिक लुप्त भी हो सकता है। मिश्रित वाक्य में संज्ञा उपवाक्य कर्ता, कर्म आदि की स्थिति में वही काम करता है जो संज्ञा करती है। उदाहरण के लिए –

(क) मैं जानता हूँ कि वह उत्तीर्ण नहीं हो सकता।
(ख) मुझे बताओ कि आप कहां रहते हैं ?
(ग) यह निश्चित है कि वह जल्दी आएगा।

(ख) **विशेषण उपवाक्य :–** वे उपवाक्य जो किसी संज्ञा की विशेषता बतलाए, विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। इन उपवाक्यों को ठीक उसी संज्ञा या सर्वनाम क बाद रखते हैं, जिनकी या विशेषता बताता है। यथा – वह विद्यार्थी सफल हो जाएगा जो परिश्रम करेगा।

(ग) **क्रिया विशेषण उपवाक्य :–** जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य के क्रिया, विशेषण या क्रिया-विशेषण की विशेषता बताते हैं। ये क्रिया विशेषण या उपवाक्य कहलाते हैं। यथा –

'शिक्षक इतना धीमा बोलते हैं कि कुछ समझ में नहीं आता।' इस वाक्य मे 'कुछ समझ में न आना' क्रिया विशेषण की विशेषता कहलाता है।

इस प्रकार उपवाक्य के विभिन्न महत्त्वपूर्ण तत्त्व और भेद है। व्यावहारिक दृष्टि से तथा भाषा-शिक्षण की दृष्टि से इनका ज्ञान उपयोगी है।

20.3.4 वाक्य रूपान्तर

प्राय: बोलने से पहले मनुष्य के मस्तिष्क में कुछ विचार पैदा होते हैं। इन विचारों के रूप में परिवर्तन कर व्यक्ति इन्हें व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध बनाता है। ऐसा न करने से सम्भव है वाक्यों की अभिव्यक्ति में त्रुटि या अशुद्धियाँ रह जाएँ। इसलिए वाक्य रूपान्तर का ज्ञान होना व्याकरणिक दृष्टि से विशेष महत्त्व रखता है।

वाक्य रूपान्तरण अथवा वाक्य परिवर्तन :– व्यक्ति अपने विचारों को विभिन्न प्रकार से अभिव्यक्त कर सकता है। एक प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में रूपान्तर या परिवर्तन कर सकता है। वाक्य का यह परिवर्तन ही 'वाक्य रूपान्तर' कहलाता है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि 'वाक्य रूपान्तरण' से उसके मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए।

वाक्य रूपान्तर का उदाहरण सहित वर्णन –

1. सरल अथवा साधारण वाक्य से संयुक्त वाक्य में रूपान्तरण।
   - (क) रमेश ने घर आकर भोजन किया। (साधारण वाक्य)
   - (ख) रमेश घर आया और उसने भोजन किया। (संयुक्त वाक्य)
2. साधारण वाक्य से निषेधात्मक वाक्य में रूपान्तरण।
   - (क) पिता जी बाजार गए हैं। (साधारण)
   - (ख) पिता जी बाजार नहीं गए है। (निषेधात्मक)
3. निषेधात्मक वाक्य से प्रश्नवाचक में रूपान्तरण।
   - (क) कमला ने यह कहानी नहीं पढ़ी है। (निषेधात्मक)
   - (ख) क्या कमला ने यह कहानी पढ़ी है ? (प्रश्नात्मक)
4. विधान वाचक वाक्य से विस्मयादिबोधक वाक्य रूपान्तरण।
   - (क) यह बहुत सुन्दर पार्क है। (विधानवाचक)
   - (ख) वाह ! कितना सुन्दर पार्क है। (विस्मयादिबोधक)
5. साधारण वाक्य से मिश्रित में रूपान्तरण।
   - (क) पिता जी ने मुझे भोजन करने के लिए कहा। (साधारण)
   - (ख) पिता जी ने कहा कि मुझे शीघ्र भोजन करना चाहिए (मिश्रित)
6. क्रियायुक्त वाक्य का संज्ञा में रूपान्तरण।
   - (क) राकेश को नदी में तैरना नहीं आता है। (क्रिया)
   - (ख) राकेश को तैरना नहीं आता। (संज्ञा)
7. कर्मवाच्य से कतृंवाच्य में रूपान्तरण।
   - (क) मेरे से यह काम नहीं हो सकता। (कर्मवाच्य)
   - (ख) मैं यह काम नहीं कर सकता। (कतृंवाच्य)

इस प्रकार से हम देखते हैं कि अर्थ के आधार पर ओर रचना के आधार पर वाक्य के विभिन्न भेदों का वाक्य रूपान्तर किया जाता है। यह वक्ता या लेखक पर निर्भर करता है कि वह यह किस परिस्थिति, समय और विषय के अनुसार एक वाक्य का दूसरे वाक्य में रूपान्तर करता है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए छात्रों को पर्याप्त अभ्यास करने की आवश्यकता रहती है।

'विराम चिन्ह किसे कहते हैं ? हिन्दी भाषा में प्रयुक्त किए जाने वाले विराम चिन्हों को उदाहरण सहित समझाइए।

'विराम' का शाब्दिक अर्थ है 'विश्राम', 'रूकना', या 'ठहरना'। वाक्यों को पढ़ते या बोलते समय वाक्य के बीच में या अन्त कुछ ठहराव होता है। बोलते समय व्यक्ति के स्वर में कई बार उतार-चढ़ाव भी आता है। कभी-कभी वाक्य अपेक्षाकृत लम्बे होते हैं, तो बीच में पढ़ते-पढ़ते एक या अधिक स्थानों पर भी रूकना पड़ता है, ताकि प्रस्तुति आसानी से ग्रहण बन सके। वाक्यों में ठहरने के स्थानों को 'विराम' कहते हैं।

विराम-चिन्ह की परिभाषा :- लिखित भाषा में स्थान विशेष पर रूकना या उतार-चढ़ाव इत्यादि दिखाने के लिए प्रयुक्त लिखित संकेतों या चिन्हों को 'विराम-चिन्ह' कहा जाता है।

विराम चिन्ह के प्रकार :- हिन्दी में प्रचलित विराम-चिन्हों का उदाहरण सहित वर्णन निम्न प्रकार से है :-

1. **पूर्ण विराम (।) :** सामान्तयः हम बोलते समय एक वाक्य की समाप्ति पर कुछ समय के लिए विराम देते हैं और फिर दूसरा वाक्य प्रारम्भ किया जाता है इसी भाँति लिखते समय किसी भी प्रकार के साधारण, संयुक्त या मिश्रित वाक्य के अन्त में 'पूर्ण विराम चिन्ह' का प्रयोग करते है। जैसे :

   'विद्यार्थी खेल रहे थे। उसी समय अचानक वर्षा शुरू हो गई। सभी छात्र दौड़ कर कक्षा में आ गये।'

2. **अर्द्ध विराम (;) :** वाक्य की समाप्ति पर पूर्ण विराम की अपेक्षा इसमें कम समय के लिए रूका जाता है और अर्द्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए अर्द्धविराम चिन्ह का प्रयोग अलग अलग स्थितियों में किया जाता है।

   संयुक्त और मिश्रित वाक्यों में विलोम अर्थ प्रकट करने वाले उपवाक्यों के बीच प्रयोग

   'कर्म करते रहना ही वास्तविक जीवन है; आलस्य तो एक बुरा रोग है।'

   वह हाथ जोड़ता रहा, वे लोग उसे पीटते रहे।

   दो-तीन वर्गों के बीच में प्रयोग, जैसे के पहले : किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, धर्म तथा स्थान के आदि के साथ को संज्ञा कहते हैं। जैसे : राम, कुर्सी, दिल्ली आदि।

3. **अल्प विराम (,) :** जब वाक्य को पहले समय मध्य में अर्द्ध विराम की तुलना में कुछ कम समय के लिए रुकना पड़े, वहाँ लिखने में अल्प विराम का चिन्ह (,) लगाया जाता है। इसे निम्न स्थितियों में प्रयुक्त किया जाता है - यथा-

क) वाक्यों के बीच उपवाक्यों को अलग कर दिखाने कि लिए। जैसे - एक दिन की बात है, एक शिकारी आया।

ख) हाँ या नहीं शब्द के बाद - जैसे :-
   हाँ, मै चलने के लिए तैयार हूँ।
   नहीं, आज काम सम्भव नहीं है।

ग) उपाधियों को अलग दिखाने के लिए - जैसे :-
   बी.ए., एम.ए., एम फिल।

घ) वाक्य में आए शब्द जोड़े को अलग दिखाने हेतु - जैसे :-
   सच-झूठ, पाप-पुण्य, अमीर-गरीब, बच्चा-बूढ़ा इत्यादि।

ड.) उद्धरण चिन्ह के पूर्व प्रयोग - जैसं -
   अध्यापक ने कहा, ''सूर्य पूर्व से उदय होता है।''

च) महीने की तारीख और वर्ष (सन्) को अलग दिखाने कि लिए - जैसे -
   '25 जनवरी, 2016

छ) सम्बोधन के बाद, जैसे -मित्रों, मेरी बात सुनो।

4. **प्रश्नवाचक चिन्ह (?) :** प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग भी अन्य विराम चिन्हों की भांति अलग-अलग परिस्थितियों में किया जाता है। इनका वर्णन निम्न प्रकार से है:-

(क) वक्ता जब वाक्य में कहाँ, कैसे, कब, क्यों प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयाग करते हुए प्रश्न पूछता है, जैसे -

क्या आप जा रहे हैं ?

आप कहाँ मिलेंगे ? इत्यादि।

(ख) व्यंग्यात्मक भाव प्रकट करने के लिए अन्त में कोष्टक में, जैसे - उनके जैसा बलवान पैदा ही नहीं हुआ (?)

(ग) सन्देह भाव पैदा करने के लिए संदेहस्थल पर कोष्टक में यथा क्या कहा, वह निष्ठावान (?) में नहीं मान सकता।

5. **विस्ययादि बोधक चिन्ह (!)** - विस्मय, हर्ष, आश्चर्य, घृणा, भय, प्रसन्नता व करूणा आदि मनोभावों को प्रकट करने तथा किसी को सम्बोधित करने के लिए विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे -

(क) हाय ! अब वे नहीं रहे।

(ख) अहो ! कितना हरा-भरा जंगल है।

(ग) अरे !वह चला गया।

(घ) छिः ! आपने तो नाम ही डुबो दिया।

6. **उप विराम (:)** जिन वाक्यों में संवाद-लेखन, शीर्षक तथा निर्देश देने आदि में इस विराम-चिन्ह का प्रयोग किया जाता है वह उपविराम कहलाता है। इसे विचरण चिन्ह के नाम से भी जाना जाता है। उदाहरण के लिए

(क) शीर्षक - 'मध्यवर्गीय चित्रण : आधुनिक संदर्भ में'

(ख) संवाद - : बेटा : पिता जी, आज कौन सा दिन है ?

पिता जी : बेटा, आज सोमवार है।'

7. **योजक अथवा विभाजक चिन्ह (–) :** योजक या विभाजक विराम-चिन्ह का प्रयोग भिन्न भिन्न स्थितियेां में होता है। जैसे -

(क) विभिन्न शब्द युग्मों में प्रयोग -

भीड़-भाड़, चाय-वाय, खाना-पीना आदि।

(ख) समास में दो पदों के मध्य -

माता-पिता, भाई-बहन, चाचा-चाची आदि।

(ग) संख्याओ को शब्दों मे लिखते समय -

क-चौथाई, दो-चौथाई, तीन-चौथाई आदि।

(घ) शब्दों के समान रूपों में ।

धीरे-धीरे, हँसते-हँसते, चलते-चलते, कभी-कभी आदि।

8. **उद्धरण या अवतरण चिन्ह (“”), (‘’) :** जब किसी दूसरे व्यक्ति अथवा महापुरुष की उक्ति को ज्यों का त्यों रखा जाता है तो इस उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस अवतरण से पहले अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे -

सुभाष चन्द्र बोस ने कहा, ‘‘तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा।’’

लोमान्य तिलक ने कहा, ‘‘स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है।’’

इसके अतिरिक्त किसी व्यक्ति का नाम, उपनाम या पुस्तक इत्यादि का शीर्षक इकहरे अवतरण चिन्ह (‘’) में लिया जाता है।

9. **निदेशक चिन्ह (–) :** निदेशक चिन्ह का आकार योजक चिन्ह से थोड़ा छोटा होता है। इस का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में भिन्न रूप में होता है। उदाहरण के लिए -

(क) संवाद में नाम के बाद -

कमल- बहुत अच्छा, दिल्ली से कब लोटे ?

(ख) किसी उद्धरण से पहले

शिक्षक ने कहा - '' सूर्य पूर्व से उदय होता है।''

(ग) किसी अवतरण के पश्चात लेखक के नाम से पहले -

''तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूँगा'' - बोस

10. **कोष्ठक ( ) – कोष्ठक के भीतर सामान्तः :** उस सामग्री को रखा जाता है, जो मुख्य धात के अंग होते हुए भी अलग की जा सकती है। यथा -

(क) क्रमसूचक अंकों या अक्षरों के लिए कोष्ठक -

(1), (2), (3) : (क), (ख), (ग) इत्यादि।

(ख) किसी कठिन शब्द को सरल रूप से व्यक्त करने के लिए

'जब अशोक जी (शिक्षक) आए तो सभी ने (छात्र) खड़े होकर उन का स्वागत किया।'

(ग) नाटक या एकांकी में -

''लक्ष्मण, (गुस्से में) आखिर मेरा अपमान क्यों ?''

11. **हंसपद अथवा त्रुटिपूरक (‸) –** लिखते समय जब कोई शब्द छूट जाता है तो उसके स्थान पर इसका प्रयोग किया जाता है और ऊपर छूटा हुआ शब्द लिख दिया जाता है। इसे विस्मरण चिन्ह भी कहते हैं। जैसे '' मैं आज गाड़ी - में बाजार नहीं जाऊँगा।'' आदि।

12. **संक्षेप सूचक (.) :** जब किसी नाम, पद या बड़े अंश का संक्षिप्त रूप लिखना हो तो संक्षेप सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसे लापता चिन्ह भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए -

डॉकटर - डॉ., पुलिस अधीक्षक - पु., अ., कृप्या पृष्ठ उलटिए - क. पृ. उ. आदि।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 1

प्र. 1. 'पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराने वाला शब्द समूह वाक्य है।' किसका कथन है?

प्र. 2. आसत्ति से क्या अभिप्राय है?

20.4 भवार्थ और व्यारव्या

भावार्थ और व्यारव्या में अन्तर

'भाव' कविता का महत्त्वपूर्ण भाव होता है। मनोभावों को अभिव्यक्ति ही काव्य है। इसका भावार्थ समझना आवश्यक होता है।

भावार्थ से अभिप्राय :– ऐसा विवरण या विवेचन जिसमें मूल का केवल भाव या आशय आ जाय, अथरसः अनुवाद न हो, भावार्थ कहलाता है। अभिप्राय, आशय, तात्पर्य, मतलब आदि शब्द भावार्थ के प्रर्याय माने जाते हैं।

साधारणतः गद्य या पद्य के किसी अंश का भावार्थ करने के लिए विद्यार्थियों को कहा जाता है। वह मूल्यांकन की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। पाठ्यक्रम मे लिए गए पद्यांशों का भावार्थ करने के लिए शिक्षक विद्यार्थियों को अभ्यास करवाता है।

भावार्थ करने के लिए महत्त्वपूर्ण बातें :–

भावार्थ के लिए दी गई पाठय–सामग्री का गहन अध्ययन करना चाहिए।

उसके मूल भाव को समझना चाहिए।

पाठ्य–सामग्री का अर्थ ग्रहण कर उसकी विवेचना करनी चाहिए।

पाठ्य– सामग्री में आप कठिन शब्दों का अर्थ अलग से लिखना उपयोगी है।

भावार्थ करते समय मूल भाव पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। ध्यान रहे लिखते समय कोई मुख्य बिन्दु छूट न जाए।

भावार्थ शुद्ध, स्पष्ट व सरल होना चाहिए।

व्याकरण से सम्बन्धित त्रुटि से बचना चाहिए।

भावार्थ करेन समय अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

भावार्थ करने के पश्चात लिखित सामग्री का पुन : अवलोकन का होना चाहिए ताकि कोई त्रुटि न हो।

व्याख्या से अभिप्राय : किसी कठिन उक्ति, पद्, वाक्य या विष्य सामग्री को अधिक सरल, बोधगम्य अर्थात सुगम रूप से समझने के लिए कही जाने वाली बात या किया जाने वाला विवेचन व्याख्या कहलाता है। अन्य शब्दों में, किसी वाक्य, कथन आदि का बपनी बुद्धि अथवा दृष्टिकोण से लगाया जाने वाला अर्थ व्याख्या के रूप में जाना है। व्याख्या पद्य या गद्य किसी भी विषय से सम्बन्धित हो सकती है।

सप्रसंग व्याख्या :– प्रसंग का संदर्भ सहित व्याख्या करना सप्रसंग व्याख्या कहलाता है।

सप्रसंग व्याख्या की विधि :– सधारणत: किसी पद्यांश, गद्यांश, वाक्य या उक्ति की सप्रसंग व्याख्या की जाती है, जिसका एक ढंग या विधि है। व्याख्या की प्रक्रिया आरम्भ करने से पूर्व व्याख्याता को चाहिए कि प्रस्तुत सामग्री का गहन अध्ययन का अर्थ ग्रहण करें। व्याख्या हेतु विकल्प उपलब्ध होने पर जो सामग्री ग्रहण हो उसका चयन करें। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित प्रकार से समझी जा सकती है।

कठिन शब्दों का अर्थ : व्याख्यता को चाहिए कि व्याख्या हेतु प्रस्तुत सामग्री का अध्ययन करे। कठिन शब्दों के अर्थ ग्रहण करे व लिखे। कठिन शब्दों का अर्थ जानने से व्याख्या करना अपेक्षाकृत सरल हो जाता है।

संकेत : प्राय: देखने में आता है कि संदर्भ सहित व्याख्या के लिए अनुच्छेदों अथवा उक्तियों से विकल्प दिया जाता है। व्याख्यता उसमें से चयन करके उसका संकेत लिखता है। संकेत में अनुच्छेद के कुछ प्रारम्भक शब्द ओर संक्षेप सूचक (........) के पश्चात अनुच्छेद के अन्तिम तीन या चार शब्द लिखे जाते हैं। संकेत इस दृष्टि से उपयोगी है, ताकि व्याख्या के मूल्यांकनकर्ता को सुगमतापूर्वक ज्ञात हो जाए कि विकल्प में से किस अनुच्छेद की व्याख्या की गई है।

संदर्भ : विवेचनात्मक उक्ति अथवा अनुच्छेद किस पुस्तक, पाठ और लेखक या कवि से सम्बन्धित है, यह विवरण संदर्भ के अन्तर्गत लिखा जाता है। इसमें पुस्तक का शीर्षक, पाठ या अभ्यास जिसमें से पंक्तियों उद्त की गई है, उसका नाम तथा उप विवेचनात्मक पंक्तियों का लेखक या कवि कौन है, का वर्णन किया जाता है। उक्त सामग्री किस विषय पर उपविषय से जुड़ी है संक्षेप में प्राय: लिखा जाता है। इसे कहीं–कहीं प्रसंग भी कहा जाता है।

व्याख्या : व्याख्या के अर्न्तगत किसी कठिन उक्ति, वाक्य या अनुच्छेद अथवा विषय सामग्री को अधिक सरल व स्पष्ट करके वर्णन किया जाता है। व्याख्या करते समय व्याख्याता प्रस्तुत सामग्री को बोधगम्य बनाने हेतु कुछ विशेष शब्दों को जोड़ देता है, जिससे व्याख्या सरल हो सके। ध्यान रहे कि व्याख्या दी गई सामग्री पर ही केन्द्रित हो।

भावार्थ : भावार्थ सप्रसंग व्याख्या का अन्तिम भाग माना जाता है। इसके अर्न्तगत विवेचित सामग्री में लेखक या कवि का मूल भाव क्या है, वर्णन किया जाता है। भाषायी दृष्टि से सामग्री की विशेषताओं का वर्णन किया जाता है। अगर व्याख्या पद्य से सम्बन्धित है तो वर्णित सामग्री में कवि द्वारा किस रस, अलंकार, छन्द या भाषा का प्रयोग किया गया है, इसे स्पष्ट किया जाता है। प्राय: भावार्थ को विशेष भी कह दिया जाता है।

संदर्भ या सप्रसंग व्याख्या हेतू किन महत्त्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखना चाहिए।

सप्रसंग व्याख्या करते समय व्याख्यता को निम्नलिखित महत्त्वपूर्ण बातों की और विशेष ध्यान देना चाहिए।

1. विषय सामग्री का गहन अध्ययन करना चाहिए।
2. व्याख्या हेतु पक्तियाँ किस शीर्षक और कवि या लेखक द्वारा लिखी गई हैं, विशेष रूप से सोच-समझ कर लिखना चाहिए, ताकि प्रसंग में त्रुटि न हो।
3. कठिन शब्दों का अर्थ समझने के लिए उनकी पहचान कर, उन्हें रेखांकित करना उपयोगी माना जाता है।
4. व्याख्या करते समय क्रमानुसार संकेत, संदर्भ या प्रसंग, व्याख्या और फिर भावार्थ या विशेष लिखा जाना चाहिए।
5. विवेचित सामग्री की भाषा सरल, सुन्दर व स्पष्ट होनी चाहिए।
6. मूल भव को स्पष्ट करना आवश्यक है।
7. व्याख्या प्रस्तुत सामग्री पर केन्द्रित होना चाहिए।
8. अनावश्यक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए।
9. व्याख्या में व्यक्तिगत विचारों का समावेश नहीं करना चाहिए।
10. व्याख्या पूर्ण की जाए। संदर्भ में पुस्तक, अध्याय, कवि अथवा लेखक का नाम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए।

इस प्रकार से हम देखते हैं कि सप्रसंग व्याख्या करत समय इन बिन्दुओं को व्याख्याता मध्य नजर रखे तो व्याख्या करने का उद्देश्य पूर्ण किया जा सकता है।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 2

प्र. 1. कविता का महत्त्वपूर्ण भाग क्या होता है?

प्र. 2. सरल रूप में कही गई बात का विवेचन क्या कहलाता है?

20.5 आशय लेखन

'आशय' का शाब्दिक अर्थ है 'अभिप्राय' अथवा 'प्रयोजन' या 'उद्देश्य' और 'लेखन' का अर्थ है, लिखना या लिखने की क्रिया। अन्य शब्दों में ध्वनि को लिपिबद्ध करना लेखन कहलाता है।

आशय लेखन से अभिप्राय :– किसी पूरे तथा तथ्य आदि के मुख्य तत्वों का ऐसा छोटा था, संक्षिप्त रूप जिससे उसके गुण व स्वरूप आदि का ज्ञान हो सके, आशय लेखन कहलाता है। भाषा शिक्षण की दृष्टि से अगर कही जाए तो किसी 'उक्ति' या कथन से निकलने वाला अर्थ या सारांश अथवा भाव आशय लेखन कहलाता है।

आशय लेखन हेतु स्थान रखने योग्य महत्त्वपूर्ण बिन्दु अथवा नियम :-

मूल पाठ का दो या तीन बार अध्ययन कर उसका अर्थ समझना चाहिए।

मूल भाव समझने के पश्चात् मुख्य वाक्याँशों या वाक्यों को रेखांकित करना चाहिए।

रेखाँकित शब्दों अथवा वाक्यों को क्रमानुसार अपनी भाषा में लिखना चाहिए।

क्रमबद्ध लिखे वाक्यों को दोबारा पढ़ लेना चाहिए ताकि अनावश्यक शब्दों को काटा जा सके।

वाक्य एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए।

आशय लेखन के पश्चात मूल भाव के अनुसार शीषक देना चाहिए। ध्यान रहे, शीषक छोटा होना चाहिए।

आशय लेखन के बाद इसे दो तीन बार पुनः पढ़ लेना चाहिए, ताकि से त्रुटि रहित बनाया जा सके।

ध्यान रखें कि मूल पाइ का कोई महत्त्वपूर्ण तथ्य छूट न जाए।

मूल अथवा प्रस्तुत अनुच्छेद के वाक्यों का प्रयोग आशय लेखन में ज्यों का त्यों नहीं कर देना चाहिए।

आशय लेखक को चाहिए कि मूल के भाव को अपने शब्दों में स्पष्ट करें।

आशय लेखक का ध्यान मूल लेखक के उद्देश्य पर केन्द्रित रहना चाहिए।

मूल अवतरण में वर्णित साक्ष्यों को आशय लेखन में प्राथमिकता देनी चाहिए।

अनुच्छेद के प्रत्येक अनुभाग कर सारांश एक या दो वाक्य में लिखना चाहिए।

आशय लेखक को शब्दों की कुल संख्या की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए।

आशय लेखन की विशेषता

आशय लिखते समय अगर आवश्यक बातों को ध्यान में रखते हुए कार्य किया जाए तो निम्नलिखित गुणों का समावेश सहज ही हो जाता है -

संक्षिप्तता : यह आशय लेखन का प्रमुख गुण है। 'आशय' मूल अवतरण का एक तिहाई होना चाहिए।

सरलता एवं शुद्धता – आशय की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। भिन्नार्थक शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग अपेक्षित होता है।

पूर्णता : आशय लेखन अपने आप में एक-पूर्ण क्रिया होती है। अत: मूल अवतरण से कोई तथ्य छूट न जाए इसकी और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।

प्रवाहमयता : आशय लेखन के वाक्यों में प्रवाह होना आवश्यक है, अत: यह इसकी एक अन्य महत्त्वपूर्ण विशेषता है।

क्रमबद्धता – आशय लेखन में वाक्य एक दूसरे से सम्बन्धित होने चाहिए।

मूल अवतरण का केंन्द्रीय भाव व विचार स्पष्ट करना: आशय लेखन को मूल अनुच्छेद का भाव स्पष्ट करना चाहिए।

मूल सामग्री का सूक्ष्म रूप :– आशय लेखन स्पष्ट है, मूल अवतरण का सूक्ष्म अथवा लघु रूप होता है।

अप्रत्यक्ष कथन :– आशय लेखन अप्रत्यक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए।

अनेक शब्दों के लिए एक शब्द-प्रस्तुत सामग्री के आशय लेखन के समय शब्दों की संख्या पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

मात्रा की सुबोधागम्य और प्रभावोत्पादक बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम अपने विचारों को कम शब्दों में व्यक्त करें, परन्तु उनका भाव विस्तृत अथवा गहरा हो। यानि हमें गागर में सागर भरने का कार्य करते हुए कम से कम शब्दों में अपने भावों को अभिव्यक्ति देनी चाहिए।

अत: इस दृष्टि से अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग लाभदायक रहता है। इसके लिए कुछ शब्दों के उदाहरण निम्न प्रकार से हैं।

हमारे यहाँ शिक्षा तो वास्तव में ज्ञान के सम्प्रेषण की विधि है। विधि का अर्थ है - सिखलाना। लेकिन हम सिखलाएँगे क्या? इसके लिए हमारे यहाँ शब्द हैं विद्या। विद्या को शिक्षा के माध्यम से प्रेषणीय करते हैं, विद्या वह ज्ञातव्य विषय है, जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं। हमारे यहाँ मनीषियों ने इस विद्या की अर्थकारी और परमार्थकारी दो भागों में बाँटा है। अर्धकारी वह विद्या है, जो समाज में आपको उपयोगी बनाती है, जो आपकी जीवन की आजीविका की सुविधाएँ देती हैं, जिससे जिससे आप समष्टि से जुड़ते हैं। उसमें मानवीय मूल्य हैं, जिससे आपका हृदय बनता है, आपकी बुद्धि बनती है, आप उदार बनते हैं, स्नेहशील बनते हैं, सद्भाव एवं सम्पन्नता से पूर्ण मानव बनते हैं, जिससे आपकी बुद्धि और हृदय का प्रारिश्कार होता है।

मुख्य बिन्दु :

विद्या और सम्प्रेषण।

विद्या के मुख्य भाग या अंश।

मानवीय मूल्य।

मानव की संपूर्णता।

शीर्षक – शिक्षा और ज्ञान का सम्प्रेषण।

आशय लेखन :– शिक्षा का अर्थ है विद्या को सम्प्रषणीय बनाना। विद्या के दो भाग हैं - एक अर्धकारी और दूसरा परमाधिकारी। अर्धकारी विद्या आजीविका की सुविधाएँ देती हैं, जिससे व्यक्ति का समाज में महत्त्व बढता है। परमाधिकरी विद्या से मानवीय भावों का उदय होता है, सहृदय बुद्धिशील एवं सद्भाव से मानव परिपूर्ण बनता है।

आज देश स्वतन्त्र है। इसे अपनी शक्ति की वृद्धि करती है जिससे हमारी नवीन स्वतन्त्रता की रक्षा हो सके। आये दिन ऐसे संकट हमको चुनौती देते रहते हैं, जिससे निपटने के लिए शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। यदि विद्यालयों में देश सेवा की वह भावना दृढ़ हो जाए तो भविष्य के लिए बड़ी तैयारी हो सकेगी। प्राचीन काल में आश्रयों में वेद शास्त्रों के साथ अस्त्र-शस्त्र की शिक्षा दी जाती थी। द्रोणाचार्य ने कौरवों और पाण्डवों को सैनिक शिक्षा दी थी। सैनिक शिक्षा से शारीरिक शक्ति के साथ मानवीय गुणों का भी विकास होता है। सेना, तत्परता, परिश्रमशीलता, निर्भयता आदि गुण इस शिक्षा से अपने आप आ जाते हैं। जीवन भी तो एक युद्ध क्षेत्र ही है। इस क्षेत्र में लड़ने के लिए भी उपयुक्त गुणों की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश की संस्कृति शान्ति प्रधान है, परन्तु इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपनी शक्ति में वृद्धि न करें। आज सम्पूर्ण संसार सैनिक शिक्षा पर जो ध्यान दे रहा है, उसे देखते हुए हमारे लिए भी इस और कदम बढ़ाना आवश्यक हो जाता है।

मुख्य बिन्दु :

स्वतंत्रता का महत्त्व।

शक्तिशाली सेना की आवश्यकता।

मानवीय गुणों का विकास।

सैनिक शिक्षा का महत्त्व।

शीर्षक – 'सैनिक शिक्षा की पृष्ठभूमि'

आशय लेखन – अपने स्वतन्त्र देश की सुरक्षा, शान्ति-स्थापना, अन्य देशों की चुनौती स्वीकार करने के लिए शक्तिशाली सेना की आवश्यकता है। प्राचीन गुरूकुलों की भाँति यदि आज भी वि़द्यार्थियो में सैनिक शिक्षा दी जाए तो छात्रों में मानवीय गुणों के साथ-साथ देश की रक्षा भी हो सकती हैं। शान्तिप्रिय होते हुए भी हमारे देश की सैनिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए।

मानवतावादी विचारधारा का आगमन मध्ययुगीन धार्मिक व्यवस्था समाप्ति के बाद हुआ। एक प्रकार से मानववाद की यह विचारधारा, जिसे आज नव-मानववाद और वैज्ञानिक-मानववाद का ज्ञान दिया जाता है, इन धार्मिक मान्यताओं का विरोध करने के लिए आयी, जिससे मानव का व्यक्तित्व गौण और किसी कल्पित अज्ञात दिव्य सत्ता के अस्तित्व को सर्वाधि क महत्त्व दिया जाता था। विकासवाद के सिद्धान्त और विज्ञान की प्रगति से मानव को चिन्तन की नई दिशाओं की और उन्मुख किया है। विज्ञान की सहायता से मनुष्य प्रकृति के रहस्यों को ज्यों-ज्यों समझने लगा, त्यों-त्यों उसमें आत्मनिर्भरता, स्वावलम्बन, आत्मविश्वास और तर्क आदि की प्रवृतियाँ विकसित होने लगी। मनुष्य ने देवी-देवताओं की उपासना और अज्ञात ईश्वरीय सत्ता में विश्वास करना छोड़कर अपनी शक्ति पर विश्वास रखना आरम्भ कर दिया। उसका नवीन बोध रूड़ियों और अन्धविश्वासों की तिरस्कृत करने में जुट गया। आज स्थिति यह है कि मनुष्य धर्म को ढकोसला समझना है, अपरोक्ष सत्ता की हँसी उड़ाता है और परम्पराओं को तुच्छ समझता है। आज विज्ञान का युग है। विज्ञान में मानव की यथार्थ बुद्धि और सुख सुविधाओं का इतना विकास किया है कि मनुष्य अपने आध्यात्मिक रूप को असत्य मानने लगा है। मानवतावादी विचारधारा के विकास का यह एक कारण है।

मुख्य बिन्दु :

विकासवाद के सिद्धांत।

धार्मिक व्यवस्था।

शीर्षक : मानवतावादी विचारधारा

मध्ययुगीन धार्मिक व्यवस्था की समाप्ति के उपरांत मानवतावादी विचारधारा का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पूर्व धार्मिक अवस्था वाले लोग अज्ञात सत्ता को प्रभावशाली मानकर साक्षात् मानव–सत्ता का तिरस्कार करते थे। धर्माडम्बरों ने समाज को जकड़ दिया, परन्तु ज्यों ही मानवतावादी दृष्टिकोण सामने आया, सभी बुद्धिजीवी व्यक्तियों ने मानव–सत्ता का आदर किया। अब उनका नवीन बोध रूढ़ियों और अन्धविश्वासों को दूर करने में जुट गया। आज के युग में विज्ञान के अनेकानेक साधनों ने मानव के जीवन को सुखी बनाता है।

आशय लेखक के गुण

आशय' लेखक में निम्नलिखित गुण होने आवश्यक हैं।

भाषायी विशेषता – आशय लेखक को व्यावहारिक भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। उसे विराम–चिन्हों और विभक्तियों के उचित प्रयोग व नियमों की जानकारी होना आवश्यक है।

कुशाग्र बुद्धि – आशय लेखक के लिए आवश्यक है कि वह तथ्यों को जाँचने व उसकी विवेचना करने की क्षमता रखता है। इसके लिए वह बौद्धिक दृष्टि से कुशाग्र हो।

व्यापक ज्ञान – आशय लेखक का ज्ञान किसी एक विषय तक सीमित नहीं होना चाहिए। उसे विभिन्न समसामयिक परिस्थितियों का ज्ञान होना आवश्यक है।

स्पष्ट अभिव्यक्ति – आशय लेखक को अभिव्यक्ति पूर्णत : स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि संक्षेपण पढ़ने से पातक को सब कुछ स्पष्ट हो जाए। उसे कहीं संदेह न हो।

एकाग्रता – आशय लेखक एकाग्रचित व्यक्ति होना चाहिए, ताकि वह मूल पाठ के जटिल विषय को भी शीघ्रता से समझ सके।

सतत् अभ्यास – यह स्पष्ट है कि किसी कार्य को बार–बार करते रहने से कुशलता और दक्षता में वृद्धि होती है। आशय लेखन भी एक कला है, जिससे निरंतर अभ्यास करने से कार्यकुशलता में निखार आता है। इससे समय की भी बचत सम्भव हो जाती है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि आशय लेखक में ऊपरलिखित गुणों के होने से आशय लेखन का स्तर उत्कृष्ट होगा।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 3

प्र. 1. आशय का शाब्दिक अर्थ क्या है?

प्र. 2. आशय लेखक का कोई एक गुण बताइए?

20.6 विविध प्रकार के पत्र – लेखन

विविध प्रकार के पत्र–लेखन उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

पत्र लेखन अभिव्यक्ति के आदान–प्रदान का एक महत्त्वपूर्ण एवं सशक्त माना जाता है। प्राय: जनसाधारण की यह धारणा रहती है कि पत्र लेखन में किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करना पड़ता, परन्तु यथार्थ दृष्टि से देखा जाए तो पत्र–लेखन भी एक कला है। इस दैनिक जीवन में इसका उपयोग करते हैं। इस कला के माध्यम से हम दूसरों के दिलों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए ज्ञान की परिपकता, विचारों की विशालता, बुद्धि एवं विषय का ज्ञान और पत्र लेखक का भाषा पर पूर्णत: नियंत्रण होना परमावश्यक है। पत्र लेखन के साथ–साथ उसके विभिन्न रूपों की जानकारी होना अति आवश्यक है।

पत्रों के प्रकार : विभिन्न स्थितियों में पत्र–लेखन की रीति अथवा शैली भिन्न– भिन्न रहती है। इस दृष्टि से पत्रों को मुख्य रूप से निम्नलिखित दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

औपचारिक–पत्र।

अनौपचारिक – पत्र।

औपचारिक – पत्र : – औपचारिक – पत्र वे पत्र होते हैं जो सरकारी, गैर – सरकारी, अर्द्धसरकारी, आवेदन – पत्र, प्रार्थना – पत्र तथा व्यावसायिक या कार्याकारी संदर्भ में लिखे जाते हैं। वे पत्र साधारणत: उन लोगों के लिए लिखे जाते हैं, जिनमें हमारा व्यक्तिगत सम्बन्ध नहीं होता। अत: इन पत्रों में केवल आवश्यक बात भी लिखी जाती है।

औपचारिक – पत्रों के भेद : औपचारिक पत्रों के निम्नलिखित भेद माने जाते हैं: –

आवेदन – पत्र।

व्यावसायिक – पत्र।

शिकायत सम्बन्धी – पत्र।

सम्पादकीय – पत्र।

अनौपचारिक – पत्र : जिन व्यक्तियों के साथ हमारे घनिष्ठ एवं आत्मीय सम्बन्ध होते हैं उन्हें अनौपचारिक – पत्र लिखे जाते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, इसलिए इनकी भाषा सरल व अनौपचारिक होती है। मित्रों, पारिवारिक सदस्यों और सगे – सम्बन्धियों को लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी के अन्तर्गत आते हैं।

अनौपचारिक या व्यक्तिगत पत्रों के भेद निम्नलिखित हैं : –

निमंत्रण – पत्र।

बधाई – पत्र।

शुभकामना – पत्र।

संवेदना – पत्र।

समस्या, सूचना आदि अन्य पत्र।

पत्र – लेखन के गुप्त अथवा विशेषताओं का परिचय दीजिए :

पत्र लिखने वाले व्यक्ति (प्रेषक) का संदेश अगर पत्र प्राप्त करने वाला व्यक्ति (प्रेषित) अच्छी प्रकार से समझ लेता है तो ऐसा पत्र श्रेष्ठ माना जाता है। पत्र – लेखन हेतु विभिन्न गुणों अथवा विशेषताओं का होना आवश्यक है। ये इस प्रकार से है :

स्पष्टता : – पत्र की भाषा शुद्ध और स्पष्ट होनी चाहिए, इससे अप्रचलित शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग करने से अर्थ का अनर्थ हो सकता है। अत: इस और विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।

सरलता : – पत्र की भाषा सरल, सुबोधगम्य, स्वाभाविक एवं स्पष्ट होनी चाहिए। इसमें कठिन शब्दों के प्रयोग से बचना चाहिए। वाक्य छोटे और क्रमानुसार ही ताकि पत्र प्राप्त करने वाले को आसानी से समझ आ सके। पत्र सरल हो।

संक्षिप्तता : – पत्र की संक्षिप्तता से अभिप्राय केवल आवश्यक और संगत शब्दों के प्रयोग से है। अत: पत्र का आकार छोटा होना चाहिए। अनावश्यक व अर्थहीन शब्दों व वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए।

प्रभावशीलता : पत्र के द्वारा प्रभाव उत्पन्न करना भी एक कला है। भाषा ऐसी होनी चाहिए जो प्राप्तकर्ता को प्रभावित कर सके। पत्र को प्रभावोत्पादक बनाने हेतु मुहावरों का तथा मुहावरेदार भाषा का प्रयोग किया जा सकता है।

आकर्षणता : – पत्र लिखते समय उसकी सुन्दरता व स्वच्छता की और विशेष ध्यान देना चाहिए। पत्र आकर्षक होना चाहिए।

सहजता : – सहजता से आशय है –स्वाभाविकता। पत्र की भाषा साधारण वार्तालाप की भाषा की भाँति होनी चाहिए। औपचारिक शब्दों आप, हम, तुम, मैं, सम्माननीय, आदरनीय आदि शब्दों का प्रयोग उपयोगी रहता है।

इस प्रकार से स्पष्ट है कि पत्र लेखन में इन गुणों का होना आवश्यक है। इन विशेषताओं से युक्त पत्र ही श्रेष्ठ पत्र माना जा सकता है।

पत्र का प्रारूप : पत्र-लेखन की शैली में वर्तमान समय में परिवर्तन देखने को मिलता है। प्रारम्भ में अनौपचारिक पत्र लिखने का ढंग भिन्न था। जैसे - पत्र शुरू करते समय सबसे ऊपर दाई और अथवा पूरा पता और उसके नीचे दिनांक लिखी जाती थी। इसके बाद बाई तरफ सम्बोधन आता था। संदेश लिखने के पश्चात दाई ओर अभिलेख लिखा जाता था।

पत्र लेखन के बदले हुए स्वरूप के अनुसार अभी पत्र प्राप्त करने वाले का पता, फिर तारीख सबसे ऊपर बाई ओर लिखा जाता है। उसके नीचे सम्बोधन तथा संदेश लिखा जाता है। अन्त में अधीलेख फिर हस्ताक्षर बाई ओर लिखा जाता है। इसके पश्चात पत्र भेजने वाले का नाम और पता आता है। पत्र में सम्बोधन, अभिवादन और अधीलेख के सम्बन्ध के आधार पर लिखे जाने अपेक्षित है। पत्र लेखन हेतु आवश्यक बातों की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। औपचारिक एवं अनौपचारिक दृष्टि से कुछ नियम निम्न प्रकार से हैं।

सम्बोधन

बड़े पुरूषों के लिए :

पूज्य, पूजनीय, आदरनीय, माननीय, श्रद्वेव, मान्यवर।

बड़ी महिलाओं के लिए :

माननीया, आदरनीया, पूजनीया, पूज्या।

1. अपने से छोटे के लिए :-

प्रिय, प्रियवर, चिरंजीव, परमप्रिय

मित्रों के लिए :-

प्रिय मित्र, पित्रवर, प्रियवर, प्यारे, बंधुवर।

सखी/सहेली के लिए :-

प्रिया सखी, स्नेही, प्यारी।

2. अविवाहित स्त्री के लिए :-

सुश्री।

विवाहित स्त्री के लिए :-

श्रीमती, सौभाग्यवती।

प्रतिष्ठित व्यक्ति के लिए :-

मानवीय, मान्यवर, महोदय, आदरणीय।

व्यवसाय सम्बन्धी :-

श्रीमान, प्रिय महोदय या महाशय, महोदया,आदरणीय, मान्यवर।

राजकीय पत्राचार हेतु :-

महोदय, महोदया।

अभिवादन

1. बड़ों के लिए :-

सादर-प्रणाम, चरण-स्पर्श, चरण-वन्दना, नमस्ते।

छोटों के लिए :-

आर्शीवाद, शुभाशीष, प्रसन्न रहो, खुश रहो, सुखी रहो।

मित्र के लिए :-

सप्रेम नमस्ते, नमस्ते, जय हिन्द, नमस्कार।

व्यावसायिक, प्रतिष्ठित या सरकारी पत्रों के लिए :-

नमस्ते, जय हिन्द, नमस्कार।

विषय – वस्तु अथवा संदेश : पत्र की विषय – वस्तु अथवा कथ्य अथवा संदेश पत्र के उद्देश्य के अनुसार हो।

हस्ताक्षर : अधोलेख के पश्चात हस्ताक्षर किए जाते हैं। ध्यान रहे हस्ताक्षर सवयं हाथ से किये जाने चाहिए। हस्ताक्षर टंकित नहीं होने चाहिए और न ही किसी मोहर के माध्यम से।

महत्त्वपूर्ण पत्रों के नमूने

औपचारिक पत्रः

1. अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को अवकाश के लिए पत्र लिखिए।

परीक्षा भवन
क, ख, ग

सेवा में
प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
सोलन (हि.प्र.)

विषय : अवकाश प्राप्ति हेतु आवेदन पत्र।

मान्यवर

मैं आपके महाविद्यालय में कक्षा बी.ए. तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। कल महाविद्यालय से वापस लौटते समय जब मैं बस से नीचे उतर रहा था, तब अचानक बस चल पड़ी, जिससे धक्का लगते ही मैं सड़क पर गिर गया और बुरी तरह से घायल हो गया। मेरे सिर में गहरी चोट भी लगी है। डॉक्टर के पास जाकर मैंने पट्टी तो करवा जी लेकिन डॉक्टर ने मुझे दो – तीन दिन आराम करने की सलाह दी है। इसलिए कृपा करके मुझे तीन दिन का अवकाश प्रदान करें। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा।

धन्यवाद।

आपका आज्ञाकारी शिष्य
राकेश कुमार
कक्षा – बी.ए. (तृतीय वर्ष)
दिनांक : 15 नवम्बर, 2016

अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को पुनः प्रवेश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए।

सेवा में

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

ऊना (हि.प्र.)

विषय : महाविद्यालय में पुनः प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र।

महोदय

विनम्र निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय में बी–कॉम द्वितीय सैमेस्टर का छात्र हूँ। मैं पिछले दस बारह दिनों से पीलिया रोग से पीड़ित था। डॉक्टर ने मुझे दस–बारह दिनों तक पूर्ण रूप से आराम करने की सलाह दी थी। जिसके कारण मैं कक्षा में उपस्थित नहीं हो सका। महाविद्यालय के प्राध्यापकों ने मेरा नाम उपस्थिति रजिस्टर से निष्कासित कर दिया है।

मान्यवर मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूँ। मुझे पढ़ने में अत्यंत रुचि है। मेरा पिछली परीक्षा का परिणाम भी सराहनीय रहा है। पिछले वर्ष मैंने अंतर महाविद्यालय भाषण प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया था। अत: मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप मुझे महाविद्यालय में पुन: प्रवेश देकर कृतार्थ करें।

धन्यावाद सहित।

आपका आज्ञाकारी शिष्य

राम सिंह

कक्षा – बी कॉम (द्वितीय वर्ष)

अनुक्रमांक : 120

दिनांक : 20 नवम्बर, 2016

अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को छात्रवृति के लिए आवेदन पत्र लिखिए।

परीक्षा भवन

क, ख, ग

सेवा में

प्राचार्य

राजकीय महाविद्यालय

बीटन, जिला ऊना (हि.प्र.)

विषय : छात्रवृति के लिए आवेदन पत्र।

महोदय

निवेदन है कि मैं आपके महाविद्यालय में कक्षा बी-एससी. द्वितीय सैमेस्टर का विद्यार्थी हूँ। मेरे पिता जी खेतीबाड़ी करते हैं। हम तीन भाई-बहन हैं। घर की आर्थिक स्थिति भी अच्छी नहीं है। मेरी माता जी भी अस्वस्थ रहती है। मेरे माता-पिता मेरी फीस देने में असमर्थ हैं।

मेरा पिछले सैमेस्टर का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा है, जिसमें मैंने 90 प्रतिशत अंक अर्जित किए हैं। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे इस वर्ष के लिए छात्रवृति दी जाए। मैं आपका सदा आभारी रहूँगा।

धन्यवाद सहित।

आपका आज्ञाकारी शिष्य

निखिल

कक्षा - बी. एससी. (द्वितीय वर्ष)

दिनांक : 12 जुलाई, 2016

उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अनुमति माँगने हेतु आवेदन पत्र।

सेवा में

निर्देशक

उच्चतर शिक्षा विभाग

शिमला (हि.प्र.)

विषय : उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र।

मान्यवर

निवेदन यह है कि मैं पिछले तीन वर्ष से राजकीय महाविद्यालय हमीरमुर में लिपिक के पद पर सेवाएँ दे रहा हूँ। मैंने बी.ए. तक शिक्षा अर्जित की है। अब में एम.ए. (हिन्दी) के पाठ्यक्रम में दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से दाखिला लेना चाहता हूँ और मार्च 2017 की वार्षिक परीक्षाओं में बैठना चाहता हूँ। इससे मेरे कार्यालय के कार्य में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं पड़ेगी। अत: आपसे अनुरोध है कि कृपा मुझे इस कक्षा में प्रवेश लेने को अनुमति प्रदान करें।

सधन्यवाद

भवदीय

विनोद कुमार मिश्रा

राजकीय महाविद्यालय

हमीरपुर (हि.प्र.)

दिनांक : 24 सितम्बर, 2016

रचना प्रकाशित करवाने हेतु संपादक को पत्र।

परीक्षा भवन

अ, ब, स

दिनांक : 18 जून, 2016

श्रीमान संपादक महोद्य

अमर उजाला

शिमला (हि.प्र.)

विषय : कविता प्रकाशित करवाने हेतु पत्र।

महोदय,

निवेदन है कि आपके रविवारीय परिशिष्ट के लिए मैं अपनी लिखी एक कविता प्रकाशन हेतु भेज रही हूँ। यह कविता राष्ट्रीय एकता के लिए आज की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक रहेगी। वर्तमान परिपेक्ष्य से जुड़ी यह कविता आपको अवश्य पसंद आएगी। ऐसा मेरा विश्वास है। इससे पहले मेरी तीन कविताएँ 'समाज धर्म' तथा 'पंजाब केसरी' में छप चुकी हैं।

कविता अस्वीकृति होने की स्थिति में वापसी के लिए छह रुपए के टिकट सहित स्वयं का पता लिखा लिफाफा भी भेज रही हूँ। मुझे पूर्ण आशा है कि आप इस कविता के महत्त्व को देखते हुए अपने पत्र में अवश्य स्थान देंगे।

धन्यवाद

भवदीय

अनीता डोगरा

45, गीता कालोनी

ऊना (हि.प्र.)

नौकरी के आवेदन पत्र।

परीक्षा भवन
अ, ब, स

प्राचार्य
राजकीय महाविद्यालय
चम्बा (हि.प्र.)

विषय : हिन्दी अध्यापक के पद हेतु आवेदन पत्र।

मान्यवर

आपके द्वारा 'अमर उजाला' में प्रकाशित विज्ञापन के संदर्भ में मैं आपके महाविद्यालय में हिन्दी अध्यापक के पद हेतु अपना आवेदन पत्र भेज रहा हूँ। मेरा व्यक्तिगत विवरण निम्न प्रकार से है।

1.	नाम	:	राजेश कुमार
2.	पिता	:	अशोक कुमार
3.	जन्म तिथि	:	20 मई, 1970
4.	शैक्षिक योग्यता	:	एम.ए., पीएच.डी. (हिन्दी)
5.	अनुभव	:	पांच वर्ष

आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि कृप्या आप मुझे अपने महाविद्यालय में सेवा करने का सुअवसर प्रदान करें। मैं महाविद्यालय में रहकर विधार्थियों के लिए शिक्षण हेतु कड़ी मेहनत व लग्न से शिक्षण कार्य करूँगा।

धन्यवाद

भवदीय
राजेश कुमार
सुपुत्र श्री अशोक कुमार
गीता कालोनी
हमीरपुर (हि.प्र.)
दिनांक : 13 दिसम्बर, 2016

अनौपचारिक पत्र

कुसंगति से बचने की शिक्षा देते हुए छोटे भाई को पत्र लिखिए।

22/4
हमीरपुर रोड
बंगाना
जिला ऊना (हि.प्र.)
दिनांक : 15 जुलाई, 2016

प्रिय दीपक,
शुभाशीष

आज पिता जी का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने आपकी पढ़ाई में पिछड़ने पर चिंता व्यक्त की है। पत्र से पता चला कि आजकल आप बुरे दोस्तों की संगति में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। पिता जी द्वारा चिंता व्यक्त करना स्वाभाविक है। आपको मालूम होना चाहिए कि कुसंगति मनुष्य की प्रगति को पंगु बना देती है। व्यक्ति की सच्ची पहचान उसकी संगति से ही होती है। यदि तुम बुरे मित्रों के साथ रहोगे, वो उनके दुष्प्रभावों से नहीं बच सकते। समय के महत्त्व को समझों व्यतीत हुआ समय फिर लौटकर नहीं आता। अब पछताये होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत' वाली उक्ति तो आप समझते हो, इसलिए समय रहते ही संभल जाओ। इसी में आपकी भलाई है। जिन्हें तुम आज मित्र समझ रहे हो, वे वास्तव में मित्र नहीं तुम्हारे शत्रु हैं।

आप अपने भविष्य की ओर ध्यान करो। अपने घर में माँ-बाप व परिवार की और देखो। कड़ी मेहनत करो ताकि भविष्य में सफलता प्राप्त कर सको। आप समझते हो'जैसी संगत, वैसी रंगत'। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप बताई गई इन बातों पर पूर्ण रूप से अमल करोगे और बुरी संगति का साथ छोड़ दोगे।

शुभ कामनाओं सहित

आपका अग्रज
विवेक कुमार।

अपने भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए।

123, बीटन

जिला ऊना (हि.प्र.)

दिनांक : 12 नवम्बर, 2016

प्रिय निखिल,

नमस्ते।

आपको सूचित करते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मेरे बड़े भाई विपिन की शादी 10 जनवरी, 2017 को होनी निश्चित हुई है। बारात 10 जनवरी को सुबह घर से हमीरपुर के लिए चलेगी। आपको 9 जनवरी तक मेरे घर अवश्य पहुँच जाना चाहिए। समय के अभाव या छुट्टी मिलने का बहाना नहीं चलेगा, क्योंकि अभी परीक्षाएँ भी नहीं हैं। अतः मैं चाहता हूँ कि आप सही समय पर आकर हम सभी की खुशियों में शामिल हो जाओ।

मित्र आपके आने से विवाह की खुशियाँ दुगुनी हो जाएंगी। अपने आने की तिथि के विषय में शीघ्र ही सूचना देना। मेरी ओर से माता जी और पिता जी को चरण स्पर्श कहना और बहन सुधा को प्यार देना।

आपका अपना

गौरव शर्मा।

अपने महाविद्यालय के के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह के विषय में सहेली को पत्र लिखिए।

120, गांधी कालोनी

शिमला (हि.प्र.)

दिनांक : 4 दिसम्बर, 2016

प्रिय राधा,

खुश रहो

कुछ दिनों से व्यस्त रहने के कारण मैं आपको पत्र न लिख सकी। इसका कारण यह था कि 10 नवम्बर को हमारे महाविद्यालय में वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह था। छात्र संघ की अध्यक्षा होने के नाते महाविद्यालय के प्राचार्य ने मुझे कुछ महत्त्वपूर्ण काम सौंप दिए थे। पिछले कुछ दिनों से मैं उन्हीं की व्यवस्था में लगी हुई थी। समारोह समाप्त होने पर अब मैं तुम्हें पत्र लिख रही हूँ। इस पत्र में मैं अपने महाविद्यालय के इस समारोह का विवरण भी लिख रही हूँ। मुझे मालूम है कि आप इस प्रकार के कार्यक्रमों में विशेष रूचि रखती है।

महाविद्यालय के सभी सदस्यों व विद्यार्थियों ने मिलकर महाविद्यालय की सजावट में कोई कमी नहीं रखी थी। चारों ओर रंग-बिरंगी झंडियाँ शोभायमान थी। दीवारों पर चित्र सजे हुए थे। परिसर के सामने की ओर एक बड़ा मंच तैयार किया गया था। मंच के बाई ओर मुख्यलिपि तथा अन्य प्रतिष्ठित अतिथिगणों के बैठने की व्यवस्था की गई थी। समारोह की अध्यक्षता सचिव, उच्चतर शिक्षा हिमाचल प्रदेश ने की।

समारोह का शुभारंभ राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम्' की सुरीली धुनों के साथ शुरू हुआ। हमारे महाविद्यालय की छात्राओं ने तो समा बाँध दिया। जिसने दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर अनेक छात्र छात्राओं ने विभिन गतिविधियों के साथ अपनी प्रस्तुति दी। मैंने भी एक देशभक्ति गीत प्रस्तुत किया। कुछ छात्राओं ने महाविद्यालय के प्रवेश द्वार पर सुंदर रंगोली भी बनाई थी। सभी की प्रस्तुती अत्यंत सराहनीय थी।

तत्पश्चात् मुख्यातिथि महोद्य ने पारितोषिक वितरण किया। मुख्यातिथि महोद्य ने उत्कृष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्रों को शुभकामनाएँ भी दी। मुख्यातिथि महोदय ने उपस्थित जन समूह को संबोधित भी किया। उनका संबोधन हम सभी के लिए प्रेरणादायक था। इसके साथ ही 'राष्ट्रगान' के साथ समारोह का समापन हुआ।

आपके माता-पिता ही को सादर नमस्ते तथा छोटी बहन को प्यार।

आपकी प्रिय सहेली

गीता।

कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र।

33, डी.सी. कालोनी

ऊना (हि.प्र.)

दिनांक : 30 नवम्बर, 2016

प्रिय मित्र संजय,

सप्रेम नमस्ते।

पिछले कल ही आपका पत्र मिला। पढ़कर मन प्रसन्न हो गया। यह तो मैं जानता ही था कि आप अवश्य ही एम. फिल प्रथम श्रेणी में पास करोगे, लेकिन विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान भी प्राप्त कर लोगे, इसका मुझे अनुमान नहीं था। पत्र में समाचार को पढ़कर मेरे हर्ष की कोई सीमा नहीं रही। मेरी ओर से आपको हार्दिक बधाई। ईश्वर करे तुम इसी तरह दिन दुगुनी और रात चौगुणी उन्नति करो। तुम सदैव इसी तरह उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ते हुए ऊँचाइयों को छुओ। पुनः हार्दिक बधाई।

अपने माता और पिता जी को मेरा सादर चरण स्पर्श कहना। रमन को प्यार।

तुम्हारा प्रिय मित्र

संजीव कुमार।

पिता के आकस्मिक निधन होने पर मित्र का सांत्वना पत्र लिखिए।

22/5, गोपाल नगर

दौलतपुर चौक

जिला ऊना (हि.प्र.)

दिनांक : 22 अक्तूबर, 2016

प्रिय विजय,

कल सुबह तुम्हारा पत्र मिला। आदरनीय पिता जी के आकस्मिक निधन का दुखद समाचार पढ़कर गहरा दुख हुआ। विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह अचानक क्या हो गया। जब मैं पिछले दिनों आपके यहाँ आया था तो वे पूर्ण रूप से स्वस्थ थे। पिता जी के आकस्मिक चले जाने से आपके हृदय पर जो व्यतीत हो रहा है, उसको समझ रहा हूँ। परंतु होता वही है जो ईश्वर को मँज़ूर होता है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। जैसी उस ईश्वर की इच्छा वैसे ही हमें अपना जीवन व्यतीत करना होता है।

अतः संकट के इस समय में धैर्य रखना ही उचित है। अभी घर का दायित्व भी आपके ऊपर है। इसलिए परिवार के बाकी सदस्यों को भी संभाले।

मेरी परम् परमात्मा से प्रार्थना है कि वह स्वर्गीय पिता जी की आत्मा की शाँति प्रदान करें और आपके परिवार को इस संकट की घड़ी को झेलने की शक्ति प्रदान करें।

आपका अपना

महेश कुमार।

स्वयं आकलन प्रश्न

अभ्यास प्रश्न – 4

प्र. 1. पत्र लेखन को मुख्य कितनी श्रेणियों में बाँटा जाता है।

प्र. 2. 'आवेदन पत्र' किस प्रकार के पत्र का उदाहरण है।

20.7 सारांश

वाक्य का सबसे महत्त्वपूर्ण गुण यह है कि वह लेखक के अर्थ को पाठक तक स्पष्ट रूप से संप्रेषित करता है। उपायुक्त शैली और व्याकरण का उपयोग करना महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह स्पष्टता में योगदान देता है। स्पष्टता वाक्य संरचना के विभिन्न तत्वों जैसे वाक्य जटिलता, विराम चिहन और क्रिया काल से प्रभावित होती है।

निश्च्छल भावों और विचारों का आदान-प्रदान पत्रों द्वारा ही संभव है। पत्र-लेखन दो व्यक्तियों के बीच होता है। इसके द्वारा दो हृदयों का संबंध दृढ़ होता है। अत: पत्राचार ही एक ऐसा साधन है, जो दूरस्थ व्यक्तियों की भावना की एक संगमभूमि पर ला खड़ा करता है। और दोनों में आत्मीय संबंध स्थापित करता है।

20.8 कठिन शब्दावली

एकीकृत - एकत्र करना

ऋतु - मौसम

उष्मा - गर्मी

ईंधन - साधन

इस्तीफा - त्याग पत्र

20.9 स्वयं आकलन प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न – 1

उ. 1. आचार्य पतंजलि

उ. 2. निकटता

अभ्यास प्रश्न – 2

उ. 1. भाषा

उ. 2. व्याख्या

अभ्यास प्रश्न – 3

उ. 1. प्रयोजन या उद्देश्य

उ. 2. एकाग्रता

अभ्यास प्रश्न – 4

उ. 1. दो

उ. 2. औपचारिक पत्र

20.10 संदर्भित पुस्तकें

(1) कामता प्रसाद गुरु, हिन्दी व्याकरण, पवन पॉकेट बुक्स, दिल्ली।

(2) डॉ. वासुदेवनन्दन प्रसाद, आधुनिक हिन्दी व्याकरण और रचना, भारती भवन।

20.11 सात्रिक प्रश्न

प्र. 1. पत्र लेखन क्या है? इसके महत्त्व एवं प्रकारों का परिचय दीजिए।

प्र. 2. वाक्य की परिभाषा देते हुए उसके भेदों, उपभेदों की विवेचना कीजिए।

प्र. 3. भावार्थ और व्याख्या को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए।

*****

समनुदेशन(Assessment) हेतुप्रश्न

स्नातक हिन्दी

प्रथम वर्ष

कोर्सकोड – HIND 104

हिन्दी भाषा और सम्प्रेषण

कुल अंक : 30

सत्र - 2019 - 2020 6 X 5 = 30

निर्देश :– (i) विद्यार्थी समनुदेशन (Assessment) पर अपना नाम, माता–पिता का नाम, अनुक्रमांक/वर्गीकरण संख्या अथवा सम्पूर्ण विवरण साफ व स्पष्ट वाक्यों में लिखें।

निर्देश :– (ii) निम्नलिखित प्रश्नों में से छः प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

प्रश्न 1. स्वर' के विभिन्न आधारों पर कितने भेद होते हैं? सोदाहरण वर्णन कीजिए।

प्रश्न 2. 'बलाघात', 'संगम' और अनुमान के स्वरूप का विस्तारपूर्वक वर्णन कीजिए?

प्रश्न 3. रचनात्मक लेखन से क्या अभिप्राय है? रचनात्मक साहित्य के तत्त्वों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 4 संधि से क्या अभिप्राय है? इसके भेदों पर प्रकाश डालिए।

प्रश्न 5 'भाषा' की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए?

प्रश्न 6. दैनिक समाचार–पत्र के सम्पादक के नाम पत्र लिखिए, जिसमें बढ़ते भ्रष्टाचार के प्रति चिंता व्यक्त की गई हो।

प्रश्न 7 जिला उपायुक्त सोलन की ओर से हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव को एक पत्र लिखिए, जिसमें बाढ़ से हुई भारी क्षति की पूर्ति के लिए प्रार्थना की गई हो।

*****

स्नातक प्रथम वर्ष
हिन्दी नवीन पाठ्यक्रम

कोर्स कोड : **HIND 104**
AECC-2 (CBCS)

हिन्दी भाषा और सम्प्रेषण

इकाई 1 से 20

संशोधितः डॉ. ऊषा रानी

अन्तर्राष्ट्रीय दूरवर्ती शिक्षा एवं मुक्त-अध्ययन केन्द्र
हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, ज्ञान पथ
समरहिल शिमला -171005

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	भाषा का अर्थ एवं परिभाषा	
2	भाषा की प्रकृति	
3	भाषा के विविध रूप	
4	हिन्दी भाषा की विशेषताएं	
5	क्रिया एवं उसके भेद	
6	विभक्ति एवं कारक	
7	सर्वनाम	
8	विशेषण	
9	क्रिया विशेषण, अव्यय	
10	उपसर्ग एवं प्रत्यय	
11	समास	
12	पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द	
13	शब्द शुद्धि एवं वाक्य शुद्धि	
14	मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ	
15	हिन्दी की वर्ण व्यवस्था स्वर एवं व्यंजन	
16	स्वर एवं व्यंजन के प्रकार	
17	वर्णों के उच्चारण स्थान	
18	संधि एवं सम्प्रेषण की अवधारणा	
19	श्रवण, वाचन एवं लेखन	
20	वाक्य की अवधारणा	